# हरियाणा विधानसभा में चौधरी रणबीर सिंह

भाग-1

सम्पादन : ज्ञान सिंह

हरियाणा विधानसभा में चौधरी रणबीर सिंह
भाग-1
सम्पादन : ज्ञान सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

# हरियाणा विधानसभा
# में
## चौधरी रणबीर सिंह
### ( भाग-एक )

# हरियाणा विधानसभा
# में
# चौधरी रणबीर सिंह

## विधानसभा ( 1966-72 ) में
## दिये भाषणों का संकलन

## ( भाग-एक )

संपादन
**ज्ञान सिंह**

**चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ**
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

© प्रकाशक

संस्करण: 2014

**प्रकाशक**
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

***मुद्रकः***
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रेस, रोहतक

# विषय सूची

**सन्देश** ix
*श्री जगन्नाथ पहाड़िया*
राज्यपाल, हरियाणा

**सन्देश** xi
*चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,*
मुख्यमंत्री, हरियाणा

**सन्देश** xiii
*इंजी. एच.एस. चहल*
कुलपति

**आभार** xv

**प्रस्तावना स्वरूप** xvii
*ज्ञान सिंह*
अध्यक्ष, चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ

1. सदस्यों द्वारा शपथ/ प्रतिज्ञा 01
2. अध्यक्ष का चुनाव 04
3. अध्यक्ष का चुनाव 09
4. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 10
5. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 18
6. अनुदा़न मांगें 22
7. विनियोग विधेयक, 1968 27

8. अविश्वास प्रस्ताव 29
9. हरियाणा विधानसभा का कार्यक्रम 32
10 राज्य में मादक पेय के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने संबंधी संकल्प 35
11. व्यवस्था का प्रश्न 42
12. हरियाणा विनियोग विधेयक, 1969 46
13. हरियाणा भूमि राजस्व (अतिरिक्त अधिभार) विधेयक 57
14. हरियाणा राजभाषा विधेयक 59
15. पंजाब विधान सभा (सदस्य भत्ता) हरियाणा संशोधन विधेयक 63
16. पंजाब विधान सभा (सदस्य भत्ता) हरियाणा संशोधन विधेयक 65
17. व्यवस्था का प्रश्न 69
18. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 71
19. ध्यानाकर्षण की अधिसूचना 87
20. पंजाब क्रय खरीद (हरियाणा निरस्तता) विधेयक 88
21. उद्योगों को अनुदान व रियायतें देने संबंधी प्रस्ताव 90
22. अनुपूरक मांगों पर चर्चा (द्वितीय किस्त ) 91
23. कार्य मंत्रणा समिति की पहली रिपोर्ट 97
24. श्रद्धान्जलि 99
25. राज्य बिजली बोर्ड के लिए ऋण-सीमा की स्थापना 104
26. पूरक अनुदान व्यय अनुमानों पर चर्चा 107
27. हरियाणा विनियोग (नं. 3) विधेयक 114
28. व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 117
29. राज्य बिजली बोर्ड हेतु ऋण-सीमा की स्थापना 125
30. राजकीय प्रस्ताव 135
31. राजकीय प्रस्ताव 137
32. राजकीय प्रस्ताव 138
33. चौधरी रणबीर सिंह द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 140
34. गन्ना (पंजाब और आपूर्ति के विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 144
35. पंजाब वाणिज्यिक फ सल उपकर (हरियाणा संशोधन) विधेयक 147
36. हरियाणा राज्य बिजली (बकाया वसूली) विधेयक् 151
37. हरियाणा लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा 155
38. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 158
39. श्रद्धांजलि 159
40. पंजाब मनोरंजन शुल्क (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1971 162
41. उत्तरी भारत नहर और जल निकासी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1971 169
42. उत्तर भारत नहर और ड्रेनेज (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1971 176

43. भूमि के पूर्वी पंजाब उपयोग ( हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1971 180
44. पूर्वी पंजाब गुड़ (नियंत्रण) हरियाणा संशोधन विधेयक 185
45. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 187
46. व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 189
47. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 190
48. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 192
49. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 198
50. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 207
51. पंजाब गन्ना (खरीद और आपूर्ति के विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1971 211
52. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (नियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक , 1971 215
63. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (नियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1971 217
54. पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन विधेयक) 219
55. हरियाणा राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों (सेवा की सुरक्षा) विधेयक 223
56. सरकारी/राजकीय प्रस्ताव 224
57. वर्ष 1969-70 के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा 227
58. सरकारी/राजकीय प्रस्ताव 229
59. सरकारी/राजकीय प्रस्ताव 233
60. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में चर्चा 234
61. श्रद्धान्जलि 244
62. कृषि उत्पादन बाजार (हरियाणा संशोधन) विधेयक 248
63. कृषि उत्पादन बाजार (हरियाणा संशोधन) विधेयक 251
64. कृषि उत्पादन बाजार (हरियाणा संशोधन) विधेयक 253
65. हरियाणा नगर शामलात भूमि (नियमन) विधेयक 257
66. पंजाब नई मंडी शहरी (विकास और विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 260
67. ध्यानाकर्षण अधिसूचना 265
68. नियम 30 के तहत प्रस्ताव 268
69. हरियाणा विनियोग (नं. 3) विधेयक 271
70. हरियाणा विनियोग (नं. 3) विधेयक 274
71. पंजाब यात्री एवं माल कराधान (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 281
72. पंजाब सहकारी समिति (हरियाणा संशोधन) बिल 285
73. चौधरी रणबीर सिंह द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 290
74. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और वर्ष 1969-70 के
हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के खातों पर चर्चा 295
75. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और वर्ष 1969-70 के
हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के खातों पर चर्चा 308
76. चौधरी रणबीर सिंह द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 310

| | |
|---|---|
| 77. चौधरी रणबीर सिंह द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण | 316 |
| 78. हरियाणा मवेशी मेले (संशोधन) विधेयक, 1971 | 317 |
| 79. पंजाब सड़क और संयुक्त राष्ट्र विनियमित विकास के नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध (हरियाणा संशोधन) विधेयक 1971 | 320 |
| 80. पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषद (हरियाणा संशोधन) विधेयक 1971 | 325 |
| 81. ध्यानाकर्षण अधिसूचना | 327 |
| 82. ध्यानाकर्षण अधिसूचना | 332 |
| 83. विशेषाधिकार के प्रश्न | 334 |
| 84. विशेषाधिकार के प्रश्न | 338 |
| 85. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा | 343 |

हरियाणा राज भवन,
HARYANA RAJ BHAVAN,
CHANDIGARH-160019

## सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में कार्यरत चौधरी रणबीर शोध केन्द्र द्वारा हरियाणा विधानसभा में चौधरी रणबीर सिंह द्वारा दिए गए भाषणों के संकलन का प्रकाशन किया जा रहा है।

महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कर्मयोद्धा स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा सच्चे देशभक्त, प्रखर सांसद, सम्मानित राजनेता, एक योग्य मंत्री, समाज सुधारक, शिक्षा प्रेमी और सबसे बढ़कर पक्के गांधीवादी थे। स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा और इस दौरान अलग-अलग 8 जेलों में बंद रहे। उन्होंने हमेशा मूल्य आधारित राजनीति की और इसका प्रचार-प्रसार भी किया। वे एक दूरदर्शी और लोगों के कल्याण एवं विकास में गहरी रूचि लेने वाले महान नेता थे।

चौधरी रणबीर सिंह 1966 में नवगठित हरियाणा में लोकनिर्माण व जनस्वास्थ्य मंत्री थे। सन 1968 में किलोई विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और 1972 में उस समय तक विधायक रहे जब उन्हें राज्य सभा के लिए चुन लिया गया। उस दौरान उन्होंने अपने अनुभव और कार्यकुशलता के द्वारा हरियाणा के विकास में और विधानसभा में विधायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऐसे महापुरूषों के विचारों से प्रेरणा लेने के लिए उनके भाषणों के संकलन का प्रकाशन अत्यंत सराहनीय कदम है। यह संकलन हमारी नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धान्तों से सीख लेने की प्रेरणा देता रहेगा। मैं संकलन के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

( जगन्नाथ पहाड़िया )

EPABX0172-2740581, 2740583 Fax-0172-2740557 E-mail : governor@hry.nic.in

D.O. No. CMH-2013 / ...SSS...

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA

सत्यमेव जयते

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA
CHANDIGARH.

Dated : 11.02.2014

# सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में कार्यरत चौधरी रणबीर शोध केन्द्र हरियाणा विधानसभा में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन प्रकाशित कर रहा है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा।

एक अलग प्रांत के रूप में हरियाणा का गठन पहली नवम्बर, 1966 को हुआ था। इसके लिए चौधरी साहब ने अथक प्रयास किय थे और 18 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में अपने एक महत्वपूर्ण सम्बोधन में इसके लिए पुरजोर आवाज उठाई थी। पंजाब मंत्रीमण्डल का सदस्य रहते हुए उन्होंने 1965-66 में हरियाणा के गठन हेतु महती भूमिका निभाई और प्रांत के पहले मंत्रीमण्डल में वे लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे। वर्ष 1968 में सम्पन्न मध्यावधि चुनाव में वे कलानौर हल्के से प्रान्त की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उस समय चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे।

वर्ष 1968 से 1972 के प्रारम्भ तक चौधरी साहब हरियाणा विधानसभा के सदस्य थे। यह वह काल था जब पंजाब से अलग होकर प्रान्त बनने के बाद यहां विकास के लिये लोगों की आकांक्षाओं को पंख लगे और नया मार्ग खुला। उस समय विधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह की सशक्त आवाज की जरूरत थी और उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। यह संकलन इस बात का गवाह है।

सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधान सभा में उठाते हैं, यह उनका मंच है। चौधरी साहब ने भी इस अवधि में अपने क्षेत्र के ज्वलन्त मामलों को पुरजोर ढ़ंग से उठाया, कहीं कोताही नहीं बरती। पूरी तरह मुखर और निर्भीक रहे। किंतु, वे सच में पूरे प्रांत व राष्ट्र की दृष्टि रखते थे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर प्रांत के विभिन्न इलाकों के मसलों को उसी तन्मयता से उठाया जैसा वे अपने निजी क्षेत्र या जिला के मसलों को उठाते थे। यह उनकी व्यापक दृष्टि और समग्र सोच का परिणाम था। हरियाणा विधान सभा के इस काल में चौधरी साहब खुल कर बोले। यह लोकतंत्र की संस्थाओं और मंचों में उनकी आस्था का प्रतीक है, जिसका उन्होंने बेबाकी से इस्तेमाल किया था। साथ ही, उन्होंने इन संस्थाओं व मंचों की

शालीनता का पूरा ख्याल भी रउसी निष्ठा से रखा।

मैं आशा करता हूँ कि यह संकलन उस समय की परिस्थिति को समझने हेतु शोधकर्ताओं के साथ-साथ सामान्य पाठकों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा।

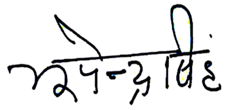

( भूपेन्द्र सिंह हुड्डा )

**H.S. Chahal**
Vicr-Chancellor

## सन्देश

हमारे लिए खुशी का विषय है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में संस्थापित 'चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ' वर्ष 1966 से वर्ष 1972 के दौरान चौधरी रणबीर सिंह द्वारा हरियाणा विधानसभा में दिए गए भाषणों का संकलन दो भागों में प्रकाशित कर रही है। चौधरी साहिब को संविधान निर्मात्री सभा सहित सात विभिन्न सदनों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने का गौरव हासिल किया था।

हरियाणा विधानसभा से पहले, वर्ष 1962 से 1966 तक वे संयुक्त पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे और उन्हें सिंचाई व बिजली विभाग का मन्त्री बनाया गया था। इन विभागों का मन्त्री रहते हुए उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अथक काम किया। कुछ समय के लिए वे राज्य के लोक निर्माण मन्त्री एवं जन स्वास्थ्य विभागों के मन्त्री भी रहे। पहली नवम्बर, 1966 को अलग हरियाणा प्रान्त अस्तित्व में आया। उसके लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 26 अगस्त, 1970 को उन्होंने रोहतक में विश्वविद्यालय बनाने के लिए आवाज उठाई, जिसे वर्ष 1976 में स्थापित किया गया। उस समय इसे रोहतक विश्वविद्यालय, रोहतक के नाम से जाना गया।

चौधरी रणबीर सिंह सदैव 'किसानों के चेहरे पर लाली और खेतों में खुशहाली' लाने पर जोर देते रहे। उन्हें ग्रामीण भारत की प्रखर पैरवी के लिए सदा याद रखा जाएगा।

मैं उम्मीद करता हूँ कि ''हरियाणा विधानसभा में चौधरी रणबीर सिंह'' नामक प्रकाशन सुधी पाठकों को भाएगा। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने में इससे काफी मदद मिलेगी। इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

हर सरूप चहल

( हर सरूप चहल )

**MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK-124001, (HARYANA) INDIA**
**(NAAC 'A' Accredited)**
**A State University, established under Haryana Act No. 25 of 1975**
**Off : 01262-393548 Res : 01262-274710 E-mail : vcmdu@hotmail.com, vc@mdurohtak.ac.in Website : www.mdurohtak.ac.in**

# आभार

हरियाणा विधानसभा (1966-72) में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों का यह दो भागों में संकलन सुधी पाठकों एवं शोधकर्त्ताओं के हाथों तक पहुँचाने का यह एक प्रयास है। पूर्ण विश्वास है यह संकलन सभी के लिए एक रूचिकर और उपयोगी साबित होगा

पीठ हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति श्री हर सरूप चहल की बेहद आभारी हैं, जिन्होंने इस संस्करण के लिए 'सन्देश' भेजकर हमें अनुग्रहित किया।

पीठ 'महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रेस, रोहतक' के संचालक श्री सतीश शर्मा का आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने निर्धारित समयावधि में इस संस्करण को उत्कृष्ट रूप में प्रकाशित किया।

इसके साथ ही इस संकलन को सुचारु रूप से तैयार करने एवं आपके हाथों तक पहुँचाने में सराहनीय योगदान देने के लिए पीठ के अपने सहयोगियों श्री राजेश कुमार 'कश्यप', श्री धर्मबीर हुड्डा, श्री स्नेह कुमार व श्री सुरेन्द्र सिंह का भी धन्यवाद व्यक्त किया जाता है।

**चेयरमैन**
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ

# प्रस्तावना स्वरूप

प्रस्तुत प्रकाशन प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी, ग्रामीण भारत के जुझारू एवं निष्ठावान प्रवक्ता चौधरी रणबीर सिंह जी द्वारा सन् 1968 से 1972 के प्रारम्भ तक हरियाणा विधान सभा में दिए गए भाषणों का दो भागों में संकलन है। चौधरी साहिब एक सक्रिय सांसद, विधायक एवं जमीनी हकीकत से जुड़े अनुभवशील विद्वान थे। इस ताजा प्रकाशन सहित शोध पीठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री इतने अन्तराल के बाद वस्तुत: उनके संघर्षों की गाथा है जो एक बार फिर ऐसी सुखद अनुभूति देती है जो उस समय की राजनीति के प्रवाह का दर्शन भी कराती लगती है। यह प्रकाशन उनसे जुड़ी सामग्री की ताजा कड़ी है जो जनजीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर अनुसंधान हेतु राह खोलती है और एक ऐसे धरतीपूत्र की याद ताजा कराती है जिसने अपने यौवन को देश तथा अपनी कृषि-जनित संस्कृति की रक्षा में लगा दिया था। वे ताजीवन ग्रामीण जीवन-मूल्यों की प्रतिमूर्ति बन कर रहे, जिन्होंने विपरीत प्रस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी और एक सन्तुष्ट जीवन जी कर योगी की तरह विदा हुए।

सन् 1947 में आजाद भारत के इतिहास का एक अलग अध्याय खुला था। लम्बे समय तक चले ब्रिटिश शासन से निजात पा कर उसने सपने संजोने आरम्भ किए थे। पृष्ठभूमि में गुलामी के दौर का दर्द उसकी नसों कों कसमसा रहा था और देश के विभाजन जैसी फिरंगियों की कारस्तानियों से आहत था। सन् 1857 से लेकर 1947 तक निरन्तर चले इस दीर्घकालीन स्वतन्त्रता आन्दोलन से तप कर निकले देश रत्नों की एक पूरी कतार का भरोसा उसे था। उनमें हरियाणा के बहुत बांकुरे शामिल थे। इनमें एक ऐसे ही योद्धा चौधरी मातू राम आर्य के वीर सुपुत्र चौधरी रणबीर सिंह रहे। वे कर्मठ और निष्ठावान स्वप्नदर्शी थे।

चौधरी रणबीर सिंह गांधी दर्शन के अनुयायी थे जिनकी पृष्ठभूमि किसानी से सांस लेकर बनी। उनकी सांस्कृतिक विरासत उस ग्रामीण हरयाणा की संघर्षशील जीवन पद्धति पर खड़ी थी जो सन् 1857 की विफल जनक्रांति के बाद चले घोर दमनचक्र से आहत छटपटा रही थी और जिसको आर्य समाज के मूलत: धार्मिक-

सामाजिक सुधारवादी आन्दोलन ने अपने प्रभाव में लेना आरम्भ किया था। चौधरी मातू राम अपने मित्रों-सहयोगियों के साथ सामाजिक व राजनीतिक जीवन में चल रही इस बयार का हिस्सा बन कर चल रहे थे जिसने ग्रामीण क्षेत्र को गहरे से प्रभावित किया और युवा रणबीर सिंह भी इसमें रम गए।

सन् 1857 के बाद हरे-भरे हरयाणा की कृषि-अर्थव्यवस्था चौपट हो चली थी और अकाल का साया लम्बा होता गया। इस जनक्रांति में हरयाणा की अद्वितीय भूमिका के एवज यह उसको सजा मिली थी। किन्तु, सांस्कृतिक उलटफे र से ही उसे माकूल सजा दी जा सकती थी जिसे एक चालाक ब्रिटिश व्यापारी ने समझ लिया था। आजीविका हेतु पुलिस व सेना में भर्ती का एकमात्र दरवाजा खोल कर मानों इसकी आत्मा के साथ कोई योजनाबद्ध चक्रान्त का रास्ता लिया गया हो। बहादुर हरियाणा को मसल कर एक आज्ञाकारी नौकर में बदलने का इससे काम हुआ ताकि फि र कभी अन्याय के विरुद्ध 1857 न दोहराया जा सके। ऐसे समय संयोग से यहां आर्य समाज का आगमन हुआ और उसने अनजाने ही सही कुछ सीमा तक इस चलन पर रोक लगाने का काम किया तथा उसके आत्म सम्मान को जगाने में सहायता की। हरियाणा फिर से अपने गौरव एवं बहादुरी के मार्ग पर लौटने की परिस्थिति में आ पहुंवा था। इस तरह आर्य समाज हरियाणा के एक कठिन दौर में इतिहास का अनजाने ही सही एक त्राता बन कर सामने आया। चौधरी रणबीर सिंह के जुझारू व्यक्तित्व को संवारने का यही अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक परिथति उपादान बनी। यह नौजवान आजादी की बलिवेदी पर होम होने को तैयार था ताकि उसका अपना समाज अपने गोरव को फिर से हासिल कर सके।

आजादी की दहलीज पर पहुंच कर कांग्रेस पार्टी ने अपने इस यौद्धा को चिन्हित कर लिया था और उसे पंजाब प्रान्त की ओर से संविधान सभा में 10 जुलाई, 1947 को चुन कर भेजा। यह चौधरी रणबीर सिंह के लिए नयी पारी की शुरुआत साबित हुई जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और राष्ट्रीय पटल पर ग्रामीण भारत के प्रखर प्रवक्ता बन कर उभरे।

चौधरी साहिब को अपनी माटी, अपनी जड़ों से गहरा लगाव था। वे हरयाणा की सामाजिक बुनगत के प्रति आस्थावान थे तो अपनी तहजीब पर गर्व करते थे। हरयाणा के प्रति ब्रिटिश शासन की ज्यादतियों से हुई क्षति को पहचानते थे। इसीलिए चाहते थे कि जल्दी से जल्दी यह अन्याय मिटे तो यह क्षेत्र भी स्व को पाकर विकास की बुलंदियों को छूए।

हरियाणावासियों को 1857 के बाद उसके साथ किए गए अन्याय का गहरा क्षोभ था। उस पहली जनक्रांति की विफलता के बाद इस क्षेत्र को जड़ तक डराने के वास्ते ब्रिटिश शासन द्वारा अकथनीय अत्याचार के साथ-साथ यहां की कृषि-आधारित स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था को तोड़ कर परतन्त्र बनाने के अलावा सरकारी पंचायतों का गठन करके इसके स्वाभिमानी स्वशासनिक सामाजिक तानेबाने को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया और क्षेत्रीय एकता को टुकडे करके इधर उधर बखेर दिया गया। यू ंतो पूरे भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन मात्र आर्थिक दोहन की जरूरत के अनुसार तैयार हुआ था, किन्तु उत्तरी भारत, खासकर हरयाणा क्षेत्र इसकी विशेष चालबाजियों का शिकार बना। स्वतन्त्रता आन्दोलन में सांस्कृतिक व भाषाई आधार पर प्रान्तों के गठन का सवाल इसी कारण महत्वपूर्ण एजेण्डा बन चुका था। सन् 1956 में रा%जें का भाषाई आधार पर पुर्नगठन हुआ किन्तु अलग हरियाणा बनाने का सवाल तब भी लटकता ही रह गया था।

सन् 1956 में इसके साथ हुए अन्याय की वर्ष 1966 में आंशिक पूर्ति पर भी हरयाणावासियों ने संतोष की सांस ली थी और जश्न मनाया था। जब पंजाब से अलग होने की मांग तीव्र हुई थी तो उसके भविष्य पर शंका करने वाले बहुत लोग थे कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकेगा या नहीं। उस समय इसके भविष्य पर भरोसा करने वालों की अग्रिम पंक्ति में चौधरी रणबीर सिंह एक थे जिसने यहां विकास की सम्भावनाओं को सही से आंका और इसके लिए निरन्तर आवाज उठाई। हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही से लिया गया यह संकलन इसका प्रमाण है।

चौधरी रणबीर सिंह गुलामी के विरुद्ध आन्दोलन के निर्भीक सिपाही ही नहीं थे वरण एक अध्ययनशील वृति वाले दृढनिश्चयी ऐसे विचारक थे जिसे साधनहीन व निर्बल किन्तु मेहनतकशों की आवाज बनने की धुन थी। वे बने भी। आजादी की वेला में देश दो-राहे पर खड़ा था। प्रबल शक्तियां उसे जिस दिशा में धकेलना चाह रही थी उससे यहां विरोध के स्वर फूट निकले थे। एक ओर पश्चिम जगत से सीख लेकर आधुनिक तकनीक पर टिके उद्योगों की राह थी तो दूसरी ओर गांध जी के स्वालम्बन ग्रामीण भारत की परिकल्पना थी। इनके दो के अतिरिक्त सोच का अभाव था। संविधान सभा में दिशा-सूत्र सम्बंधी प्रस्ताव पास हो जाने के बावजूद विकास हेतु उद्योग पर बल हो या कृषि को आगे बढाया जाए इस पर मतभेद उभरे। उद्योग को विकास का मूलमन्त्र लेने पर कृषि का काम उद्योग की सेवा का रहता है। यदि कृषि को सुदृढ करने पर बल हो तो उद्योग की भूमिका मौलिक लक्ष्य की पूर्ति पर सिमटती है। आजाद भारत ने प्रारम्भिक काल में ही उद्योगों के जरिये विकास का

लक्ष्य ले लिया तब कृषि से सेवक का काम लिया जाने लगा। इसमें भेदभाव एक अन्तर्निहित तथ्य बन कर सामने आया तो चौधरी रणबीर सिंह जैसे सदस्यों को अखरना ही था जिनकी निष्ठा गांधी जी के प्रभाव सें ग्रामीण भारत के प्रति पक्की हो चली थी। फिर वे भुक्तभोगी भी तो थे। ग्रामीण परिवेश से उन्हें सांस मिलता था, गांव की माटी से गंध लेकर वे आगे बढे थे।

आजाद भारत में अलग प्रान्त के बतौर हरियाणा का गठन हुए एक अरसा बीत गया है; आधी सदी ही बीतने को है। पहली नवम्बर, 1966 को यह प्रशासनिक इकाई के रूप में देश के चित्र पर अंकित हुआ था। उस समय प्रान्त के लोगों को गहरा शिकवा था कि पंजाब के शासकों ने उसके साथ विकास के मामले में न्याय नहीं किया और वह पिछड़ा रह गया।1 बहुत लोग यह कहने वाले भी थे कि अलग प्रान्त के रूप में हरियाणा अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता नहीं रखता है इसलिए इसका भविष्य पंजाब के साथ जुड़े रहने में है। इसका तर्कसंगत पलट जवाब देने वालों में सदा की तरह आशावादी चौधरी रणबीर सिंह अग्रणी थे। वे उस समय पंजाब मन्त्रीमण्डल में लोक निर्माण व स्वास्थ्य विभागों के मन्त्री थे। उसी हरियाणा की गिनती अब देश के अग्रिम प्रान्तों में होती है।

पंजाब विधान सभा में उस समय हरियाणा क्षेत्र से जो सदस्य थे उनको लेकर हरयाणा विधान सभा का गठन हो गया था जिसने वर्ष 1967 में हुए चुनाव तक काम किया। हरियाणा गठन के साथ ही प्रथम मन्त्रीमण्डल बना तो वे लोक निर्माण एवं स्वास्थ्य विभागों के मन्त्री रहे। हरियाणा के इस प्रथम चुनाव में चौधरी रणबीर सिंह स्वयं अपनी पार्टी की भीतरी साजिश के शिकार हो गए और उनको चुनाव में हरवा दिया गया।2 वर्ष 1968 में हुए मध्यावधि चुनाव में उन्हें रोहतक जिला के किलोई क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के लिए चुन लिया गया। इस सदन में वे सन् 1972 के आरम्भ तक सदस्य रहे। तब से पहले, वे संविधान सभा (1947-1949), संविधान सभा (विधायी) (1947-1949), अन्तरिम संसद (1949-1952), प्रथम लोक सभा (1952-57), द्वितीय लोक सभा (1957-62) व पंजाब विधान सभा के सदस्य (1962-66) एवं पंजाब मन्त्रीमण्डल में सिंचाई एवं बिजली (1962-64) तथा बाद में लोक निर्माण तथा स्वास्थ्य विभाग के मन्त्री (1964-66) रह चुके थे।

हरियाणा विधान सभा में भी हर कदम पर चौधरी रणबीर सिंह ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से जूझते मिलते हैं, खासकर कृषि विकास के प्रति उनकी लगन देखते बनती है। इसके लिए वे विधान सभा में अपनी ही पार्टी के मुख्यमन्त्री से टकराते

मिलते हैं तो ग्रामीण विकास की योजनाओं हेतु अनुशंसा करते दिखते हैं, तर्क देते हैं तो प्रशासकीय हत्थकण्डों से आगाह करते लगते हैं। दिन–दिन बढते गैर–जरूरी प्रशासनिक बोझ पर दुखी होते हैं। किसी के प्रति कहीं कठोर शब्द कह बैठे तो अगले ही क्षण क्षमायाचना करके अपनी शालीनता की डोर को थामे मिलते हैं। अपनी निष्ठा के लिए दबंग हैं तो अदने से व्यक्ति की गरिमा को पहचानने में भूल नहीं करते। उनकी मित्रमण्डली में सबको आने का हौसला है, वहां बुजुर्ग खां अब्बदुल गफ्फ़ार खां हैं, मेजर अमीर सिंह हैं, कामरेड राम प्यारा है, लाल सिंह या रामधारी है तो फत्तू नाई भी बेझिझक आता–जाता है, उनका चहेता है तो विपक्ष में खड़े दलों के सदस्य भी उन्हें उसी तरह मिलनसार पाते।

प्रान्त के हितों पर वे चौकस निगाह रख कर चलते रहे थे और निर्भीक अपनी आवाज उठाते थे। हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही में उनकी आवाज इस बात को रेखांकित करती है जो इस ताजा संकलन की विषयवस्तु है। मिसाल के तौर पर: पंजाब के विभाजन के बाद अस्थाई तौर पर बने संघीय शासन क्षेत्र चंडीगढ में स्थित पंजाब विश्वविद्यालय एक साझा संस्थान था जिसके साथ प्रान्त के विद्यालय संलग्न थे। इस स्थिति में बदलाव को भांप कर सरकार को आगाह किया और 26 अगस्त 1970 को रोहतक में अपना अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मांग उठाई थी। इसी तरह दूसरे मामलों पर वे सतर्क निगाह रख रहे थे।

आशा है यह संकलन पाठकों को भायेगा और शोधकर्त्ताओं को उपयोगी होगा।

**ज्ञान सिंह**
अध्यक्ष,
चौधरी रणबीर सिंह शोघ–पीठ

# HARYANA VIDHAN SABHA

## Thuesday, 6th Dec, 1966*

----------------------------

### सदस्यों द्वारा शपथ/ प्रतिज्ञा

The Vidhan Sabha meet in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Sabha Bhawan, Chandigarh-1 at 2.00 P.M. of the Clock. Deputy Speaker (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.

**Annoucement by the Secretary**

**Secretary :** I have to informe the House that the Governor, in exercise of the powers conffered on him, by Article 188 of the Constitution of India, has appointed Shrimati Shanno Devi, Deputy Speaker to the person before whom every member of the Haryana Lesislative Assembly shall, before taking his/her seat, make and subscribe the Prescribe oath/ affirmation.

**OATH OR AFFIRMATION BY THE MEMBERS**

**अध्यक्ष :** अब सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। मैं पंडित भगवत दयाल जी को कहती हूँ कि वह आकर शपथ ग्रहण करें।

तत्पश्चात निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की तथा उस पर हस्ताक्षर किए।

**मुख्यमन्त्री**

श्री भगवत दयाल शर्मा झज्जर

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 6 Dce. 1966, Vol. I No. 1, Page (1) 1-3*

**मन्त्री**

| | |
|---|---|
| सरदार गुलाब सिंह | सढ़ौरा |
| चौधरी रणबीर सिंह | कलानौर |
| श्री देवराज आनंद | अम्बाला कैंट |
| श्रीमती ओम प्रभा जैन | कैथल |
| चौधरी दल सिंह | जीन्द |
| श्री चांद राम | साल्हावास |

**राज्यमंत्री**

| | |
|---|---|
| श्री बाबू दयाल शर्मा | पटौदी |
| श्री सागर राम गुप्ता | भिवानी |
| श्री निहाल सिंह | महेन्द्रगढ़ |
| खन अब्दुल गफ्फार खां | अम्बाला शहर |

**उपमन्त्री**

| | |
|---|---|
| श्री कन्हैया लाल पोसवाल | गुड़गांव |
| श्री बनारसी दास गुप्ता | थानेसर |
| श्री केसरा राम | डबवाली |
| राव निहाल सिंह | जेतुसाना |
| कंवर रामपाल सिंह | पंडुरी |

**सदस्याएं**

| | |
|---|---|
| श्रीमती चन्द्रावती | दादरी |
| श्रीमती पसन्नी देवी | राजौंद |

**सदस्य**

| | |
|---|---|
| टिक्का जगजीत सिंह | नारायणगढ़ |
| चौधरी राम प्रकाश | मौलाना |
| चौधरी हरकिशन | हसनपुर |
| श्री हीरा लाल | बल्लभगढ़ |
| चौधरी खुरशिद अहमद | नूंह |
| श्री रूप लाल मेहता | पलवल |

| | |
|---|---|
| चौधरी तैय्यब हुसैन खां | फिरोजपुर झिरका |
| श्री अमर सिंह | नारनौंद |
| चौधरी देवीलाल | फतेहाबाद |
| श्री हुन्ना लाल | हिसार शहर |
| श्री जगन्नाथ | तोशाम |
| चौधरी मनफूल सिंह | टोहाना |
| चौधरी नेतराम | हिसार सदर |
| श्री सीताराम बागला | सिरसा |
| चौधरी टेकराम | हांसी |
| श्री फकीदिया | नरवाना |
| श्री फतेहचन्द विज | पानीपत |
| चौधरी इन्द्र सिंह मलिक | सफीदों |
| श्री मुलतान सिंह | बुटाना |
| सरदार प्यारा सिंह | पेहोवा |
| कामरेड प्यारा सिंह | करनाल |
| चौधरी रण सिंह | रादौर |
| लाला रूलिया राम | घरौंडा |
| श्री बनवारी लाल | कनीना |
| श्री रामसरन चन्द्र मित्तल | नारनौल |
| पं. चिरंजी लाल शर्मा | गन्नौर |
| चौधरी हरद्वारी लाल | बहादुरगढ़ |
| श्री मंगल सैन | रोहतक |
| चौधरी मुख्तयार सिंह मलिक | सोनीपत |
| पं. रामधारी गौड़ | गोहाना |
| श्री रामधारी वाल्मिकी | महम |
| चौधरी राम सरूप | सांपला |
| चौधरी रिजक राम | राय |

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 15 जुलाई, 1968 ई.*

---------------------------

### अध्यक्ष का चुनाव

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, आपके अध्यक्ष के पद पर चुने जाने पर मैं आपको हृदय से बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वैसे तो आपका राजनैतिक जीवन थोड़ा ही है, लेकिन एक बहादुर सिपाही और अफसर के नाते आपका जीवन काफी ऊंचा और शानदार रहा है। जहां मैं आपको बधाई देता हूँ वहां मैं अपनी पार्टी यानी कांग्रेस दल को आपको इस पद के लिये चुनने के लिए भी हृदय से बधाई देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इस सदन के अन्दर काफी सदस्य हैं जिन्हें इस कुर्सी पर काम करने का काफी तजरुबा भी था – जैसे कि श्री राम सरन चन्द मित्तल और श्री माडू सिंह जी, जो अभी कुर्सी खाली करके गए हैं। श्री सरुप सिंह जी भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, जिनको किसी न किसी तरह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला और इसके लिए काफी तजरुबेकार हैं। इसके बावजूद भी हमारे दल ने जो आपको स्पीकर के औहदे के लिए चुना, उसके पीछे एक छुपी हुई भावना है। वह भावना यह है कि हरियाणा प्रान्त के बहादुर सिपाहियों ने और बहादुर आफिसरों ने हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहकर अपना हाथ बटाया और हरियाणा प्रान्त का नाम ऊंचा किया। हमारे बहुत से जवान, जिनमें आपके अपने सुपुत्र भी थे, हिमालय के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर देश की रक्षा करते

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 15th July. 1968, Vol.1 No.1, Page (1) 8-11*

भगवान को प्यारे हुए हैं। हरियाणे के बहादुर जवानों ने हमारे देश की रक्षा की। यही कारण है कि उन सबकी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए इस सदन के बाकी तजरुबेकार साथियों को छोड़कर हमारे दल ने आपको अध्यक्ष पद के लिए चुना। मैं तो सोचता था कि जब मुख्यमंत्री आपका नाम पेश करेंगे तो राव बीरेन्द्र सिंह जी, जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं और फौजी अफसर भी रहे हैं, इसकी ताईद करने के लिए खड़े होंगे। मैं फौजी जवानों और अफसरों की भावनाओं को बखूबी जानता हूँ, मैं फौजी तो नहीं रहा, लेकिन फौजी अफसर का बाप और फौजी अफसर का दोहता तो जरुर हूँ। लेकिन, स्पीकर साहिब, आप तो फौजी आफिसर रहे हैं। इसलिए राव साहिब को आपका समर्थन तो करना ही चाहिए था। चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक जी ने भी अपनी छुपी हुई भावना का इजहार किया। लेकिन, उनके विचारों को कुछ दूसरी मानसिक भावनाएं दबाकर बैठी थीं और उनके हार्दिक फैसले का उन भावनाओं ने समर्थन नहीं करने दिया।

मैं और बातों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन राव साहिब ने जो याद दिलाया। उन्होंने दो महीने के समय का जिक्र किया, जिसकी हाऊस में बड़ी चर्चा हुई। मैं समझता हूँ समय सब दलों को मिला है, किसी एक दल को ही समय नहीं मिला। अगर कोई गिला करे तो क्यों ? लेकिन उन्होंने जो गिला किया वह मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि समय तो उनको भी मिला। पिछले दिनों अखबारों में इसके बारे में बड़ी-बड़ी निराधार बातें छपती रहीं। आपके और मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया। हालांकि, मैं 150 मील की दूरी पर दूसरे प्रदेश में बैठा था। (चौ. मुख्तियार सिंह की तरफ से विघ्न) मैं मानता हूँ कि मलिक साहिब बड़े तजरुबेकार हैं। लेकिन, जिस हौंसले से मैंने उनकी बात सुनी, उसी तरह मैं भी उनसे तवक्को करता हूँ कि वे भी उसी हौंसले से मेरी बात सुनेंगे। मैं मानता हूँ कि इसमें किसी को गिला नहीं करना चाहिए। क्योंकि, यह दो महीने का अर्सा जो है यह हरियाणा प्रान्त को बनाने में, एक अच्छा सुधार करने में एक अच्छी नींव रखने का काम देगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां तीन निर्दलीय सदस्यों का जिक्र किया गया है जिन्होंने, आपके चुनाव में कांग्रेस दल का साथ दिया। उन्होंने सबूत दिया कि उनको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गिला होने के बावजूद, जैसा चौधरी मुख्तियार सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से उन सदस्यों को टिकट नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में उनका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने उनका विरोध करने में एड़ी से चोटी तक ज़ोर लगाया। परन्तु, इसके बावजूद भी वे जीत कर आए। मैं उनको मुबारिकवाद देता हूँ। क्योंकि,

उनकी भावनाएं उनके सही फैसले को बदलने में कामयाब नहीं हुई। हो सकता है कि उनके सब–कौन्शियस माइन्ड में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ गिला हो सकता था। यह लाज़मी भी है क्योंकि मेरे साथ भी यदि ऐसा हो तो मुझे भी गिला हो सकता है। लेकिन, इसके बावजूद भी सही रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने सोचने में एक मिनट नहीं लगाया। उन्होंने एक मिनट के अन्दर–अन्दर अपना फैसला करके एक अच्छे चुनाव का साथ दिया और स्वागत किया। मुझे तो मालूम था कि राव बीरेन्द्र सिंह जी बड़े तजरुबेकार हैं। वे हमारे साथ रहे हैं और आगे भी रह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है (हंसी)। फिर मलिक साहिब भी बहुत तजरुबेकार हैं। इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इस अवसर पर मैं पुरानी बातों को, कि आज से पन्द्रह साल या पांच सात साल पहले मलिक साहिब के जनसंघ की नीति के बारे में कैसे विचार थे, क्या विचारधारा थी, दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरुर कहना चाहता हूँ कि मलिक साहब ने आज जो आपके खिलाफ जिस उम्मीदवार का समर्थन किया वह हमारे साथ जेल में रहे हैं। उन्होंने और हमने जेल की कोठड़ी में इकट्ठे जीवन बिताया है और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इतना ही नहीं, वे मेरे एक दोस्त भी थे और हैं भी। अब भी उनके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मलिक साहिब ने उनके प्रति जो सम्मान की बात की है वह दिल से नहीं कही है। क्योंकि, उन्होंने तो कह दिया कि एक टोकन सी फाइट हमने दी है। अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस सदन के हर सदस्य को आपके चुनाव पर दिल से खुशी है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक दो महीने के समय की बात है, इसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह समय हमने इनको हर किस्म के हथियार अपनाने और चलाकर देखने के लिए दिया था। हम तो अहिंसावादी हैं। महात्मा गांधी के चरणों में हमें शिक्षा मिली है और उनकी शिक्षा पर हमारा दल चलता है। वे तो व्यर्थ ही हमसे घबराते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके चुनाव की एक दूसरे कारण से भी खुशी है। आप जानते हैं कि चण्डीगढ़ की हवा कुछ दिनों से गर्म है और पास वाले सदन के अन्दर कुछ वाक्यात हुए हैं। ऐसे वाक्यात को संभालने के लिए जरुरत थी कि एक निष्पक्ष सदस्य का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपनी पार्टी का जिक्र किया था उसका दूसरा

कारण मैं मानता हूँ कि आपके चुनाव में यह भी एक प्रश्न था कि राव बीरेन्द्र सिंह जी को और मलिक मुख्तियार सिंह जी को इस बात पर गिला न हो, क्योंकि, आप एक फौजी अफसर रहने के कारण निष्पक्ष रहेंगे। फौज में जितने दिन आपने सेवा की उतने दिन कभी कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सीधे या टेढ़े तौर पर कोई इमदाद या मुखालिफत नहीं की तो एक तरह से हमारी पार्टी ने एक निष्पक्ष सदस्य को, जो निष्पक्षता से कार्य कर सकता है, चुना है। इसके बावजूद भी यदि किसी को गिला हो तो मैं मानता हूँ कि वह गिला आपसे नहीं है बल्कि वह चुनाव से है। जो भावनाएं मोशन के पीछे छिपी हुई थी उन मानसिक भावनाओं से गिला है। वैसे तो समय नहीं है मुख्यमंत्री जी को कुछ कहने का। लेकिन, जैसा कुछ दोस्तों ने कहा मैं एक बात कह ही देता हूँ कि जो डर इन सदस्यों के सब-कौन्शियस माइन्ड में छिपा हुआ है उसको इन्हें निकालने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे हालात कायम करने चाहिएं, जिससे हर सदस्य की इज्जत बरकरार रह सके। इन हालात को पैदा करने के लिए भी एक बड़े फौजी अफसर की जरुरत थी। इसलिए इस दृष्टि से भी आपका चुनाव कांग्रेस दल ने सही किया है। मैं आपको मुबारिकबाद देने के साथ-साथ राव साहब और मलिक साहिब को भी बधाई देता हूँ जो भूल करने के बाद उन्होंने अपनी लती कबूल की है। मैं तो मानता हूँ कि दिल से वे आपके चाहने वालों में से हैं और दिल से मलिक साहिब, राव साहिब और मेजर अमीर सिंह जी जो कि कई विरोधी दलों से सम्बन्ध रखते हैं, फौजी अफसर के नाते, आपके प्रति श्रद्धा की भावनाएं रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे सदन का काम शान्ति से चलेगा और जिस तरह से हमारे फौजी अफसरों ने और जवानों ने हिन्दुस्तान के अन्दर हरियाणा का नाम रोशन किया है उसी तरह यह असैम्बली भारत के अन्दर अपना नाम रोशन करेंगी। मैं यह भी समझता हूँ कि अब की दफा कोई भी इधर-उधर आन जाने वाली बात, जिसका कि मलिक साहिब तथा कुछ अन्य मैम्बरों ने आज जिक्र भी किया, यहां नहीं होगी। राव साहिब या मलिक साहिब का यह भय कि कांग्रेस निर्दलीय सदस्यों या दूसरे विरोधी दलों के सदस्यों को तोड़ेगी सरासर लत है। कांग्रेस को ऐसा करने की कोई जरुरत नहीं, क्योंकि इसे भारी बहुमत प्राप्त है। अब तो आवश्यकता इस बात की है कि हर सदस्य का, हर दल का सहयोग लेकर हम हरियाणा को आगे बढ़ाएं, हरियाणा की तरक्की करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी देख रेख में हम मैम्बर की और हर दल की इज्जत कायम रहेगी और सब दल वाले आपकी सलाह पर चलेंगे। अगर कहीं किसी बात पर मतभेद होगा तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि

उसे शान्ति से आपके कमरे में बैठकर आपसी बातचीत से दूर किया जाएगा। ऐसा करने से हमें फायदा ही फायदा होना और जिन लोगों से हम जुदा हुए हैं वे हमको यह नहीं कह सकेंगे कि हरियाणा बनाने वालों ने लती की। अध्यक्ष महोदय, चूंकि काफी समय मैंने ले लिया है इसलिए अन्त में यह आशा रखता हुआ कि आपकी देखरेख में हमारी सरकार और विरोधी दल हरियाणा की तरक्की में जुटेंगे और इसके फलस्वरूप हरियाणा अपने पड़ौसी पंजाबी सूबे से आगे नहीं तो कम से कम जल्दी ही बराबर के स्तर पर खड़ा हो जाएगा।

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 17 जुलाई, 1968 ई.*

---------------------------

### अध्यक्ष का चुनाव

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं मानता हूँ कि सदन को जो आपने सलाह दे दी है उसके बाद मुझे कोई निवेदन नहीं करना चाहिए। लेकिन, अगर आप आज्ञा दें तो इस सिलसिले में एक ही बात जो मैं कहना चाहता हूँ कह लूं। जो कुछ राव साहब ने कहा है, उसे मैं कान्स्टीच्यूशनल इशू मानता हूँ। वह है या नहीं या लीगल डिपार्टमेंट ऐसा मानता है या नहीं वह अलहदा बात है। लेकिन, राव साहिब इसे कान्स्टीच्यूशनल इशू मानते हैं या नहीं इस बारे में लोकसभा में यह एक प्रथा रही है कि जहां तक कन्स्टीच्यूशनल इशू का सम्बन्ध होता है उसका फै सला आमतौर पर अदालत के ऊपर छोड़ा जाता है और देश की अदालतें ही कन्स्टीच्यूशन की इंटरप्रीटेशन करती हैं जो सही मानी जाती है। मैं यह भी मानता हूँ कि जैसा कि आपने कहा था कि राव साहिब को अगर उनके पास इस बारे में कोई सबूत था तो उन्हें आपके चेम्बर में जाकर आपको दिखाना चाहिए था या इस बारे में आपसे पहले बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। अब मेरा निवेदन यह है कि आपने जो कह दिया है उसके बाद अब राव साहिब को इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए।

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 17th July. 1968, Vol.1 No.2, Page (2) 10*

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 17 जुलाई, 1968 ई.*

---------------------------

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित शब्दों में मान-पत्र पेश किया जाए :-

''कि सैशन में समवेत हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं, जो उन्होंने 16 जुलाई 1968 को सदन में देने की कृपा की है।''

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में मिडटर्म चुनाव का जिक्र किया है और मैं मानता हूँ कि यह हरियाणा के 26 लाख मतदाताओं का एक शानदार कारनामा शांति और अमन से पूरा हुआ है जोकि हमारे देश के विधान के अनुसार शांति से सारा काम हुआ है। प्रदेश के अन्दर राजनीतिक इख्तलाफात होने के बावजूद भी बगैर किसी झगड़े के सारा काम पूरा हुआ और इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश ने जैसे पहले एक रास्ता दिखाया था अब फिर एक दूसरा रास्ता दिखाया। खास तौरपर हमारे प्रदेश के मतदाताओं ने एक तरह से सबूत दिया कि जो राजनीतिक रंग

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 17th July. 1968, Vol.1, No.2, Page (2) 30-35*

बदलने वाले हैं उनको मतदाता आदर से नहीं देखते। हमारे प्रदेश ने देश को एक ऐसा रास्ता दिखाया, जिससे प्रजातंत्र में मजबूती से कायम हो सके। हमारे प्रदेश के बारे में हिन्दूस्तान में बड़ा चर्चा था और अब मिडटर्म इलैक्शन हो रहे थे तो लोगों के तरह-तरह के ख्याल थे। पहले जब बहादुरगढ़ बाई इलैक्शन हुआ था तो उस वक्त हिन्दूस्तान के डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर वहीं पवर आए थे और इसके अलावा हमारे प्रदेश के बहुत से उस समय` मंत्रीगण वहां गए थे और प्रदेश में एक डर फैला हुआ था कि देश मे ंप्रजातंत्र जो है, यह एक तरह से टूट रहा है और हर आदमी मतदान देने का जो उसको अधिकार है, वह उसे आजादी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस समय ऐसे हालात प्रदेश के अन्दर पैदा हो रहे थे, लेकिन मिडटर्म चुनाव में हमारे प्रदेश के हल्के के मतदाताओं ने अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार राए दीं। यह कारनामा राज्यपाल के समय प्रधानराज के समय हुआ जोकि सरकार के लिए और राज्यपाल के लिए एक बड़ा सराहनीय काम है। आप जानते हैं कि चुनाव में काफी इख्तलाफ हुआ करते हैं, लेकिन कुछ छोटे-छोटे एक आध वाक्या को छोड़ करके तकरीबल यहां जितने भाई आए हैं, सबके चुनाव क्षेत्रों में शांति से चुनाव हुए विभिन्न दलों के सदस्यों की गिनती भी अजीब है, क्योंकि 48 ही पहले भी 1967 के चुनाव में कांग्रेस दल के मेम्बर चुनकर आए थे और अब भी 48 ही आए हैं। विशाल हरियाण्णा पाटी का जन्म बाद में हुआ और उनकी तादाद बढ़ी और वह बढ़ी कुछ और विरोधी दलों के सदस्यों को कम करके। विरोधी दलों के सदस्यों को शायद उसी लिए राव बीरेन्द्र सिंह से गिला है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि श्री मंगलसेन जी के नाम से खबर निकली कि हम राव बीरेन्द्र सिंह को कभी भी अपना नेता कबूल नहीं करेंगे। खैर, यह तो उनका विरोधी दलों का अपना मामला है। वह माने या न माने, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि विशाल हरियाणा पार्टी की तादाद बढ़ी है, सिर्फ अपोजिशन के दूसरे मैम्बरों को कम करके। स्पीकर साहिब, राव साहिब और उनके साथियों को आज सदन को छोड़कर बाहर जाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको आश्वासन दिलाया गया था कि चण्डीगढ़ और भाखड़ा के बारे में उनको अपने ख्यालात पेश करने का पूरा मौका मिलेगा और सही तौरपर हमारे एक

साथी सदस्य ने भी कहा था कि इस सदन में पहले निर्विरोध प्रस्ताव पास किया गया था कि चण्डीगढ़ और भाखड़ा हरियाणा को मिलना चाहिए। चण्डीगढ़ तो कमिशन ने हरियाणा को दिया है, बाकी जो भाखड़ा नंगल है, उसमें से बंटवारे से पहले 85 फीसदी हिस्सा पंजाब को मिला था और 15 फीसदी राजस्थन को मिला था। तो 85 फीसदी जो ज्वाइंट पंजाब को हिस्सा मिला था, उसमें से 55 फीसदी पानी का हिस्सा आज हरियाणा का है। इसलिए जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है, उसका यह हक है कि वह दूसरे प्रदेशों की सरकारों से मिलकर उसके काम को चलाए। हरियाणा के किसी भाई को भी इससे विरोध नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बताना चाहता हूँ कि विशाल हरियाणा पार्टी की जो तादाद बढ़ी है, वह इनकी पार्टी की वजह से नहीं बढ़ी, बल्कि वह एक भावना का नतीजा है। आज जानते हैं कि आज पंजाब के अन्दर बहुत से भाई जब कभी आपको मिलेंगे तो वह आपको पूछेंगे कि क्या आपने दोबारा इस बारे में विचार करने की तरफ सोचना शुरू कर दिया है और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे भाई पिछले पौने दो साल के राजनीतिक वाक्यात को देखकर जोकि हमारे प्रदेश में हुए, वे शायद बड़े खुश हुए कि हरियाणा के भाईयों में कुछ निराशा आयेगी और शायद वह फिर सोचें कि दोबारा पंजाब में शामिल हो जायें। मैं समझता हूँ कि विशाल हरियाणा पार्टी के सदस्यों की जो जीत है, वह किसी पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि वह इस बात का सबूत है और वह इस भावना का सबूत है कि हरियाणा के लोग अगर कोई बात सोचने के लिए तैयार हैं तो यह कि वह पंजाब के लोगों से कहेंगे कि आपने फैलना है तो लाहौर की तरफ मुंह करो और हमारी तरफऔर चण्डीगढ़ की तरफ मुंह न करो। हरियाणा के लोग अगर बड़े बनेंगे तो जो बात महात्मा गांधी जी ने सोची थी, उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे और जो विचार हरियाणा के नेताओं ने चौधरी छोटूराम जी ने, ठाकुर दास भार्गव और दूसरे दोस्तों ने वर्ष 1930 में दिया था, उसकी तरफहरियाणा के लोग सोच सकते हैं और अगर देश में कुछ हालात बदले तो इस विचार को जो उन्होंने दिया, पसन्द करेंगे। इसलिए, मैं कहता हूँ कि राव साहिब की पार्टी की जो जीत है, वह इस भावना की जीत है। बाकी जो उनका चण्डीगढ़ व भाखड़ा के बारे में डर है, वह सही नहीं है। हम पूरी तरह उनके साथ हैं और वह भी हमारा साथ दें कि चण्डीगढ़ और भाखड़ा नंगल

पर हरियाणा का हक है और जैसा कमिशन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ही चण्डीगढ़ हरियाणा को मिलना चाहिए (प्रशंसा)।

अध्यक्ष महोदय, कल के अखबारों में जो मैंने पढ़ा और जो विचार हमारे विरोधी दल के नेताओं की तरफ से उनमें छपे पता नहीं वह उनके हैं या वैसे ही छाप दिए गए हैं, लेकिन अगर वह सही हैं तो मैं समझता हूँ कि राव साहिब और दूसरे विरोधी दल के नेताओं का एक तरफ यह कहना कि अभिभाषण के अन्दर कोई जीवन नहीं है और दूसरी तरफ यह कहना कि यह हमारे कारनामों का एक चिठ्ठा है, इससे कोई बात बनती नहीं। सिवाए इसके कि यह उनका सैल्फक्रिटिस्जिम होगा।

मैं जाती तौरपर नहीं मानता कि पिछले डेढ़ पौने दो साल में हरियाणा की कोई तरक्की नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि बावजूद इस बात के कि हम राजनैतिक तौरपर आपस में लड़ते रहे हैं और अदला-बदली करते रहे हैं, फिर भी हरियाणा आगे बढ़ा है। जिस वक्त हमने हरियाणा की मांग की थी वह ठीक थी और उनके तीन-चार मोटे-मोटे कारण थे और वह यह कि हमने देखा कि आज के हरियाणा में खेती भूमि उतनी ही है, जितनी की आज के पंजाब में है और नहरी पानी भी उतना ही है, जितना कि तकरीबन पंजाब वालों को मिलता है। लेकिन, पिछले आठ-दस सालों में आज के इलाके में खेती की पैदावार तो नहीं बढ़ी, मगर आज के पंजाब के इलाका में बढ़ गई। उसका कारण जांचने के लिए उस वक्त की जो हमारी हिन्दी रीजनल कमेटी थी, उसने एक सब कमेटी बनाई और उसमें मुझे भी मैम्बर के नाते सेवा करने का मौका मिला था और इसी तरह से हरियाणा डिवलैपमेंट कमेटी की भी रिपोर्ट छपी थी। इन्होंने छाबीन करके जो रिपोर्ट दी उनमें बताया गया कि बावजूद इसके कि पिछले आठ-दस साल में भाखड़ा नंगल से ज्यादा पानी तो हरियाणा को मिला, लेकिन इसकी खेती की पैदावार नहीं बढ़ी। इसका एक कारण यह बताया गया कि खाद के बंटवारे में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। जबकि हमारे साथी सरदार दरबारा सिंह और दूसरे साथी हमें कहते थे कि क्यों हरियाणा बनाने पर जोर देते हो तो हम उनसे कहते थे कि वहां हमें खाद भी नहीं मिलता। हरियाणा बनेगा तो खेती के लिए हमें बंटवारा में खाद तो न्याय से मिलेगा। जब खाद के बंटवारा में भी हमें न्याय नहीं मिलता तो हम आपके साथ कैसे रह सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पंजाब में हरियाणा का इलाका बड़ी इन्डस्ट्री में आगे था। बड़े–बड़े कारखाने जो लगे वह हमारे इलाका में लगे, लेकिन छोटे कारखानों मे पंजाब से हम पीछे ही रहे हैं। छोटे कारखाने अगर हमारे 25 हैं तो उनके 75 हैं। लघु सिंचाई के तहत कुंए जितने लगाए जाते थे, जिनके लिए प्रदेश सरकार के सिवाए और कहीं कागजात मंजूरी के लिए नहीं जाते थे, उसमें भी 25 फीसदी हरियाणा के इलाका में और 75 फीसदी पंजाब के इलाका में लगे। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि हम आठ–दस साल में ज़रई (खेती) और सन्नती (उद्योग) पैदावार दोनों में पंजाब से पिछड़ गए। यही कारणा था कि हमने पंजाबी भाईयों से कहा कि अब हमारा आपका और मास्टर तारा सिंह के दबाव में आकर हिन्द सरकार ने पंजाबी सूबा बनाना कबूल किया था। लेकिन, उनका यह समझना निराधार है। अगर यह हुआ तो इसलिये कि हरियाणा के एक–एक सदस्य ने इस बात की मांग की थी कि आज वक्त आ गया है। हम पंजाब से अलैहदा होना चाहते हैं। यह ठीक है कि कुछ दोस्त हममें निराशा पैदा करना चाहते थे। यह देखकर मुझे और भी खेद हुआ कि कुछ भाईयों ने अखबारात में निराशाजनक ख्यालात का इजहार किया। जिन भाईयों ने हरियाणा के बारे में निराशा की बात की और उन्हें हरियाणा की तरक्की होने में शक है, वह मैं समझता हूँ कि हरियाणा के दोस्त नहीं हो सकते। वह भाई हो सकते हैं जो हरियाणा बनने नहीं देना चाहते थे और जिनकी भावनाओं के खिलाफ यह हरियाणा बना है। हमारे साबिक फौजी अफसर अमीर सिंह जी, राव साहिब की सरकार में बिजली मंत्री थे और मैं मानता हूँ कि पिछले सालों में जितने ज्यादा पम्पिंग सैटस के कनैक्शन्ज दिए गए वह इनके जमाना में दिए गए और मैं मानता हूँ कि जैसा कि हमारे राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र है कि हमारे सरकार 15 हजार नए कनैकशन देना चाहती है और उसमें यह भी जिक्र आता है कि दोनों मिलकर कोई 22/23 हजार कनैक्शन्ज हो जाते हैं। मुझे याद है कि जिस वक्त मैं ज्वाइंट पंजाब में सिंचाई और बिजली विभागों का मंत्री था तो सारे पंजाब में इतने कनैक्शन नहीं होते थे। यह तरक्की नहीं तो और क्या है? हमें और आगे बढ़ना है और हमें पंजाब की भी कुछ नकल करनी है। वह नकल निराशा पैदा करने की नहीं कि इस बात का प्रचार करें कि दोबारा

पंजाब में मिल जाएं, बल्कि ज़रई और सन्नती पैदावार बढ़ाने में उनकी नकल और मुकाबिला करना है। मुझे खुशी है कि अब खाद के बारे में हमारे साथ न्याय हुआ है। इसके साथ-साथ ट्रैक्टरों के बंटवारे में भी हम घाटे में नहीं रहे और जहां पंजाब को चार सौ मिले, वहां हमें भी चार सौ दिए गये हैं या दिए जाएंगे। हमें अपनी हरियाणा की सरकार को हौंसले पर यह उम्मीद थी कि हमारे प्रदेश के लोगों के साथ केन्द्रीय सरकार की तरफसे न्याय होगा।

**चौधरी चांदराम :** चार सौ नहीं दो सौ ट्रैक्टर मिले।

**चौधरी रणबीर सिंह :** दो सौ मिल चुके हैं और दो सौ मिलने वाले हैं। हिन्दूस्तान की सरकार ने सारे देश के लिए दो हजार टैक्टर्ज की कमिटमेंट की थी, लेकिन बंटवारे में हमें चार सौ मिल गए हैं या मिलने वाले हैं। उसमें से भी कुछ आ गए और कुछ आने वाले हैं। कुछ बंट गए हैं और कुछ बंटने वाले हैं। कई भाईयों को गिला भी हो सकता है क्योंकि जहां कई हजार लेने वाले हों, कुछ को ट्रैक्टर मिल जाएं और बाकियों को न मिलें तो गिला हो ही जाता है। असल बात यह है कि अगर हम पहले से ही इस मसले को ध्यान से टेकअप करते तो हमें और ट्रैक्टर मिलने की आशा होती। इस बात को मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत निराशा हुई, उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है और वह यह है कि हम हरियाणा में राजनैतिक स्थिरता नहीं ला सके। इस पिछले चुनाव के बाद अब हरियाणा प्रान्त में राजनैतिक स्थिरता आने की कुछ आशा बंधी है। यह आशा इस समय पुखता है और मुझे उम्मीद है कि यह हमेशा पुख्ता ही रहेगी। अगर विरोधी दल को इस बात पर गिला है तो वह निराधार है। यह कांग्रेसी सरकार, गैर-कांग्रेसी दल के किसी सदस्य को इधर-उधर बदलने की कोशिश नहीं करेगी, इस बात से आप बेफिक्र रहें। हां, कई निर्दलीय सदस्य हैं, उनके बारे में किसी को गिला करना ठीक नहीं है। जो निर्दलीय भाई कल हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ रहा और एक खिलाफरहा। चूंकि वे निर्दलीय हैं, इसलिए किसी को उन पर गिला करना या निराशा पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं है।

स्पीकर साहिब, पिछले साल के आंकड़े और आने वाले साल के बारे में जो

आंकड़े इस एड्रैस में दिए गए हैं, वे हरियाणा प्रान्त में एक अच्छा जीवन लाने की आशा और प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक आशा पैदा करते हैं। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर हम हरियाणा प्रान्त का मद्रास प्रदेश से मुकाबला करें तो हम पिछड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर पौने दो लाख बिजली के कनैक्शन मिले, पम्पिंग सैट्स भी काफी तादाद में मिले जब कि हरियाणा में उनके मुकाबिले 15 हजार कनैक्शन बहुत थोड़े हैं। लेकिन, मैं तो चाहता हूँ कि हम पौने दो लाख तक ही नहीं बल्कि पौने दो लाख से भी अधिक कनैक्शन लगने की शक्ति हमारे प्रदेश में आये। इसके इलावा और भी जो कमजोरियां हैं वे भी दूर हो जायें लेकिन यह तभी हो सकता है अगर हर भाई चाहे वह कांग्रेस दल का हो या किसी और दल का हो, वह सरकार को कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे और लोगों को सहयोग दे ताकि हम आगे बढ़ें। हां, एक आशा बन्धी थी और वह यह कि हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में तो हरियाणा के रहने वालों के कारखाने हैं और लगाते हैं। परन्तु, हमारी सरकार उन कारखानेदारों को हरियाणा में कारखाने लगाने को काबिल नहीं समझती। इसका कारण यह था कि हरियाणा के लोगों के साथ पहले संयुक्त पंजाब की सरकार उनके साथ सौतेली मां का सलूक करती रही। जो कारखाना बंगाल या किसी और प्रदेश में लग सकता है वह हरियाणा में भी लग सकता है। जब हरियाणा प्रान्त बन गया तो कई दोस्तों के दिल में बड़ा जोश आया कि हम हरियाणा में कारखाने लगा सकेंगे। भारतीय कांग्रेस सदस्य के नाते मुझे भी इधर-उधर घूमने का मौका मिला है और हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि हम हरियाणा के अन्दर उद्योग धन्धे चलायेंगे। नये उद्योग धन्धे तो क्या चलने थे प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल होता रहा। इस उथल-पुथल ने प्रदेश की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा रोड़ा अटका। इसलिए सदन के हर सदस्य से मैं यह उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने आपको एक दायरे में सीमित रखें, हरियाणा के लिये सोचें क्योंकि हरियाणा अभी बच्चा ही है। बच्चा होने के नाते हम पड़ौसी प्रदेश का मुकाबला नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि पड़ौसी राज्य के अन्दर जितनी तरक्की होती है उससे कहीं ज्यादा तरक्की करें। अगर ज्यादा न कर सकें तो कम से कम उसके मुकाबिले पर तो रहें।

अभी भाखड़ा नंगल का जिक्र किया गया है। केन्द्र में कांग्रेस सरकार थी और पंजाब और हरियाणा के अन्दर गैर-कांग्रेसी सरकार थी। मैं समझता था कि शायद यह दोनों सरकारें आपस में थोड़ा बहुत एक दूसरे का लिहाज ही कर लेंगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं

मिलती कि मालिक हिन्दुस्तान की सरकार हो और उसका असल और सूद हम दें। पंजाब भी दे, हरियाणा भी दे और हिमाचल भी दे। किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि जब तक हमारा फैसला नहीं होता, किसी किस्म का रुपया, चाहे वह सूद हो, चाहे असल कर्ज़ हो, हम अदा नहीं करेंगे। अगर भाखड़ा प्रोजैक्ट हिन्दुस्तान सरकार का है तो क्यों पैसा मांगते हो? दूसरी स्टेटों को फिलहाल छोड़ दिया जाए? पिछले साल हिन्दुस्तान की सरकार का पैसा असल कर्ज़ और सूद अदा करने के लिए हरियाणा प्रदेश ने सात करोड़ रुपया दिया। मैं सोचता था कि सरदार गुरनाम सिंह या सरदार लछमन सिंह गिल की सरकार पैसा अदा न करने के लिए आवाज उठाएंगे। परन्तु, ऐसा नहीं हुआ और हरियाणा तथा पंजाब सरकारों ने एक साल के अन्दर बीस-बाईस करोड़ रुपये कर्ज़ की अदायगी के लिए दिया है। अगर यह छूट हमको दे दी जाये तो मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन, किसी ने इसकी मांग नहीं की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी आवाज जरुर उठनी चाहिए।

हम चण्डीगढ़ में रहते हैं और चण्डीगढ़ हमारा है, लेकिन जब हमारे मकान की मालिक हिन्दुस्तान की सरकार हो, बिजली की मालिक हिन्दुस्तान की सरकार हो, हमारे मुख्यमंत्री साहिब के मकान की बिजली दुरुस्त करने वाले हिन्दुस्तान सरकार के मुलाज़म हों और हमसे कहा जाता है कि किराया दो, साथ ही कर्ज़ और सूद की अदायगी करो। किस बात का किराया दें जबकि चण्डीगढ़ हमारा है? (घंटी)।

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहिब, टाईम की लिमिट है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अभी खत्म करता हूँ। हमारे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हरियाणा को एक आशा की तरफ ले जाता है। जो भाई निराशा पैदा करने की तरफ हालात पैदा करते हैं, वे वास्तव में हरियाणा की सेवा नहीं करते। हम सब को एक आशा के साथ हर संभव कोशिश करनी चाहिए और सरकार को तथा जनता को ठोस सुझाव तथा सहयोग देना चाहिए, ताकि हरियाणा प्रान्त दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। ऐडैऊस में जो आंकड़े दिए हुए हैं वह इस बात का सबूत हैं कि हरियाणा आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं फिर दोबारा इस सदन से प्रार्थना करुंगा कि मेरे प्रस्ताव को पास करके अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय का शुक्रिया अदा किया जाए।

# हरियाणा विधानसभा

## शुक्रवार, 18 जुलाई, 1968 ई.*

---------------------------

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**Chaudhry Chand Ram :** Has the hon. Member risen on a Point of Order or does he want to say something else?

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर को ही हिन्दी में व्यवस्था का प्रश्न कहते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं नहीं चाहता था कि मानयोग सदस्य को बीच में कुछ कहूँ। मगर, मानयोग सदस्य ने अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए जिसका हमें कोई पता नहीं प्रधानमंत्री और गृहमन्त्री का जो यहां जवाब नहीं दे सकते, यहां जिक्र किया है। एक तो मैं चाहूँगा कि उनका जो हवाला उन्होंने दिया है उसको कार्यवाही से हटा दिया जाए। जो उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेता का जो हवाला दिया है उसका जवाब आज के हमारे नेता दे सकते हैं। दूसरी बात, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वह यह है कि मानयोग सदस्य बड़े जोर से अपनी पापुलैरेटी का यहां दावा कर रहे हैं। लेकिन, कौन नहीं जानता कि पिछले 1967 के चुनाव में वे रोहतक ज़िले को छोड़कर भागे थे और इस चुनाव में वे वहां से हारे हैं?

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 18th July. 1968, Vol. I, No. 3, Page (3) 23-25*

**Chaudhry Chand Ram :** Is the hon. Member raising a Point of Order or making a speech?

**Mr. Speaker :** I think, the first point raised by Chaudhry Ranbir Singh is correct. I would, however, request that the hon. Members should not make references to persons who are not present in the House. The matter pertaining to them should, therefore, be expunged. Secondly, we should not indulge in personal references and insinuations and I hope that Chaudhry Ranbir Singh will withdraw his words.

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ।

**श्री मंगल सैन :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। मैं स्पीकर साहब आपकी इस बात पर रुलिंग चाहूँगा कि एक मेंबर जो सात साल पहले स्वयं हार गया था क्या वह एक ऐसे मेंबर को जो लगातार जीतता आया हो, को यह कह सकता है कि वह हार गया है ?

**Mr. Speaker :** No, please. We must stick to the prescribed procedure.

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहिब, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि मैं तो इस बार एक हजार सात सौ से अधिक राय से जीत कर आया हूँ। परन्तु, वे तो केवल साठ राय से ही जीत कर आये हैं।

**मलिक मुख्तियार सिंह :** स्पीकर साहिब, असल बात यह है कि चौधरी रणबीर सिंह को लोगों ने लती से राय दे दी, क्योंकि महन्त जी को कोई राय देना नहीं चाहता था, इसलिये इनको राय मिल गई और ये जीत गये।

**Shri Mangal Sein :** On a point of Order, Sir.............

**Mr. Speaker :** I really feel that there has been rather undue interruptions in the speech of Chaudhri Chand Ram and unless Shri Mangal Sein feels very strong about the point of Order he wants to raise, I would request him to let the hon. Member, Chaudhri Chand Ram, continue his speech.

**श्री मंगल सैन :** स्पीकर साहिब, मेरा बड़ा भारी प्वायंट ऑफ आर्डर है और उस पर आपकी रुलिंग चाहता हूँ। मैं इस सदन में एक अदना सा अपोज़ीशन का

मेंबर रहा हूँ और मैं सन् 1957, 1962 व 1967 में और अब चौथी बार जीत कर इस सदन में आया हूँ, मैं तो लगातार जीतता रहा हूँ। लेकिन जहां तक जीतने का सम्बन्ध है मैं तो 66 वोटों से जीता हूँ, चौधरी साहिब के ''''' गुरु सरदार प्रताप सिंह कैरों केवल 34 वोटों से जीते थे।

**Minister for Finance :** Sir, this expression must be expunged.

**Mr. Speaker :** Let us not indulge in personal references. This expression will again be expunged. I would further suggest to the hon. Members, Shri Mangal Sein and Chaudhri Ranbir Singh that if there is any further argument which they want to carry, they should settle it outside the House.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, यहां जिस महान पुरुष सरदार प्रताप सिंह जी, जो 34 वोटों से जीते थे, वे उसी कांस्टीच्यून्सी से पहले एक बार 24 हजार वोटों से भी अधिक जीत कर आये थे। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने जनसंघ के हारे हुए उम्मीदवार की भी जमानत जब्त करायी थी और पहले दो चुनावों में तो दो बार 28-28 हजार वोटों से जीता था। इस बार तो जनसंघ के उम्मीदवार की खड़े होने की हिम्मत भी नहीं पड़ी थी या ऐसा कहें कि इस बार चौधरी मुख्तियार सिंह जी की मेहरबानी हुई कि उन्होंने अपना कैन्डीडेट खड़ा ही नहीं किया। लेकिन, खड़ा भी करते तो नतीजा साफ था, हार।

**Mr. Speaker :** Hon. Members, I once again request you that we should not unnecessarily interrupt the speech of Chaudhri Chand Ram. It is in our own interest that we should not enter into personal references. I would therefore rquest the hon. Member, Shri Mangal Sein to leave the matter here and let Chaudhri Chand Ram proceed with his speech.

**श्री मंगल सैन :** स्पीकर साहिब, मैं आपका टाईम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन रणबीर सिंह जी तो 24 हजार वोटों से आये। लेकिन, उनके राजनीतिक गुरू तो केवल 24 वोटों से ही जीते थे, वह भी हेरा-फे री से।

**श्रीमती ओम प्रभा जैन :** स्पीकर साहिब, डाक्टर मंगल सैन जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो आदमी इस दुनियां में नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिये और ये शब्द वापिस लेने चाहिये।

**श्री मंगल सैन :** हां स्पीकर साहिब, फिर तो यह सारी कार्यवाही ऐक्सपेंज कीजिए।

**Mr. Speaker :** I have got the relevant portion expunged.

**चौधरी चांद राम :** आदरणीय स्पीकर साहिब, आपने कौन सी कार्यवाही ऐक्सपेंज करानी है, ऐक्सपेंज कराने से पहले मुझे उम्मीद है मेरे से आप सलाह कर लें तो अच्छी बात है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहिब, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष :** क्या प्रश्न है ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय हर सदस्य को अध्यक्ष महोदय से दरखास्त करने की तो विधान में, रुल्ज में इजाजत है। लेकिन, सलाह वाली बात तो मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरे विचार में तो हमारे अध्यक्ष का एक तरह से अपमान है तो उनको ये शब्द वापिस लेने चाहियें।

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 24 जुलाई, 1968 ई.*

---------------------------

### अनुदान मांगें

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** सभापति महोदय, हमारे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश भी हैं और एक प्रदेश हमारा है, जो पंजाब के बंटवारे के बाद एक छोटा सा प्रदेश बन गया है। छोटे प्रदेश बनने के कुछ फायदे भी होते हैं। मगर, हमारे यहां वे फायदे कुछ दिखाई नहीं देते। एक छोटा प्रदेश होने के नाते हमारे लोगों के ऊपर प्रशासन का बोझ कम होना चाहिये और जितनी कड़ियां हैं, उनको कम किया जाना चाहिये। छोटे........रहा करतीं। हमारे प्रदेश के अन्दर जिला स्तर के प्रशासन में और प्रदेश स्तर के प्रशासन के बीच किसी भी महकमें की भी कोई कड़ी दूसरी नहीं होनी चाहिये। बड़े प्रदेश में तो वे ठीक हो सकती हैं। लेकिन, छोटे प्रदेश में वे बोझ का करण बनती हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां मैसूर से एक साथी हनुमन्तय्या जी आए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म आयोग बनाया गया था। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सिफारिश की थी कि प्रशासन में खर्चें को कम किया जाए। मिसाल के तौर पर प्रशासन का बोझ कितना बढ़ा है, मैं एक मिसाल देता हूँ। जब इकट्ठा पंजाब था तो यहां चंडीगढ़ के अन्दर एक खजाना का अफसर होता था। उस खजाने के अफसर की मांग थी कि मेरे पास काम ज्यादा है। इसलिये, एक मददगार चाहिये। लेकिन, उसको उस वक्त एक मददगार असिसस्टेंट नहीं दिया

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 24th July. 1968, Vol. I, No. 7, Page (7) 33-36*

गया। आज चण्डीगढ़ के अन्दर तीन खजाना अफसर हैं और तीन मददगार अफसर हैं। हरियाणा के भी दो अफसर हैं। एक छोटी सी मिसाल मैंने आप को दी। मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर अब चूंकि राजनीतिक हालात कुछ अच्छे होते दिखाई देते हैं। इसलिये, इनका फायदा प्रदेश को पहूँचना चाहिये। प्रदेश को फायदा पहुँचाने के लिये सबसे जरुरी यह है कि हम सोचें कि हम प्रशासन का बोझ किस ढंग से कम कर सकते हैं। सभापति महोदय, एक समय था जब सरकारी नौकरी करने वालों की पैंशन पर जाने की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष रखी गई थी। हमारे देश के विधान के मुताबिक हम आसानी से किसी सरकारी कर्मचारी को बाजार या गली में फेंक नहीं सकते। सरकारी कर्मचारियों के अपने हकूक हैं, उनकी रक्षा के लिये अदालतें हैं, कायदे हैं और कानून हैं। लेकिन, उन सबको मानते हुए सब बातों की मान्यता रखते हुए कुछ न कुछ बोझ कम किया जा सकता है। उसके कम करने की कोशिश करनी चाहिये।

अब पंजाब बंटा तो राजनीतिज्ञों से कोई सलाह नहीं ली गई। सरकारी नौकरियों का भी बंटवारा किया गया। यह नहीं देखा गया कि छोटा या हरियाणा प्रदेश कर्मचारियों के इतने बड़े खर्च को बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं ? मैं तो मानता हूँ कि पिछले डेढ़ दो साल का ऐसा वक्त रहा जिसमें, हम शांति से सोच नहीं सके कि कितनों को हम वापिस कर सकते हैं ? कितना बोझ किस महकमें में घटना चाहिये ? लेकिन, अब इसकी तरफ बड़ी शांति से हमको विचार करना होगा और देखभाल करनी होगी।

सभापति महोदय, इसी सिलसिले में बजट के अन्दर जो आंकड़े छपे हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बाजजूद इस बात के कि हरियाणा के अंदर प्रशासन का काफी बड़ा बोझ है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सरकार की हिस्सेदारी, चाहे वह हिस्से की शक्ल में या डिवैन्चर खरीदने की शक्ल में या जितने भी और अदारे हैं, उनकी कुल तादाद 68 है और इन 68 में से भी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 43 अदारे ऐसे हैं, जिनके हिसाब का बंटवारा आज तक पंजाब और हरियाणे में हम नहीं करा सके। पंजाब स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कानून के तहत आपस में बंटवारा करने और मतभेद दूर करने की मियाद दो साल रखी गई है। बाकी 25 अदारों में से 7-8 के करीब अदारें तो ऐसे हैं जो हरियाणा प्रदेश बनने के बाद नए कायम किए गए हैं। बाकी जो 17-18 अदारे रहते हैं वे ऐसे हैं जिनमें पंजाब के या हिमाचल प्रदेश के हिस्से शामिल नहीं हैं उनका उनमें कोई दखल नहीं है।

मुझको तो चेयरमैन साहिब, बजट में कोई बात दिखाई नहीं दी, सिवाय सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, जींद के बारे में जिक्र किया गया है कि संगरूर को-आप्रेटिव बैंक से जींद का हिस्सा संगरूर सैन्ट्रल को-आप्रेटिव बैंक से मिल गया है। पौने दो साल में यह प्रशासन क्या करता रहा ? यह मेरी समझ में नहीं आता। जब कोई प्रशासन बंटवारे के बाद अपना हिस्सा लेने के लिये कोई कार्यवाही ही नहीं कर सके तो, चेयरमैन साहिब, मैं नहीं समझ सकता कि प्रदेश की तरक्की कैसे हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं जितने अदारे हैं, उनका बहुत सारों का खेती से या सहकारिता के मकहमे के साथ या उद्योग-धन्धों से ताल्लुक है। इन सब अदारों का इन महकमों से ताल्लुक है उनका बुनियादी फैसला भी नहीं कर सके या न करा सके हों तो उनमें से हम कितनी आशा तरक्की कराने की रख सकते हैं।

अब खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये, जो खेती की पैदावार करते हैं उनके दिल को जीतने की ज्यादा आवश्यकता है। वहां पानी और दूसरी खेती की चीजें और अच्छे बीज और अच्छी मशीनों की आवश्यकता है, वहां हरेक किसान के मन को जीतने की भी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, एक ज़माना था जिस वक्त हिन्दुस्तान के अन्दर इकोनोमिस्ट इस बात की बहस किया करते थे कि लैंड रैवेन्यू रैंट है या टैक्स है। क्योंकि, उस वक्त तो विदेशी सरकार थी कोई इसकी रैंट मानकर चल सकता था। लेकिन, आज तो जनता की सरकार है। क्या हम यह कह सकते हैं कि यह जमीन पर रैंट है ? अब जमीन पर रैंट हो और दूसरी चीजों पर रैंट सरकार न ले तो एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। इस भेदभाव को रखेंगे तो किस तरह से किसानों में जोश पैदा होगा ?

प्रापर्टी टैक्स तो एक मकान पर लगता ही नहीं। अगर, उसके अन्दर मालिक खुद रहता हो तो प्रापर्टी टैक्स तो माफ हो जाता है। लेकिन, जिसके पास पांच खूड हैं तो लैंड रैवेन्यू उसको कोई माफ नहीं करता और प्रापर्टी टैक्स तो 3800 रुपये तक माफ होता है।

सभापति महोदय, यहां प्रशासन की तरफ से सात-आठ साल लगे थे, जब एक सैटलमेंट करने की कोशिश की थी। जब आप मरला टैक्स की कहानी सुनेंगे तो, मरला टैक्स पर काफी खर्च किया गया और खर्च के बाद जो फैसला करना पड़ा कि उसको छोड़ दिया जाये। इसमें घाटा ही घाटा है। सैटलमैंट की शायद आवश्यकता

होगी। लेकिन, दूसरे रूप से सोचने के लिये। दूसरे विचारों को ध्यान में रखकर तो सैटलमैंट की कोई आवश्यकता हो सकती है। लेकिन, आज पुरानी प्रथाओं की जो चालीस-पचास साल पहले की है, देश के अन्दर उनका जिक्र कोई नीति निर्धारण में करता है तो वह कोई सही तरीका नहीं होगा। एक जमाना था, जिसमें केन्द्रीय सरकारों और प्रदेश की सरकारों में आमदन थी, उसमें भूमिकर का जो हिस्सा होता था, वह 75 फीसदी तक पहूँचता था। लेकिन, आज तो भूमिकर प्रदेशों की आमदनी कहीं पांच फीसदी, कहीं सात फीसदी बन गया है और हमारे ज्वायंट पंजाब में असेम्बली में एक प्रस्ताव पास हुआ और मैं मानता हूँ पिछली सरकार ने भी एक प्रस्ताव पास किया है कि पांच एकड़ तक भूमि का हमें मालिया माफ करना है। इन हालातों को देखते हुए अगर हमें कोई सैटलमैंट की जरूरत है तो ठीक है। वरना, सैटलमैंट तो एक तरह से कन्सोलीडेशन से हो ही गई। यहां जिस तरह सैटलमैंट की बातें की जाती हैं और प्रशासन को जितना खर्च करना होता है उसके बारे में एक महकमे का मुझे तजुर्बा हुआ था। जब प्रदेश के अन्दर कन्सालीडेशन हुई तो उससे पहले कई मोघों पर जमीन हुआ करती थी। लेकिन, बाद में एक मोघे पर हो गई और पानी दो-तीन मोघों पर ही रह गया। जिस वक्त मुझे पंजाब में बिजली और सिंचाई विभाग के मन्त्री पद संभालने का मौका मिला था, उस वक्त मैंने जानकारी की थी कि कितने मोघे हैं जिनकी हमने चकबन्दी कर दी थी कन्सालिडेशन के बाद? आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 24 हजार में से केवल साढ़े चार हजार की चकबन्दी हो सकी थी। छः-सात महीने मुझे इस महकमे में रहने का मौका मिला और 6 महीनों में 15,000 मोघों की चकबन्दी की गई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कन्सोलीडेशन का काम खत्म होने के बाद उन अफसरों को काम देने का तरीका तलाश कर रहे हैं और अब तक नहीं तलाश कर सके हैं।

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख है कि हमारी सरकार किसानों को पूरी सहूलियत नहीं दे रही है। अगर, सरकार पूरी सहूलियतें दे तो पैदावार बढ़ सकती है। यह आप सबको मालूम है कि भावों के कम होने में हमारी सरकार बहुत बड़ा हिस्सा तो गवर्नर राज का उसमें मानती है। एक जमाना था जब पंजाब प्रदेश से हरियाणे की मंडियों में आकर पंजाब का अनाज बिकता था। लेकिन, इस साल हरियाणे का अनाज पंजाब की मंडियों में जाकर बिका। सरकार ने 75 रुपये क्विंटल गेहूँ का भाव मुकर्रर किया और यहां पर 65 और 67 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिका। आप अन्दाजा लगायें कि हरियाणे के किसानों को कितने करोड़ों

का घाटा हुआ ? जहां केन्द्रीय प्रशासन ने किसानों के गेहूँ के भाव मुकर्रर करके एक तरफ उनके दिल को जीतने के लिए कदम उठाया था। हमारे प्रदेश में गेहूँ का भाव पूरा नहीं दिला सकी और किसानों को परेशान किया है। गांधी जी ने कहा है कि वह राज अच्छा होता है जो कम से कम राज करता है और भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करता है। यह बड़े दु:ख की बात है कि हमारे प्रदेश में और पड़ोसी पंजाब प्रदेश के भाव में आठ और सात रुपये का फी क्विंटल फर्क रहा। इससे तो किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। उससे तो उसके दिल को ठेस पहुँचेगी। हमें किसान को सहायता देनी होगी। बस मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 29 जुलाई, 1968 ई.*

---------------------------

### विनियोग विधेयक, 1968

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि शाह कमीशन ने चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया था। हिन्दुस्तान की सरकार ने कुछ वजुहात की बिना पर चण्डीगढ़ को यूनियन टैरेटरी बनाया। लेकिन, इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, जो अब चण्डीगढ़ में है, जिसका नाम भी बदलना चाहिए था, क्योंकि वह पंजाब की तो रही नहीं, अभी उसका नाम नहीं बदला गया। चण्डीगढ़ अगर हमारे पास होता तो उसका नाम हरियाणा यूनिवर्सिटी हो गया होता और इसी तरह से यह जो इंजीनियरिंग कालेज है, वह भी हरियाणा का होता। लेकिन, आज उसका नाम पंजाब इंजीनियरिंग कालेज है। इससे, स्पीकर साहब, दिल को एक चोट पहूँचती है। चण्डीगढ़ हरियाणा का है और कितनी संस्थाएं इसमें हैं, वे हरियाणा की होनी चाहिएं। इससे आगे चलकर, स्पीकर साहब, यह जानकर और भी दु :ख होता है कि 1965-66 के अन्दर जिस पंजाब यूनिवर्सिटी का खसारा (घाटा) चार लाख रुपये था, वह 1966-67 में तेईस लाख हो गया और 1967-68 में 28 लाख हो गया। स्पीकर साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा आमदनी का साधन मैट्रिक और हायर सैकण्डरी के इम्तहान हैं। पंजाब विश्वविद्यालय को आमदनी तकरीबन एक करोड़ रुपये की है, जबकि, खर्चा कोई 60 लाख रुपये

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 29th July. 1968, Vol. I, No. 10, Page (10) 53-56*

कर्जा अदा करती है। हमारे बजट का आधा पैसा कर्ज़े को अदा करने में लग जाता है। स्पीकर साहब, दोनों सरकारें जो कुछ कानून की बातें हैं वे तो रखें। लेकिन, इनकी मल्कियत का जब तक फैसला न हो जाये उस वक्त तक इस कर्ज़े की अदायगी न की जाये।

हां, जो इनके वर्किंग एक्सपैंसिज हैं, वह अदा करते रहें और यह भी इसलिए कि कल को पंजाब वाले ये कहने न लग जायें कि सबकुछ उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि, उन्होंने कर्ज़ा दिया है। मैं तो यह कहूँगा कि इन सूबों का जन्म अभी हुआ है। इनकी तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक यह कर्ज़ा मुलतवी न कर दिया जाये।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 30 जुलाई, 1968 ई.*

----------------------------

### अविश्वास प्रस्ताव

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी निष्पक्षता से इस सम्बन्ध में रुलिंग दी है। हमारे रुल्ज़ ऑफ प्रोसीज़र में आपको यह अधिकार दिया हुआ है कि आप दस दिन के अन्दर-अन्दर डिसकशन के लिये तारीख रख सकते हैं। यह स्पीकर, साहिब, बड़े सोच विचार के बाद ऐसा किया गया है, ताकि सरकार स्पीकर से मिलकर कहीं और ज्यादा वक्त हासिल न कर ले, जिसके वह मुस्तहक नहीं है। आपने पड़ी निष्पक्षता से और काम को मुलतवी करके, इस काम को प्राथमिकता दी है और सही तौर पर दी हैं। आप चूंकि एक फौजी अफसर रहे हैं और आपने निष्पक्ष ढंग से चलना है, इसका सबसे बड़ा सबूत आज आपने दे दिया है। मगर, ऐसा लगता है कि विरोधी दलों के पास और इनके नेता के पास इतनी शक्ति है नहीं कि ये हम से मुकाबला कर सकें ..................

**राव वीरेन्द्र सिंह :** आप ही कल तक क्यों नहीं ठहर जाते ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** और अब ये मैदान से भागना चाहते हैं और भागने की इच्छा रखते हैं। मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करुंगा कि यदि वे अपना नो-कंफिडैन्स मोशन वापस लेना चाह रहे हों तो बिना हिचकिचाहट के ले लें और यदि

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 30th July. 1968, Vol. I, No.11, Page (11) 17-19*

वापस नहीं लेना चाहते हों तो इस पर बहस होने दें। (विघ्न) अगर, स्पीकर साहिब, इस तरह का ड्रामा करना (हंसी) वे अपना हक समझते हैं तो छ : महीनों में वे एकबार ड्रामा कर सकते हैं (विघ्न) स्पीकर साहिब, यह उनको अधिकार है और हमें इनके इस अधिकार को छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। (विघ्न) मेरी तो स्पीकर साहब, आपके द्वारा विरोधी दल के नेता से और उनके सदस्यों से यही प्रार्थना है कि अगर वे अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पीछे हटने की कोशिश न करें और यदि इस्तेमाल न करना चाहते हों तो आपसे यहां नहीं तो आपके चैम्बर में दरख्वास्त कर लें और उसके बाद आप उनकी मदद पर आ जाएं।

**Mr. Speaker :** In fact, I wanted to say myself a part of what Chaudhry Ranbir Singh has just said. I really thought, when this motion was brought to my notice, that by acceding to the request to discuss the motion immediately, I was rather going out of my way to respect their wishes of these who have tabled the motion and help them, and for this reason alone I have given them time for discussion on the motion as early as possible.

**श्री मंगल सैन :** स्पीकर साहिब, आपने जो कुछ रुल्ज ऑफ प्रोसीजर में से पढ कर सुनाया है उसे मैंने बड़े गौर से सुना है। मेरे अन्य दोस्तों ने भी जो विचार यहां रखे उनको भी मैंने ध्यान से सुना है। मगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश एक नया प्रदेश और हमारे सदन ने अभी कुछ कनवैन्शन्ज और प्रैसीडैन्स को कायम करना है। जहां तक मुझे याद है स्पीकर साहिब, प्रताप सिंह कैरों के समय में जब दो-तीन बार हम उनकी मिनिस्टरी के खिलाफ नो-कंफिडैन्स मोशन लाए थे तो उस समय के स्पीकर महोदय ने अपोजिशन के लीडर को हमेशा कन्फिडैंस में लेकर समय तय किया था और हमें तैयारी करने के लिये हर बार दो तीन दिन का समय दिया था। चौधरी रणबीर सिंह जी ने आपकी प्रशंसा में बहुत सी बातें कहीं और मैं समझता हूँ कि उन बातों के बारे में किसी को शक नहीं करना चाहिये क्योंकि आपका सिंहासन ही ऐसा है जो अपने आप इस पर विराजमान व्यक्ति को निष्पक्षता से काम करने को प्रेरित करता है। मगर मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक तो आप कृपया यह बताएं कि आपने किस नियम के तहत हाऊस के सामने आज जो बिजनैस था उसको ससपैण्ड किया है और दूसरे कौन सी ऐसी जल्दी है जिसके कारण आप हमें अपनी बातें कहने के

लिये तैयारी का मौका नहीं दे रहे हैं? हमने सरकार के खिलाफ नो–कान्फिडैंन्स मोशन लायी है और हम चाहते हैं कि तथ्यों के साथ इस हाऊस के अन्दर हम ऐसी लिविंग चर्चा करें जिससे, संसार को कुछ पता लग सके कि जिस सरकार ने 20 साल के लगातार शासन में स्वयं तो कुछ नहीं किया वह किस मुंह से नौ महीने की सरकार पर इल्जाम लगाती है और उसने अब दो महीने के शासन में स्वयं फिर क्या कुछ किया है? स्पीकर साहिब, चौधरी रणबीर सिंह जी ने जो ड्रामे का शब्द इस्तेमाल किया है वह ठीक नहीं है। यह ड्रामा नहीं है। जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है। कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। अगर वे कहीं बाई–चान्स चुनकर यहां आ गए हो तो मैं नहीं कह सकता। मगर, हमें जनता ने बड़ी एप्रिसिएशन के साथ यहां भेजा है और इस बात का पता आपको स्पीकर साहिब हमारे नम्बर से भी लग सकता है। स्पीकर साहिब, मैं फूल–सीरियसनैस से कहना चाहता हूँ कि आज हाऊस के सामने एक बड़ा अहम सवाल आया है और यदि इसे डिसकस करने के लिये आप कोई और दिन मुकर्रर कर दें तो किसी को मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है?

**श्री अध्यक्ष :** यैस प्लीज़।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने तीन घंटे का समय तो नो कंफिडैंन्स मोशन पर बहस करने के लिये नियुक्त किया है। विरोधी दल के सदस्य जो समय आपके समय नियुक्त करने के बाद ले रहे हैं यह उसमें से काटा जाएगा या उससे अलहिदा होगा। दूसरे, चूंकि श्री मंगल सेन जी ने मेरे ड्रामा शब्द पर इतराज किया है इसलिये मैं उसे वापिस लेने के लिये तैयार हूँ। यदि आपका आदेश हो? मेरा तो यह कहने का सिर्फ मकसद यही था कि विरोधी दल के नेता और सदस्य यदि अपने अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें और यदि न करना चाहते हों तो फजूल में सदन का समय बरबाद न करें। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो ड्रामा शब्द बेशक कार्यवाही से निकाल दिया जाए ताकि मैं श्री मंगलसेन जी के दिल को चोट नहीं लगाना चाहता।

**श्री मंगल सैन :** इसमें चोट की तो कोई बात नहीं, मगर ऐसी बात आप जैसे आदमी के मुंह से अच्छी नहीं लगती।

# HARYANA VIDHAN SABHA

## हरियाणा विधानसभा का कार्यक्रम

The Haryana Vidhan Sabha was summoned to meet for its 2nd session in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Chandigarh on the 28th January, 1969, by an order of Governor, Dated the 10th January, 1969, and continued to meet till the the 12th Feb, 1969, when it was adjourned sinedie. It was later prorogued by an order of the Governor, dated the 15th Feb., 1969.

During this Session, the Sabha held 13 sittings, as may be seen from the programme observed, excluding the one relating to Governor's Address to the Assembly. The Sabha held two sittings (Morning and Evening) both on the 11th and 12th February, 1969.

....................

...................

### COMMITEES

#### I. Nominated by the Speaker

(i) Rules Committee (Nominated on the 10th April, 1969, Under Rule 254) :

(1) Brig. Ran Singh - Ex-officio Chairman;

(2) Shri Bansi Lal, Chief Minister;

----------------

**Haryana Vidhan Sabha,* Resume of Business Transacted by the Haryana Vidhan Sabha; During the Second (January-February) Session, 1969 with Appendix Containing Daily Bulletins, *10th April. 1969, Page 1-12*

(3) Shrimati Om Prbha Jain, Finance Minister;

(4) Rao Birender Singh;

(5) Shri Chand Ram;

(6) Malik Mukhtiyar Singh;

(7) Shri Ram Dhari Gaur;

(8) Chaudhri Ranbir Singh

....................

...................

## II. Appointed by the Sabha

## Select Committee on a Bill

On the 11th February 11th February, 1969 (Morning Sitting), the motion refferring the Haryana Cattle Fairs Bill, 1969, to a Select Committee was carried. The following were appointed to serve on the select committee :-

1. Chaudhri Ranbir Singh, MLA.;- Chairman
2. Chaudhri Kurshed Ahmed, Development and Health Minister
3. Khan Abdul Gaffar Khan, MLA.
4. Major Amir Singh Chaudhri, MLA.
5. Chaudhri Bhajan Lal, MLA.
6. Chaudhri Goverdhan Dass, MLA.
7. Principal Ishwar Singh, MLA.
8. Chaudhri Jagdish Chander, MLA.
9. Chaudhri Malik Mukhtiyar Singh, MLA.
10. Chaudhri Neki Ram, MLA.

11. Chaudhri Raj Singh Dalal, MLA.
12. Chaudhri Rajinder Singh, MLA.
13. Chaudhri Ram Prakash, MLA.
14. Shri Ram Shran Chand Mital, MLA.
15. Chaudhri Sarup Singh, MLA.
16. Raj Kumari Sumitra Devi, MLA.
17. Chaudhri Surjit Singh, MLA.
18. The Advocate-General.

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 30 जनवरी, 1969 ई.*

---------------------------

### राज्य में मादक पेय के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने संबंधी संकल्प

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया मैं श्री दया कृष्ण जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। जहां तक शराबबन्दी का ताल्लुक है, वह दरअसल मैं किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है वह तो देश के आचार व्यवहार का सवाल है। जहां हमारे देश में पिछले बीस सालों में जिसमें हमारा हरियाणा प्रान्त भी शामिल है, बहुत तरक्की हुई और हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। लेकिन, कुछ बातों में देश पीछे भी गया है। जिन कारणों से देश पीछे रहा है, उनमें से एक कारण शराब का प्रयोग करना है। शराब दो तीन किस्म के आदमी पीते हैं। एक तो वे भाई पीते हैं जो अपनी जिन्दगी से बेजार हो जाते हैं जिनकी जिन्दगी से हर प्रकार की आशा टूट जाती है। ये लोग निराशा को भुलाने के लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे वे भाई शराब पीते हैं, जिनके पास आमदनी ज्यादा होती है। खाने-पीने के बाद जो पैसा बच जाता है, उसे शराब में इस्तेमाल करते हैं। पैसा ज्यादा होने से देश का स्टैण्डर्ड ऊंचा हुआ, लोगों की आमदनी ज्यादा हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग शराब पीने लगे। लोगों का स्टैंडर्ड अगर ज्यादा ऊंचा हुआ तो शराब पीने से गिराना नहीं चाहिये।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 30th Jan. 1969,Vol. I, No. 2, Page (2) 60-65*

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक शराब को पीने से रोकने का ताल्लुक है, इसको किसी भी पुलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की कई सरकारों ने शराबबन्दी की और मद्रास में डी.एम.के. की सरकार ने, जो कि विरोधी दल की सरकार है, उसने शराब-बन्दी की है। इसलिए यहां पर कांग्रेस पार्टी या विरोधी दल की पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल देश के आचार और स्तर को ऊंचा करने का है। यह बड़ा गम्भीर सवाल है। मुझे मालूम नहीं कि जो भाई इसको बन्द करने में गिला करते हैं वे शराब इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। अगर वे नहीं पीते तो अच्छा है न पिये। अगर पीते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसको छुड़वाने में सरकार का जितना भी सहयोग हो सके, देना चाहिए। यह बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि राष्ट्रपिता गान्धी ने तो यहां कहा था कि शराब की आमदनी से अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चे बुरे कर्म करेंगे क्योंकि जैसी चीजें हम खायेंगे हमारे दिमाग पर वैसा ही असर पड़ेगा। उद्देश्य पर जदियो का असर होता है। हो सकता है यही कारण हो कि आज देश के बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। पढ़ाई की तरक्की तो हुई लेकिन विद्यार्थियों में अनुशासन गिर गया। जैसा कि बापू गान्धी ने कहा था कि जैसी-जैसी चीजों का सेवन हम लोग करेंगे उसका असर और छाप बच्चों पर जरुर पड़ेगा, वह आजकल की घटनाओं से साबित हो गया। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने भी शराबबन्दी की है। इसके अलावा और भी कांग्रेस सरकारें या गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं, जिन्होंने शराबबन्दी मुकम्मल तौर पर की है। लेकिन, जिन-जिन सरकारों ने शराबबन्दी पर रोग लगानी चाही उससे उनकी अपनी समस्याएं पैदा हो गई। लोग नाजायज तरीके से शराब निकालने लग जाते हैं। हरियाणा सरकार ने रोहतक जिले में शराबबन्दी की। रोहतक में शराब बन्दी होने से आस-पास के इलाकों से शराब ज्यादा बिकने लगी और सरकार की आमदनी उतनी ही रही जितनी कि रोहतक में शराबबन्दी होने से पहले थी। इस हिसाब से अगर एक जिले के बजाय दो जिलों में शराब बन्दी कर दें तो भी सरकार की आमदनी उसी हिसाब से बढ़ती है। क्योंकि, शराब पीने वाले दूसरे इलाकों से खरीद लाते हैं। इसका क्या कारण है कि शराबबन्दी होने के बावजूद भी शराब पीने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आती। इसका कारण यह है कि हमारे आचार विचार ठीक नहीं हैं। हमारे करैक्टर (चरित्र) का स्तर ऊंचा नहीं है। इसीलिए लोग चोरी से शराब बना लेते हैं, चोरी से पीने लगते हैं, जिसके कारण प्रदेश में और कई प्रकार की खराबियां पैदा हो जाती हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंह :** आपने तो रोहतक में भी प्रोहिबीशन खोल दी थी।

**चौधरी रणबीर सिंह :** इसके बारे में राव साहिब से इतना ही कह सकता हूँ कि खोलने वाले तो राव साहिब के बहुत करीबी दोस्त बन गये हैं और राव साहिब ने उनको अपना नेता मान लिया है (व्यवधान)। जिस वक्त यह शराबबन्दी खोली गईं थी, उस वक्त मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूँ क्योंकि उस वक्त इनके दोस्त मुख्यमंत्री  थे और मैं उनेक मन्त्रीमण्डल में एक मेम्बर के तौर पर था। ठीक है मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ, मैंने उस वक्त हौसला नहीं किया कि मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे देता।

**वित्त मंत्री :** यह खोली तो राव साहिब के समय में गई थी।

**चौधरी रणबीर सिंह :** ठीक है, सरकार के कई ऐसे कानून होते हैं, जिनके फैसले पहले हो जाते हैं और कार्यरुप देर से होते हैं। फैसला तो हमारा था। यह ठीक है कि फैसला हमारा था( लेकिन, आप फैसले को बदल सकते थे। इस बात से हम बच नहीं सकते कि यह फैसला कांग्रेस सरकार का था और यह फैसला कोई अच्छा फैसला नहीं था। इसके सम्बन्ध में मित्तल साहिब ने जो संशोधन दिया है, वह ठीक है, क्योंकि मित्तल साहिब को इस लाईन का काफी तजरुबा है। पंजाब में वे शराब के महकमें के इन्चार्ज थे और उस वक्त उन्होंने एक नया तजरुबा करने की कोशिश की थी। इसके बारे में दो तीन किस्म के विचार हो सकते हैं : कई भाई इसका विरोध करते हैं, कई नहीं करते हैं। हो सकता है कि कई भाई मुझे यह कहें कि मैं भी उस वक्त के मंत्रीमण्डल का मेम्बर था और मित्तल साहिब के फैसलों के साथ हम भी सहमत थे। क्योंकि, वह फैसला कैबिनैट में हुआ था। एक बात में जरुर मानता हूँ कि शराब बन्दी करने से सरकार के खजाने पर बोझ पड़ता है, सरकार की आमदनी कम हो जाती है और खर्च ज्यादा हो जाता है। इसके इलावा शराब बन्द होने से लोग चोरी से शराब इस्तेमाल करते हैं जिससे कुरप्शन बढ़ती है। एक तो शराब पीते हैं और वह भी चोरी से। इस तरह उन को चारी की आदत पड़ जाती है। जब तक हम अपने भाईयों का जीवन स्तर, चरित्र निर्माण नहीं करते हैं तब तक यह शराबबन्दी हीं हो सकती। शराबबन्दी से तो क्रेक्टर (चरित्र) और भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि लोग चोरी से शराब भी न पीयें और इसकी तजारत भी खत्म हो जाये, हमने यह फैसला किया था कि शराब के अन्दर नशे की जितनी मात्रा है उसको धीरे-धीरे कम कर दिया जाए। इससे शराब पर लागत कम लगेगी और सस्ती होने से सरकार को

आमदनी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारी सरकार के बाद जो दूसरी आने वाली सरकार थी, अगर वह इस फैसले को लागू किये रखती तो सरकार और प्रदेश को फायदा हो सकता था। मित्तल साहिब ने जो संशोधन दिया है उसके पीछे भावना यही है कि सरकार एक दम आमदनी के साधन को बंद कर देगी तो उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बात है भी ठीक। क्योंकि, आमदनी के एक साधन को दूसरे साधन के ढूंढे बगैर बंद कर दिया जाए तो रास्ते में मुश्किलें आऐंगी ही।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सरकार अख्तियारात होने के कारण सब कुछ कर सकती है, उसके बारे में तो मेरी अर्ज यह है कि राव साहिब के मंत्रीमण्डल को तथा मेजर साहिब के मंत्रीमण्डल को भी उतने ही अख्तियारात थे, जितने हमारे मंत्रीमण्डल को थे या हैं। इन अख्तियारात के होते हुए न तो वे ही बंद कर सके और न हम ही कर सके। मैं मानता हूँ कि शायद राव साहिब की ख्वाहिश थी, मेजर साहिब की भी होगी और हमारी भी थी कि शराब बंद हो। लेकिन, कुछ मुश्किलात रास्ते में आती रहीं, जिन्हें प्रैक्टिकल मुश्किलात कह सकते हैं, जिनकी वजह से कुछ फैसला करने के कदम आगे नहीं बढ़ सके। मैं यह भी मानता हूँ कि पंडित भगवत दयाल के मंत्रिमण्डल ने जो फैसला किया था, वह भी शायद कुछ मुश्किलात को ही सामने रख कर किया होगा क्योंकि, उनका हल्का झज्जर था और झज्जर में बहुत सारे फौजी हैं। फौजी भाई आप जानते हैं कि मिल्टरी के अन्दर रहकर शराब पीने के आदी हो जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा फौजियों की तादाद उसी इलाके में थी, उसी जिले में थी और वे लोग मुझे याद हैं, जो कहा करते थे कि शराबबन्दी शायद उन्हीं को सजा देने के लिए की जा रही है। इन सब बातों का असर तो पड़ता ही है। मेरा ख्याल है कि राव साहिब भी शायद इसीलिए ही नहीं रह सके होंगे, क्योंकि एक तो ये खुद भी फौजी हैं और दूसरे उनके इलाके में भी फौजी बहुत हैं। कहने का मतलब यह कि कई बार काम इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके बारे में समाज का दबाव पड़ता है। फिर भी, मैं मानता हूँ कि कारण कुछ भी हों, कमजोरी कमजोरी ही रहती है, बुरी बात बुरी ही होती है और उसे दूर करने का हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। एकदम तो शराब, जैसा मैंने पहले कहा, बंद नहीं हो सकेगी और न ही ऐसा करने से फायदा होगा मगर जैसा कांग्रेस पार्टी मानती है, देश की दूसरी पार्टियां भी शायद मानती हैं, कि सदस्यों को शराब नहीं पीनी चाहिए। यह भी मेरा विश्वास है कि यदि कोई सदस्य पीते भी होंगे तो वे भी खास करके सदन में यह नहीं कह सकते कि शराब पीनी चाहिए .....

**चौधरी जय सिंह राठी :** पहले वजीरों को शराब पीने से बंद होना चाहिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** वज़ीर तो पहले भी पी जाते थे।

**मलिक मुख्तियार सिंह :** आपने भी कभी पी?

**चौधरी रणबीर सिंह :** अपने बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने कभी शराब नहीं पी। डिप्टी साहिबा! मैं यह बात कह रहा था कि जनता के नुमांयदे जो यहां आते हैं, चाहे वे इधर वे बैठे हों या उधर बैठे हों, उनको शराब नहीं पीनी चाहिए। (तालियां) डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप यकीन मानिए कि हरियाणा की राजनीति के अन्दर आज जो गिरावट आई है, उसका एक कारण शराब ही है क्योंकि शराब पीकर मनुष्य अपनी मर्जी के खिलाफ ऐसा फैसला कर जाता है, जिसके बारे में उसे बाद में पछताना पड़ता है। यदि शराब न हो या हम शराब न पीएं तो कम से कम आदमी अपने दिल से फैसला तो करेगा, चाहे वह सही हो या लत हो।

**राव बीरेन्द्र सिंह :** शराब पीकर लोग कई दफा सच भी बोल जाते हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** हो सकता है, क्योंकि राव साहिब को ज्यादा तजरुबा है। लेकिन, हम तो ऐसा समझते हैं कि बिना शराब पीए आदमी सही बात करता है। (विघ्न) खैर, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा की राजनीति के अन्दर जो गिरावट आई, हमारे कुछेक सदस्यों के पहले तो किसी पार्टी के टिकट पर चुनकर आने, परन्तु बाद में लोगों की राय लिए बिना दूसरी पार्टी में शामिल हो जाने की वजह से, उसके पीछे शराब पीने का काफी असर रहा। मैं यह नहीं कहता कि जो लोग इधर से उधर गए वे ही शराब पीने वाले हैं, ऐसी मेरी धारणा नहीं हैं। पीने वाले तो दोनों तरफ हो सकते हैं और न पीने वाले भी दोनों तरफ हो सकते हैं। लेकिन, मेरे कहने का मतलब यह है कि शराब का काफी असर रहा है। इसलिए मैं इस हक में हूँ कि शराबबंदी होनी चाहिए ताकि, समाज का सामाजिक स्तर ऊंचा हो। शराब पीने वाले, उपाध्यक्ष महोदया, सामाजिक स्तर को नीचे गिराते हैं। अपने खानदान और अपने बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। जो पैसा खानदान और बच्चों की तरक्की के लिए खर्च करना होता है, उसे वे फिजूल व्यय कर देते हैं और अपने बच्चों और खानदान को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। इन सब बातों को देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदया, मुझे तो बड़ी खुशी होगी यदि यह प्रस्ताव सदन में पास हो जाए। क्योंकि, मैं तो हमेशा इस राय का रहा हूँ कि अगर गुजरात की सरकार बगैर शराब की बिक्री के

अपने काम को चला सकती है तो हरियाणा के लोग और हरियाणा की सरकार भी जरुर अपने काम को चला सकती है। कोई काम मैं समझता हूँ शराब के बिना रहने वाला नहीं है। मगर यदि किन्हीं कारणों से हम अभी पूरी शराबबन्दी कर भी न पाएं तो भी मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत कदम तो हमारे आगे बढ़ने ही चाहिएं। हमें चाहिए कि हम समाज को शराबबन्दी की बात को मानने के लिए तैयार करें। आज तक तो, जैसा मैंने पहले कहा और अपनी तथा अपनी पार्टी की जिम्मेदारी भी मानी, हम लोगों को आगे ले जाने की बजाए पीछे धकेलने में ही ज्यादा कामयाब या नाकामयाब रहे हैं। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि यदि प्रस्ताव पास हो जाए तब तो बड़ी अच्छी बात है। परन्तु, यदि पास न भी हो तब भी मैं समझता हूँ कि इससे फायदा ही है क्योंकि इसकी वजह से शराबबन्दी के बारे में लोगों के विचार, कि आया शराबबन्दी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए? सदन में जाएंगे। मैं मेजर साहिब, की तरह विचार नहीं रखता कि यदि सारी स्टेट में शराब बन्द न होकर कहीं महेन्द्रगढ़ में ही हो गई तो क्या फायदा नहीं होगा?

**मेजर अमीर सिंह चौधरी :** मैं तो वैलकम करता हूँ।

**चौधरी रणबीर सिंह :** वैलकम करते हैं, तब तो ठीक है। परन्तु, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि, पहले महेन्द्रगढ़ से शराब रोहतक आया करती थी और अब यदि महेन्द्रगढ़ में शराबबन्दी हो जाए तो रोहतक से वहां चली जाया करेगी। खैर, अपने-अपने विचार हैं। लेकिन, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह समझता हूँ कि हमारी पार्टी के आज के कांग्रेस प्रधान, श्री रामसरन चन्द मित्तल जी ने शराबबन्दी या शराब बनाने की कुछ ही कह लें, जो नीति बताई है वह शायद ज्यादा अच्छी रह सकती है। हमें चाहिए कि नशे की परसैन्टेज धीरे-धीरे कम करके कोके कोला तक पहुँचा देनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि चौधरी साहिब आप कोका-कोला क्यों पीते हैं? कोका-कोला तो डिप्टी साहिबा, मैं पीता हूँ। क्योंकि, मेरा ख्याल हो गया है कि मेरी सेहत के लिए यह अच्छा है। हो सकता है मेरा ख्याल लत हो। लेकिन बहरहाल, मैं तो यह कहता हूँ कि अगर धीरे-धीरे हम नशीली चीजों का अंश घटाएं तो उससे सरकार को जो एक आर्थिक संकट आ सकता है, वह नहीं आएगा और शराबबन्दी की तरफ भी हमारा कदम बढ़ेगा। सरकारी कामकाज को चलाने के लिए हमेशा पेचीदगी होती है। क्योंकि, कोई बेचने वाला चोरी करता है, कोई शराब निकालने वाला चोरी करता है।

**राव बीरेन्द्र सिंह :** फिर आप बीयर को चालू कर दें, जैसा कि मित्तल साहब ने कहा है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं इस बात से सहमत हूँ, जो श्री मित्तल जी ने कहा था। फिर राव साहब भी वहां गुड़गांव के अन्दर एक कारखाना लगवा लेंगे। दूसरा हरियाणा के किसानों को यह फायदा होगा कि उनको जौ की कीमत पूरी मिल सकेगी। एक फायदा यह होगा कि उस शराब के मुकाबले में यह शराब में नशे का अंश कम है। जैसा कि मित्तल साहब ने प्रोग्राम रखा है पहले बीयर शुरु कर दें और बाकी दूसरी शराबों को बन्द कर दें, यह ठीक ही रहेगा।

(एक सदस्य की ओर से विघ्न)

आप शोर न करें और बलवन्त राय तायल जी आप तो वैसे ही भाग गये। मैं तो आज भी आपकी मित्तल साहब से सिफारिश करने को तैयार हूँ कि तायल साहब के साथ जो पहले अन्याय हुआ था उसके लिए आप लीनियंट व्यू लें। (शोर)

# हरियाणा विधानसभा

## शुक्रवार, 7 फरवरी, 1969 ई.*

---------------------------

### व्यवस्था का प्रश्न

*(i) Re-moving of a privilege motion in respect of cases pending in or going to a court of law*

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहिब, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसके बारे में मैंने पहले भी सदन में बताया था। कल आपने रुलिंग पार्टी और विरोधी पक्ष में आपस में समझौता कराया था और यह रुलिंग दी थी कि डा. मंगल सैन की प्रिविलेज़ मोशन को एडमिट किया जाता है। इस व्यवस्था के प्रश्न को मैं कल भी लाना चाहता था। लेकिन, कुछ नहीं कह सका। अब आपके जरिए इस मामले पर आपकी रुलिंग चाहता हूँ कि जो केसिज अदालत में चल रहे हैं, उनके बारे में हाऊस में प्रिविलेज मोशन लायी जा सकती है या नहीं? इससे पहले क्या प्रथा थी और भविष्य में क्या रहेगी? इसके बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

*(ii) re-Questioning of a Ruling of the Speaker*

**Rao Birender Singh :** On a point of Order, Sir. After the hon. Speaker had given his Ruling yesterday, can an hon. Member now i.e. at a later stage question his decision?

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 7th Feb. 1969, Vol. I, No. 8, Page (8) 103-105*

**Mr. Speaker :** I shall give my ruling on it on Monday, next.

**राव बीरेन्द्र सिंह :** स्पीकर साहब, यह सैंसेशन, बड़ा शाकिंग डिस्कलोजर है। जोगिन्द्र सिंह के साथ जो कुछ हुआ है, इससे सारा हाऊस कन्सर्न रखता है। इनसे यह मालूम होता है कि......... स्पीकर साहिब, .........

**Mr. Speaker :** I understand your point.

**Rao Birender Singh :** Sir, if you allow me, I want to speak on this matter.

**Mr. Speaker :** I think this was only a personal explanation and the hon. Member will have ample opportunity.

**Rao Birender Singh :** This is such a serious matter Speaker Sahib.

**चौधरी रणबीर सिंह :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। स्पीकर साहिब, हाऊस में श्री जोगिन्द्र सिंह जी ने जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन के नाम पर एक ब्यान दिया है यह नहीं देना चाहिए। क्योंकि, यहां पर किसी ने भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही। लेकिन, चूंकि आपने उन्हें इजाज़त दे दी है, इसलिए उन्होंने ब्यान दिया। इस ब्यान के बीच चौधरी चन्दगी राम का नाम लिया गया है। चूंकि चौधरी चन्दगी राम हाऊस में आकर अपना जवाब नहीं दे सकते। इसलिए, उनका नाम ब्यान में से काटा जाना चाहिए।

**राव बीरेन्द्र सिंह :** वे प्रिविलेज कमेटी में आकर बोल सकते हैं। (व्यवधान)।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उनका नाम हाऊस में नहीं लेना चाहिए। लेकिन, चूंकि लिया जा चुका है, इसलिए इसको हाऊस की कार्यवाही में से डिलीट कर, हटा दिया जाए और प्रैस वालों से भी दर्खास्त कर दी जाये कि उनका नाम अखबारों में न छापें, जब तक कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट न आ जाये। जो आदमी सदन में जवाब नहीं दे सकता, उसका नाम लेने की कोई अच्छी प्रथा नहीं होगी। इसलिए, मेरी प्रार्थना है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

**Mr. Speaker :** This was a sort of personal explanation allowed for five minutes as a special case. Because as you said, it was a sensational news. I allowed him to speak. We will have no discussion on it. If,

however, there is time later, we can think about it.

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहिब, इनका नाम हाऊस में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि...

**Mr. Speaker :** Is he an official?

**Shri Mangal Sein :** No, Sir.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, वे कोई ऑफिसर नहीं हैं। हमारे प्रदेश के एक वासी हैं और पंजाब गवर्नमैंट के रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं। मैं तो हाऊस में जवाब दे सकता हूँ। लेकिन, वे तो नहीं दे सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नाम लेने का तरीका बहुत लत है। जिस ढंग से ब्यान कराया गया है, यह कोई अच्छी छवि नहीं है। इस लत प्रथा को रोकने के लिए मैं आपकी सहायता चाहता हूँ।

**Mr. Speaker :** I do not think there is any defamatory thing said about Chaudhri Chandgi Ram. Was there any? I only heard that he was taken there an that he was there for about an hour or so. No defarmatory remarks were made about Chaudhri Chandgi Ram as far as I see.

**चौधरी रणबीर सिंह :** यह तो ठीक है कि उन्होंने सीधे तौर पर डैफेमेटरी नहीं कहा। लेकिन, जिस तरह से चौधरी मुख्तियार सिंह जी ने जिक्र किया था कि उसमें उन्होंने मकान का नम्बर और सैक्टर नम्बर दिया था (शोर)। अगर, माननीय सदस्य उन का नाम लेते हैं तो उसके साथ दूसरी सारी बातों को जोड़कर विचार करना चाहिए था। लेकिन, जो बात मैं कह रहा हूँ, उससे आप खुद मेरे साथ सहमत होंगे कि जो भाई सदन में जवाब नहीं दे सकते, उन्हें यहां पर बदनाम न किया जाए।

**Mr. Speaker :** I really do not think any defematory statement has been made about Chaudhri Chandgi Ram and if there is any, there are other courses open to contradict, if you wish to do so.

**मलिक मुख्तियार सिंह :** स्पीकर साहिब, मेरी अर्ज यह है कि जो इन्फर्मेशन हमें मिली थी वही हमने हाऊस में दी। जोगिन्द्र सिंह के बारे में हाऊस में कितना हंगामा हुआ यह सबको मालूम है। इन्फर्मेशन के मुताबिक मैंने सैक्टर नम्बर दिया था,

नाम नहीं दिया था। इसके अलावा जो डी.डी. पुरी की कार को इस्तेमाल करने या और जो दूसरी बातें हैं, उनको कहने के लिए आपने पांच मिनट का टाईप उन्हें दिया जिसमें, उन्होंने सब कुछ बता दिया। आपने भी कहा कि यह बात बड़ी सैंसेशनल है, मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहिब इसके लिए मुझे एक्सक्यूज करेंगे।

**Mr. Speaker :** I think the hon. Member is utilizing the opportunity (*laughter*).

**मुख्यमंत्री :** स्पीकर साहिब, अपोजीशन को झूठे बहाने खूब बनाने आते हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** एक दफा अपने दिल की भड़ास निकाल लें, अपनी हार को छिपा लें, इस बात में कोई हर्ज की बात नहीं है।

# हरियाणा विधानसभा

## शुक्रवार, 7 फरवरी, 1969 ई.*

----------------------------

### हरियाणा विनियोग विधेयक, 1969

**Mr. Speaker :** Hon. Members, a Minister is to introduce the Haryana Appropriation Bill, 1969.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, इस विनियोग विधेयक में जितनी मांग रखी हैं, और जिन विषयों के बारे में रखी हैं उन पर मेरा बोलने का कोई विचार तो नहीं था। लेकिन, विरोधी दल के नेता ने बजाय कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव देने के यहां पर एक ड्रामा सा खेलने की कोशिश की है। इसलिये, मुझे कुछ कहने की जरुरत पड़ी है। मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपसे आज्ञा चाहूँगा कि आप हमें भी छूट दें ताकि हम उनकी बातों का जवाब दे सकें। यह एक मामूली सी मांग है। जब विरोधी दल के नेता को पूछा गया कि यह कौन सी डिमांड है तो वह बता नहीं सके। हालांकि, मांग इसमें मौजूद है। इससे हिसाब लगाया जा सकता है कि हमारे विरोधी दल के नेता कितना पढ़कर आते हैं ? खैर! इस तरफ मैं और नहीं जाना चाहता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने पहले भी इस सिलसिले में कुछ कहा था और अब फिर कहता हूँ कि आज जिस तरह से यह ड्रामा किया गया, यह सदन से बाहर बैठे हुये कुछ दोस्तों के प्लैन की एक कड़ी है। इनकी एक लगातार साजिश है और वह इस सदन को भंग करना चाहते हैं। इसलिये, तरह–तरह के ड्रामे वह आज जनता

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 7th Feb. 1969, Vol. I, No. 8, Page (8) 111-119*

के सामने रख रहे हैं। कौन नहीं जानता कि संयुक्त मोर्चा की सरकार के वक्त में उन्होंने कैसे ड्रामे किये थे ? इस भवन के दूसरे हिस्से में किस तरह से उस सदन के सदस्यों को पर्चियां डालने की इजाजत न दी और सरदार बलदेव सिंह जो डिप्टी स्पीकर बने थे, उनको पर्ची डालने की इजाजत नहीं दी गई थी। लोग जानते हैं कि संयुक्त मोर्चे के भाईयों में कितनी सच्चाई है। विरोधी दल के नेतागण अगर हमें कोई बुराई देते तो हम समझते उनका हक है ऐसा करने का और उनकी आदत भी है। लेकिन यह मैं नहीं जानता था कि वह अपने ही एक मेंम्बर के बारे में कहानी निकाल लायेंगे। उन्होंने यह बताया कि असैंम्बली के एक मेंम्बर ने केवल एक रिवाल्वर का लाईसैंस लेने के लिये वह लिखकर दे दिया कि मैं अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि कोई मेंम्बर भी सिर्फ लाइसैंस लेने के लिये इतने नीचे स्तर पर नहीं आ सकता। (विघ्न)

**राव वीरेन्द्र सिंह :** आप समझे ही नहीं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** आज हमको कहते हैं कि हमारी गिनती उनसे कम है। आज तो अच्छा मौका मिला था। आपको इम्तहान देने का और जिस वक्त आपके चारों साथी हाज़िर थे, जिस वक्त यह प्रस्ताव रखा गया था कि चार सदस्यों को सदन के बाकी दिनों के लिये निकाला जाये, उस वक्त ताकत आजमाई हो जाती। प्रजातंत्र के अंदर हार को हार मानना ही अच्छा होता है। प्रजातंत्र में हार को हार मानकर ड्रामा करने से हार जीत में नहीं तबदील हो सकती। मैं राव साहिब से कहूँगा कि राव साहिब आपने जब पिछले सदन की बैठक चल रही थी तो सदन में उस वक्त बड़े जोर से ऐलान किया गया था कि हम किसी को दल बदलने के लिये अवैटमेंट नहीं करेंगे कि वह अपना दल छोड़ करके दलबदलू हो जाये। मैं देख रहा हूँ कि आज भी वह हाथ हिलाते हैं कि बिल्कुल नहीं करेंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि विरोधी दल के नेता राव वीरेन्द्र सिंह हैं और चुने हुये हैं। लेकिन, इससे फालतू अमैंटमेंट और क्या हो सकती कि नेतागीरी भी छोड़कर दूसरे साथी को देने के लिए तैयार हैं..... (विघ्न)। उसको कहते कि वह नेता बन जायें तो और क्या अबैटमेंट होती है ? अगर कोई न्यायधीश जांच करे तो मानना पड़ेगा दु :ख के साथ कि वह राव साहिब को दोषी ठहरायेगा। वह माने या न माने लेकिन इससे बढ़कर कोई और बड़ा परलोभन नहीं हो सकता कि ........ (विघ्न).... यह तो मुझको मालूम है। क्या मैं उसको नहीं जानना चाहता ? हरियाणा के लोग जानते हैं कि सदस्यों को भगाने की बीमारी किसने शुरु की, कहां से यह चली है और कौन भगाता है इन सदस्यों को ?

**श्रीमती शकुन्तला :** ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर, सर। पहले चौधरी साहिब ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि कौन से नम्बर पर बोल रहे हैं? अब हमें इनका पता नहीं लग रहा है कि यह कौन से नंबर की डिमांड पर बोल रहे हैं?

**उपाध्यक्षा :** यह आपका कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आपको स्पीच को समझने के लिये अलर्ट रहना चाहिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्षा महोदया, मेरी बहन हैं, मुझको गिला नहीं कि वह समझी नहीं हैं और उनको कोई एतराज हो गया। मैं उनको बता दूं कि मैं व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं बोल रहा हूँ। वह अब समझ लें कि मैं मांगों पर बोल रहा हूँ। बड़े करीब से बोले थे, उनके नेता और उन्होंने तो कोई मांग नम्बर नहीं बताया था। मैंने तो मांग नम्बर नहीं बताया था। मैंने तो मांग भी बताई है। फिर भी अगर मुझको दोषी ठहराती हैं तो कोई बात नहीं, वह बहन हैं। बहन भाई से प्यार भी करती है और कई बार लत बात भी कह देती है। बहन के नाते मुझे उन पर कोई गिला नहीं है बेशक वह मुझे दोषी ठहरा सकती हैं........ (विघ्न) अगर वह जानना चाहती हैं तो मैं फिर मांग का नंबर भी बता दूंगा एक मिनट में। नौ नंबर की मांग है (एक आवाज : दस है) (हंसी) दस नहीं दस में तो वह भाई कमरे में बैठे थे। वह कहते थे कि वह वहां दस नंबर के कमरे में गये थे। पहले हम कभी गये थे, जब अंग्रेज का साम्राज्य था और उस वक्त दूसरे भाई जो हैं अंग्रेजों के हिमायती थे। उस वक्त हम दस नंबर में थे। आज दस नंबर में नहीं हैं ....... (विघ्न)...... आप भी हमारे साथ दस नंबर में थे और आज भी आप दस नंबर बनने की कोशिश में हैं तो हमको तो आप पर रहम ही है। उपाध्यक्ष महोदया, यह गिनती की बात करते हैं और कहते हैं कि उनके चार सदस्य बाहर रखकर मांगों को पास करना चाहते हैं। एक बात तो कबूल कर लें कि वह कम हैं। एक नेता इनके ही विरोधी दल के एक नेता खुद मान गये कि वह कम हैं और राव वीरेन्द्र सिंह जी उसे टोकते थे कि नहीं तुम लत कहते हो। लेकिन, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से ............ मैं कवि नहीं हूँ और मैंने कविता कभी कहीं नहीं है। लेकिन, राव साहब के ड्रामा ने आज मुझे कुछ कविता कहने का भी मौका दे दिया........ (विघ्न)........ इन्होंने कहा कि वह ज्यादा तादाद में हैं। खैर गिनती भी हो ली और सबने देख ली। चौधरी मुख्तियार सिंह जी बैठे हैं। लेकिन, उनके साथी मंगल सैन जी चले गये जो बड़े जोर जोर की आवाज में नारा लगा रहे थे कि वह 28 तारीख को इस सरकार को फैंक देंगे। बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी भी कागज ज़रा दबाते थे कि पता नहीं शायद 28 को

कुछ हो जाए। खैर चार तारीख को गिनती हुई तो विरोधी दल 12 राये (वोट) से हार गये और अगले दिन फिर गिनती हुई तो 13 से हार गये और कल तो भाग ही गये मैदान से। इनके नेता जो बाहर बैठे हैं कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा का राज आ रहा है। ठीक है आ रहा होगा। लेकिन, एक बात में मान सकता हूँ उनकी कि जो जाल उन्होंने बिछाया था उस जाल में राव वीरेन्द्र सिंह और चौधरी मुख्तियार सिंह फंस रहे हैं। राज उनका तो आ नहीं सकता है। लेकिन, अगर पहले की तरह सारे ही मेंम्बर खड़े हो जायें और कोई न बात करने दें और न कुछ सुनने दें तो राष्ट्रपति का शासन आ सकता है, अगर वह चाहें तो। लेकिन, उससे इनको डर भी लगता है (हंसी).. क्योंकि उसका तजरुबा देखा। उनका राज रहता तो यह समझते थे कि पर्चियों में बड़ी आसानी से शायद हेरा फे री करके जीत जाते...... (विघ्न)......

आज हमारे विरोधी दल के नेता संयुक्त मोर्चे की बातें करते हैं और उसकी अच्छाइयों की बातें करते हैं और कांग्रेस की बुराइयों को बताते हैं। लेकिन यह बताते हुए मेरा सिर शर्म से नीचा न होता कि हरियाणा के सबसे बड़े क्रांतिकारी पंडित मांगे राम जी मांडोठी के रहने वाले थे। उपाध्यक्ष महोदया, विरोधी दल के नेता जब मुख्यमंत्री थे तो इस हरियाणा प्रदेश में एक उप-चुनाव हुआ था। जिस आदमी ने 12 साल देश की आज़ादी के लिये जेल में काटे और हमेशा अपनी जिंदगी को हथेली पर लिये फिरे उसकी उस उप-चुनाव में पर्ची न डालने दी जावे। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? मैं किसी गरीब हरिजन की बात नहीं कहता किसी गरीब व्यापारी की बात नहीं कहता। मैं उस क्रांतिकारी की बात कहता हूँ जिसने चौधरी सर छोटू राम के खिलाफ चुनाव लड़ा था जबकि अंग्रेज का राज था और अंग्रेज का राज जमींदार लीग की हिमायत में था। आप देखें जो आदमी उस वक्त भी चुनाव लड़ सका, वह आदमी हमारे विरोधी दल के नेता के राज में पर्ची न डाल सका। ऐसा राज वह हमें देना चाहते हैं और उसका डरावा हमें देना चाहते हैं।

प्रजातंत्र में हार भी होती है और जीत भी होती है। मैं एक महंत बाबा जी से हार गया था, क्योंकि पर्ची का सवाल है और हार कबूल की। हार हो जाए तो कबूल करनी चाहिए। मैं कोई याचिका वाचिका लेकर कहीं नहीं गया। समझा लोगों ने हरा दिया तो ठीक है, लोग जिता दें तो ठीक है। मैं राव साहिब का मशकूर हूँ कि मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन, हमारी सबकी तरफ इशारा करके कहा कि उधर बैठे भाई उनकी मदद से जीते हैं। जितने भाई उधर बैठे हैं, उनकी हमने सिफारिश की थी तो टिकट मिला तो वह जीते। हमें कैसे बनाने वाले आ गये वह? जिन भाइयों का नाम लिया है,

उनसे पहले हम सदन के मेंबर बने थे। हम ने बनाया था उनको। यह ठीक है कि चौधरी चांद राम ने 1967 के चुनाव में मेरे ऊपर मेहरबानी की थी और वह मेरे साथी थे और हमारे मंत्री थे। पंडित भगवत दयाल मुख्यमंत्री थे। लेकिन, न पंडित भगवत दयाल और न ही चौधरी चांद राम की ही हिमायत मुझे उस वक्त बचा सकी और न ही मेरी अपनी हिमायत मुझे बचा सकी और मैं एक बाबा जी के मुकाबले में साढ़े आठ हजार वोट से हारा। ठीक है लोगों के अख्तियार की बात है और इसमें कोई बात नहीं है और इस बार मैं चौधरी चांद राम जी की मुखालफित से भी जीत आया। हां, इसीलिये तो मैं कहता था...... (विघ्न)....... इन्होंने इश्तहार दिया था जब वह उप-मुख्यमंत्री थे और फिर भी हार गया। लेकिन, अब इस इश्तहार से जीत गया। अबकी बार इश्तहार का इतना असर हो गया है। न जाने भगवान ही मदद पर आ गया और आसमान टूट कर गिर गया होगा। एक बात मैं जरुर कहता हूँ कि हार को हार मानना कबूल करें। हमको कहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन से डरते हैं हम नहीं डरते हैं। आपके नेता आपको उसमें धकेल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इस धोखे से बचो अगर बचना चाहते हो। कल जो कुछ विरोधी नेताओं ने काम किया है, वह बहुत समझ का काम किया क्योंकि इस काम ने प्रदेश को राष्ट्रपति राज के मुंह में जाने से रोक लिया, पता नहीं कितने दिनों तक रोके रखेंगे। आज फिर उस जादू का असर हो गया मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। मैं जानता हूँ कि कई भाई इसके साथ सहमत होंगे, मैं उन भाईयों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि प्रजातन्त्र में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। प्रजातन्त्र में बड़े बड़े दरखत उखड़ जाते हैं, इनका तो क्या कहना। पहले हम भी इसी तरह उखड़े थे और फिर उखड़ कर लग गये। लेकिन, जो दूसरे भाई नये नये लगे हुए हैं, जिनको विशेष जानकारी नहीं है, वे शायद एक ही आंधी के झोंके से उड़ जायेंगे। एक छोटी सी आंधी ही उनके लिए काफी है। इसलिए मैं उन भाईयों से कहता हूँ कि वे इस आंधी से बचें और देश को जो हम लोग धोखा दे रहे हैं उसे अवाईड करें। मैं राव साहिब से कहना चाहता हूँकि हरियाणा में 1968 के चुनाव में देश को अच्छा रास्ता दिखाया। मैं समझता हूँ कि यह सही रास्ता था, न जाने वह रास्ता लत था या सही? उसके बाद देश में एक आंधी आई, जिसका असर लोगों पर पड़ा और उसके साथ ही एक और आंधी आई। हमने लोगों को उस आंधी में सही रास्ता दिखाया। राव साहिब कहते हैं कि हम अठारहवीं सदी में बदल गये हैं। लेकिन हमने जनता को तो रास्ता दिखा दिया, और जनता समझ गई। अगर, आप नहीं समझे तो हमारा क्या कसूर है, आपकी समझ का कसूर हो सकता है (इन्ट्रप्शन)। मैं समझता हूँ कि राव साहिब बहुत समझदार हैं, उन्होंने कल बड़ी समझ से काम लिया है, राव साहिब की समझ थी जो

बचा गई।

**राव वीरेन्द्र सिंह :** आपने अपनी मेजारिटी तो दिखाई ही नहीं, बड़ी जबर्दस्त मेजारिटि बना रखी है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** राव साहिब, आपके भाई जो गिनती करने वाले हैं। आपने उनको बहुत दूर बैठाया हुआ है, उनको राव साहिब के साथ बैठना चाहिए था, क्योंकि हमसे गिनती में कई दफा लती हो जाती है। गिनती करने वालों को दूर न बैठाएं, बाबू सत्यनारायण जी को अपने करीब बैठाओ ..... (इन्ट्रप्शन)।

**श्री सत्यनारायण सिंगोल :** ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौनसी गिनती की बात कर रहे हैं। यह जातुसाने के बाई इलैक्शन की गिनती का नम्बर गिना रहे हैं। या किसी और का? (इन्ट्रप्शन)।

**उपाध्यक्षा :** यह प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं विरोधी दलों के सदस्यों जैसी बातों का आदी नहीं हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि जातुसाने के बाई इलैक्शन में आप जीते और हम हार गये। इसमें शर्म की कौन सी बात है? क्योंकि, प्रजातन्त्र में कोई कभी जीता है और कभी कोई हारता है। राव साहिब, हार कर उधर चले गये जो यहां बैठे थे। यह प्रजातन्त्र का एक नक्शा है, एक झांकी है। प्रजातन्त्र की झांकी को देखने से इन्कार करना, इससे काम नहीं चलता, मानने से काम चलता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने जो शुरु किया था उस पर आँना चाहता हूँ कि कल जो ड्रामा खेला वह बहुत अच्छा खेला। लेकिन, आज फिर पिछले ड्रामे का असर दोबारा आ गया। जब जाल में फंसने का फिर इरादा हो गया क्या? इतना अजीब ड्रामा सुनाया गया जिसको कोई समझकर मान नहीं सकता कि श्री जोगिन्द्र सिंह जी, जो कि इतने मजबूत, बहादुर मैंम्बर हैं, उन्हें कहें कि हम उठा ले गये और उनसे यह कहलवाया गया कि उनकी एक दरखास्त थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहिब ने लाईसेंस दे दिया और उन्होंने एक कागज पर लिख दिया जिसमें पार्टी छोड़ने की बात लिखी है। कमाल का ड्रामा खेला है। क्या यही हमारा स्टेंडर्ड है? हिन्दुस्तान की लोक सभा और राज्य सभा में एक कानून पास किया गया था राव साहिब कि हर सदस्य को नहीं, बल्कि हर हिन्दुस्तानी को हथियार रखने का जन्मसिद्ध

अधिकार है। मुझे पता नहीं यह सही है या लत ? आपके समय में भी शायद यह प्रथा चलती रही होगी ? रोको, अगर कोई खराब प्रथा अभी चलती आई हो। उसको रोक दो, उसको बदल दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ........... ।

**मलिक मुख्तियार सिंह :** चौधरी साहिब, हाथ जोड़ दो, फिर रुकेगी यह प्रथा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** तो फिर क्या सीखोगे ? अगर प्रजातन्त्र में आपने हाथ जोड़ना भी नहीं सीखा तो क्या सीखा ? डंडा तो मार नहीं सकते ! अगर आप नहीं सीखे तो आपको सिखा देता हूँ। खुद हाथ जोड़ कर सिखा देता हूँ। हाथ जोड़ना तो ठीक है। लेकिन, जो ड्रामा आपने कल खेला है, यह कहीं नहीं ले जायेगा। इसलिए ऐसे ड्रामें करना न सीखें। चौधरी नेकी राम के बारे में को–आप्रेटिव सोसायटी मन्जूरी दिलवाने का लांछन लगाया है। कितनी को–आप्रेटिव सोसाटियां बनाई गई हैं। कितने जुल्म की बात है कि लोग को–आप्रेटिव सोसाईटियां बनायें और हम उनको रोकें ? यह मेरी समझ में नहीं आई। राव साहिब, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके शासन चलाने का यही तरीका था कि लोग को–आप्रेटिव सोसाईटियां बनाना चाहें तो आप उसको रोकते रहें ? अगर सरकार न रोकती हो तो अदालत के जरिये रोक देते हैं। कमाल की बात है। यह तो चन्द आदमियों का शासन हुआ जो आपने बनाया था, प्रजातन्त्र का नहीं था। राव साहिब, मैं 1947 में कान्स्टीच्यूएंट असैम्बली का मैम्बर था, जब आप फौज के अफसर थे। अगर हम भी इसी तरह की सोसाईटियां बनाते तो आपको उधर बैठने का मौका न देते। हम तो कहते हैं कि सब को मौका मिलना चाहिए। जब सबको सोसाईटियां बनाने का मौका है। फिर भी अगर आप अदालत के पास जाते हैं। आपको खुद शर्म महसूस करनी चाहिए...... (व्यवधान)

**राव बीरेंद्र सिंह :** जब नाजायज काम करते हैं तो आदलतों में जाना ही पड़ता है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** आपकी एक बात के साथ मैं सहमत हूँ। मुझे मालूम नहीं कि यह सरकार के कर्मचारियों ने स्वयं किया या सरकार की सलाह से किया ? कालेजों के चुनावों के समय में जो पुलिस भेजी गई यह कोई अच्छा काम नहीं था। अगर कालेजों में पुलिस सरकार की मर्जी से गई तो सरकार को इस बात पर अफसोस करना चाहिए और अगर पुलिस अपने आप गई तो पुलिस के अफसरों को समझाना चाहिए। जो आफिसर लती करते हैं, उनको समझाना चाहिए कि राव साहिब

के राज के जो तरीके हैं, वे अब बदले जा रहे हैं। आप भी बदल जाएं। वे तरीके बदलने चाहिएं और बदले जायेंगे। राव साहिब, गुस्ताखी माफ करना, मैं आपका नाम बार-बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका नाम जिन्दा रहे क्योंकि राव साहिब को एक मुश्किल हो गई है कि जो भाई इस सदन के मैम्बर नहीं हैं वही उनको हटॉना चाहते हैं। अगर मैम्बर हटा दे तो मुझको कोई गिला नहीं। राव साहिब ने खुद कहा था कि पहले मैंने तो बड़े-बड़े मुमताज ओहदे हासिल किये और एक मुमताज ओहदा अब मिला है विरोधी दल के नेतृत्व का और वह ओहदा भी दूसरों को देना चाहते हैं। राव साहिब, आप राव बलबीर सिंह के बेटे और राव तुलाराम के पोते हैं। कहां इन बातों में आ गये हो? या तो आप कबूल करो कि मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं तो हौसला रखो। वे बाहर खड़े थे यानि इलैक्शन नहीं लड़ रहे थे और आपको हराना चाहते थे। लेकिन फिर भी आप जीत कर आये। हमें इस बात का कोई एतराज नहीं कि मुख्यमंत्री क्यों बने थे? एक कायदे के मुताबिक मुख्यमंत्री बने और बाद में राव साहिब आपस में गिला करते रहे।

उपाध्यक्ष महोदया, सदन में जो ड्रामा किया जाता है, वह अच्छा नहीं है, हमें इस ड्रामें को बन्द करना चाहिए। हरियाणा में दो बार देश को नये रास्ते दिखाये। पता नहीं कहां तक लत थे या सही थे। लेकिन, हमें इंग्लैण्ड की तरह यह साबित कर देना चाहिए कि यहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक या दो मैम्बरों की मैजारिटी के साथ राज चला सकती है, अगर राव साहिब भी साथ दे दें तो बड़ी खुशी की बात होगी। हम इस थोड़ी सी मेजोरिटी के साथ ही राज चला सकते हैं। हरियाणा की जनता के साथ भी फै सला कर लेंगे। अगर जीत गये तो भी ठीक है अगर हार गये तो हम हार मान लेंगे। (विघ्न)

**एक आवाज :** सीवन फायरिंग में आप ही का भतीजा था (व्यवधान)।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो इसको भूलना चाहता था। लेकिन, कई माननीय सदस्य बताते हैं कि जिस डी.एस.पी. का नाम लिया जाता है, वह आपका ही भतीजा था। कोई माननीय सदस्य बता दें कि जिस डी.एस.पी. का नाम लेते हैं, क्या वह वहां हाजिर था? वह चूंकि चौधरी रणबीर सिंह का भतीजा है, तो क्या जरुरी है कि इसी कारण से उसको मुल्जिम बनाना है? बाहर तो कहते हैं कि तुमको मुख्यमंत्री बनाना है। मगर, यहां कई एक मैम्बरों से नाम बुलाते हैं कि उसके भाई को, उसके भतीजे पर धक्कम-धक्का करने का लांछन लगाते हैं।

मेरे बारे में तो आप एक बात कबूल करें कि ये बातें रणबीर सिंह के ऊपर असर नहीं करेंगी। न कर सकती हैं। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि अगर कुछ सरकारी मुलाजिमों ने, लोगों की, चाहे वे हरिजन हों या शक्तिशाली हों, नसबन्दी जबरदस्ती करने की कोशिश की है तो वह लत है। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे इस बात का भी विश्वास नहीं है कि सरकार की तरफ से इस प्रकार की सख्ती की जा सकती है। सीवन की दुर्घटना से पहले का एक वाक्या मैं आपको सुनाता हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खां भी वहां मौजूद थे। एक सदस्य ने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि नसबन्दी की जबरदस्ती की जाती है। उस सदस्य की बात सुनकर मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने करनाल के डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इन शिकायतों में जान मालूम देती है। आप इन शिकायतों को नहीं आने दें। हम नसबन्दी चाहते हैं, हम फैमली प्लैनिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बात को छुपाना नहीं चाहता कि मख्यमंत्री जी ने जिस वक्त यह बात कहीं थी, बड़े जोर से कही थी। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को कभी इतने जोर से बोलते नहीं देखा था। मेरी तो आदत है कि मैं जोर से भी बोल जाता हूँ और गुस्से में भी बोल जाता हूँ। मगर, मैंने मुख्यमंत्री जी को इससे पहले बड़े नरम बोलते देखा था।

**चौधरी चांद राम :** इसके बावजूद भी गोली चल गई ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** गोली चल गई या न चल गई, यह तो अदालत बताएगी। मुझे तो कुछ बताना नहीं है। क्योंकि, अदालत का मामला हो गया है। मगर मैं तो इस बात को मानता हूँ कि अगर कसूर मेरा है तो मुझे फांसी लगनी चाहिए और अगर कसूर दूसरे का है, चौधरी साहिब का है तो उनसे यह भी नहीं कहूँगा कि चौधरी साहिब अफसोस भी जाहिर कर दो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, प्रजातन्त्र में हम लोग कई बातें करते हैं। सच और झूठ कह देते हैं। लेकिन, मेरा अपना विश्वास है कि हमें इस सदस्य की बात को सच्ची ही बात माननी चाहिए। जब तक वह बात झूठ साबित न हो जाए। चौधरी चाँद राम जब तक अपना दोष न मान ले, तब तक हमें इनके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। खैर, चौधरी चांद राम जी अगर गरीब आदमियों की हमदर्दी के कारण कोई बात कहें तो और बात है। इससे मैं भी उनके साथ सहमत हूँ कि हमें गरीब आदमियों की हमदर्दी करनी चाहिए। ऐसी बातें करना मेरा भी फर्ज़ है उनका भी और दूसरे सदस्यों का भी कि प्रजातन्त्र के शासन में किसी गरीब आदमी के साथ धक्का न हो। अगर कहीं बाकायदगी से कोई धक्का करे या करने की कोशिश करे, चाहे नेकी के लिये करे या नशाबन्दी के लिये करे, सरकार का फर्ज़ है कि

उसको रोके। इससे मैं सहमत हूँ।

**राव बीरेन्द्र सिंह :** सरकार न रोके तो मैम्बर का क्या फर्ज़ है?

**चौधरी रणबीर सिंह :** वह तो आप ज्यादा जानते हैं। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हां, अगर आपकी तरह से मेरे दिमाग में हवा चढ़े तो मैं भी बता दूं। ........ (विघ्न)....... वह तो मैं जानता हूँ। वह आप भूल गए। करने वाले होते तो यह न करते जो आपने करा दिया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं कोई बात छुपाया नहीं करता। पंडित भगवत दयाल जी जो पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जब विरोध का बीड़ा उठाया। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि शान्ति करो। शांति से पार्टी में सब मसले तय हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, मेरे सामने हमारे प्रधान ने अखबारनवीसों को कहा था कि अगर पार्टी के अन्दर किसी को कोई शिकायत है तो उसका हल पार्टी के अन्दर ही किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि अगर अपनी शक्ति का इम्तहान भी कोई करना चाहे तो उसे भी पार्टी के अन्दर रह कर किया जा सकता है। अगर हमें बंसी लाल जी से कोई नाराजगी होगी तो अपनी पार्टी में शक्ति आजमायेंगे। दूसरों का सहारा लेने जायेंगे तो कमजोरी मानी जायेगी। कमजोर क्यों बने? मजबूत रहना चाहिए। राव साहिब, आपको शक्ति मिली है, कमजोर न बनो, शक्तिशाली रहो। अगर शक्ति है तो उसे पकड़े रहना। जोर के आगे झुकना नहीं चाहिए। हमारे दु :ख पर क्यों नमक छिड़कते हो? (हंसी) यह कोई अकलमन्दी नहीं बताएगा। (विघ्न) मैं मानता हूँ, राव साहिब ऐसा करने वाले नहीं हैं। ये तो अगले को ही फंसाना चाहते हैं। दो होशियार आदमियों का मुकाबला चल रहा है। यह जो सवेरे ड्रामा हुआ, वह भी आपने अच्छा नहीं किया। कल वाला बड़ा बढ़िया था। आपने सबर से काम किया। लेकिन आज वाला ड्रामा फिर लत दिशा में चल पड़ा। जरा रोजाना इस तरह से न किया करें। आपकी जब भी मीटिंग होती है, मेरे पड़ौस में ही होती है। मेजर अमीर सिंह मेरे साथ आए थे। आज सुबह भी मैं बलवन्त राय तायल की कार में आया था...........।

**चौधरी जी सुख :** जो ड्रामा आप लिखकर डैस्क पर भेज देते हो वह पढ़ना तो पड़ता ही है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** यही तो गिला है। मैं तो लिखकर भेजता नहीं। मेरे

पहले जो लीडर थे, वे भेज देते होंगे। खैर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा इन दोस्तों से प्रार्थना करुंगा कि वे हमारे लिखे हुए ड्रामे मत पढ़ा करें। वरना फंस जायेंगे।.............. (विघ्न)

**एक सदस्य :** कल जो फंसा दिए आपने।

**चौधरी रणबीर सिंह :** हमने तो नहीं फंसाये। आप लोग खुद फंसे। मैंने कब कहा था कि चार चार खड़े हो जाओ। ?राव साहिब बड़े सियाने हैं। विरोधी दल के नेता होते हुए भी उन्हें सलाह नहीं दी कि भाई ऐसा मत करो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर सीवन की सजा मिल जाए मगर यहां की सजा न मिले तो न्याय अच्छा नहीं होगा।

**राव बीरेन्द्र सिंह :** सीवन की सजा दो, हम मान लेंगे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं तो यह समझता हूँ कि रहम की दरख्वास्त कबूल होनी चाहिए और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे नेता जरुरी ऐसी दरख्वास्त को कबूल करेंगे। वे जरुर इस बात को सोचेंगे कि राव साहिब जो इतने बड़े आदमी हैं जब वे एक दरख्वास्त लेकर आए तो उसे जरुर कबूल करना चाहिए। लेकिन, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि फिर यह न कहना कि हम गिनती में ज्यादा हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंह :** ज्यादा तो हैं ही।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अगर आप इन चार को अपने साथ प्लस भी कर लें, तब भी बहुत कम हैं। ये तो सारी कहने की ही बातें हैं। सच्चाई जो है सो है ही। लेकिन, फिर भी अगर आप हमें मौत की तरफ ले जाना चाहते हो तो वह बात दूसरी है ........... (हंसी) .......... (चौधरी चांद राम और श्री चन्दा सिंह आदि कुछ सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

**उपाध्यक्षा :** देखिए, इस वक्त 12 बजने में करीब 13 मिनट हैं। साढ़े बारह बजे मैंने गिलोटिन एप्लाई करना है। उसके बाद कोई मैम्बर नहीं बोलेगा। 15 मिनट फाईनेन्स मिनिस्टर साहिबा भी बोलना चाहती हैं। इसलिए, जो भी बोलना चाहे, उन्हें सवा बारह बजे से पहले अपनी स्पीच खत्म करनी पड़ेगी।

**राव बीरेन्द्र सिंह :** चौधरी रणबीर सिंह सबकी तरफ से बोल गए। अब आप इधर टाईम दे दीजिए।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 11 फरवरी, 1969 ई.*

----------------------------

### हरियाणा भूमि राजस्व ( अतिरिक्त अधिभार ) विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो हम अभी पास करने जा रहे हैं और इससे जो माल के ऊपर हमने पहले टैक्स लगाया हुआ था, इसमें उसे जारी रखने की सिफारिश की है। यह उस बात के लिये तो अच्छा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो अभी बन रहा है वह और तेजी से तरक्की कर सके। लेकिन, इसमें कुछ नयी व्यवस्था कुछ दूसरी भी रखी गई है और वह व्यवस्था मैं हिन्दू धर्म के मानने के नाते तो कह सकता हूँ कि दुरुस्त होगी। लेकिन, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि निधर्मी सरकार होकर एक धर्म के माने हुए तालाब पर पैसा क्यों खर्च करें? तालाब पर लाखों रुपया खुदाई के लिये खर्च होगा। उसके लिये सरकार कोई चन्दा करे तो वह ठीक है। लेकिन, सरकारी पैसा धार्मिक तालाब पर खर्च करना समझ में नहीं आता। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो आमदनी आए वह विश्वविद्यालय की तरक्की के लिये लगाएं और अगर उसके लिये पैसे की जरुरत न रहे और अगर पैसा बच जाए तो दूसरी कृषि विश्वविद्यालय हिसार के लिए खर्च हो सकता है। लेकिन जब इसी विश्वविद्यालय के लिये पैसा चाहिये तो उसमें से पैसा काट कर तालाब की खुदाई के लिये खर्च करना अच्छी बात नहीं है।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, Morning Sitting, 11th Feb. 1969, Vol. I, No. 8, Page (10) 1*

जहां तक विश्वविद्यालय का ताल्लुक है यह ठीक है कि मैट्रिकुलेशन के लिये एक नया बोर्ड बनाने जा रहे हैं और उसके लिये बिल भी जल्दी आन वाला है जो पास होगा। लेकिन, जो हमारे हरियाणा के कालेज हैं वह अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी से अफिलिएटिड हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होना चाहिये। क्योंकि, यह पंजाब की अकेले की यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह अफिलीएशन यूनिवर्सिटी भी नहीं रहनी चाहिये। कालेज़ जो हैं वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ अफिलीएट होने चाहियें और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऊंची शिक्षा देने के लिये स्थानीय शिक्षा को ही रखनी चाहिये। तो इस समय जब यह बिल पास होने जा रहा है मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस बात की तरफ ध्यान दे और जो हरियाणा के कालेज़ है वह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ जोड़े जाएं और जब तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को पैसे की आवश्यकता है, उसके इस पैसे में से एक कौड़ी भी बचा कर दूसरे कामों पर खर्च न किया जाए।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 11 फरवरी, 1969 ई.*

----------------------------

### हरियाणा राजभाषा विधेयक

THE HARYANA OFFICIAL LANGUAGE BILL, 1969

**Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) :** Sir, I beg to introduce the Haryana Official Language Bill.

**चौधरी रणबीर सिंह :** यह बिल तो हिन्दी में पेश होना चाहिए था।

**वित्त मंत्री ( श्रीमती ओम प्रभा जैन ) :** मैं प्रस्ताव करती हूँ –

कि हरियाणा सरकारी भाषा विधेयक पास किया जाए।

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इस विधेयक के पास करने के हक में हूँ। लेकिन, एक बात जरुरी है कि हरियाणा में कुछ लोग तबदीली बड़ी तेज़ी से चाहते हैं और अगर यह विधेयक पास न करें तो जो मंत्रिमंडल में आएंगे वे चलते जाएंगे। इसलिए वह तो भागदौड़, अदल-बदल की आवश्यकता ज्यादा नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रखकर इस कानून को पास करने में ज्यादा संशोधन न रखें तो अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे खुशी है कि आखिर में बहिन जी ने, जिस भाषा

----------------

**Haryana Vidhan Sabha,* The Haryana Official Language Bill, *11th Feb. 1969, Vol. I, No. 10, Page (10) 22-26*

को वे लाना चाहती हैं, उसमें बोलना शुरु किया। लेकिन, पहले एक विदेशी भाषा में बोलती रहीं और उससे मुझे शक हुआ कि सरकार के इरादे जरा ढीले हैं और कुछ दबावों के बिना पर यह विधेयक ला रही है। अध्यक्ष महोदय भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। हमारे प्रदेश की प्रादेशिक भाषा भी हिन्दी है।

काफी पहले से सारा काम हिन्दी में हो जाना चाहिए था परन्तु अभी तक नहीं हुआ। हां, अब होने जा रहा है। यह खुशी की बात है। लेकिन, उसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय अब तो मुझे मालूम नहीं कि हमारी सरकार के पास हिन्दी के स्टेनोग्राफर हैं या नहीं ? परन्तु, पहले का मुझे पता है हिन्दी के स्टेनोग्राफर नहीं मिलते थे। उस वक्त मुख्यमंत्री जी के पास एक ही स्टेनोग्राफर होता था। यदि किसी मंत्री को आवश्यकता होती थी तो उसको ही बुलाना पड़ता था। इसलिए उस समय यह हमारे सामने दिक्कत थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस ढंग से हम हिन्दी भाषा को एक सरकारी भाषा बनाने जा रहे हैं वह इस प्रकार से नहीं बन सकती। सरकारी भाषा बनाने के लिए हमें काफी प्रबन्ध करना पड़ेगा और काफी सूझ-बूझ से काम करना होगा। कई दफा जब मैं सदन में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग करता हूँ तो खान साहब एतराज करते हैं। मैं इन कठिन शब्दों का इसलिये प्रयोग नहीं करता हूँ कि यहां समझ में न आयें बल्कि, इसलिए प्रयोग करता हूँ कि दूसरे लोग जो हिन्दी नहीं जानते हैं, वे भी सीख सकें। खान अब्दुल गफ्फार खां साहिब अब तो बूढ़े हो गये हैं, पढ़ तो सकते नहीं सुनने से ही सीख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस वक्त हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का प्रस्ताव कांस्टीच्यूशन असेम्बली के अन्दर पेश हुआ, उस समय यह प्रश्न आया कि हिन्दी भाषा कैसी हो ? उस समय इसके बारे में यह व्याख्या की गयी कि हिन्दी हिन्दुस्तानी हो, ऐसा कई दोस्तों का ख्याल था। लेकिन, इसके बारे में कांस्टीच्यूशन असेम्बली ने एक फैसला दिया था कि हिन्दी हिन्दुस्तानी नहीं, हिन्दी ऐसी भाषा हो जिसमें जो नया शब्द लेने की जरुरत हो तो वह प्राकृत भाषा से लें। उसका एक कारण है कि जो शब्द संस्कृतार्थ हिन्दी में है वे बंगला में भी समझे जा सकते हैं, गुजराती में भी समझे जा सकते हैं और महाराष्ट्री में भी समझे जा सकते हैं। लेकिन, यह जो हिन्दुस्तानी वाली हिन्दी है वह सिर्फ शहरों तक ही समझी जा सकती है। हिन्दुस्तानी भाषा अवाम की भी नहीं हो सकती। इसलिए काफी बहस

और सोच विचार करने के बाद यह माना गया था कि हिन्दी के अन्दर जो नये शब्द लिए जायें वे संस्कृत से या प्राकृत लिए जायें, क्योंकि हमारी सारी भाषायें सिर्फ तमिल को छोड़कर सब प्राकृत से या संस्कृत से है। इसलिये उन सब शब्दों का अपभ्रंश सारे प्रदेश की भाषाओं में है और जो आज सारे देश की भाषा बनने जा रही हो, वह भाषा ही होनी चाहिए जिसका अपभ्रंश सभी भाषाओं में मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानमण्डल की भाषा भी हिन्दी बननी चाहिए और जल्दी से जल्दी बननी चाहिए। जिस वक्त आपने एक रुल कमेटी बनायी और उस रुल कमेटी की एक उप-समिति बनायी थी उसमें हमने इस बात पर विचार किया था कि जब हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी होने जा रही है तो उस नियम-उपनियम अंग्रेजी भाषा में बनायें या हिन्दी भाषा में बनायें। उससे आपस में एक दूसरे का तबादला-ख्यालात भी हुआ लेकिन बाद में कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि फिलहाल चूंकि हमारे विधान मण्डल की भाषा अंग्रेजी है इसलिये अंग्रेजी को ही बना दें लेकिन जल्दी ही उनको हिन्दी में बनाना होगा। अगर हमारे विधानमण्डल की भाषा कुछ और हो और प्रदेश की राजभाषा कुछ हो तो इस प्रकार से बखेड़ा पैदा हो जायेगा, आपस में खींचाव हो जायेगा। इसलिए यह खत्म होना चाहिए और जल्दी हमारे प्रदेश की भाषा ही सदन की सरकारी भाषा बननी चाहिए। यह जरुरी है कि जहां सरकारी कामकाज में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रसार किया, वहां विधान सभा की भाषा भी हिन्दी हो। जितने भी कायदे-कानून हैं वे सभी हिन्दी में हों और उनका तर्जमा अंग्रेजी में हो। लेकिन, होता यह है कि मसला अंग्रेजी में बनकर आता है और हिन्दी में तर्जमा होता है इसलिए इसके उल्ट होना चाहिए। सरकार को इस विषय में गम्भीरता से सोचना होगा। इसी प्रकार से आज हमारी वित्तमंत्री महोदया इस विधेयक को पास करवा रही हैं तो वे अंग्रेजी में बोल रही हैं और भाषा हिन्दी बनाने जा रही हैं। यह मैंने हंसी में कहा था लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का जवाब अंग्रेजी में पूछे जाते हैं हिन्दी में होना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए। कई दफा तो यह होता है कि सवाल हिन्दी में पूछा जाता है परन्तु लिखित जवाब अंग्रेजी में दिया जाता है। यह तो और भी हद की बात है कि मैम्बर जिस भाषा में चाहते हों, उस भाषा में न दिया जाये। अगर कोई भाई अंग्रेजी में सवाल करे तो उसका लिखित रुप में जवाब हिन्दी में दिया जाना चाहिए और वह हिन्दी ऐसी होनी चाहिए जिसको खान अब्दुल गफ्फार खां भी समझ सकें, ऐसा न हो जिसकी बनारसी दास गुप्ता और रणबीर सिंह ही समझ सकें।

जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है, मैं इसलिए हिन्दी बोलता हूँ कि कुछ सदस्यों को भी हिन्दी सिखाऊं, कुछ जबर्दस्ती भी सिखानी पड़ती है। जब कर्णों में हिन्दी भाषा के शब्द पहूँचेंगे तो जल्दी ही समझने लगेंगे और कठिन हिन्दी के शब्दों का भी मैं इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ। आगे से मैं तीनों तरह के शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करुंगा। कुछ अंग्रेजी के, कुछ हिन्दी और कुछ हिन्दुस्तानी के। मेरा मतलब तो आपको हिन्दी सिखाने का है चाहे आप सुनकर सीख जायें या किसी भी प्रकार से।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 12 अगस्त, 1969 ई.*

-----------------------------

### पंजाब विधान सभा ( सदस्य भत्ता ) हरियाणा संशोधन विधेयक

All right those who are in favour of the motion to please rise in their seats.

*(At this stage members from the Treasury Benches rose in their seats).*

**राव विरेन्द्र सिंह :** स्पीकर साहब, क्या इस तरह से एक बैठे हुए मैम्बर को उठाना वाजिब है? (चौधरी रणबीर सिंह और खान अब्दुल गफ्फार खां की तरफ इशारा)

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, मैं नहीं समझता कि मेरे द्वारा खान साहब को सहारा देने में इनको क्यों तकलीफ हो रही है?

**राव विरेन्द्र सिंह :** स्पीकर साहब, खान साहब हाऊस में बैठे हैं। यदि वे कह दें कि उनको इन्होंने हाथ पकड़ कर नहीं उठाया है तो मुझे लत कहना। (विरोधी दल की तरफ से तालियां)।

**चौधरी रणबीर सिंह :** सहारा तो दिया था, बुजुर्ग आदमी हैं। इनसे तो यह

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, Morning Sitting, 12th Aug. 1969, Vol. I, No. 12, Page (12) 162*

तवक्को हो सकती है कि बुजुर्गों को सहारा न दें। जब ये मुख्यमंत्री होते थे तो इन्होंने बुजुर्गों की पैन्शनें बन्द कर दी थीं। परन्तु, स्पीकर साहब, मेरे से यह तवक्को नहीं हो सकती।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 12 अगस्त, 1969 ई.*

---------------------------

### पंजाब विधान सभा ( सदस्य भत्ता ) हरियाणा संशोधन विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने जो एतराज उठाया था वह दरुस्त था और इसीलिए आपने उसे दरुस्त करार दिया। लेकिन हमारे रुल्ज ऑफ प्रोसीजर में जो प्रोविजन रखा हुआ है, जिसे आपने पढ़कर सुनाया उसके पीछे यह भावना है कि जिस वक्त क्लाज बाई क्लाज डिसक्शन होती है किसी बिल पर तो उस वक्त जो मैम्बर इन्चार्ज हो या अगर वह बिल सरकार की तरफ से आया है तो जो मिनिस्टर इंचार्ज हों, वह अगर अमैंडमैंट लाने की जरुरत समझे तो सदन के सामने तरमीम ला सकता है। इसलिए, जो रुल बनाए गए हैं उनके पीछे भावना यही है। इसलिए मैं विरोधी दल के नेता से कहूँगा कि उनकी जो बात है वह दरुस्त तो है। उन्होंने तो मुख्यमंत्री के तौर पर भी एक रुपया माहवार तनखाह लेकर सेवा की थी और आज भी उनकी भावना वैसी ही हो सकती है। लेकिन, उनके साथ जो दूसरे मेम्बर हैं उनका कुछ और ख्याल हो सकता है। इसलिए, मैं उनसे निवेदन करुंगा कि अच्छा होगा अगर वह एतराज न करें तो उनकी नीयत साफ साबित हो सकती है। इसलिए यह इस बिल के अन्दर एक अच्छी क्लाम्ज होगी कि अगर कोई सदन का मैम्बर बढ़े हुए रेट्स के मुताबिक पैसे नहीं लेना चाहता तो वह न ले।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, Morning Sitting, 12th Aug. 1969, Vol. I, No. 12, Page (12) 168-172*

यह है कि इस समय सदन के सामने तीन संशोधन हैं। एक संशोधन श्री दया कृष्ण जी का है दूसरा चौधरी सरुप सिंह जी की तरफ से है और तीसरा संशोधन मुख्यमंत्री जी की ओर से ...........

**मुख्यमंत्री :** मैंने मूव नहीं किया है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने रख दिया है।

**Chief Minister :** No.

**चौधरी रणबीर सिंह :** आप अपने वक्त पर बात कह लेना, मुझे कैसे आप बात करने से रोकते हैं। (शोर) तो अध्यक्ष महोदय, अब आपने इस चीज़ पर व्यवस्था देनी है कि कौन सा संशोधन इस समय सदन के सामने है?

एक ही आशय के दो या तीन संशोधन आये हैं तो पहले कौन से संशोधन पर बहस हो रही है और किस संशोधन पर राय ली जाय? इस बात का फै सला पहले होना चाहिए।

**राव वीरेन्द्र सिंह :** स्पीकर साहब, इस अमैन्डमेंट में है क्या कुछ? हमने तो इसे गौर से सुना भी नहीं था। (शोर)

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, मैंने ठीक समय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। परन्तु, चूंकि उसका जवाब नहीं दिया गया था। इसलिए, विरोधी दल के नेता का यह सवाल पूछना जायज है। स्पीकर साहब, जिस तरह यहां हुआ उसने तो 4(सी) के बारे में तीन अमैंडमेंट्स मूव हुई, एक बाबू दया कृष्ण जी ने मूव की, एक चौधरी सरुप सिंह जी ने मूव की और एक मुख्य मंत्री जी ने की। वैसे तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने मूव नहीं किया। परन्तु, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी किया है। हरेक सदस्य का अपना अपना विचार है। इसलिए स्पीकर साहब, कौन सा अमैंडमैंट हम पास कर रहे हैं इसकी जानकारी सदन को मिलनी चाहिए।

**Mr. Speaker :** I am afraid, you did not follow the proceedings correctly. Whatever Shri Daya Krishan has said, was held good.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, जब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस समय सदन के सामने तीन अमैंडमेंट्स हो गई थी एक तो जो मिनिस्टर इन्चार्ज है उनकी ...........

**मुख्यमंत्री :** स्पीकर साहब, मैंने कभी मुव नहीं की।

**चौधरी रणबीर सिंह :** दूसरी चौधरी सरुप सिंह जी वाली और तीसरी दया कृष्ण जी वाली। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यदि आज की कार्यवाही देखी जाए तो शायद मेरे वाली बात ज्यादा सही मिलेगी।

**श्री अध्यक्ष :** कौन सी बात?

**चौधरी रणबीर सिंह :** यही कि पहले एक अमैंडमैंट दया कृष्ण जी ने पेश की। फिर उसके बाद सरुप सिंह जी ने की, उसके बाद झगड़ा हुआ। ये दोनों मूव होने के बाद विरोधी दल के नेता ने सवाल उठाया कि जो माननीय मैम्बरों ने संशोधन पेश किए है वे मव नहीं हो सकती क्योंकि मिनिस्टर इन्चार्ज ही संशोधन ला सकते हैं।

**Mr. Speaker :** Please make sure as to who was the third one?

**चौधरी रणबीर सिंह :** उसके फौरन बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं मूव करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन की कार्यवाही लिखी जाती है, परन्तु फिर भी उसे नहीं देखा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यवाही देखी जाए। अगर मैं लत निकलूं तब तो आप मुझे लत कहना और अगर मैं लत न हूँ तो मुख्यमंत्री जी को मानना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कहा है। (विरोधी दल की तरफ से तालियां) अध्यक्ष महोदय, सदन की प्रथा सबके लिए एक सी होती है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्रीगण हैं, माननीय सदस्य हैं या चाहे विरोधी दल के नेता हैं। हो सकता है मैं लत हूँ।

**Mr. Speaker :** I have heard your point which you have made. The thing is that Shri Daya Krishan had read an amendment and the same was read out by Chaudhri Sarup Singh, of course with a little difference, but substantially the same.

**Chaudhry Ranbir Singh :** It was quite different, Sir.

**Mr. Speaker :** As far as I know, the Leader of the House never moved any amendment.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल सिर्फ एक है। इस सदन की कार्यवाही लिखित है। इस लिखित कार्यवाही में क्या चीज दर्ज है वह तो लिखित कार्यवाही ही बता सकती है। हो सकता है मेरी याददाश्त लत हो और यह भी

हो सकता है कि दूसरे लोगों की याददाश्त लत हो क्योंकि आदमी लती करता है। लेकिन अगर अध्यक्ष महोदय, मेरी बात लिखित कार्यवाही के मुताबिक हो तो मैं समझता हूँ कि फिर तो आपको उसके मुताबिक व्यवस्था देनी चाहिए।

**Mr. Speaker :** I have already given my rulling. However, if you want to know the amendment, I am prepared to read it out.

**मुख्यमंत्री :** स्पीकर साहब, यह बहस कब तक होती रहेगी ?

**चौधरी चांद राम :** स्पीकर साहब, जब एक ऑनरेबल मैम्बर ने एक सवाल उठाया है उसका जवाब मिलना ही चाहिए। सदन में ऑनरेबल मैम्बर या मिनिस्टर साहिबान क्या कहते हैं सब कुछ लिखा जाता है। अब यह बात कि चौधरी साहब ठीक हैं या मुख्यमंत्री जी ठीक हैं रिकार्ड से ही तसल्ली हो सकती है। लोक सभा में भी, स्पीकर साहब, कई बार ऐसे मौके आए हैं और वह उसी वक्त देखकर बता देते हैं कि कौन लत है और कौन सही है ?

# हरियाणा विधानसभा

## शुक्रवार, 13 फरवरी, 1970 ई.*

----------------------------

### व्यवस्था का प्रश्न

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा गम्भीर उठाया गया मालूम देता है। लेकिन, जहां तक हमारे नियमों का ताल्लुक है उसमें यह प्रश्न गम्भीर नहीं है। बड़ा साधारण है। आपको अधिकार है कि हमारे रुल 15 के मुताबिक आप सदन को किसी वक्त भी बुला सकते हैं। जब कभी विधान के बारे में कोई प्रश्न लोकसभा में उठाया जाता है तो उसकी इंटरप्रटेशन का काम अदालत के ऊपर छोड़ते हैं। इसलिए, मैं माननीय मैम्बर से कहूँगा कि यह अदालत का सहारा लें उन्होंने पहले भी अदालत का सहारा लिया था और जो मैम्बर करनाल से आए हैं वह अदालत का सहारा ले चुके हैं-

**चौधरी जय सिंह राठी :** मैं एक बात पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन पर पूछना चाहता हूँ कि करनाल से कौन-सा मैम्बर है जिसके बारे में यह संकेत कर रहे हैं?

**Mr. Speaker :** But, this is no point of order.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कहना चाहता हूँ कि हम या तो लोकसभा से प्रथा लेते हैं, या फिर हाऊस ऑफ कामन्स ले लेते हैं। वहां परिस्थिति यह है कि किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी कांस्टीचुएंसी

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 13 Feb. 1970, Vol. I, No. 1, Page (1) 12-13*

का नाम लिया जाता है। यह राठी साहब बड़े समझदार मैम्बर हैं और उनकी तो हाऊस ऑफ कामन्स की वर्किंग की भी ज्यादा जानकारी होगी लेकिन अगर वह मुझे रोकना चाहते हैं बीच में तो कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि, जो आदमी खुद मरना चाहता है उसको कौन रोक सकता है? अगर यह सदन खत्म करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं। मैं चौधरी चांदराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर उनकी समझ से हमारी आयु बच गई है तो हम उनके कृतज्ञ हैं। वह भी नहीं चाहते कि सदन की आयु खत्म हो। हम सब इस सदन की आयु को लम्बा करना चाहते हैं –

**Chaudhri Jai Singh Rathi :** On a point of personal explanation, Sir.

**Mr. Speaker :** The hon. Member can later on ask for 'personal explanation'. But kindly don't intervene

**चौधरी रणबीर सिंह :** जो प्रश्न सदन के सामने है, इसमें दो ही प्रश्न है कि स्पीकर साहब को दूसरी सिटिंग काल करने का अधिकार है या नहीं और यह वैधानिक है या नहीं? मैं कहता हूँ कि अधिकार है और रुल के मुताबिक है। जो चौधरी चांद राम जी ने कहा उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी विषय के बारे में हमारे नियम में कोई प्रथा नहीं मिलती तो लोक सभा और राज्य सभा का सहारा लिया जाता है। चौधरी मुख्तियार सिंह जी को भी राज्य सभा की वर्किंग का तजुर्बा है। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को एड्रैस करते हैं तो उसी दिन एक या डेढ़ घंटे के बाद लोक सभा और राज्य सभा की अलग-अलग बैठकें होती हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंह :** वहां के रुल्ज में वह प्रोवीजन है। वहां के अलग नियम हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** यही तो मैं कहता हूँ कि जब हमारे यहां नियम चुप हों तो हम लोक सभा से प्रथा लेते हैं। ........

**श्री अध्यक्ष :** आप ब्रीफ कहिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अगर वह यह कहते हैं कि हमारी आयु बचाने के लिए ऐसा किया गया तो यह बात दुरुस्त है। लेकिन, यह प्रथा सही है और सही प्रथा लोक सभा की प्रथा के मुताबिक है इसलिए मेरा आप से यह निवेदन है कि वह बिल्कुल साधारण सी बात है और इसमें कोई गम्भीर बात नहीं है।

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 16 फरवरी, 1970 ई.*

---------------------------

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित शब्दों में एक एड्रैस पेश किया जाए –

''कि इस सैशन में इक्ट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 13 फरवरी, 1970 को सदन में देने की कृपा की है।''

उपाध्यक्ष महोदया, राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर लोगों ने, जो उनके दिल की एक भावना थी और जिसकी वे अपना हक मानते थे, चंडीगढ़ को हासिल करने के लिए बहुत भारी कोशिश की। इस मांग को दोहराने के लिए लाखों लोग दिल्ली भी गए, लेकिन जब हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार ने चंडीगढ़ के सिलसिले में एक फैसला दिया तो उस फैसले को सुनकर कुदरती तौर पर उनके दिल को चोट सी लगी और उसके नतीजे के तौर पर बहुत सारे नन्हें बच्चे, छोटे और बड़े भाई तथा बहनें उस फैसले के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए मैदान में आए। उपाध्यक्ष महोदया, आमतौर पर ऐसे मौकों के ऊपर प्रजातन्त्र के अन्दर लोगों को चलाने की जिम्मेवारी

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 166-178*

प्रजातंत्र के नेताओं पर होती है, चाहे वे विरोधी दल के नेता हों या चाहे सरकारी दल के नेता हों। उन्हें चाहिए कि उस गुस्से को और गिले को लोगों के दिल से निकालने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ कि इसमें नेताओं की भी कुछ कमी रही। साथ ही साथ, उपाध्यक्षा महोदया, कुछ ऐसे भाई भी होते हैं, सारे ही देशों में, हमारे देश में भी और प्रदेश में भी हैं, जो इस गुस्से के माहौल को लत रास्ते पर चलाते हैं और नन्हें-मुन्नें बच्चों के लिए लत रास्ते पर पड़ना कोई बहुत ज्यादा लत नहीं समझा जा सकता। ठीक तो नहीं है, लेकिन बच्चे लती कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, वे हमारे प्रदेश के बच्चे थे, हमारे प्रदेश की मांग का समर्थन करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। परन्तु, हमारे प्रदेश की मांग के न माने जाने की वजह से गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कार्यवाही की। जिन भाईयों ने ऐसी कार्यवाही करने के लिए उनको उत्तेजित किया उनके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि हरियाणा तरक्की कर सके। सरकार को तो, उपाध्यक्ष महोदया, मैं बधाई देता हूँ क्योंकि उसने लत रास्ते पर चले हुए काफी तादाद के बच्चों को रिहाई का हुक्म दे दिया है। मगर, जो अभी बाकी हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को उदार दिल से काम लेना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक थे। लेकिन, इस देश की आज़ादी हासिल करने के लिए जिन भाईयों ने हिंसा को अपनाया था, उनके जीवन को बचाने के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई थी। इसलिए, मैं अपनी सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ कि यह अब तो उन बच्चों को लत काम करने के लिए माफ करे और आयन्दा को उनकी ठीक शिक्षा देने का इन्तजाम करें। चाहे बच्चों में हिंसा के काम किए हों, या तोड़फोड़ के काम किए हों या चाहे वैसे ही कानून की उल्लंघना करते हुए वे नाराजगी जाहिर करने के लिए इक्ट्ठे हुए हों, मैं चाहता हूँ कि उन सबके खिलाफ जो कानूनी मुकद्दमें चलाए गए हैं, उनको वापिस लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया, पिछली दफा जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा राज्य का जन्म हुआ तो उस वक्त भी दो तीन जगह गोली चली थी। एक तो भिवानी में चली और वहां पर एक ऐसे बच्चे को गोली लगी थी, जिसका वहां हुई वारदातों से कोई सम्बंध नहीं था या वहां हुई घटनाओं में कोई हाथ नहीं था। इस तरह से रोहतक में भी गोली चली थी और उसमें भी एक गरीब दुकानदार, जो चाय बनाकर अपने ग्राहकों को दे रहा था, मारा गया था। गोली न तो जलूस निकालने वालों को लगी और न किसी और भाई को जो लत रास्ते पर लोगों को चला रहे थे, जो हरियाणा बनने के

खिलाफ थे, जो हरियाणा का जन्म नहीं चाहते थे, उनमें से किसी को कोई आंच नहीं आई। इसलिए उस वक्त की सरकार ने ऐसे भाईयों को जिनकी क्षति हुई, नुकसाान हुआ या गोली से कोई मारा गया, माली सहायता दी थी और यह मान कर दी थी कि चाहे वे लती कर पाए या न कर पाए। लेकिन, अपनी समझ के मुताबिक उन्होंने हरियाणा प्रदेश की भलाई के लिए काम किया। मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह भी इस ओर कदम बढ़ाएं। साथ ही साथ यह भी कहूँगा कि वह लत रास्ते पर चलाने वाले लोगों में ऐसी शक्ति न रहने दें, जिससे लोग उनकी बात मान सकें या लोग उनके कहने पर चलें। अगर लोग उनके कहने पर चलते हैं तो इसके मायने यह होंगे कि हम लोगों को सही रास्ते पर न चला सकें। भगवान शक्ति दे कि हमारे प्रदेश के लोग कभी किसी के बहकावे में न आएं। प्रदेश की जायदाद की तोड़ फोड़ करने या फूकने की तरफ न चलें।

उपाध्यक्ष महोदया मैं जानना चाहता हूँ कि इस सदन के बहुत सारे ऐसे मैम्बर हैं जिनमें चौधरी मख्तियार सिंह जी भी हैं, जिनके मकानों पर बच्चों ने और दूसरे लोगों ने ढेले फैंके हैं। मैंने तो देखे नहीं, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि मकान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। चौधरी रिज़क राम जी के मकान को भी आग लगाई गयी। चौधरी रणधीर सिंह, एम.पी. के मकान को जला कर राख ही कर दिया गया। इसी प्रकार से जिन भी सदन के मैम्बरों के मकानों को घेरने की कोशिश की गई है उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं अपने सभी साथियों में, चौधरी मुख्तियार सिंह और इस तरफ के बैठने वाले दूसरे सार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस हरियाणा प्रदेश को रास्ता दिखाने वाले हैं। रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति को हमेशा गम्भीर होना चाहिए और उनमें सहनशीलता का मादा भी होना चाहिए। अगर किसी भाई ने लती की है तो उस लती को अब हमें भूल जाना चाहिए और अगर उस भाई को गिरफ्तार किया गया है तो अब रिहा करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ही इस सदन की सदारत कर रही हैं। मैंने आज तक कभी भी इस सदन में रोमांच की बात नहीं कही है। मैंने हमेशा गम्भीरता से बात कही है। लेकिन, आज मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बहुत सारे भाई इधर के और उधर के मेरे विषय में कहते हैं कि मैं राजनीति से एक तरफ हो गया हूं। मैं राजनीति में हूँ या नहीं हूँ यह उनके अपने सोचने का ढंग है। लेकिन, राजनैतिक होने के नाते मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो इस प्रदेश की

बात है। जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है और इस प्रस्ताव का समर्थन करने का सवाल है उसके बारे में तो हमारे प्रधान जी कहेंगे। क्योंकि, इस प्रस्ताव के समर्थक हमारे प्रधान हैं। जब उन्होंने ही समर्थन करना है तो मैं मानता हूँ कि पार्टी के नुक्ते-निगाह बताना तो प्रधान के मुंह से ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे प्रदेश के नुक्ते निगाह से कुछ बातें कहनी हैं और वे बातें भी रोमांस के तरीके से कहनी हैं। मैंने देखा है कि आज प्रदेश के अन्दर जो बात होती है वह बड़े बूढ़ों की सलाह से नहीं होती है। आज जो करने वाले हैं वे शक्तिशाली बच्चे हैं और बच्चे भी वे हैं जो बगैर रोमांस के कोई बात नहीं करना चाहते हैं। वे तो सिनेमा की फिल्म देखना चाहते हैं, वे अच्छी शिक्षा लेना नहीं चाहते। आज मैं उनकी भाषा में अपने प्रदेश की व्याख्या करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, यह मैं मानता हूँ कि राजधानी सरकार की मां होती है लेकिन प्रदेश की धर्मपत्नी होती है। सारे पंजाब को बांटने से पूर्व इस प्रदेश की दो राजधानियां थी। एक राजधानी शिमला थी जो कभी हिन्दुस्तान की, सारे देश की राजधानी भी होती थी और दूसरी चन्डीगढ़ थी। शिमला हिमाचल प्रदेश को मिल गया। हिमाचल प्रदेश सरकार को उनकी अपनी मां मिल गयी और उस प्रदेश के लोगों को अपनी धर्मपत्नी मिल गयी। दो प्रदेश अब बिना राजधानी के रह गये, एक हरियाणा और दूसरा पंजाब।

**उपाध्यक्ष :** चौधरी साहब यदि आप मां का शब्द प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया यह बात ही ऐसी है जो माँ के लिए नहीं कही जा सकती।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब ऐसा मान लो कि हिमाचल, पंजाब और हरियाणा इस चन्डीगढ़ के बेटे हैं। जब अलग अलग होते हैं तो हरेक बेटा यही चाहता है कि माँ मेरी तरफ आ जाये अर्थात् सभी लड़ते हैं कि मां तो मुझे मिलनी चाहिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया यहां तो बच्चे अपनी मां को प्रात : उठकर नमस्कार नहीं कहते। वे तो फिल्म एक्ट्रैस देखना चाहते हैं। यहां बच्चे उस माँ को माँ नहीं चाहते, जिसकी तरफ आपका इशारा है। मैं आपकी बात भी मान लेता। परन्तु, मुझको तो वह भाषा बोलनी है, जिसमें चण्डीगढ़ को एक धर्मपत्नी के रुप में मानूं और वह भी आज के जमाने की। जिस प्रकार से आज के जमाने की बहिनें पाऊडर वगैरह लगा कर चिकनी चुपड़ी होती हैं उसी प्रकार से चण्डीगढ़ है।

यह कुदरती बात थी कि हरियाणा के लोगों का और पंजाब के लोगों का दोनों का ख्याल उधर ही लगा हुआ था। दोनों राज्यों में खूब घुड़दौड़ हुई। जिस प्रकार से राजा राम के समय में सीता के लिए स्वयंवर रचाया गया था। यह स्वयंवर राजा जनक ने उस समय रचाया था। स्वयंवर में यह नहीं था कि सीता अपना वर खुद चुने बल्कि उसमें तो यह था कि जो गांडीव धनुष उठायेगा उसको स्वयंवर में जीता हुआ माना जायेगा। उसमें यह बिल्कुल नहीं था कि सीता किसको चाहती है? इसी प्रकार चन्डीगढ़ का मामला था कि चण्डीगढ़ की जनता किसको चाहती है। चण्डीगढ़ के लिए गांडीव धनुष कौन सा बन गया? अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि उस गांडीव धनुष को कौन उठायेगा? जो उसको उठाएगा, वही चण्डीगढ़ ले लेगा। यह जो स्वयंवर रचाया गया था यह केन्द्रीय सरकार की ओर से रचाया गया था। केन्द्रीय सरकार उनकी माँ के रुप में थी। किसी को अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी भाषा बोलनी है। यह गांडीव धनुष क्या था वह लोक सभा और राज्य सभा और हिन्दुस्तान के नेता थे। उनको ही हमें जीतना था। जो इन सबको जीतेगा वहीं जीता हुआ माना जायेगा। जो नहीं जीतेगा वह हारा हुआ माना जायेगा। दूसरी ओर यह भी था कि जो चण्डीगढ़ के लोगों की भावनाओं को जीतेगा वह भी जीता हुआ माना जायेगा। लेकिन चण्डीगढ़ के लोगों की भावना तो एक तरह की अजीब ही थी। वे तो इस प्रकार से चाह रहे थे कि जिस प्रकार से पांडवों की द्रोपदी थी। क्योंकि द्रोपदी के कई वर रहे। वह सभी भाईयों की पत्नी थी। इसलिए, चण्डीगढ़ के लोगों का तो यही विचार था कि इसका हिन्दुस्तान देश भी वर रहे, पंजाब प्रदेश भी वर रहे और हरियाणा प्रदेश भी इसका वर रहे। चण्डीगढ़ के निवासी कुछ चूंदिया (चकरा) से गये और उन्होंने अपनी मन की ख्वाहिश को सही तौर पर नहीं व्यक्त किया। उस गांडीव धनुष को उठाने में हमारी ओर से कोई कमी नहीं की गयी। यदि कोई कमी थी तो चण्डीगढ़ के लोगों की ओर से थी। ऐसा भी मैं मानता हूँ कि चण्डीगढ़ के लोगों की भावना कुछ मजबूत भी थी कि वे हरियाणा में भी आॅना चाहते हैं। परन्तु, वे दोनों ही स्वाद लेना चाहते थे। जिस प्रकार हमारे यहां गुड़गांव जिले में मेव हैं वे कुछ त्यौहार हिन्दू धर्म के मान लेते और कुछ मुसलमान धर्म के जो उनको ठीक बैठता है वहीं कर लेते हैं। लेकिन, व्रत किसी का नहीं। इसलिए चण्डीगढ़ के लोगों के मन में जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई। जहां तक दूसरे गांडीव धनुष का सम्बन्ध है वह हिन्दुस्तान के नेताओं को मनाने का था। यह मैं मान सकता हूँ कि हमारी सरकार और पार्टी इस बात के अन्दर कुछ फे ल हुई कि हम अपने नेताओं को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं

मना सके। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी बात है कि डा. मंगलसैन और चौधरी मुख्तियार सिंह जी भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं मना सके। इसी प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को चाहे वे सी.पी.आई. (एम.) के थे या सी.पी.आई. के थे उनको भी नहीं मना सके। जहां तक डी.एम.के. पार्टी का सम्बन्ध है, वह तो आरम्भ से ही कांग्रेस की विरोधी रही है। हम इस पार्टी को भी नहीं मना सके। लेकिन हमारे विरोधी दल के नेता भी उनको नहीं मना सके। मैं यह भी मानता हूँ कि इस गांडीव धनुष को उठा सकने में हम सब फे ल हुए हैं। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया, यह जो बहस है जिस बहस के अन्दर मुझको यह ले जाना चाहते हैं, यह कोई खास मतलब की बात नहीं है। सही बात तो यह है कि इस प्रदेश की सभी पार्टियां फे ल हो गई हैं, चाहे वह कोई भी राजनीतिक पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी को लीजिए। हम कांग्रेस के हाई कमांड को नहीं मना सके, जनसंघ वाले अपने हाई कमांड को नहीं मना सके। डी.एम.के. तो प्रादेशिक पार्टी है और यहां है ही नहीं। हां, बी.के.डी. ने जरुर हमारी मदद की है। श्री बलवंत राय जी हमको चाहे जो कहें हम उनकी सुनने को तैयार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लाडो तो पराई हो गई उस पर रोते रहने से क्या फायदा होगा? उस लाडो को हम फिर अपने घर में लें वह तो हरियाणा की बेइज्जती है। हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन, वे रोबस्ट जरुर हैं और जरा खुरदरे हैं। आप लोगों ने जो अखबार पढ़े हैं, देखा होगा कि पंजाब सरकार की तरफ से आंकड़े छापे गए कि चण्डीगढ़ की आमदनी 6 करोड़ है। मैं अपनी सरकार को मारपीट से नहीं बचाना चाहता। लेकिन, सच्ची बात कहना चाहता हूँ कि तीसरी लड़की जो है वह बहुत मजबूत है और वह लड़की है दिल्ली। बिक्री कर की उसकी आमदनी 21 करोड़ है। चौधरी रिज़क राम तो मेरे साथ मन्त्री रहे हैं। यह रिपोर्ट है इसके अन्दर एक लिस्ट है। जिन भाईयों ने कमीशन को अपने कागज दिए, वे इस बात को जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, जरा मुख्यमंत्री जी इस तरफ देखें। मैं इनको भी जरा लगा दूं। मैं कहता हूँ कि ये बड़े पक्षपाती हैं और वह इसलिए कि इन्होंने जहां प्रदेश की आवाज उठाने का वक्त आया, मुझे पता लगा है कि विरोधी दल के एक सदस्य जो कभी लोकसभा के सदस्य थे और जिनका नाम सिद्धान्ती जी है उन्होंने एक कागज़ प्रधानमंत्री को देने के लिये छपवाया लेकिन वह चौधरी रणबीर सिंह ने उनसे छीनकर स्वयं प्रधानमंत्री को दिया। आचार्य भगवान देव जी जो कि इस ऑनदोलन के सर्वेसर्वा थे उन्होंने इस ऑनदोलन से पहले कभी नहीं कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा को मिलना चाहिये। वे ब्रह्मचारी हैं,

आचार्य हैं। लेकिन, उनको भी मोडर्न होना चाहिये। परन्तु एक बात सच्ची है कि मुख्यमंत्री पक्षपाती हैं। इस बात का बड़ा शोर है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि विरोधी दल के किसी मैम्बर को शोभा मिले। डा. मंगलसैन माला डालकर गिरफ्तार होने गए। श्री मुख्तियार सिंह भी माला डालकर रोहतक की कचहरी में गिरफ्तार होने गए। लेकिन, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारे प्रदेश के कुछ भाई चाहते थे कि पंजाब का बंटवारा न ही और हरियाणा न बने। पंजाब फिर इकट्ठा बन जाए। मैं पक्षपात की बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी में पक्षपात दिखाया कम से कम रिहाई में तो पक्षपात न दिखाएं। ऐसा मालूम होता है कि मुख्यमंत्री को चौधरी रिज़क राम से बड़ा प्यार है। वे चाहते हैं कि अगर वे यहां नेता न बन पाए तो आगे जरुर नेता बन पाएं। डा. मंगलसैन तथा चौधरी मुख्तियार सिंह भी नेता बन सकते हैं, अगर दिल्ली मिल जाए, हो सकता है वे मुख्यमंत्री भी बन जाएं। (विघ्न)

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, आप दिल्ली इसलिये ले रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाये।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैंने आज यह फैसला किया है कि अपनी ही बात कहूँगा। दूसरे की नहीं सुनूंगा। इसलिए मुझसे यह गुस्ताखी न कराइये कि मैं आपकी बात न सुनुं, वरना तो मैं बैठ जाया करता है। यदि कोई चेयर में बैठा हो और मुझे ऐसे कहे। मैं मानता हूँ कि जो कुछ बात में कह रहा हूँ। मैंने इसलिये कही कि आप कुर्सी पर आ बैठी। अगर ब्रिगेडियर साहब यहां बैठे होते तो मेरी भाषा को समझ सकते थे। मेरी भावनाओं को समझ सकते थे और ये राजकुमारी जो बैठी है, मेरी बहिन के बराबर। (विघ्न)

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब मेरे से ज्यादा आपकी भाषा को कोई नहीं समझ सकता।

**श्री मंगल सैन :** मैडम, मैं आपकी रुलिंग चाहता हूँ कि इस हाऊस के अन्दर जैसे इन्होंने कहा कि अगर वह होते मेरी भाषा समझते और मेरी भावनाएं समझते तो क्या यह सब पार्लियामैन्ट्री है?

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं डाक्टर साहब तथा मैडम दोनों से क्षमा मांगता हूँ।

**उपाध्यक्षा :** यह सब जो उन्होंने कहा है यह सब सादे भाव से कहा है (विघ्न)

**श्री मंगल सैन :** आपको वह जो मर्जी कह जाये तो कोई कष्ट नहीं और यदि हम थोड़ी सी बात कह दें तो आप नाराज हो जाती हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, आपको इनके मायने समझने के लिये कोई एक डिक्शनरी निकालनी होगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं चंडीगढ़ के बारे में इतनी सी बात कहना चाहता हूँ अपने अज़ीज बच्चों से, जो सिनेमा की फिल्में देखते हैं, जिनके दिल में हरियाणा का बहुत जोश था कि अगर चंडीगढ़ मेरे मकान जलाने से मिलता हो या चौधरी बंसी लाल के इस्तीफा देने से मिलता हो या प्रोफेसर शेर सिंह के इस्तीफा देने से मिलता हो तो हम इस बात पर कोई एतराज नहीं करेंगे।

**मेजर अमीर सिंह चौधरी :** क्या बात है? क्या सुलह हो गई है? (विघ्न)।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, बात यह है कि मेजर साहब ने कहा है कि क्या हमने सुलह कर ली है? उसके बारे में अर्ज़ यह है कि हमने देख लिया है कि हमारे एक साथी श्री रिज़क राम ने इस्तीफा दिया मगर फिर भी कोई आधा इंच जमीन भी चंडीगढ़ की हरियाणा को नहीं मिली। मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगा। अगर, मुझे कोई यकीन दिलाए कि उससे कोई आधा इंच भी चंडीगढ़ की जमीन दिला देगा। कम से कम मैं ऐसी बात तो कह दूं कि ठीक रास्ते पर चलो। मेजर साहब तो विशाल हरियाणा पार्टी के हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 'लाडो परायी हो गयी'। यह तो मैं हरियाणा से तवक्को नहीं करता कि एक दफा जब शादीशुदा हो जाये तो यदि उसे वापस लिया जाए तो उसमें हमारे प्रदेश की बेइज्जती है, जब वह एकबार दूसरे के घर चली गई तो उसकी तरफ क्या देखना है। देखना तो हमें चाहिए दिल्ली की तरफ। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मारफत सदन के चाहे, इधर के मैम्बर हों, चाहे उधर के मैम्बर हों, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को जिसे बहुत सारे भाई मानते हैं, मैं तो पता नहीं मानता हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत सारे सदस्य मानते हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने पंजाब को चंडीगढ़ देने का फैसला इसलिए किया है कि सी.पी.आई. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिसिस्ट) और इसके अलावा डी.एम.के. इसे पंजाब को दिलाना चाहते थे और प्रजातन्त्र मानते हुए सदनों में मजोरिटी बनाये रखने के लिए उन्होंने पंजाब को दे दिया। जहां तक मैंने सुना है बहुत सारी इन पार्टियों का भी तो ख्याल यही है कि राजधानी उस सूबे को जानी चाहिए जो विभाजन के पश्चात् सबसे बड़ा रहता हो। पंजाब की राजधानी पंजाब को जानी चाहिए (विघ्न) वह उन पार्टियों का कहना था। मैं नहीं कहता कि 'लाडो परायी

हो गयी' तो रोने से कुछ नहीं बनता।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, अगर करनाल में राजधानी होती और हरियाणा छोटा था ही, तो क्या करनाल भी पंजाब को मिल जाता?

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, यह सवाल तो आप सी.पी.आई. वालों से पूछिये या डी.एम.के. वालों से पूछिये। मैं उनकी बात को न्याय-संगत नहीं बता रहा। लेकिन, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि यह सारी पार्टियां आज इस बात के लिये तैयार हैं। मुझको जनसंघ का मालूम नहीं। लेकिन, मुझे विश्वास है कि डी.एम.के. का दिल्ली में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। दिल्ली हरियाणा में मिल जाये या हरियाणा दिल्ली में मिल जाये, इस बात पर फर्क नहीं मानता। जनसंघ वाले शायद चीफ मिनिस्टर बन सकें। मुझे मालूम नहीं कि इनके पेट में दर्द होता है या नहीं? यह तो चौधरी मुख्तियार सिंह बताएंगे.......... (विघ्न)।

**श्री मंगल सैन :** यह पेट-वेट, कान-नाक के दर्द का इलाज कब से शुरु कर दिया है? जिनके मखौल में कुछ विट नहीं कोई अक्ल नहीं, हम उनकी दलील नहीं सुनना चाहते हैं ......... (विघ्न)।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, डाक्टरी का पेशा मैं श्री मंगल सैन के लिये ही छोड़ता हूँ। मैं दवाई की कोई बात नहीं करता। मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग दिल्ली की तरफ मुंह कर रहे हैं, वे एक बात याद रखें कि दिल्ली की तरफ यदि मुँह करेंगे और फिर उससे पीछे हटेंगे तो हरियाणा को मुश्किल हो जायेगी। कुछ भाइयों का यह ख्याल था कि चंडीगढ़ चले जाने से यह सरकार टूट जायेगी। उससे तो यह बात बनी नहीं। लेकिन, अगर दिल्ली की हमारे प्रदेश की मांग हुई और उसमें हमारी सरकार ने गड़बड़ की तो मैं यह अवश्य मानता हूँ कि यह सरकार कायम नहीं रहेगी। वह सरकार चाहे कांग्रेस की हो या किसी दूसरी पार्टी की हो। उस सरकार को टूटना होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं डाक्टर साहब से कुछ बचने के लिए कहूँ। कुछ डाक्टर साहब के लिये और कुछ हिन्दुस्तान की सरकार के लिये उसी भाषा में कहता हूँ कि हमारे देहात में कहा करते हैं कि जो रंडुआ है, वह पड़ौसी के लिये भी खतरनाक होता है। इस हरियाणा को बहुत ज्यादा दिन रंडुआ नहीं रहना चाहिये। (विघ्न)...।

**श्री मंगल सैन :** उपाध्यक्ष महोदया, चौधरी रणबीर सिंह साहब ने धन्यवाद

देना था, मगर ऐसा लगता है कि वह इस बात को भूल गये हैं, चौधरी साहब रात को प्रोग्राम बन जाता है फ़िक्र न करें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मुझे तो न फ़िक्र बहुत ज्यादा खुरशीद साहब की है और न बहुत ज्यादा डाक्टर मंगल सैन की। मैंने तो फ़िक्र की है कि हरियाणा प्रदेश की कुछ जानें बचें? गोली से बहुत सारे लोग मारे गये। हो सकता था कि इनमें से कुछ वी.वी. गिरि जैसे बनते और हरियाणा हिन्दुस्तान को चार चांद लगाता। उनको हम लत रास्ते पर डाल रहे हैं। हमें चाहिये कि सही रास्ते पर डालें।

**राव रामजीवन सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपको शाह कमीशन रिपोर्ट में स्त्री दी गई, उसे तो आप खो बैठे हो और अब दिल्ली की बात करते हो। अगर आप में कोई ताकत थी तो उसको ही संभाल कर रखते जब इतने नपुंसक हो तो अब क्या करोगे?

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, अगर हमारे घर में चोरी हो जाए तो रोने से तो कुछ नहीं बनेगा और कुछ नहीं मिल सकता। वह तो हो गई।

**राव रामजीवन सिंह :** हमने मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी। अगर हम मिलकर लड़ाई लड़ते तो आपको बहुत फायदा होता।

**चौधरी रणबीर सिंह :** यह हमारा फायदा था या आपका फायदा था? जो राजनीति में हार को हार नहीं कबूल करते, वह तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो मानता हूँ। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, जिससे किसी के दिल को चोट लगे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ दूसरों के बारे में नहीं कह सकता। मुझे याद है जो अफसर अपने चंडीगढ़ के हक में थे, वह कहा करते थे कि यह जो नेता हैं, जिसमें कई मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर भी है, उनको बुलाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तो दिल की बात थी। लेकिन और भी बहुत सारे भाई थे। ऐसा कौन नहीं चाहता कि ज़रा अमरीका हो आएं और एक वहां से घर वाली भी ले आएं (हंसी)।

**उपाध्यक्षा :** आपने तो हद कर दी चौधरी साहब।

**श्री मंगल सैन :** उपाध्यक्ष महोदया, यह जो बात कर रहे हैं, इस उम्र में आकर यह अच्छा नहीं है, जबकि इनके पांच छः बच्चों को मैं जानता हूँ, तो भी अगर इनकी यह हालत है, तो जरुर मेरी भाभी से इनका झगड़ा हो जाएगा। यह ठीक बात नहीं है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, यह सारी जो रोमांस की बात मैंने कही इस पर रोने से हमको कोई फायदा नहीं होगा। अपने प्रदेश की जायदाद को और खराब करने से कोई फायदा नहीं है? प्रदेश के मामले में अगर सब इकट्ठे मिलकर लगे रहेंगे तो उसमें हरियाणा को नुकसान नहीं होगा। इकट्ठे मिलकर रहने से हरियाणा की तरक्की होगी। हरियाणा को उसमें फायदा होगा। अगर हमारे से कोई लती हो जाए तो मैं भी एक इन्सान हूँ मैन इज़ टू एरर। मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। चीफ मिनिस्टर भी बैठे हैं वह भी अपने आपको शायद सर्वशक्तिमान नहीं मानते होंगे। अगर मानते हैं, तो वह बात लत है।

**श्री बंसी लाल :** मैं तो कभी नहीं मानता।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्षा महोदया, बहुत सारे दोस्त, जिनको इस बात से डर होगा कि यह जो कमीशन बैठ गया, यह शायद हरियाणा को नुकसान के लिये होगा। इस बात से मैं ज़रा आगे जाना चाहता हूँ कि सारे हरियाणा की इसी में भलाई है। एक होकर चलें। मुझे मालूम नहीं कि सरदार गुरनाम सिंह जी के दिल में कब से हरियाणा का दर्द आ गया। मुझे यह भी मालूम नहीं कि बंसी लाल जी इस बात से डरते थे या नहीं? वह तो खुद ही बताएंगे। लेकिन, एक बात जरुर है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं दिखाई जो डरने जैसी हो। मैं और मेरे साथ चौधरी चांद राम जी, चौधरी मुख्तियार सिंह जी कई यू.एन.आई., ट्रिब्यून और दूसरे अखबारों के दफ्तरों में गये और वहां से हमें अकालियों की तरफ से एक खबर मिली कि वे चार सौ, पांच सौ गाँव हरियाणा के लेने वाले हैं। कौन किस बोली को बोलता है, इसके बारे में सरकारी रिकार्ड अगर कोई है तो वह 1961 की जनगणना है। 1961 के सैन्सस के इलावा कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं, जिसके ऊपर कोई एतबार किया जा सके। 1947 में भी इस प्रदेश का नक्शा बदल गया था। इस प्रदेश के अन्दर बहुत सारे भाई जो मुसलमान थे, वह पाकिस्तान चले गए और उनकी जगह पर हिन्दू सिख आदि आ गये। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मैं हिन्दू हूँ या सिक्ख हूँ। उन 13 तहसीलों में जो पंजाबी सूबे के सिरे पर हैं, फाजिल्का तहसील के अन्दर, सिक्खों की आबादी 32.70 प्रतिशत है। राजपुरा तहसील के अन्दर सिक्खों की आबादी 47 प्रतिशत है। पटियाला तहसील के अन्दर सिक्खों की आबादी 48.9 प्रतिशत है, खरड़ तहसील के बीच सिक्खों की आबादी 37.4 प्रतिशत है, दसूहा तहसील के अन्दर सिखों की आबादी 36.7 प्रतिशत है। होशियारपुर के अन्दर सिखों की आबादी 38.2 प्रतिशत है, ऊना तहसील के अन्दर सिक्खों की आबादी 13.7 प्रतिशत है। गढ़शंकर

तहसील के अन्दर सिक्खों को आबादी 39.5 प्रतिशत की है। जालंधर जिले के अन्दर जो होशियारपुर के साथ लगता है, कोई कारीडोर की जरुरत नहीं है, वहां की आबादी 35.2 प्रतिशत है। अमृतसर में सिक्खों की आबादी 46.2 प्रतिशत है। इसी तरह से फगवाड़ा तहसील में सिक्खों की आबादी 44.4 प्रतिशत है। पठानकोट तहसील में सिक्खों की आबादी 9.6 प्रतिशत है। गुरदासपुर तहसील में कोई 48 प्रतिशत कुछ है। तो इन 13 तहसीलों में अगर कोई ओपीनियन पोल होगा, तो उपाध्यक्ष महोदया कोई भी अपनी भाषा पंजाबी नहीं बतायेगा। अगर कौरिडोर की बात करते हैं और यह कहते हैं कि खादर का इलाका (घग्घर का) जो सिरसा में है, वहां के लिए कौरिडोर लगेगा तो पंजाब के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर कौरिडोर का सिलसिला जारी रहा तो इस तरह से तो हमें 25 तहसीलों में कौरिडोर मिलेगा। जहां तक मंगलसैन जी का ताल्लुक है, वह तो उसे पसन्द ही कर लेंगे। लेकिन, सरदार गुरनाम सिंह कौरिडोर के हक में नहीं रहेंगे। वह जनसंघी भाई तो चाहते हैं कि फिर से इलाका इकट्ठा हो जाए। खैर, अकाली नेता कहते थे कि भाखड़ा डैम पर हमारा कब्जा हो तो जैसा कि कमीशन कायम होने की बात है तो उसके बाद नंगल भी जाएगा। उसके बाद तलवाड़ा पौंग डैम भी जाएगा। पंडोह अभी भी हिमाचल में है। यह कहते थे कि रावी का पानी हम इस्तेमाल करेंगे। फाजिल्का मिलने पर रावी का पानी हम बगैर किसी लिफ्ट के लगाए इस्तेमाल करेंगे। जो रावी का डैम है, वह पंजाब में नहीं होगा। रावी डैम का बिजलीघर जो बनेगा, वह पंजाब में नहीं होगा। आज वह खंगारते हैं जिस तरह से, उस तरह से नहीं होगा।

जहां तक हिमाचल की बात है, हम यह नहीं कहते कि हिमाचल और हरियाणा में मिलाओ। बल्कि, मैं हरियाणा को ही हिमाचल में मिलाने के लिए तैयार हूँ। परमार साहब जो हैं, वह अगर चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं तो जब तक वह हैं चीफ मिनिस्टर रहेंगे (विघ्न)।

**श्री मंगल सैन :** बंसी लाल जी कहां जाएंगे?

**चौधरी रणबीर सिंह :** जहां तक तहसील के नीचे के भाषावार आंकड़ों की बात है, सरकारी आंकड़े कोई नहीं हैं और तहसील से नीचे नया किसी की भाषा है, उसके लिए कागजी तौर पर सबूत कोई नहीं है। जहां तक तहसील को यूनिट मानने की बात है अगर यह मान लिया गया तो हरियाणा की एक इंच धरती कहीं नहीं जाती। पंजाब की 13 तहसीलें या 12 तहसीलें निकल जाएंगी। मैं सरदार गुरनाम सिंह को

कोई बात नहीं कहूँगा। हां, अकाली पार्टी को कहूँगा जो सिक्ख होमलैंड की मांग उठा रहे हैं। यह मुझे मालूम नहीं कि हिन्दुस्तान की सरकार चाहती है या नहीं। अगर वह होमलैंड चाहते हैं तो हरियाणा का एक भी गांव पंजाब में नहीं जाएगा। यह इन्हें मालूम होना चाहिये। एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं कोई सरदार प्यारा सिंह के हक में नहीं। मगर, हरियाणा की सरकार यह प्रथा मान लें कि मिनिस्ट्री में एक सिक्ख मिनिस्टर रहेगा तो वह अच्छी प्रथा होगी।

**उपाध्यक्षा :** आप कब तक बोलेंगे ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** 10 मिनट के करीब और बोलूंगा। अगर तहसील को यूनिट माना गया तो एक भी गाँव पंजाब में नहीं जाएगा। पंजाब से हमें राजपुरा तहसील मिलेगी, फाजिल्का का बाकी हिस्सा मिलेगा और अगर गांव को यूनिट माना जाए तो उसमें भी हमें घाटा नहीं। यह ठीक है कि कुछ गांव हमारे आएंगे। कुछ गांव में रहने वाले भाई सिक्ख हैं, मगर हिन्दी भाषी हैं। ज्ञानी करतार सिंह को पंजाब सरकार ने हमारे इलाके चुराने के लिए जुटाया है। मैं पंजाब के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जब शाह कमीशन के सामने श्री बलराम जी दास टण्डन पेश हुए थे तो इन्होंने कहा था कि सरदार इकबाल सिंह के पड़दादा और हमारे पड़दादा एक ही थे। इसलिए अगर एक भाई सिख हो गया है तो क्या उसकी भाषा पंजाबी हो सकती है ? श्री गुरू गोबिंद सिंह की भाषा पटना की थी। जहां तक सिखों की भाषा पंजाबी ही नहीं है, पंजाबी भी है। इस तरह सरहद के जो गांव हैं उनमें रहने वाले बागड़ियों के भाई बन्धु हैं। इसलिए, उनमें से कोई हिन्दू रह जाए या कोई सिक्ख रह जाए तो उससे भाषा नहीं बदलती जिस तरह कि श्री बलराम जी दास और सरदार इकबाल सिंह जी की नहीं बदली। भाव यह है कि सरदार इकबाल सिंह हिन्दुस्तान की सरकार के एक मानयोग वज़ीर हैं और उनका हल्का क्योंकि पंजाब में ज्यादा था, इसलिए, वह पंजाब में रहना चाहते थे लेकिन उनकी भाषा जैसे श्री बलराम जी दास ने सबूत दिया वही है यानी हिन्दी है। जब वह दोनों भाई हैं तो भाषा कैसे अलहदा अलहदा हो सकती है ? यह एक बहुत बड़ा सबूत है और आगे जो कमीशन विचार करेगा वह हिन्दू और सिक्ख की बिना पर नहीं करेगा, क्योंकि सिक्ख की भाषा भी हिन्दी हो सकती है। अगर कोई भाई उधर से विभाजन के बाद आया हो तो और बात है। लेकिन, 20, 25 सालों में तो उसकी भाषा भी बदल सकती है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में फतेहाबाद और सिरसा के कुछ इलाके चले गए तो वहां के लोगों की कोई परवाह नहीं की जाएगी। वहां तो केवल राज रहा है या रहेगा वह अमृतसर, जालंधर और

लुधियाना का ही होगा और अगर घना करेंगे तो पटियाला से आगे सरकने वाले नहीं। इसलिए उनको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह कही जाती है और हम को भी डराते हैं कि फाजिल्का को पानी पंजाब वाले नहीं देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज हिसार और सरसा में कहां से पानी आता है? क्या पंजाब से नहीं आता? अगर वह पहले हमारे पानी को बंद नहीं कर सके तो अब कैसे बंद कर सकेंगे? इस वक्त तो वह गड़बड़ कर सकते थे। चूंकि, जो सोर्स है वह उनके हाथ में है। जिस वक्त माधोपुर हैडवर्कस, माधोपुर-बियास लिंक, तलवाड़ा और नंगल भी उनके हाथों से निकल जाएगा तो फिर वह हमारा क्या कर सकते हैं? वह तो हमारे पास पूछने आया करेंगे और पूछा करेंगे कि हमारा कितना पानी है? डिप्टी स्पीकर साहिबा यह कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि हम को किसी प्रकार से डरना पड़े। कुछ राजनीति की बातें हैं जो वह हम को बता रहे हैं। उनका कहना है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने जो फाजिल्का का फैसला दिया है वह फैसला एक समझौता हुआ था, जो शाह कमीशन की रिपार्ट के पेज 69-69 पर छपा हुआ है, जिस पर कि दस्तखत बताए जाते हैं, सरदार प्रताप सिंह कैरों के जो कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, ज्ञानी करतार सिंह, प्रोफैसर शेर सिंह, श्री मौली चन्द्र शर्मा, चौधरी देवी लाल और वीरेन्द्र जी के बेसिज पर हुआ है। उसके अन्दर फाजिल्का का इलाका हिन्दी रिजन में लिखा हुआ था जिसके बारे में हिन्दुस्तान की सरकार ने ऐलान लिखा है।

**चौधरी चांद राम :** वीरेन्द्र से आपका मतलब राव साहिब से है या कोई और साहब हैं?

**चौधरी रणबीर सिंह :** नहीं, मेरा मतलब है वीरेन्द्र जी, जो प्रताप अखबार के एडिटर थे, जो कि कभी चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी हुआ करते थे डाक्टर गोपी चन्द जी के वक्त में और जो हमारे साथ देश की आजादी के लिए जेलों में कई दफा गए थे, यह वह साहब हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं निवेदन कर रहा था कि उस समझौते को अगर जिसकी रेफ्रैंस दी गई है, देखते हुए कुछ खदशा हो सकता है कि शायद उस ऐलान को ठीक मान लिया जाए और कुछ इलाके हमारे उधर न चले जाएं। उन पर दस्तखत करने वाले सरदार प्रताप सिंह जी कैरों तो अब रहे नहीं, वह पंजाबी सूबे के हक में थे या नहीं थे। लेकिन, उनके सुपुत्र जरुर अकाली पार्टी के बन गए हैं। पंडित मौली चन्द्र शर्मा झज्जर के रहने वाले हैं और पंडित श्री राम के बड़े नजदीकी रिश्तेदार हैं। बाकी चौधरी देवी लाल जी को तो सारे ही जानते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो उसमें लिखा हुआ है, उसका कुछ भाई यह अर्थ लगाते हैं

कि उससे सरसे का इलाका निकल जाएगा, कुछ फतेहाबाद का इलाका भी निकल जाएगा। उन लोगों का यह ख्याल है कि यह इलाके हरियाणा के हाथ से निकल जाएंगे और उनका प्रचार भी यही है। मैं उपाध्यक्ष महोदया, अपने भाईयों को यह बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में से दस्तखत करने वाले एक तो आज भारत सरकार के वज़ीर हैं और दूसरे खादी बोर्ड के चेयरमैन हैं।

**श्री मंगल सैन :** सरकारी नौकरी करते हैं दोनों।

**चौधरी रणबीर सिंह :** आदमी तो दोनों काम के हैं। लेकिन, प्रजातंत्र है उनकी बात ज्यादा नहीं मानी गई। मैं प्रोफै सर शेर सिंह से बहुत करीब रहा हूँ।

**चौधरी चांद राम :** करीब तो नहीं रहे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** चलो आप जो मर्जी समझें। लेकिन, मैं तो अपने दोस्त की बात जानता हू कि उनके अन्दर कुर्बानी करने की शक्ति है। अगर, किसी वक्त हरियाणा के हित के लिए उनको वजारत छोड़नी पड़ी तो वह ऐसा करने से जरा भी नहीं झिझकेंगे। (शोर)

**चौधरी जय सिंह राठी :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम बोर हो गए हैं इनकी बातें सुन-सुनकर कितने बुज़दिल आदमी को दलेर बना रहे हैं यह।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** फिर आप बहादुरी का सबूत दे दो।

**श्री मंगल सैन :** डिप्टी स्पीकर साहिबा इनको अब बैठने के लिए कह दिया जाए।

**उपाध्यक्षा :** आप चौधरी साहब और कितना टाईम लेंगे?

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, दस मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की जो सेन्सिज़ थी, उसके मुताबिक फाजिल्का तहसील हिन्दी भाषा तहसील थी जिसकी बिना पर वह हरियाणा को मिली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ का खदशा जाहिर किया जाता है उसका हमारे ऊपर असर होने वाला नहीं है। वह तो शाह कमीशन के फै सले का हिस्सा है।

**उपाध्यक्षा :** चलो आप पांच मिनट और ले लें और खत्म कर दें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** आपका अगर हुक्म है तो पांच की बजाये भी दो

मिनट में खत्म कर देता हूँ लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह बड़ी अह्म है। मैं यह कहने जा रहा था कि सरकारी कागज में सारी की सारी तहसील फाजिल्का हिन्दी भाषी मानी हुई थी। हमें जो मिला उसमें हमें कुछ घटा ही है हमें कुछ ज्यादा नहीं मिला है। यह बात मैं ही नहीं कहता सरकारी कागज भी कहता है कि हमें सारी तहसील मिलनी चाहियें। अगर यही बात सरकारी कागज हमारी किसी तहसील के बारे में कहता है तो मैं मानता हूँ कि उस ढ़ंग से ही फैसला होगा। लेकिन, सरकारी कागज ऐसी कोई बात नहीं कहता है। सरकारी कागज में कोई बात है ही नहीं जो हमारे खिलाफ जाती हो। जहां तक फाजिल्का की बात है, उसे मैं नहीं मानता कि वह हमें चंडीगढ़ के बदले में मिला है। वह तो हमें मिलना ही था। जो भाई समझते हैं कि वह इलाका हमें चंडीगढ़ के बदले में मिला है, चाहे वह इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, वह ठीक नहीं है। हमारा तो सारी तहसील पर ही हक है। कम से कम जो हम मांगते थे वह हमें मिल गया बाकी पर हक हमारा कायम है।

**एक आवाज :** चंडीगढ़ पर आप उनका हक मान गये ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** उन्होंने चण्डीगढ़ पर उनका हक मान लिया और हमारा खत्म हो गया। (शोर) यह भारत सरकार का नोटिफिकेशन है मैं अपनी तरफ से नहीं कहता।

**चौधरी जय सिंह राठी :** क्या आप मान गये उसे ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** मेरे या हमारी पार्टी के इन्कार से अगर कुछ बनता हो तो ठीक है। लेकिन, मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब चुनाव का नोटीफिकेशन हो जाये तो आप उसे मानें या न मानें, वह तो हो गया। यह भारत सरकार का फैसला है और उसका नोटीफिकेशन है जो आपके सामने है। यह मैं मानता हूँ कि चंडीगढ के बदले में हमें फाजिल्का का इलाका नहीं मिला है यह तो हमारा ही इलाका था जो हमें मिला है और बाकी पर हमारा अभी हक है। चंडीगढ़ से हमें अब देहली की तरफ लगना चाहिये और अपनी सारी शक्ति हमें उसी तरफ लगानी चाहियें...... (विघ्न) राठी साहिब बहुत नौजवान हैं और जिन भाईयों ने जो प्रदेश में कुछ कारनामें करके दिखाए हैं उनके वह बहुत ज्यादा करीब हैं और हम तो दूर हैं। इनसे और खासतौर पर विरोधी दल के नेताओं से प्रार्थना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें, ताकि यह देहली पकड़ने के लिये उस तरफ अपना मुंह करें।

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 19 फरवरी, 1970 ई.*

----------------------------

### ध्यानाकर्षण की अधिसूचना

**चौधरी रणबीर सिंह :** सभापति महोदय, क्या किसी और सदन में, या पंजाब सदन के सदस्य भी अपनी गैरहाजरी के लिये सैक्रेट्री महोदय से गैर-हाजिरी के लिये छुट्टी की आज्ञा माँगते हैं? यह तो इसी प्रदेश के रुल में प्रक्रिया है और प्रदेशों में तो ऐसे रुल की प्रक्रिया नहीं है। मैं मानता हूँ कि शायद माननीय सदस्य महोदय इस बात को ज्यादा अच्छा मानते हैं कि सदन से यह गैर-हाजिरी की छुट्टी की आज्ञा माँग लें, बजाय इसके कि सैक्रेट्री साहब से वह अपनी गैर-हाजिरी के लिए छूट मांगे.... (व्यवधान)

**मलिक मुख्तियार सिंह :** चेयरमैन साहब आपकी परमिशन से एक सबमिशन करना चाहता हूँ। अनफार्चुनेटली हम तो कल बाहर चले गये थे। लेकिन, चीफ मिनिस्टर साहब ने गर्वनर साहब के एडैऊस के ऊपर बहस का जो जवाब दिया है, वह आज अखबारात में मैंने देखा है। उसमें उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की है। मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ। चेयरमैन साहब, उसके अन्दर यह जो तारीफ की गई है, मैं इस हाऊस के जरिये आपको बताना चाहता हूँ कि इस तारीफ के पीछे एक राज है और इस तरह से मुझे वह, पब्लिक के अन्दर और इस लेजिस्लेचर के अन्दर इस किस्म के स्टेटमैन्ट्स देकर इन्टैन्शनली लतफहमियाँ पैदा करके, मेरे आइडीयाज को आइसोलेट करके, एक्सप्लायट करना चाहते हैं दैट इज वैरी बैड।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 52*

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 19 फरवरी, 1970 ई.*

----------------------------

### पंजाब क्रय खरीद ( हरियाणा निरस्तता ) विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह :** चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी उस कमेटी के मेम्बर हैं, मैं भी था, जिसने चण्डीगढ़ का केस तैयार किया है। आप भी जानते हैं कि मिसीज़ ओम प्रभा जैन जी ने कितना काम किया। परन्तु, पता नहीं वे क्यों इन्कार कर रही हैं ?

**Mr. Chairman :** The matter is over now. Let us proceed further.

**खान अब्दुल गफ्फार खां :** चेयरमेन साहब, अभी चौधरी साहिब ने कहा है कि पंजाब असैम्बली में भी सैक्रेट्री को यह अख्तियार नहीं था कि वह किसी मैम्बर की गैर हाजिरी को कन्डोन कर सके। लेकिन मुझे मालूम है कि पंजाब असैम्बली के स्पीकर साहब को तथा सैक्रेट्री को हम लिखते थे कि मेहरबानी करके गैर-हाजिरी को कन्डोन कर दें। और सैक्रेट्रीएट हमारी गैर-हाजिरी को कन्डोन कर देता था। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पंजाब असैम्बली में सैक्रेट्री को यह हक रहा है।

**श्री सभापति :** ठीक है। (विघ्न)

**चौधरी रणबीर सिंह :** चेयरमैन साहब, खान साहब ने तो यह बताया था कि वजारत बनाना काफी भारी जुर्म है। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मैंने यह कहा था कि

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 54-55*

आज के दिन को पंजाब की असैम्बली के इलावा कुछ थोड़े ही सदन ऐसे हैं, जहाँ पर मैम्बर को अपनी गैर हाजिरी की माफी विधान सभा के सैक्रेट्री से मांगनी पड़ती है। यह ठीक है कि विधान सभा के सैक्रेट्री को यह अधिकार है कि एबसैन्स (गैर-हाजिरी) को कन्डोन (माफ) कर सके। लेकिन, जहां तक लम्बे अर्से के लिए गैर-हाजिरी का सवाल है, इसके लिए तो हाऊस को ही छुट्टी देने का अधिकार है, चाहे वह पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। खान साहब को पुरानी बात यदि आ गई होगी कि नहरों की कट हुई, यह तो हमारे बस की बात नहीं है।

**खान अब्दुल गफ्फार खां :** सवाल यह नहीं। कहना यह चाहिये कि नहरों की काट-वाट हुई, तो वह भी अल्ला के फ़जल से आप काटते ही रहे (विघ्न)।

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 19 फरवरी, 1970 ई.*

---------------------------

### हरियाणा के औद्योगिक पिछड़ेपन को देखते हुए उद्योगों को अनुदान व रियायतें देने संबंधी प्रस्ताव

**Mr. Chairman :** The bill has been introduced. Now I would request Shri Vij to move his resolution.

**चौधरी रणबीर सिंह :** चेयरमैन साहब, यह दूसरा प्रस्ताव जो है, यह तो पहले प्रस्ताव से भी अहम है। अगर माननीय सदस्य मान जाएं तो......... (विघ्न)

**Mr. Chairman :** No please, We will follow the order on the Agenda for today.

**चौधरी रणबीर सिंह :** चेयरमैन साहब, मैं आपकी मारफत प्रस्तावक महोदय से कहना चाहता हूँ कि यह जो पहला प्रस्ताव है,यह बहुत ही अहम है और दूसरा उस से भी ज्यादा अहम है, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर वह दूसरा प्रस्ताव मूव होने दें।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 56*

# हरियाणा विधानसभा

## शुक्रवार, 20 फरवरी, 1970 ई.*

---------------------------

### अनुपूरक मांगों पर चर्चा ( द्वितीय किस्त )

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, मेजर अमीर सिंह जी ने शुरु में जो सुझाव दिये हैं, वे मेज़र साहब के अपने नहीं बल्कि एस्टीमेट कमेटी के हैं। पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के हैं, जिनके अध्यक्ष बहिन चन्द्रावती जी और हमारे बुजुर्ग खान अब्दुल गफ्फार खां जी हैं। जहां तक बजट का सवाल है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अचानक आ जाती हैं जैसे बाढ़ है या कोई फसलें फे ल हो जाती हैं। लेकिन, कुछ चीजों का तो उन्हें ज्ञान है। काम करते हैं और उसमें भी ऐसा पैसा ठीक वक्त पर नहीं मांग सकते इसलिए दोबारा मांगा जाता है। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन, यह तरीका कोई आज से नहीं पहले से ही चला आता है। जो भी वित्त मन्त्री इस तरीके में सुधार करने में कामयाब होगा, प्रदेश उसका धन्यवादी होगा। इसमें एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी मोटी रकम है। जुई नहर की वह जो योजना चलाई थी, उसका खर्चा पहले लिखा जा सकता था। उसके बारे में अच्छाई या बुराई के बारे में तो मैं आगे नहीं आऊंगा। बजट कैसा होना चाहिए उसी सिलसिले में कुछ कहता हूँ कि सप्लीमैन्ट्री बजट कम से कम आने चाहिएं और मजबूरी में ही आने चाहिएं। वित्त विभाग की सुस्तियों की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट की सुस्तियों की वजह से, ठीक वक्त पर मांग वित्त मंत्रालय के पास नहीं पहूँचती और

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 89-94*

उसके बिना पर अगर इस सदन को फिर दोबारा एक बिल पास करना पड़ता है तथा इस तरह इस प्रदेश के ऊपर ख्वामखाह पैसे का ज्यादा बोझ पड़ता है, तो सरकार को उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, चूंकि समय बहुत थोड़ा है, इसलिए मैं अपने हल्के के बारे में कुछ बातें कहूँगा। मेज़र साहब ने दस नम्बर डिमान्ड का जिक्र करते हुए और पुलिस को डिमान्ड का जिक्र करते हुए फायरिंग के बारे में जिक्र किया। मुझे मालूम नहीं कि जो भी उन्होंने कहा है वह दुरुस्त है या नहीं? लेकिन, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर यह सत्य है तो यह बहुत बड़ा अन्याय हरियाणा के लोगों के साथ हुआ है। हमें उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पण्डित जवाहर लाल नेहरु के शब्द याद आते हैं, जब यहां पर 75 हजार आदमी गिरफ्तार हुए थे। लाखों की तादाद में जुलूस निकला था। उस वक्त कोई आदमी भी नहीं मरा था लेकिन गोली चली थी। पण्डित जवाहर लाल नेहरु कहा करते थे। मुझको शायद यह सोचना पड़ेगा कि पुलिस के हाथों से गोलियां और बन्दूक जो हैं, वह छीन ली जाय और उनको लाठी दी जायें। हां अगर मेज़र साहब की जो बात है, वह सत्य है तो ऐसे आदमी जिनको प्रजातन्त्र में बन्दूक का प्रयोग कैसे करना चाहिए? कब करना चाहिए? गोली कब चलानी चाहिए? वह ज्ञान नहीं तो उनको नौकरी में रखने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है और न ही ऐसे आदमी को नौकरी में रहना चहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद डिमांड नं. 46 के सिलसिले में कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। मेज़र साहब ने सड़कों की बात की है। अब तो हमें भी डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ पछतावा होता है क्योंकि जिस तरीके से काम चलता है वह प्रशसनीय नहीं है। ऐसा लगता है कि हमको हमारे देश का और प्रदेश का प्यार जो था, वह कोई सही नहीं था। मुझे याद है कि जब मैंने सिंचाई और बिजली विभाग का मंत्रालय लिया, उस वक्त हमें आजाद हुए 15 वर्ष हो गये थे। 18 नहरों की खुदाई हो चुकी थी। मगर उनमें एक चुल्ली भर पानी नहीं चला था। मैंने उनमें पानी चलवाया। हालांकि, उनमें से एक भी नहर मेरे हल्के की सिंचाई नहीं करती थी। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश में बिजली बोर्ड को या सिंचाई विभाग आदि को क्यों घाटा होता है? यह एक सोचने की बात है। मुझे भगवान की दया से बड़े अच्छे-अच्छे इन्जीनियरों के साथ काम करने का मौका मिला है। लेकिन, एक बात मैंने अजीब जो उनमें पाई वह यह है कि वे सैटअप के साथ बदलते हैं। जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने देखा कि लोकसभा के मैम्बर की हैसियत से मैंने कोई चिट्ठी लिखी थी, उस पर भी एक्शन

होना शुरु हो गया। जबकि, पहले 5 या 10 साल में और कोई एक्शन नहीं लिया गया था। आज उपाध्यक्ष महोदया, मेरे 668 सवाल का जवाब दिया गया। आज से छ : महीने पहले सदन की मारफत मैंने निवेदन किया था कि सुन्दरपुर और खिडवाली सड़क के लिए एक लाख बत्तीस हजार रुपया लोगों की तरफ से मार्किट कमेटी ने जमा करवाया था ताकि, वह सड़क बन जाए। मगर, अफसोस है कि आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदया, इसके बारे में चीफ इन्जीनियर ने चिट्ठी लिखी थी और एक्सीयन ने उसका उत्तर दिया था, जिसमें लिखा था कि एक लाख बत्तीस हजार रुपया मार्किट कमेटी ने तो दिया लेकिन जिला परिषद् का नहीं आया। आज सवाल के जवाब में बिल्कुल कोरा ही जवाब है, सड़क का बनाना तो दूर रहा। मैं जानना चाहता हूँ कि जब मेरे गांव के अन्दर बारह हजार रुपया एक फर्लांग सड़क बनाने के लिये लोगों ने जमा किया है तो क्यों उसके ऊपर तीन वर्ष बाद भी एक इंच मिट्टी नहीं पड़ी। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा एक तरीका रहा है कि सरकार के मन्जूरी के तरीके से जो काम नहीं होता है, उसको कभी मैंने मन्त्री बनने के नाते भी नहीं कराया। लेकिन, इसके बावजूद भी अफसोस है कि तीन वर्ष से जिन कामों की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल सरकार ने दे रखी है, उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मुझे मालूम नहीं है, किसकी हिदायत से यह काम चलता है या ये अफसर क्या समझते हैं? ये प्रदेश सरकार के मुलाजिम हैं या किसी और ढ़ंग से चलने के आदि हैं, यह भी देखने वाली बात है।

उपाध्यक्ष महोदया, मेज़र अमीर सिंह, जी ने दादरी फीडर जिसके ऊपर पच्चीस लाख रुपये खर्च हुआ था, का भी जिक्र किया। आज के वित्त सचिव जब यह स्कीम मन्जूर हुई थी, बिजली और सिंचाई के सचिव थे। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें सिर्फ छ : फुट की लिफ्ट लगती थी और इससे सांघी के लिए पानी नहीं आना था, रोहतक जिले के लिये पानी नहीं आना था, जहां से उस समय बिजली और सिंचाई विभाग का मन्त्री पैदा हुआ था और न ही अमृतसर में पानी जाना था, जहां का उस समय का मुख्यमंत्री था। पानी जाना था महेन्द्रगढ़ के टीबों पर। लेकिन इस पर भी अगर यह सरकार यह सोचती है कि उसको 24 लाख रुपया खर्च होने के बाद छोड़ा जाए या लिया जाए तो यह अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं चाहता हूँ कि जुई नहर जो कि हमारे मुख्यमंत्री के अहद में बननी शुरु हुई है, वह उनके समय में ही पूरी हो जाए, वरना मुझे आशंका है कि जितना रुपया उसके ऊपर लगा, वह सरकार का जाया होगा और उसके अन्दर

कोई पानी नहीं बहेगा। इसलिए, मैं आपकी और सदन की मारफत उनसे कहना चाहता हूँ कि वे इस बात के बारे में सतर्क रहें। अगर यह काम पूरा नहीं हुआ, तो यही जो भाई हमारे बड़े इन्जीनियर और सलाहकार हैं, जो आज कहते हैं कि 24 लाख रुपये की नहर बन गई ये ही दूसरी सरकार आने पर इसे नहीं चलायेंगे और कहेंगे कि साहिब लत हो गया, क्योंकि पिछली सरकार दबाव से करा गयी थी। उपाध्यक्ष महोदया, इसीलिये सरकार को घाटा होता है। प्रजातन्त्र में सरकार को एक तरीके से चलना चाहिये, एक तरीके से नहरों को चलाना चाहिये। सरकारें आती हैं, जाती हैं। राव वीरेन्द्र सिंह भी मुख्यमंत्री हुए, पंडित भगवत दयाल भी हुए। चौधरी बंसी लाल भी हैं और पहले भी कई हुए। कम से कम 50 मंत्रीगण हरियाणा के आए और गए। आवागमन संसार का कायदा है और जब आवागमन सरकार का कायदा है तो खासतौर पर उन भाईयों को ख्याल रखना चाहिए जो पच्चीस साल तक नौकरी करने के बाद पैंशन की ख्वाहिश रखते हैं।

लेकिन, होता इसके विपरीत है। मैं तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा पहले अर्ज़ किया, दरख्वास्त से काम करवाता हूँ। जब मैं लोकसभा का मैम्बर था तब भी दरख्वास्त भेजा करता था और जब भी जबकि मैं सदन का मैम्बर हूँ, ऐसा ही करता हूँ। पिछली दफा सदन में मैंने दरख्वास्त की थी कि 1,32,000 रुपये का गबन हो गया है। लेकिन, उसका कोई उत्तर नहीं है कि वे रुपये कहां गये? सड़क बनाना या न बनाना दूसरी बात है। लेकिन सदाकत से इन्कार करना इस सदन की बेइज़ती है।

उपाध्यक्ष महोदया, सैक्रेटरी जिला परिषद्, रोहतक का मुकदमा था। मैंने चिट्ठी लिखी। मगर नहीं मानी गई। अब सरकार के खिलाफ डिग्री हो गई और यह जीत गया। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदया, हरिजन कल्याण फण्ड का यहां जिक्र है (विघ्न)।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, आपका टाईम हो गया है। अगर हाऊस एक्सटेंड करना है, तो आप टाईम ले सकते हैं। मैंने जो डिमान्डज़ पास करवानी हैं, उसके लिये मैंने आधा घण्टा रखना है। आधे घण्टे के लिये मैंने गिलोटिन लगाना है, क्योंकि फाइनैंस मिनिस्टर ने भी बोलना है।

**मेज़र अमीर सिंह चौधरी :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाऊस आधे घण्टे के लिये बढ़ा दिया जाए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, क्या हुक्म है ?

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, आप 4 मिनट और बोल सकते हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, नहरों की सफाई की यहां बड़ी कहानी सुनाई गई। मगर डिप्टी स्पीकर साहिबा, हकीकत यह है कि जमुना नहर के अन्दर साल में सिर्फ 60 दिन इतना पानी चलता है जो 10,000 क्यूसिक, जोकि नहर की कपेसिटी है, उससे अधिक होता है। लेकिन, उस वक्त भी इंजीनियर महोदय कहते हैं कि उसको बन्द कर दिया जाए उन दिनों में जिन दिनों यमुना में 50 हजार क्यूसिक से पानी अधिक है। क्योंकि, यमुना में रेत ज्यादा है। अगर उसको बहा दिया जाए तो वह नहर भी अन्ट सकती है और बन्द भी हो सकती है। उन साठ दिनों को छोड़कर इरीगेशन मिनिस्टर साहब या सिंचाई विभाग पता करके साबित कर दें कि कभी छ : हजार क्यूसिक से ज्यादा पानी हमारे हिस्से में आया तो मैं सारी बातें उनकी कबूल कर सकता हूँ। दो महीने के अलावा कभी 6,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं बहता। उपाध्यक्ष महोदया, सही बात का पता न करके यह जो स्वप्न देखे जाते हैं और मन्त्रियों से और अपने ढ़ंग से जो कार्यवाही करवाई जाती है, यह कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदया, मैं फैमिन रिलिफ के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। यह वित्त मन्त्री महोदया का महकमा है। हमारे धामड़ गांव में पिछली दफा खराबा लिखा गया और उगाही मुलतवी कर दी गई। लेकिन, अब वहां पर बाढ़ आ गई। पिछली उगाही तो अभी तक वसूल नहीं हुई और अब आगे की उगाही का भी पता नहीं क्या होगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सरकार को घाटा रहता है।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, आप अपना भाषण खत्म करें, वरना हाऊस को एक्सटैन्ड करना पड़ेगा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, डिमांड नं. 19 के तहत रोहतक जिले के अन्दर दवाई छिड़की गई। मुझे खुशी है कि वहां फसल तो बच गई, लेकिन वहां, जो शूगर फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में, 10 मील के अन्दर अन्दर पड़ने वाले गांवों का गन्ना नहीं लिया जाता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझे अफसोस है कि वे फैक्ट्रियां कैसे अच्छे ढंग से चलेंगी और किस तरह से वहां काम होगा ? अगर कोई

सरकार इकोनोमिक फील्ड में भी किसी को अपना नहीं बना सकती तो वह अच्छे ढंग से नहीं चलेगी। (विघ्न)

**उपाध्यक्षा :** आप खत्म कीजिये, इसके बाद वित्त मन्त्री महोदया ने भी बोलना है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** बहुत अच्छा जी, अगर आपकी आज्ञा है तो में इतना कहकर ही बैठ जाता हूँ।

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 25 अगस्त, 1970 ई.*

---------------------------

### कार्य मंत्रणा समिति की पहली रिपोर्ट

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मामला तो बहुत आसान था। अगर, मुख्यमंत्री जी या वित्त मंत्री महोदया इस रिपोर्ट को पेश कर देते और गुप्ता जी कोई और तो नहीं हैं। जिस पार्टी के वह मुख्यमंत्री हैं उसी पार्टी के वह महामंत्री हैं। उन्हें इसका सौभाग्य मिल जाता अगर, हाऊस उनका संशोधन मंजूर कर लेता और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये जब इसमें केवल थोड़ी बहुत रैफर-बैक करने की बात है। इसमें हर्ज क्या है? अगर, गुप्ता जी यह शोभा लेना चाहते हैं और नान-आफिशियल-डे को आफिशियल-डे बनाना चाहते हैं और इसके लिये अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं। वे हमारी पार्टी के महामंत्री हैं और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब को एतराज नहीं करना चाहिये था।

**Shri S.P. Jaiswal :** Mr. Speaker, Sir, according to Rule 36 of the Rules of Business, a time table decided at the meeting of the Business. Advisory Committee, has to be reported by your honour to this House. That has already been done. A report has also been brought before the House. It will now be discussed by the House after you have designated some body to move the motion. From the report, it appears that they have already decided this matter. Now, you have only to designate a member to move this report.

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 25th Aug. 1970, Vol. II, No. 1, Page (1) 64-65*

**चौधरी रणबीर सिंह :** सदन के सामने भी तो कोई न कोई चीज होनी चाहिये। पहले आप मोशन मूव करें फिर उसके ऊपर रैफर-बैक की मोशन आ सकती है कि इस मोशन को रैफर-बैक किया जाये। (श्री बनारसी दास गुप्ता की तरफ से विघ्न) पहले जो सदन की प्रापर्टी है उसको मूव करके फिर रैफर-बैक का प्रस्ताव लाएं। जबकि लीडर ऑफ दी हाऊस यह महसूस करते हैं कि यह रैफर-बैक होनी चाहिये, क्योंकि इससे सदन को खतरा है। अगर खतरा है तो उसको दूर करने के लिये कोई कायदा-कानून होना चाहिये और यह हाऊस के अनुसार चलना चाहिये।

**Mr. Speaker :** Then how will you sort it out?

**Shrimati Om Prabha Jain :** Sir, it has not been moved. Therefore, it is your discretion to refer it back. The Speaker has read out the Report of the Business Advisory Committee and he has every right to say that this is referred back.

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 25 अगस्त, 1970 ई.*

----------------------------

### श्रद्धान्जलि

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्माओं तथा महान आत्माओं के लिये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं अपने आपको उसके साथ जोड़ता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, जितना इन महान पुरूषों के साथ रहने का मौका मिला है, इस सदन के शायद ही किसी दूसरे सदस्य को प्राप्त हुआ हो। उपाध्यक्ष महोदया, मेजर अमीर सिंह, एक बहादुर फौजी अफसर थे और पुख्ता इरादे के आदमी थे। उनके शरीर को बम ने छलनी बना दिया था और जितने उनको शरीर के अन्दर घाव लगे थे, अगर कोई आम आदमी उन घावों को देख लेता तो डर के मारे उसका हार्ट फेल हो जाता। लेकिन, मेजर साहब इन जख्मों से बिल्कुल घबराये नहीं और पूरी हिम्मत से काम लिया। जींद रियासत जो हरियाणा का हिस्सा थी और कुछ पंजाब का भी थी। जिस वक्त उस रियासत जींद में प्रजा मण्डल का आन्दोलन चला तो उस वक्त मेजर साहब एक अग्रणी नेता के रुप में आगे आए और उस आन्दोलन के डिक्टेटर बने। इस आन्दोलन के सिलसिले में उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन, वह डरे नहीं और बड़ी बहादुरी से उन्होंने अपनी रियासत की सेवा की। इसके बाद 1954 में उनको कांग्रेस पार्टी ने इलैक्शन लड़ने का मौका दिया। उस समय भी उन्होंने रचनात्मक ढंग से पैप्सू राज्य की बड़ी सेवा की।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 25th Aug. 1970, Vol. II, No. 1, Page (1) 81-86*

उपाध्यक्ष महोदया, मुझे अपने तथा दूसरे राज्यों के बारे में काफी जानकारी है। शायद ही कोई ऐसा सदस्य होगा जो उनका मुकाबला कर सकता हो। कोई भी काम उनको सौपा जाता था वह उसको पूरी जिम्मेदारी से करते थे। आज जो दादरी की नहर है उसको और रोहतक की हद से लेकर नारनौल तक की बिजली की लाईन रात और दिन काम कराकर इतने थोड़े अर्से में पूरी करा दी कि शायद हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में उसका मुकाबला हो सकता और इस काम में जिनसे जमीन ली गई उनको पूरा मुआवजा भी दिया गया। किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। जमीन का मालिक भी उनसे सन्तुष्ट था और मजदूर भी सन्तुष्ट था। चाहे उनको पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर के रुप में सड़क बनवाने का काम मिला, चाहे हैल्थ मिनिस्टर के रुप में अस्पताल में सुधार करने का काम मिला उन्होंने हमेशा ही बहुत थोड़े अर्से में ज्यादा से ज्यादा काम किया।

उपाध्यक्ष महोदया, जहां उनमें काम करने की एक अद्भुत शक्ति थी उसके साथ-साथ राजनीतिक ईमानदारी जो आज बहुत कम है, उसके अन्दर भी उनका जीवन एक उदाहरण का जीवन है। मुझे मालूम है कि वह एक कांग्रेस के विधायक के नाते पैप्सू असैम्बली के सदस्य चुने गये। इसके बाद मेजर साहब पंजाब कौंसिल के सदस्य चुने गये। जब कभी भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का इरादा किया, उन्होंने कांग्रेस को चुपचाप नहीं छोड़ा, बल्कि वे जनता के सामने गये और अपने विचारों को जनता के सामने रखा तथा चुनाव जीतकर आए और राव बीरेन्द्र सिंह की वजारत में मंत्री रहे। 1967 में 'विशाल हरियाणा पार्टी' के टिकट पर जीतकर आए। मुख्यमंत्री के वे रिश्तेदार थे। लेकिन, इस चीज से उनके राजनीतिक विचारों पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। चाहे वे मंत्री पद पर रहे या विधानसभा के सदस्य रहे। लेकिन, हमेशा ही बड़े नम्र स्वभाव के रहे। उनके बड़े लड़के चौधरी यादवेन्द्र सिंह को नौकरी से हटा दिया गया तथा उनके छोटे लड़के कैप्टन लोकेन्द्र सिंह, जो हमारी पब्लिक कमीशन की सिफारिश पर एक अफसर लगे थे, उनको सरकार ने हटा दिया लेकिन फिर भी यह सरकार उनके राजनीतिक विचारों को नहीं बदल सकी।

**गृह मंत्री ( श्री कन्हैया लाल पोसवाल ) :** चौधरी साहब आप यहां किन बातों का रैफरेंस दे रहे हैं? यह शोक प्रस्ताव है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं भी उसी शोक प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ। हमारी सरकार की कार्यवाही के सिलसिले में हाईकोर्ट का जो फैसला है उसकी नकल मैं लाया हूँ.................

**उपाध्यक्षा :** मैं कहती हूँ कि यह शोक प्रस्ताव है। अगर, यह शोक प्रस्ताव ही रहे तो अच्छा है। आप इन बातों का इस समय जिक्र न करिये।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं इसी के बारे में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था कि मेजर साहब का राजनीतिक ईमान कितना पक्का था और उसको तोड़ने के लिये फिर क्या-क्या हुआ है, उसको बता रहा हूँ। जो फै सला हाईकोर्ट का है, उसकी नकल मैं लाया हूँ। अगर, मंत्री महोदय चाहें तो मैं उसे पढ़कर सुना सकता हूँ (विघ्न)। लेकिन, इन सब बातों के बावजूद मेजर साहब अपने विचारों पर अडिग रहे। मेरा उनको कांग्रेस में लाने और उनके जीवन को एक तरह से राजनीति में डालने में काफी हाथ रहा है। वह मेरे नजदीकी दोस्त रहे और मुझे उनको करीब से पढ़ने का मौका मिला है। इतने हौसले वाले और सेवा के नुक्तानिगाह से काम करने वाला कांग्रेस पार्टी में तथा विरोधी दल के सदस्यों में कोई भी नहीं होगा। जब भी सदन में वे कोई प्रश्न पूछते थे तो उस विषय पर पूरी तैयारी के साथ आते थे। लेकिन जैसा कि बहन चन्द्रावती जी ने कहा है कि उनके सुपुत्र को तनख्वाह जो दो साल की नहीं मिली है वह मिलनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदया मेजर अमीर सिंह की तरह ही श्री थानू पिल्लै भी मेरे साथ कान्सटीटूएंट असैम्बली में रहे थे। जिस स्टेट के वे राज्यपाल थे हरियाणा भी उसका कए हिस्सा था। मुझे उनके साथ दोनों तरीके से काम करने का मौका मिला। मैं उनके साथ सदस्य भी रहा और उनका मंत्री भी रहा। वे अपने प्रदेश के मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे और फिर उन्होंने राज्यपाल के रुप में कार्य किया। श्री पिल्लै ने बड़ी बहादुरी से इस देश की सेवा की और वह पीढ़ी जिसने इस देश को आज़ाद कराया और देश की आजादी के लिये सब तरह की कुरबानियां की उसके महान् व्यक्तियों में सें अब एक के बाद एक हमसे बिछुड़ते जा रहे हैं।

इसी तरह से हमारे कानून मंत्री श्री मेनन साहब थे। उनके साथ भी मुझे कांस्टीच्यूएंट असेम्बली का सदस्य होने के नाते इकठे बैठने का मौका मिला। वे केरल राज्य के मुख्यमंत्री रहे और हिन्दूस्तान के कानून मंत्री भी रहे। भारत के अन्दर जो बैंकस हैं, जिनके हाथ में यहां की अर्थ शक्ति केन्द्रित है, उसको लोगों की शक्ति बनाने का, राष्ट्रीयकरण करने का उनको सौभाग्य मिला और इस तरह से उन्होंने हिन्दुस्तान की जनता की बहुत अधिक सेवा की। आजादी की लड़ाई के समय में भी उन्होंने देश की बहुत सेवा की।

श्री मेहरचन्द खन्ना, जिनके साथ लोकसभा के सदस्य के नाते मुझे बैठने का मौका मिला। हमारी केन्द्रीय सरकार के मंत्री रहे और बेतनख्वाह के (Honorary) अफसर भी रहे थे। पाकिस्तान से उजड़कर आये हुए लोगों को बसाने के लिए जितनी योजनाएं हिन्दुस्तान की सरकार ने बनाईं, उन योजनाओं को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। इसके साथ-साथ उन्होंने बहुत सी शिक्षा संस्थाओं को जो पहले से स्थापित थीं, रोहतक जिले में भी हैं, हरियाणा में कई दूसरी जगहों पर भी हैं। उनकी उन्होंने खास माली सहायता देकर जमीन देकर मदद की जाए। उपाध्यक्ष महोदया, आदिम जाति के लोगों के लिए उनके दिल में कितना प्रेम था, हिन्दूस्तान की सरकार, हिन्दूस्तान की जनता उनको सदा उनके कार्यों से याद रखेगी। श्री डी. इरिंग केन्द्रीय उप-मन्त्री उनके साथ लोकसभा का सदस्य होने के नाते तो नहीं, परन्तु उनको मैं जाती के तौर से जानता हूँ। गरीबों के लिए, आदिम जाति के लोगों के लिए उनके दिल में भी कितना प्रेम था, भारत उसके लिए हमेशा उनको याद रखेगा। श्री जयपाल सिंह जी के साथ 15 साल मुझे इकठा रहने का मौका मिला, सदस्य के नाते भी और पड़ोसी के नाते भी। जब मैं लोकसभा में था, वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। लेकिन, इसके बावजूद मैं एक बात उनमें देखता था कि गरीब लोगों की सेवा के लिये, अनुसूचित जातियों की सेवा के लिये उनके दिल में जितनी श्रद्धा थी और प्यार था, वह मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। उनका इतिहास में एक खास स्थान रहेगा।

श्री एन.बी. मैटी, मुझे याद है कि वह एक बहुत सुन्दर और क्रांतिकारी थे। देश की आजादी को हासिल करने के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश को आजाद करवाने में भी वे अपनी जान से खेलते रहे। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह श्री के.वी. रंगा रेड्डी, जिनको नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जी के साथ काम करने का मौका मिला, जिनके साथ मुझे मुख्तलिफ सदनों में भी काम करने का मौका मिला, बड़े भले आदमी थे। देश के इतिहास में उनका नाम सदा के लिये चमकता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदया, राजा कामख्या नारायण सिंह के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। वे हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहे। लेकिन, एक बहादुर नेता थे। उनमें क्या गुण थे, हम नहीं जानते। लेकिन, उनके स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हर इंसान में कोई न कोई गुण तो होंगे ही। देश की सेवा का जज्बा उनके दिल में बहुत था। वह एक निडर और बहादुर व्यक्ति थे। डा. खारे साहब भी एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी कांग्रेस से विरोध हो गया। इसके बाद उन्हें जब कभी भी अवसर मिला, उन्होंने अपने ढ़ग से अपने विचारों को मानते हुए, बहादुरी से काम

किया। लेकिन, कई दफा, कुछ लत काम भी किए। कहते हैं कि देश के राष्ट्रपिता के साथ उनकीं सहमति नहीं थी तो लत रास्ते पर भी चले, कुछ सही रास्ते पर भी चले। यह तो भगवान ही जानते होंगे। श्री कुंजी लाल दूबे जी को मध्य प्रदेश में सेवा करने का मौका मिला। इनके जाने से देश को एक बड़ा भारी धक्का लगा है। इनके स्थान की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से हमें एक और महान हस्ती की याद आती है, मेजर जनरल अमीरचन्द, जो लाहौर के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। इनके लड़के आज मैडीकल कॉलेज रोहतक के प्रिंसिपल हैं ? जनरल साहब ने गरीबों और बीमारों की जितनी सेवा की और जेलों में कैदियों की जितनी सेवा की, उसके लिए उनको हम याद रखेंगे।

महाराजा जयपुर, जिनके बारे में अभी राव साहब ने बहुत कुछ कहा है, वह भी हमारे मध्य आज नहीं हैं। इसी तरह से राय हरिचन्द जी, जब पंजाब कौंसिल थी और जिसमें शायद आपको भी मैम्बर रहने का अवसर मिला था, उसमें भी वह मैम्बर थे और वह सर छोटूराम जी के विचारों के अपने इलाके के बड़े मजबूत मैम्बर थे। देश आजाद होने के बाद भी वह पंजाब असैम्बली के मैम्बर रहे, हरियाणा की जनता व समस्त हिन्दूस्तान हमेशा इन महान आत्माओं को उनके कार्यों से उन्हें याद रखेगा। सरदार बसन्त सिंह जी, जिनके बारे में अभी चौधरी मुख्तयार सिंह जी ने कहा कि एक ऐसे वक्त में उनका निधन हुआ, जबकि उनकीं इस राज्य को बहुत जरुरत थी। उनका निधन कैसे हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चला। यह हमारे लिये, हमारे देश के लिए बड़े दुख का मकाम है।

उपाध्यक्ष महोदया, इन दिवंगत आत्माओं ने अपने अपने ढ़ंग से देश की सेवा की हमें उन सबको जो आज श्रृद्धांजलि भेंट करने का मौका मिला है, यह मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। भगवान उन सब दिवंगत आत्माओं को शान्ति दे और इन सबके खानदानों के साथ हम सबको हमदर्दी है। इसलिये, भगवान् उनके परिवारों को शक्ति दे कि वह शान्त मन से इस सदमे को सहन कर सकें। हमारी बहिन लज्जा रानी जी को जो कि मेजर अमीर सिंह जी के स्थान पर आई हैं, जितनी करीब वे मेजर साहब के रही हैं, शायद उनके उतना करीब हम भी न रहे होंगे। उनको मेजर साहब के कार्यों से शिक्षा लेनी चाहिये। मेजर साहब का स्थान हमारी बहन जी ने लिया। भगवान् उनको शक्ति दे कि वे मेजर साहब के कर्त्तव्य को पूरा कर सकें। बस इन शब्दों के साथ मैं बैठने की आज्ञा चाहूँगा।

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 25 अगस्त, 1970 ई.*

---------------------------

### राज्य बिजली बोर्ड के लिए ऋण-सीमा की स्थापना

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय यह एक तरह से बड़ी खुशी की बात है कि इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड ने प्रदेश की भलाई के लिये पैसा मांगा है। क्योंकि, बगैर पैसे के तो कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड हमारे प्रदेश की सेवा तभी कर सकता है, जब उसके पास इतना पैसा हो जितनी उसको जरुरत है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जहां यह पैसा जरुरी है वहां उसके साथ-साथ यह भी जरुरी है कि हम यह देखें कि जो अभी तक लिमिट थी या जो हद अभी तक सदन ने मुकर्रर की हुई थी वह किस प्रकार से इस्तेमाल हो रही है या हुई है? अभी तक किस तरह से हमारे प्रदेश का बिजली बोर्ड काम चलाता रहा है? अब हमें यह देखना है कि आया अब उसके अन्दर कोई तबदीली की जरुरत है, जिससे हम कम खर्चा करके और ज्यादा काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछले बजट अधिवेशन में स्वर्गीय मेजर अमीर सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न पर इसी सदन में आधा घंटे की बहस भी हुई थी और उस समय सरकार ने जवाब दिया था कि पंजाब के अन्दर जो बिजली का भाव है, उससे हरियाणा के अन्दर 70 फीसदी ज्यादा है। अध्यक्ष

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 25th Aug. 1970, Vol. II, No. 1, Page (1) 100-102*

महोदय, भाखड़ा डैम से जो बिजली पैदा होती है, वही दोनों को यानी पंजाब और हरियाणा को मिलती है। वहाँ से जिन रियासतों को बिजली मिलती है चाहे वह हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है यानी जो भी रियासतें वहां हिस्सेदार हैं उन सबकी दर एक है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो कीमत हमारी स्टेट के इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को बिजली हासिल करने में देनी होती है उतनी ही पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड या राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को देनी होती है। उसे कौमन ग्रिड रेट कहते हैं। इसलिये हरियाणा के अन्दर और पंजाब के अन्दर जो बिजली पहुंचती है उसका एक सा भाव है तो फिर हरियाणा के अन्दर और पंजाब के अन्दर इतना फर्क क्यों है?

बिजली का प्रसार हुआ है, यह खुशी की बात है। बिजली के प्रसार के बिना किसी भी देश की व प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। भगवान तो इन्सान को दो हाथ देता है परन्तु बिजली इन्सान को कई हाथ देती है ताकि वह अपना काम भली-भांति चला सके और तरक्की कर सके। बिजली का प्रसार होना बहुत जरुरी है। मैंने अखबारों में यह सूचना पढ़ी थी, पता नहीं यह सूचना सही भी है या नहीं, कि बिजली के प्रसार में देश के अन्दर हमारा प्रदेश सबसे आगे है। मेरा ख्याल है कि शायद उनको पूरे देश की जानकारी नहीं है। मद्रास प्रदेश के अन्दर आज से 6-7 वर्ष पहले, जबकि मैं यहां (पंजाब में) बिजली और सिंचाई विभाग का मन्त्री था, प्रत्येक गांव में बिजली दी जा चुकी थी और हमारी सरकार का तो अभी यह दावा ही है कि वह जनवरी-फरवरी तक देगी। अभी तो यह भी पता नहीं कि इनकी बिजली प्रसार की योजना पूरी होगी भी या नहीं, तो हम सारे प्रदेशों से आगे कैसे हो गये? मैंने अपनी लाइब्रेरी से कोशिश की कि मद्रास स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड की रिपोर्ट हासिल कर सकूं और आपको यह बता सकूं कि वहां पर कितने पंपिंग सैट्स व ट्यूबवैल्ज को बिजली मिली है, दुर्भाग्य से मुझे वह रिपोर्ट मिली नहीं। जहां तक मुझे अपने वक्त का ज्ञान है और सही तौर पर उस वक्त के आंकड़े याद हैं तो आज से 6-7 वर्ष पहले अकेले मद्रास प्रदेश में डेढ़-पौने दो लाख के करीब पंपिंग सैटस व ट्यूबवैल्ज को बिजली मिली हुई थी और पंजाब, जिसमें कि आज का पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश यानी 1966 से पहले का पंजाब दूसरे नम्बर पर था और इसमें कुल 24 हजार नलकूपों को बिजली मिली हुई थी। मैं यह नहीं मान सकता कि जिस प्रदेश के अन्दर इतना गौरव हो, वह हाथ पर हाथ धरकर बैठ जायेगा। यह तो माना जा सकता है कि वहां किसी कारण से पूरी तरक्की नहीं हुई हो तो भी यहा ंका दावा जब कि 44 हजार

नलकूपों को बिजली देने का है उसकी तथा मद्रास के आंकड़ों की तुलना करें तो हमारा प्रदेश सबसे आगे कैसे हो गया ? हमारे स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड की रिपोर्ट तथा ऑडिट की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है और सदस्यों को भी दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वहां एक नलकूप को बिजली देने का खर्चा औसतन 1200 रूपये के करीब था। पंजाब प्रदेश के अन्दर एक नलकूप को बिजली देने का खर्च औसतन 5000 रूपये के करीब पड़ता था। यदि आज हरियाणा में एक नलकूप को बिजली देने के खर्चे का अन्दाजा लगाया जाये तो शायद यह 10,000 रूपया होगा। इसी तरह पहले के पंजाब में एक गाँव को बिजली देने एवरेज खर्चा 34 हजार रूपया आता था और लगभग साढ़ चार हजार गाँवों में बिजली होती थी। जितने गाँवों को बिजली मिली हुई थी, उसका एक तिहाई हिस्सा ऐसे गाँवों का था जो 11 के.वी. लाईन के आधे मील के महराव (Radius) में साथ-साथ थे। आधे मील के अन्दर एक 11 के.वी. लाईन के अन्दर बिजली देने का एक गाँव का औसतन 10,000 रूपया बताया। जो गाँव हमने छोड़े हुए हैं, वह किसी दूसरे देश या प्रदेश के हिस्से नहीं, बल्कि इसी प्रदेश के गाँव हैं। उनके साथ दुर्व्यहार करना ठीक नहीं है। स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड एक कार्मिशियल अदारा है। इस कमर्शियल अदारे के अन्दर जो कार्यवाही होनी चाहिये, वह कमर्शियल नुक्त-निगाह तथा प्रदेश की तरक्की को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए।

**Mr. Speaker :** Chaudhri Sahib, time is over. The House stands adjourned till 2.00 P.M. tomorrow.

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 26 अगस्त, 1970 ई.*

---------------------------

### पूरक अनुदान व्यय अनुमानों पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं वित्त मंत्री महोदया और वित्त मंत्रालय की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। हमारा बजट 224 करोड़ रुपये का था और आशंका थी कि पता नहीं यह कितना भारी रकम सप्लीमैन्टरी एस्टीमेट्स के द्वारा इस सदन से मांगेंगे लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अबकी दफ़ा सिर्फ़ 18 करोड़ 19 लाख रुपया इन्होंने मांगा है और इसमें से भी 8 करोड़ 70 लाख रुपया अनाज की खरीद के लिए मांगा है जो वापिस आ जाएगा और एक करोड़ 9 लाख पहले जिसे मिसलेनियस हैड में मांगा था उसे दूसरे हैड को ट्रांसफर करवाना है जो कि कोई नई मांग नहीं है। इस तरह से इनकी नई मांग जो है वह केवल 9 करोड़ 15 लाख रुपये की है, जो मुश्किल से 4-5 परसैन्ट के करीब बैठती है लेकिन फिर भी वित्त मंत्रालय को चौकसी करनी है।

डिमांड नं. 9 के तहत इन्होंने मांग की है कि हमारे जो नए मंत्री महोदय बने हैं उनको तनख्वाह और दूसरी चीजों के लिए पैसा चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, हिन्दुस्तान की तमाम पार्टियों ने मिल करके पार्टियों को छोड़ने से रोकने के लिए एक रिपोर्ट बनाई और सरकार से सिफ़ारिश की कि डिफ़ैक्शन को रोकने के लिए कानून बनाया जाए। मुझे दु :ख के साथ कहना पड़ता है कि पहले भी यह हरियाणा ही था

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 26th Aug. 1970, Vol. II, No. 2,Page (2) 168-174*

जिसने एक तरह से निराली बात की थी और आज भी हम ही एक निराली बात करने के आगू हुए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं किसी भाई का नाम नहीं लूंगा। लेकिन, आप सब जानते हैं कि जैसी सिफ़ारिश थी और जिसको हिन्दुस्तान की सरकार ने जल्दी से जल्दी कानून बनाने की बात की उसकी धज्जियां हरियाणा के अन्दर उड़ा दी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उड़ाई। (विरोधी पक्ष की ओर से तालियां) यह कांग्रेस की सरकार के लिए शोभा नहीं देता था और न ही कांग्रेस की इज्जत बढ़ाता था।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद एक बात और मैं कहे बगैर नहीं रह सकता, वित्त मंत्री महोदया से भी और वित्त मंत्रालय से भी। मैंने बहुत सारे बजट देखे हैं। ऐसा मालूम देता है कि अबकी बार कुछ बातें छिपाने की कोशिश की गई हैं। बजट में हमेशा नए खर्च का नाम लिखा जाता है कि किस जगह और किस काम व किस स्कीम पर खर्च होगा। लेकिन, अबकी दफ़ा एकाध किसी बड़ी स्कीम को छोड़ करके या रैस्ट-हाऊसिज़ को छोड़ करके बहुत ज्यादा उसको छिपाने की कोशिश की गई है और कुछ इस बात की जरा बड़ाई करने की कोशिश की है कि रोहतक का यहां बहुत बोलबाला है। सारे हरियाणा के हस्पतालों के लिए 30 लाख रुपया दवाईयां खरीदने के लिए मांगा है। लेकिन, उसके ऊपर हैडिंग दे दिया है मैडिकल इन्स्टीच्यूट्स। जैसे कि मैडिकल कालेज रोहतक के लिए है। कितनी असत्य बात है। वित्त मंत्री महोदया से मैं चाहूँगा कि वह बताएं कि मैडिकल कालिज को आप कितना पैसा दे रहे हैं? रैस्ट-हाउसिज की बड़ी गिनती है जो अभी डाक्टर मंगल सैन जी ने नहीं दी। अगर आप कहें तो पढ़ सकता हूँ। रोहतक जिले के अन्दर सिर्फ़ एक रैस्ट-हाऊस के लिए पैसा मांगा है। मुझे हमदर्दी है राजेन्द्र सिंह जी से जो गन्नौर के किसी रैस्ट-हाऊस को बनाने के लिए रकम नहीं मांगी गई। सिर्फ गोहाना के रैस्ट-हाऊस के लिए 40 हजार रुपया मांग रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी काफ़ी लम्बे अर्से से स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन फ़िरोजपुर झिरका के लिए सिर्फ 20 हजार मांगा गया है। सबसे ज्यादा कहां खर्च हो रहा है तोशाम के रैस्ट-हाऊस के लिए जहां के मुख्यमंत्री जी हैं। जैसे रैस्ट-हाऊस का खर्च मंत्री की शक्ति के मुताबिक चलता है। उपाध्यक्ष महोदया, यह अच्छी बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदया, क्योंकि खर्चे के कोई नाम तो दिए नहीं गए हैं इसलिए अगर मैं यह बात कहूँ तो हर्ज़ की बात नहीं कि 9 करोड़ 15 लाख रुपये, जो नए खर्च के लिए मांगे गए है, में से केवल एक जिले के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये से ज्यादा मांगे गए हैं जैसे हरियाणा एक ही जिला बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदया, हमें खुशी है कि किसी पिछड़े हुए इलाके को सहायता दी

जाये। (शोर)

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** चौधरी साहब आपकी जवाब-तलबी हो जायेगी।

**श्रीमती ओम प्रभा जैन :** इन बातों को सबस्टांशियेट कर दीजिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मेरी जवाब-तलबी करने के लिए आप सब लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन, आप लोग जवाब तलबी कर नहीं सके। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे हरियाणा कांग्रेस के महामंत्री जी बीच में बोलते हैं, मुझे तो खुशी है कि सारे रुपये की जरुरत उनके हल्कों में ही है और कहीं जरुरत नहीं है। इसलिए, यह सारे सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स उनके लिए ही बनाने पड़े हैं। (विघ्न)

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** मैं आपको बताऊंगा जब आप मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार थे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** आप जरुर बताइये, मैं आपको जवाब दूंगा और जिस वक्त आप बता चुकेंगे उसके बाद मैं जवाब दूंगा। मैं आपकी बातों का जवाब दे सकता हूँ मेरे पास आपका बहुत पुराना चिट्ठा है और आपके विषय में तो मैं दावे से कह सकता हूँ।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** यदि आपके पास पुराना चिट्ठा है तो मेरे पास ताजा चिट्ठा है। आप और आपके दोस्त मिलकर ही सब कुछ कर रहे थे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** ये सब बातें लत हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 24 साल से मेरी पार्लियामेंटेरियन लाइफ रही है। मैंने 24 साल के अन्दर अपनी पार्टी के व्हिप को कभी भी नहीं तोड़ा है। लेकिन, मेरे दोस्त बनारसी दास गुप्ता जी ने तो कितने ही तोड़े हैं। (शोर) बनारसी दास जी वह कागज मेरे पास मौजूद हैं कि किस तरह से आपने हलफिया बयान दे कर अपने हक को तोड़ा था। (विघ्न) जहां तक मेरा अपना संबंध है मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि महामंत्री जी ने मुझे बजट से दूसरी तरफ खींच लिया था।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** आप ही चले गये थे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं नहीं गया था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे कह

रहा था कि चौधरी माडू सिंह जी भी कुछ पैसा ले गये हैं, पोस्ट–ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर, रोहतक के लिए। यह रुपया कोई 12 लाख 76 हजार 200 के करीब है। दूसरे उन्होंने एक लाख रुपया सी.आर. और वैश्य पौलिटैक्नीक इन्स्टीच्यूट, रोहतक के लिए मांगा है। कहने का मकसद यह है कि कुछ रुपया तो वे ले ही गए।

उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि अभी मंगल सैन जी ने कहा है, मैं उनके साथ सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि जितने भी शिक्षा के लिए विद्यालय हैं, वे ज्यादातर रोहतक में हैं। रोहतक के मुकाबले में कहीं भी नहीं हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंध तोड़कर रोहतक के अन्दर यूनिवर्सिटी कायम की जाए।

उपाध्यक्ष महोदया, नहर के बारे में मुझे एक बात कहनी है। लोहारु लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के लिए एक करोड़ और 12 लाख रुपया मांगा गया है। लेकिन, लोहारु लिफ्ट इरीगेशन स्कीम में जो पानी आयेगा, वह वैस्ट्रन जमना कैनाल की मार्फत ही आयेगा। इसलिए आज से काफी साल पहले हिन्दुस्तान की सरकार के पास एक योजना भेजी गयी थी कि भालौट ब्रान्च और वैर्स्टन जमना कैनाल को पक्का किया जाये। उस पर जो खर्चा होना था, वह केवल दो या तीन करोड़ के करीब था। यह कोई मैंने नहीं कहा था यह श्री कंवर सैन जी ने कहा था जो उन्होंने एक किताब के रुप में छापा है। यह किसी मीटिंग की राय नहीं है, बल्कि एक किताब की शक्ल में राय है। उनकी राय थी कि अगर इस नहर को पक्का कर दिया जाये तो 34 परसैन्ट पानी सिंचाई के लिए बढ़ सकता है। यानी जितने क्यूसिक पानी उसमें अब चलता है वहीं पानी 34 परसैन्ट अधिक भूमि को सैलाब कर सकता है। सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, छोटी–छोटी माइनरज को पक्का करना चाहते हैं। वे इसलिए करना चाहते हैं कि फिर इनको वक्त नहीं मिलेगा, आज ही वक्त है इसको पूरा करते जाओ।

चौधरी हरद्वारी लाल जी को कई एक डिमान्डों के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो इस रिपोर्ट से ही बताऊंगा कि किस तरह से यहां पर पक्षपात होता रहा है। उपाध्यक्ष महोदया डिस्क्रीशनरी ग्रान्टस के लिए पांच लाख 60 हजार रुपया मांगा गया है जो कुल 10 लाख 60 हजार के करीब हो जायेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो रुपया है यह प्रदेश की राजनीति के अन्दर अदला–बदली को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल न किया जायेगा। यानी डिफैक्शन्ज कराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा और यह पैसा हरियाणा प्रदेश को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा और

सारे ही मिनिस्टर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी पैसा आप मन्जूर करें वह हरियाणा के लिए हो और उसके अन्दर कोई बहुत ज्यादा 'मेर-तेर', नहीं होनी चाहिए। मैं यह मानता हूँ कि थोड़ी-बहुत तो होती है। लेकिन, अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि चार पांच साज पहले किसी मैम्बर ने एक सवाल किया था उसका नाम तो मुझे याद नहीं है उन्होंने पूछा था कि डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स का पैसा कहां कहां खर्च किया गया, तो उस समय पर उसके इस्तेमाल में उस कार्य को पूरा करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, जिनके लिए रुपये मन्जूर किये गये थे। इस प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे यह सारा पैसा डिप्टी कमिश्नर की मार्फत जाता है और मिनिस्टर का उससे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन, ताज्जुब की बात यह है कि हिसाब-किताब की कार्यवाही के लिए, आडिट के लिए जो रसीदें चाहिएं और जो कागज पूर्ति चाहिए उस कागज की पूर्ति नहीं की जाती। अब मैं वित्त मंत्रालय से और वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि इसमें मेरा भी जिक्र हो सकता है और दूसरे मंत्रियों का भी जिक्र है अर्थात् सभी का जिक्र हो सकता है यानी जो भी सर्टिफिकेट चाहिए थे वे हासिल करने चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सेवक समाज एक बहुत अच्छी संस्था थी उसमें भी इस बात पर काफी बावेला मचा था कि भारत सेवक समाज के पैसे का लत इस्तेमाल किया गया है। यह कोई जरुरी नहीं था कि उस पैसे का लत इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन, प्रजातन्त्र में पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो। ठीक तरीके से सारी कार्यवाही होनी चाहिए और उसका हिसाब-किताब तरीके से तैयार करना व रखना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि पिछली और अगली जो भी डिस्क्रेशनरी ग्रान्ट्स दी जायें और दी गयी हों उनका हिसाब-किताब ठीक तरीके से रेगूलेराइज कराना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने कहा है कि रैस्ट-हाऊसिज़ के लिए भी पैसा मांगा गया है उनमें हांसी के लिए पचार हजार, कैथल के लिए 50 हजार, करनाल के लिए भी 50 हजार, राजौन्द के लिए भी 50 हजार, लोहारु के लिए 67 हजार, सिवानी के लिए 50 हजार और चण्डीगढ़ तो सबके लिए है उसके लिए 69 हजार रुपया मांगा गया है। चौधरी नेकी राम जी ने नरवाना के लिए कुछ पैसा नहीं मांगा। तोशाम के लिए भी कुछ पैसा मांगा गया है। फिरोजपुर झिरका के लिए भी 20 हजार रुपया मांगा गया है। इस प्रकार से काफी रुपया मांगा गया है।

उपाध्यक्ष महोदया, दस लाख रुपया कमेटीज की सड़के बनाने के लिए

दिया जा रहा है। इसके लिए मैं एक बात जरुरी कहना चाहूँगा कि जिस भी म्यूनिसिपल कमेटी में सड़कों पर खर्चा होता है वह बताया जाये कि फलां म्यूनिसिपल कमेटी में इतना खर्चा किया जायेगा। मैं तो चाहूँगा कि कुछ अम्बाला में भी होना चाहिए, करनाल में भी होना चाहिए, जीन्द में भी और महेन्द्रगढ़ में भी होना चाहिए, हिसार में तो होगा ही।

सड़कों में सबसे आगे रोहतक जिला है। यह ठीक है और मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि पहले तरक्की में रोहतक का काफी हिस्सा रहा है। लेकिन, यह कार्य सिर्फ 25-30 या 40 सालों में हुआ था। यह सरकार सारा फर्क दो-तीन साल के अन्दर ही निकालना चाहती है। पूरा पैसा जितना मिलना चाहिए, वह मिलता नहीं है, इसका जो नतीजा हुआ है वह मैं कल बताऊंगा। हमारा एक गरीब प्रवेश है। जहां हमारे लिये पिछड़े हुए इलाकों, स्कूलों, सड़कों तथा सिचांई पर पैसा खर्च करना जरुरी है, वहां हमारे लिये आमदनी के लिए साधन बढ़ना भी जरुरी है ताकि हम प्रदेश के विकास का भार उठा सकें। उपाध्यक्ष महोदया पिछड़े इलाकों के नाम से स्कूलों में सैनेटरी वेयरज लगाने के लिए पैसा मांगा गया है। लेकिन, उनको मालूम नहीं कि कई ऐसे दूसरे इलाके हैं जहां, स्कूलों में पेशाब करने के लिए उचित स्थान भी नहीं है। हालांकि, सब जानते हैं कि बच्चों को पेशाब करने की आवश्यकता होती है।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, आप कब समाप्त करेंगे? जल्दी खत्म करें क्योंकि 6 बजे तो गिलोटीन लग जायेगा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस वक्त आप कहेंगी मैं बोलना बन्द कर दूंगा। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करुंगा।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, आप एक डिमान्ड पर और बोल लीजिए।

**वित्त मंत्री ( श्रीमती ओम प्रभा जैन ) :** मैडम, मुझे आप बोलने के लिए किस वक्त समय देंगी?

**उपाध्यक्षा :** आपको कितना समय चाहिए?

**श्रीमती ओम प्रभा जैन :** मैडम, आप मुझे 20-25 मिनट दे दीजिए।

**उपाध्यक्षा :** आलराइट, मैं दे दूंगी।

**चौधरी रणबीर सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं दूसरे सदस्यों के हक पर

छापा नहीं मारना चाहता। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह कि पिछली दफा सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि रोहतक में एग्रो–इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के लिये दरख्वास्त फार्म मिलने शुरु हो जायेंगे लेकिन अभी तक भी वह फार्म मिलने शुरु नहीं हुए। पक्षपात की इतनी हद नहीं होनी चाहिए। रोहतक हरियाणा का एक अहम जिला है और रहेगा भी। रोहतक की अहमियत को कोई मिटा नहीं सकता और यदि कोई ऐसा सोचता है तो वह लती पर है। मैं यह नहीं कहता कि हिसार, करनाल, जीन्द, गुड़गांव की तरक्की न करो। आप पिछड़े हुए इलाकों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करो लेकिन पक्षपात न करो। यदि मैं चाहता, जब मैं मिनिस्टर था तो अपने इलाके को पिछड़े हुए इलाकों की सूची में शामिल करवा सकता था। लेकिन, मैं क्योंकि पक्षपात नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा नहीं किया। मैं चाहूँगा कि हरेक मंत्री महोदय जिस माप से सारी स्टेट को नापते हैं, अपने हल्के को या अपने जिले को भी उसी नाप से नापें।

# हरियाणा विधानसभा

## शुक्रवार, 27 अगस्त, 1970 ई.*

---

### हरियाणा विनियोग ( नं. 3 ) विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह :** जितना टाईम शारदा बहिन ने लगाया, इसके अतिरिक्त हम ज्यादा समय तक वहां नहीं रहे। बहिन ने खुद कहा कि आप चाय पीकर ही जाना।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या चाय पीने का टाईम रात के तीन बजे होता है?

**चौधरी रणबीर सिंह :** अगर कांग्रेस पार्टी के मैम्बर के साथ चाय पीना भी जुर्म है, तो उसका मैं मुल्जिम हूँ। उस समय सवेरे के छह बजे थे।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** अपोजीशन लीडर के साथ चाय पीने का क्या मतलब है?

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, उन्होंने अभी कहा कि राव साहब बाद में आयें। इससे असत्य भाषण कोई नहीं हो सकता। लाला बनारसी दास जी मैं आपकी तरह से कांग्रेस छोड़कर नहीं गया। जब कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाग गये। पता नहीं कितनी ही पार्टियां आपने बदली हैं?

**श्री मंगल सैन :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी बहिन जी कह रहीं थी कि

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 27th Aug. 1970, Vol. II, No. 3,Page (3) 156-157*

रात के तीन बज गये थे। बहिन जी आपने दरवाजा ही नहीं खोलना चाहिए था। हमें समझ नहीं आया यह क्यों खोला गया, क्या मामला है ? (शोर)

**श्रीमती शारदा रानी कुंवर :** एक्सक्यूज मी मैडम। श्री मंगल सैन जी को मैं बता देना चाहती हूँ कि जब ये गये उस समय मेरा दरवाजा बन्द था, निश्चित रुप से बन्द था।

**श्री मंगल सैन :** मैं तो उनके साथ नहीं था।

**श्रीमती शारदा रानी कुंवर :** मैं तो चौधरी रणबीर सिंह जी की बात कर रही हूँ। आप मेरे घर नहीं आ सकते हैं और न ही आपकी इतनी हिम्मत है।

**Deputy Speaker :** I would request the honourable lady member to adress the Chair.

**श्रीमती शारदा रानी कुंवर :** मैडम ऐप्रोप्रिएशन बिल पर कुछ लत बातें कह कर गुमराह किया जा सकता है। तो मैं उनको सही बात बताऊंगी। मैं वह निगाह वाली बात भी वहां हाऊस में बताना चाहती हूँ।

**Deputy Speaker :** Please do not refer to this word again and again.... (Laughter).

**श्रीमती शारदा रानी कुंवर :** मैडम, अब बात चली है इसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि, अधूरी रखने से मेरे ख्याल में लोगों की नजरों में यह बात लत की जा सकती है। इसलिये मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे सिर्फ यही बात कहने दें, उसके पश्चात् मैं अपने प्वायंट पर आ जाऊंगी।

मैं बता रही थी कि चौधरी रणबीर सिंह जी का नाम सुनकर मैंने दरवाजा खोला। चौधरी रणबीर सिंह हमारे कांग्रेस के सदस्य थे। मेरी समझ में नहीं आया कि हमारे इतने बुजुर्ग साथी रात के समय किसलिये आये हैं ? उनके साथ हमारे अपने एम.एल.ए. के भाई थे, जो कि हरियाणा गवर्नमैंट में एक अफसर हैं। वे तो मुझे देखकर वहां से भाग गये। उसके बाद वहां राव साहब आये। उन्होंने मुझे काफी कुछ कहा और खूब लालच भी दिया जो कुछ कह सकते थे, कहा। लेकिन, जब उन्होंने देखा कि यहां पर बात नहीं गलेगी तो फिर उनकी निगाह उठाने की जुर्रत नहीं पड़ी। यही नहीं मैडम, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि एक बड़े लत और भद्दे तरीके से इन्होंने मेरे से ब्लैक-मेल करना चाहा। मेरे ख्याल में हरियाणा के सारे लोग जानते

होंगे। अखबारों में वह जलील से जलील बातें इन्होंने छपवायी जिसकी कोई भी रीज़नेबल आदमी कम से कम एक लेडी की इज्जत पर, एक हरियाणा की बहिन की शान में ऐसी बातें नहीं करवा सकता और फिर उनके बदले में मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गयी। कुछ आदमी मेरे पास आये, मैं उनकी शक्ल देखकर बता सकती हूँ। अदरवाइज वे मेरे लिये अनजान आदमी थे। अगर मैं उनकी शक्ल दोबारा देखूं तो मैं उनको पहचान सकती हूँ। इस तरीके की बातें इन लोगों ने की हैं। मैं यह समझती हूँ कि जितने भी मैम्बर यहां बैठे हैं और जो इस कांग्रेस सरकार का साथ दे रहे हैं वे इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं।

मैं मानती हूँ राव साहब एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छी परसनैलटी रखते हैं और कभी कभी लोग उनकी बेकार की बातों से बहक भी सकते हैं। (व्यवधान)

ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके मन में हरियाणा स्टेट के लिये प्यार नहीं है। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि सबके मन में हरियाणा स्टेट के लिये प्यार है। एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर डिमान्ड्ज रखी गयी हैं।

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

---

### व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**चौधरी रणबीर सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, राव साहब के बाद कुछ कहना था ताकि मैं अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दूं। अगर मुख्यमंत्री समझते हैं कि मैंने पहले बोलना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इससे पहले वे बोलना शुरु करें, वे बता दें किस किस बात पर बोलना चाहते हैं?

**उपाध्यक्षा :** चौधरी बंसी लाल जी अपना पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। इससे पहले आपका एक्सप्लेनेशन हो सकता था। लेकिन, वे खड़े हो गये हैं इसलिए वे पहले दे सकते हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंह :** ये किस बात पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? स्पीकर साहिबा, अगर कोई नई बात हुई हो तो उसके मुताल्लिक, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। पहले ये बतायें कि कौनसी नई बात है? (शोर)

**चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) :** उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी ने जवाब देते हुए बहुत सी बातें मेरे बारे में कहीं। उन्होंने कहा कि मैंने हिसार का नाम लिया है। मैंने किसी जिले का नाम नहीं लिया था, आप पढ़ लीजिए। लेकिन, मैं इस

----------------
*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 118-128*

बात से इन्कार नहीं करता कि जो मैंने कहीं थी उसे हिसार जिले का माना जा सकता है। मैंने नाम नहीं लिया, अब आपने लिवाया है। उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने कहा कि मैं भी पहले मिनिस्टर था। ठीक है, मैं सिंचाई विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. और हैल्थ का मिनिस्टर था। इसके अलावा वाटर वर्क्स की स्कीम भी मेरे अन्डर थी। जहां जूई का जिक्र किया। ठीक है, मैं एक दफा जुई में गया था। लेकिन, आपके मुख्यमंत्री को मैंने वहां नहीं देखा। हां, देखा था 1967 के चुनाव में। मुझे पहले चुनाव कानून के तहत चुनाव भ्रष्टाचार के बारे में ज्ञान था। क्योंकि, न मैंने किसी के खिलाफ पेटीशन की थी और न ही मेरे पर किसी ने पेटीशन की थी। अबकी बार पैटीशन के तजरुबे करता चला कि चुनाव के दिनों में किसी तरक्की के काम को चालू करना था। चुनाव भ्रष्टाचार जुर्म माना जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदया, सन् 1967 चुनाव में, मैं तोशाम गया था तो उस वक्त श्री बंसी लाल जी के चुनाव का अहम मुकाम था। वहां पर आज के मुख्यमंत्री जी को यह इतलाह कर गया था। मैं आपके हल्के में पीने के पानी की स्कीम चालू करने गया। यह इतिहास की बात है, सरकारी कागजात की बात है, आप रिकार्ड देख सकते हैं। मैंने निवेदन किया था कि आप अपनी पब्लिक मीटिंग करें। आज अगर मुख्यमंत्री जी कहीं मीटिंग करें तो उनको सुनने को हजारों लाखों लोग आते हैं। ठीक है, आया ही करते हैं। जो भी हो उसके लिए भी आयेंगे, ऐसे ही आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, उनके साथ आप प्रदेश कांग्रेस के हमारे महामंत्री श्री बनारसी दास जी मुझे वहां मिले थे। गिनती में नहीं पड़ता कि कितने आदमी थे, वे खुद जानते हैं।

**श्री मंगल सैन :** दो दर्जन होंगे जी।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, उन्होंने यह कहा है कि मैंने अपने में काम किया है और हरियाणा में दूसरी जगह नहीं किया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदया मैं आपको बताऊं कि मुझे इस बात का फख्र था...........

**मुख्यमंत्री ( श्री बंसी लाल ) :** मैंने अपने हल्के में नहीं कहा, रोहतक में कहा। फिर मेरे हल्के का तो ये बिना बात क्रेडिट ले रहे हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** हो सकता है कि मेरा ख्याल लत हो। लेकिन, रोहतक जिला ही कहा है तो मुझको उस बात में भी कोई एतराज करें क्योंकि मैं रोहतक जिले की बात कहता हूँ। इन्हें चाहिए तो यह था जो बात मैंने कही उसको लत बताते। मैं तो कहता हूँ कि अगर रोहतक जिला में काम किया और हिसार में नहीं किया हो तो मैं अपने आप को दोषी मान सकता हूँ। लेकिन, असलियत तो इसके

उलट है। आज मुख्यमंत्री जी के पास सरकारी कागजात मौजूद हैं। हमारे पास कागजात नहीं। हिसार जिले के लिए, जहां पीने का पानी नहीं मिलता था और जिसकी योजना के बारे में मुख्यमंत्री जी ने अपनी तकरीर में बड़ी बातें कहीं थी। यह मुझे फख्र था, उपाध्यक्ष महोदया, उस वक्त के पी.डब्ल्यू.डी. एण्ड हैल्थ मिनिस्टर के नाते पंजाब के अन्दर, हिसार के लोगों के शेयर को जो कि स्कीमों की कीमत का 12 प्रतिशत था, पंजाब सरकार से मन्जूर कराने का और दिलाने का। मैंने मन्जूर कराया था। इस बारे में कैबिनेट में मेरी तरफ से मेमोरेन्डम गया था। हिन्दुस्तान की सरकार से 87 फीसदी हिस्सा उस इलाके की पीने के पानी की स्कीम के लिए मन्जूर कराने का भी मुझको फख्र था।

**श्री बंसी लाल :** चौधरी साहब, 87 फीसदी के बारे में कौन से इलाके का जिक्र किया है?

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं आपके द्वारा उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने हिसार के इलाकों में किया है। हिसार जिले में बहुत ज्यादातर तोशाम, भिवानी के हल्के व तहसील भिवानी में आते हैं और हिसार तहसील भी शामिल है। साढ़वा की स्कीम और बहुत सारी पीने के पानी की स्कीमें मेरे वक्त में पूरी हुई थी। लोगों का हिस्सा 12 फीसदी भी सरकार की तरफ से दिया गया और हिन्दुस्तान की सरकार 87 फीसदी देगी यह उस वक्त के फैसले को मुख्यमन्त्री जी को मैं बताना चाहता हूँ, केवल इस बात के लिए और किसी बात को नहीं। क्योंकि वे मेरी पार्टी के नेता हैं और इसलिए मैं चैलैन्जबाजी नहीं करना चाहता कि अगर यह बात झूठ हो तो कम से कम मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, उस वक्त भिवानी तहसील, लोहारु वगैरह में हिसार के अन्दर कहत पड़ता था, जिस तरह से अभी पीछे पड़ा था।

**श्री बंसी लाल :** उपाध्यक्ष महोदया, ऑनरेबल मैम्बर से खाली पसर्नल इन्फरमेशन देने के लिए कहा गया था, ये तो स्पीच दे रहे हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मुझको मुलजिम जो बनाया गया है। मैंने सिर्फ रोहतक जिले में काम किया था उसके जवाब में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने हरियाणा और पंजाब में कहां-कहां काम किया था? आपके चार्ज के मुताबिक तो मैं ज्वायंट पंजाब की भी बात कर सकता हूँ। लेकिन, मैं उस बात पर ज्यादा बोलने वाला नहीं। तो उपाध्यक्षा महोदया, मैं यह बता रहा हूँ कि उस वक्त

जितना कहतजदा इलाका था, उसमें बहुत बड़ा भिवानी तहसील का इलाका था और जो सड़कें मन्जूर हुई थी उनमें से बहुत सारी सड़कें भिवानी तहसील के लिए हुई थी, कुछ महेन्द्रगढ़ जिले के लिए, कुछ रिवाड़ी के लिए और कुछ झज्जर तहसील के लिए मन्जूर हुई थीं। मुझको मौका नहीं मिला, उसमें सरकारी तौर पर देखने का। लेकिन, जैसा मैं सुनता हूँ उसके मुताबिक मुझे ज्ञात हुआ है कि भिवानी तहसील की सारी सड़कें पक्की हो गई हैं या होने वाली हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये सारी की सारी सड़कें मैंने मन्जूर की हैं।

**श्री बंसी लाल :** मैं इसका जवाब दूंगा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, रोहतक जिले की इन्होंने अनदेखी की लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि ऐप्रोच रोड्ज की स्कीम गर्वनमेंट ऑफ इंडिया की थी और उसके मुताबिक 25 फीसदी हिस्सा जहां लोग दे दिया सड़क बनाई जा सकती थी। जब मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर बना तो उस समय 33 लाख रुपया इस स्कीम पर खर्च हो चुका था। मैंने इस स्कीम को और तरीके से चलाया। लेकिन, तेजी से चला करके एक इंच भी पक्की सड़क रोहतक जिले में नहीं बनवाई या अपने हल्के में नहीं बनाई, जहां से 25 फीसदी हिस्सा नहीं आया। केवल वहां बनवाई जहां से लोगों ने पैसा दिया। उपाध्यक्ष महोदया जिस गांव में मेरी ओरनाल गड़ी है, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, उस गांव से एक फरलांग की सड़क हस्पताल के लिए तब तक नहीं बनवाई जब तक लोगों से अपने हिस्सों का पैसा नहीं लिया गया। लेकिन, मुझको दु :ख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह मन्जूर हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल मिली सड़क आज चार साल के बाद भी नहीं बनी। लेकिन वह मुझको कोई शिकायत नहीं करने को कहते हैं, वक्त की बात होती है। कई बातें होती हैं, शायद पैसा कम हो, टैक्स न मिल सके हों लेकिन वह हमारे देखने की बात है, इनमें से कोई सी भी बात नहीं फिर भी सरकार को इस तरफ देखना होता है। बावजूद इस बात के कि रोहतक मार्किट कमेटी का सबसे ज्यादा पैसा आता है, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन, इन सब बातों को बताने का यह वक्त नहीं है। इस वक्त तो मुझको बोलना यह है कि मैंने रोहतक जिले के साथ कोई पक्षपात किया था या नहीं किया था।

उपाध्यक्ष महोदया, तीसरा महकमा मेरे पास बिजली और सिंचाई का था।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, मैं आपसे रिक्वैस्ट करुंगी कि जो इलजाम

आपके ऊपर लगाये गए हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर बोलिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उन्हीं के ऊपर मैं कह रहा हूँ। उन्हीं महकमों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मेरे पास थे।

**उपाध्यक्षा :** अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो बाकी काम के लिए वक्त नहीं रहेगा।

**श्री बंसी लाल :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैडम, हम कोई बजट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मैंने रेफरेन्स यह दिया था कि रोहतक जिले में काम किया और हिसार पीछे रह गया। अगर आज हम हिसार को आगे ले जायें तो इसमें क्या बुरी बात है। यह तो जनरल बात कर रहे हैं। आप गैर-जरूरी हाऊस का टाईम वेस्ट कर रहे हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, अभी भी वे कह रहे हैं कि रोहतक जिले में काम किया। अब मुझको मालूम नहीं कि इसके जवाब में क्या कहा जाए? आप मेरी मदद कर दें। ये मेरे खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, मंत्री के नाते मैंने अपने जिले के लिए पक्षपात किया था। इसलिए मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही कि मैंने नहीं किया था। उपाध्यक्ष महोदया, तीसरा महकमा बिजली एवं सिंचाई का था। ड्रेनेज के ऊपर 25 करोड़ के करीब रुपया दो वर्ष में खर्च हआ। वह तो लोहारु के अन्दर खर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां बाढ़ आती नहीं था।

**उपाध्यक्षा :** आप जल्दी खत्म करिए। (विघ्न)

**चौधरी रणबीर सिंह :** अगर आप चार-पांच मिनट देंगे और ये लोग बीच में नहीं टोकेंगे तो मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। आप इजाजत दें। मैं कोई बात फालतू नहीं कहूँगा। उपाध्यक्ष महोदया, वहां पर इसलिए काम नहीं हो सका क्योंकि वहां फ्लड आता नहीं था। कैसे वहां पक्षपात हो गया? यह तो मैं नहीं कह सकता। फ्लड सिरसा में आता था। इसलिए सिरसा और घग्गर स्कीम के ऊपर पैसा खर्च हुआ और काफी से ज्यादा खर्च हुआ। उसमें कोई बात नहीं कर सकता कि रोहतक और हिसार का पक्षपात किया गया था या किसी और जिले का पक्षपात किया गया था? उपाध्यक्ष महोदया, कल ही कुछ सदस्यों ने अपनी बात कहते हुए मेरे विषय में कुछ बातें कहीं और खासतौर से माननीय बनारसी दास गुप्ता जी ने जो कि हरियाणा कांग्रेस पाटी के महामंत्री हैं।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** चौधरी साहब, मैं तो कल बोला ही नहीं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** भाई साहब आपको याद नहीं (विघ्न) अध्यक्ष महोदया, कल मैंने इन सबको बातें कलेजा थाम कर सुनी थी। इसलिए इनको भी तसल्ली से सुननी चाहिएं। शारदा बहिन बोल रही थीं तो कल बनारसी दास गुप्ता जी बीच में उठ कर कहते थे, पिछले बजट सैशन के वक्त बनारसी दास गुप्ता जी की जो भी तकरीरे हैं, उनको देख लें और 26-27 फरवरी की रात का जो ये जिक्र करते हैं, उसके बाद की तकरीरों को भी देख लें और अब जो ये नयी-नयी बातें खड़ी हुई हैं उनको भी देख लें फिर आप अन्दाजा लगायें कि पहले वाली सही है या बाद वाली सही है? (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया, बेहतर होगा यदि मुझको चौधरी बंसी लाल जी की बातों की याद न दिलायें जिनका मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता, वरना मैं और बातें भी यहां हाऊस में कह दूंगा। (विघ्न)

**एक सदस्य :** चौधरी साहब वह बात भी बताइये।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मुझे तारीख तो याद नहीं है। लेकिन, इसी सदन में इन्होंने कहा कि आप पंडित भगवत दयाल जी से बातचीत जारी रखो। मैंने उनसे बातचीत जारी रखी और वह इसलिए जारी रखी कि वह अपनी पार्टी के लीडर के हुक्म को बजाना था। तो अब भी उनको इस बात पर दु :ख हो तो मुझे उससे क्या? कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे ये साबित कर सकें (विघ्न) मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देकर किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता (विघ्न)।

**श्री बंसी लाल :** सरकार को तोड़ने के लिए 26 और 27 तारीख को चौधरी चन्दा सिंह, रामधारी गौड़ और शारदा रानी के पास घूमते रहे। मगर सदन में आकर तो रोये और उधर रात को सरकार तोड़ते हुए फिरे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैंने बोलते हुए किसी भी दोस्त के बारे में कोई कटू शब्द नहीं कहा या उसकी शान के खिलाफ कोई बात नहीं कहीं, जिससे किसी दोस्त को जोश आये। लेकिन ये वैसे ही नयी नयी बातें कहें जो उचित नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस हाऊस में रोया था और आपको भी याद होगा और जो कुछ मैंने उस रोज कहा था वह इस सदन की कार्यवाही में भी होगा। उस रोज, स्पीकर साहब के खिलाफ भी अदम-उन्माद की मोशन आयी थी।

यहां पर हाऊस में जो नो–कान्फीडेन्स मोशन मिनिस्टरी के खिलाफ आयी थी उसकी तारीख रखी गयी कि फलां तारीख को यह मोशन हाऊस में डिस्कस होगी। मैंने उस वक्त कहा था .......... (विघ्न) मुख्यमंत्री साहब ने अभी कहा था कि मैं रोया था। उपाध्यक्ष महोदया जिस आदमी का 24 साल का इतिहास हो अर्थात् मैं 24 साल से लैजिसलेटिव असैम्बली में हूँ। मैंने कभी कोई विह्प नहीं तोड़ा। मेरे लिए इस प्रकार से डिफै क्शन का इस्तेमाल आपने किया यह आपके लिए ठीक नहीं है। (विघ्न)

**चौधरी राज सिंह दलाल :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या वह पर्सनल एक्सपीरियन्स है या कल के इल्जामात का उत्तर दे रहे हैं या जो आज इल्जाम लगाये हैं उनका जवाब दे रहे हैं ? हमारी तो यह बात समझ में नहीं आ रही है। (विघ्न)

**चौधरी रणबीर सिंह :** यदि मुझे दोबारा मौका देंगे तो मैं आज के इल्जाम का भी जवाब दे दूंगा। अब तो मैं सदन का समय बचाने के लिए कल की बोली का ही जवाब दूंगा। अगर अब कोई बात कही जायेगी तो उसका फौरन जवाब के लिए समय मांग सकते हैं। कल वाले का जवाब देने दें और आज का इलजाम हो, उनके लिए बाद में समय दिला दें, मुझे तो कोई एतराज नहीं।

उपाध्यक्ष महोदया, यह बात मेरे विषय में कही गयी और उसका मुझे बड़ा दु :ख हुआ। मैं इतने साल तक लोक सभा का कांस्टीच्यूशनल असैम्बली, जो कि विधान की बनाने वाली है, उसका मेम्बर रहा, और उसमें काम करने का मुझे मौका मिला। उसके पीछे क्या भावनायें थीं और उन भावनाओं को कैसे आज रोंदा जा रहा है ? इसका मुझे बड़ा दु :ख है और इसी दु :ख के कारण मेरा गला रुंध आया था तथा आपको भी याद होगा उपाध्यक्ष महोदया क्या आपने भी उस समय हमदर्दी जाहर की थी ?

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब आपका दिल मैला हुआ तो मेरा दिल भी मैला हो गया था।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया यही मैंने याददाहनी फरमाया है।

**श्री ओम प्रकाश गग :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर मैडम, वह दिल मैला क्यों हुआ ?

**उपाध्यक्षा :** आप किसके लिए पूछ रहे हैं ? मेरे लिए पूछ रहे हैं या चौधरी रणबीर सिंह जी के लिए पूछ रहे हैं ?

**ओम प्रकाश गर्ग :** आपका दिल तो उनके साथ ही आ जायेगा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, इस बारे में मैं दो-तीन शब्द कहकर अपना स्थान लेता हूँ। यह बात तो फरवरी की थी। फरवरी को तो गये कई महीने हो गये। मेरे लायक दोस्तों को तकरीरें करने का सदन में भी मौका मिला। इन्होंने और भी जगह कार्यवाही करने की कोशिश की, वहां भी सफल नहीं हुए।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** वह भी कर रखी है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मेरे पास नहीं पहूँची है। मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ। आप मुझे फांसी पर लटका देना, मैं अपील व इन्कार नहीं करुंगा।

उपाध्यक्ष महोदया, जो बात मैं कह रहा हूँ यदि वह लत हो तो मैं आपकी ओर से अभी श्री बनारसी दास गुप्ता से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा था कि पार्टी के मैम्बर के नाते जो मुझे अधिकार था, जब तक मैंने किन्हीं के बारे में अखबार में यह नहीं कहा कि लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, उस वक्त पहले की या बाद की कोई चिट्ठी-पत्री मुझे नहीं पहूँची और यदि बनारसी दास जी ने कोई चिट्ठी-पत्री भेज दी हो तो उसमें मेरा तो कसूर हो नहीं सकता। यह तो उनके या मुख्यमंत्री के दफ्तर का कसूर हो सकता है। लेकिन, मुझे वे नहीं मिलीं।

**श्री बंसी लाल :** नोट मांगते तो सारे मैम्बरों के लिए यह फिरें और कसूर हमारा हो सकता है?

**चौधरी रणबीर सिंह :** चौधरी साहब, मैंने सुना नहीं है। जरा फिर बताएं।

**श्री बंसी लाल :** पुरानी बात है नई कोई नहीं है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मेरा तो इतना ही कहना है यह जो इतनी बातें आयी हैं इसमें तमशुदा मनोवृति दिखाई देती थी और उसके बारे में मेरा कोई कसूर नहीं है। उस बात से मुझे कोई डर नहीं है। हर मैम्बर को अपने हक के लिये लड़ने का अधिकार है। अव्वल तो मैंने कोई पक्षपात किया ही नहीं, अगर कोई लती की भी हो गई है या पक्षपात किया है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ।

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

----------------------------

### राज्य बिजली बोर्ड हेतु ऋण-सीमा की स्थापना

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी ने ...............

**उपाध्यक्षा :** क्या आप स्पीच कर रहे हैं ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** सैल्फ एक्सप्लेनेशन।

**उपाध्यक्षा :** नहीं नहीं, चौधरी साहब, सैल्फ एक्सप्लेनेशन आप दे चुके हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** इतने में तो मैं बात खत्म भी कर देता। अब आप जानना चाहते हैं कि कौन सा नया प्वायंट है तो मैं इतनी बात पर कर खत्म करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो नई बातें लाई वे सब निराधार हैं।

**उपाध्यक्षा :** आप अपनी स्पीच जारी रखें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर अब मैं शुरु करुं ?

**उपाध्यक्षा :** जी हां।

OFFICIAL RESOLUTION

*Re*. raising of limit of loan to State Electricity Board (Resumption of discussion)

----------------
**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 148-158*

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, इस सदन के सामने प्रश्न है कि हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कर्जा लेने की आउटर लिमिटिड जो है वह 50 करोड़ रख दी जाए और इसकी मन्जूरी कर दी जाए। उपाध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने उस रोज कहा था कि उस बात में मुझको कोई बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं है। लेकिन, कुछ आपसे मैं इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहले इकट्ठे पंजीकरण के अन्दर आउटर लिमिट रखने का प्रस्ताव मैंने पेश किया था। उपाध्यक्ष महोदया, यह केवल 12 करोड़ रुपये का था। आप जानते हैं कि उस वक्त प्रदेश कितना बड़ा था। अब हरियाणा उसके मुकाबले में कितना छोटा है, यह मुझे आपको बताने की जरुरत नहीं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक दो मिनट में आपके लिए कुछ आंकड़े सदन में रखना चाहता हूँ। 12 करोड़ की लिमिट जिस वक्त ली थी उस वक्त तकरीबन साल 1963 का आखिर और 1964 का शुरु था। दो-दो साल के अन्दर उतनी आउटर लिमिट के तहत कितना काम हुआ, उसे भी मैं आपको एक थोड़ी सी झांकी देना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, उस वक्त सारे पंजाब के अन्दर 1961-62 के आखिरी साल में जब मैंने काम सम्भाला, कोई साढ़े चार लाख के करीब कनेक्शन्ज थे और जिस वक्त मैंने काम छोड़ा उस वक्त तकरीबन साढ़े आठ लाख के करीब थे। इसी तरह से कनैक्शन्ज का जो लोड था वह कोई चार मिलियन वाट्स था और जिस वक्त मैंने छोड़ा उस वक्त वह 800 मिलियन वाटस के करीब था। इसी तरह से 1961-62 के साल में बोर्ड की आमदनी कोई 9 करोड़ के लगभग थी मगर जब मैंने काम छोड़ा उस वक्त 15 करोड़ के करीब थी। उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं, भाखड़ा जब बनने लगा था तो उस वक्त बिजली के बंटवारे के सम्बन्ध में असूल तय हुए थे और वह असूल थे कि जिसका जितना स्टोर्ड वाटर सप्लाई में हिस्सा हो उतना उसका बिजली का हिस्सा मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, एक सौ में से कोई 15.22 परसैन्ट राजस्थान का हिस्सा है, बाकी इकट्ठे पंजाब का। जो इकट्ठे पंजाब का हिस्सा है उसके अन्दर हरियाणा का हिस्सा पंजाब के मुकाबले में तकरीबन 60 फीसदी है। वे कागज मेरे पास नहीं हैं। आंकड़े में कोई एकाध परसैन्ट का फर्क हो सकता है। पंजाब का 60 फीसदी हिस्सा है। उपाध्यक्ष महोदया, आज हालत क्या है? जितनी बिजली हमको मिलती है, पंजाब और हरियाणा को, उसके मुकाबले में, हमको 39 फीसदी के लगभग मिलती है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं असैटस एण्ड लाईबिलिटीज के साथ वहां पर गया था और वे कागज मेरे पास नहीं हैं। लेकिन, यह जानकर मुझे दु :ख हुआ कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा जो 39 फीसदी पानी मुकर्रर किया हुआ है,

वह भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद दूसरी बात मुझे करनी है कि क्यों न बैंक से कम कर्जा उठा करके काम चलाएं? इसके लिए मैं कुछ ऐसे सुझाव देना चाहता हूँ, जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा बचत हो सकती है। पानी से जो बिजली बनती है यानी भाखड़ा से जो बिजली पैदा होती है, उसके ऊपर कोई 39 पैसे प्रति यूनिट खर्च आता है। लेकिन, जो कोयले से यानी थर्मल प्लांट से पैदा होती है उसके ऊपर 8 और 9 पैसे प्रति यूनिट के करीब खर्च होता है। उपाध्यक्ष महोदया, पानी से बिजजी पैदा करने वाले पॉवर हाऊस हमारे भाखड़ा और जोगिन्द्रनगर के थे। भाखड़ा और जोगिन्द्रनगर का यदि मुकाबला किया जाए तो जोगिन्द्रनगर में सबसे सस्ती बिजली पैदा होती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदया वह पंजाब की धरती पर नहीं है। वह तो हिमाचल की धरती में वाक्या है। उपाध्यक्ष महोदया, हिन्दुस्तान की सरकार ने, चाहे हमारी सलाह न मानकर उसने हमारी बात को अपने ढ़ंग से पूरा न करके, कारण कुछ भी हो वह मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ कि बंटवारे के वक्त हमने जोगिन्द्र नगर के मुकाबले में (देसु) देहली इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग से बिजली लेने का फैसला किया। देसु की बिजली कोयले से पैदा होती है। हालांकि कोयले से बिजली पैदा करने वला नया पावर हाऊस लगाने के लिए कई साल लगते हैं, मगर फिर भी कीमत में बड़ा फर्क है। कोयले की बिजली लेकर हमने समझदारी बरती या इससे हमको घाटा हुआ, यह आप खुद सोच सकती हैं। लेकिन, मैं तो एक बात जानता हूँ कि हम अगर बिजली मंहगी पैदा करेंगे तो बोर्ड को जो बचत होगी, वह कम होगी।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके अलावा एक और बात देखने का मुझे मौका मिला। भाखड़ा के अन्दर एक ही मशीन की बिजली पैदा करने की शक्ति वहां की झील में कितना ऊंचा पानी है या कितना नीचा पानी है, उसके ऊपर मुनहस्सर है। अगर पानी ज्यादा ऊंचा है तो उतने ही पानी से ज्यादा बिजली पैदा होगी और अगर वहां के तालाब में भाखड़ा के तालाब में पानी की सतह नीची है तो उतने ही पानी से कम बिजली पैदा होगी। उपाध्यक्ष महोदया, इस साल को हम थोड़ा बहुत निराला सा कह सकते हैं। लेकिन, पहले जो साल आए वे इतने निराले नहीं थे। पहले इसकी तकलीफ पॉवर की नहीं थी। भाखड़ा के अन्दर तीन महीनों को छोड़करके मशीन की फर्म पॉवर से ज्यादा बिजली पैदा हो सकती है। कम बिजली पैदा होने वाले महीने हैं अप्रैल, मई और जून। जुलाई के अन्दर तो पानी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दरियायें

सतलुज एक बरफानी दरिया है। उसके पानी का जो डैड स्टोरेज लेवल है, वह बढ़ जाता है और उससे ज्यादा बिजली पैदा होती है। आपको ताज्जुब होगा कि जिन दिनों डैड स्टोरेज के पानी के लेवल से लेवल ऊंचा होता है। जनवरी, दिसम्बर और अक्तूबर के महीनों हमारी सरकार देसु (दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अण्डर टेकिंग) से बिजली खरीद करती है और अपने हिस्से के पानी से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल नहीं करना चाहती।

हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री साहब को आंकड़े दे दिये और उन्होंने एक प्रेस नोट निकाला। इन्होंने खुद माना है कि हम जो वहां से बिजली लेते हैं, उसमें हमें 20–25 लाख रूपये का घाटा हो रहा है। जब ये स्वयं मानते हैं कि घाटा हो रहा है तो फिर पानी से पैदा की जाने वाली जितनी ज्यादा से ज्यादा बिजली हमको मिल सकती है, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि कोयले से पैदा होने वाली बिजली की जरूरत हो तो वह भी लेनी चाहिए। परन्तु जिससे हमें ज्यादा फायदा हो सकता है और ज्यादा काम हो सकता है, वही बिजली हमें लेनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं मानता हूँ कि काफी काम हुआ है। लेकिन, उसको और ज्यादा बढ़ाना है। हमें उन भाईयों के साथ मुकाबला करना है, जो भाई हमारे मुकाबले में हैं। हमें पंजाब की अपेक्षा बिजली कम क्यों मिले? अब जो वे बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उनके नाम ही हो जायेगी और उस पर उनका हक हमेशा के लिए बन जाएगा। इसलिए, हमें अपने हिस्से की पूरी बिजली लेनी है।

उपाध्यक्ष महोदया, अब हमें मुकाबला करना है, हरियाणा और पंजाब का। हमें देखना है कि हरियाणा और पंजाब बनने के पश्चात हरियाणा के अन्दर अधिक तरक्की हो रही है या पंजाब में। हरियाणा में ज्यादा कनैशंज दिये गये हैं या पंजाब में ज्यादा दिये गये हैं। हरियाणा के अन्दर जो चालीस फीसदी बिजली मिलनी है, वह मिल रही है या नहीं और पंजाब को जो 60 फीसदी बिजली मिलनी थी, उससे ज्यादा तो नहीं मिल रही है। हमें तो 40 फीसदी बिजली लेनी है, क्योंकि हमारा हक तो 60 फीसदी है। मैं इस सिलसिले में सदन के सम्मुख आंकड़े रखना चाहूँगा। हमारे हरियाणा बिजली बोर्ड की 1968–69 की एक रिपोर्ट छपी है और पंजाब की भी 1968–69 की छपी है। उन दोनों रिपोर्टों के आधार पर मैं सदन के सामने आंकड़े रखूगा। उन आंकड़ों से आप अन्दाजा लगा लें कि हमारी तरक्की जिसका हमारी सरकार दावा करती है, उसके मुताबिक हो रही है या उससे कम हो रही है। हरियाणा के अन्दर 1968–69 के साल में 56,355 नये कनैक्षन दिये गये हैं। यह आंकड़े इस

रिपोर्ट के सफा 42 पर है। यह स्टेटमैंट आपकी छपवायी हुई है। (विघ्न) पंजाब के अन्दर 73,251 नए कनैक्संज दिये गए हैं। ये पंजाब की रिपोर्ट के सफा 106 पर दिये हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यहां पर बड़ा शोर है कि खेती को बहुत ज्यादा कनैक्शन्ज दिये हैं। मैं यह मानता हूँ कि पहले के मुकाबले में ज्यादा परन्तु पंजाब के मुकाबले में इन्होंने केवल 600 ज्यादा कनैक्शन दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, आप मेरी थोड़ी सी मदद करें कि मुझे बोलने में कोई बाधा न डाले। हां, मैं कनैक्शनों के विषय में कह रहा था कि हरियाणा में 17,781 और पंजाब में 17,180 खेती के लिए कनैक्शन्ज दिये जो तकरीबन 600 ज्यादा हैं। उपाध्यक्ष महोदया, 31 मार्च 1969 को हमारी क्या हालत थी और पंजाब की क्या हालत थी वह भी मैं बता देना चाहता हूँ। उस समय हरियाणा में कनैक्शनों की तादाद 4 लाख 59 हजार 300 थी और पंजाब के अन्दर 7 लाख 74 हजार 864 थी। हमको यह मान लेना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदया :** चौधरी साहब आप कितना समय और लोगे?

**चौधरी रणबीर सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कोई बात रिपीट नहीं कर रहा। मैं तो बड़े काम की बातें कर रहा हूँ। यहां तो 50 करोड़ की बात है और उसकी यह हाऊस से मन्जूरी लेना चाहते हैं। जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे आंकड़े कोई भी सदस्य शायद नहीं देगा। लेकिन, आप मुझे बोलने की इजाजत दें।

**उपाध्यक्षा :** आप पांच मिनट और बोल सकते हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, जो यूनिट्स हमको मिले, उनमें से कितने यूनिट्स हमने कनज्यूमर्ज को बेचे और पंजाब ने कितने बेचे, इसे भी आप प्रोग्रैस का अन्दाजा लगायें। हरियाणा के अन्दर 661 करोड़ 62 लाख 962 यूनिट्स हमने बेचे और पंजाब के अन्दर 921 करोड़ 55 लाख 581 यूनिट्स बेचे। अब मैं आपको दूसरी ओर ले जाना चाहता हूँ। आप जानती हैं, यहां पर बिजली का जो भाव है यानी पानी से जो बिजली पैदा होती है, उसी भाव से हमको मिलती है, उसी भाव से हरियाणा को और उसी भाव से राजस्थान को। इसको कॉमन गरिड रेट कहते हैं। ये सब बातों को लत साबित करते हैं। लेकिन, इसको तो ये सही मानेंगे कि कौमन गरिड रेट सबका एक हो उसी भाव से हम को बिजली मिलती है और उसी भाव से उनको मिलती है। परन्तु, पंजाब के मुकाबले में हरियाणा के अन्दर कितने ज्यादा भाव बढ़ा दिए हैं उसका मैं आपको अन्दाजा देता हूँ।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य प्रिंसिपल ईश्वर सिंह पदासीन हुए)

हरियाणा के अन्दर घरेलू कनैक्शनों को बिजली यूनिट जिस भाव पर दिये गये 66 परसैन्ट मंहगे हैं और कामर्शियल अर्थात् व्यापार को जिस भाव पर दिये थे वे 45 परसैन्ट मंहगे हैं और खेती बाड़ी के कनैक्शनों को जितने यूनिट दिये यहां पंजाब के मुकाबले 66 परसैन्ट ज्यादा मंहगे भाव पर दिये गये। ज्यादा रेट हरियाणा के काश्तकारों को देना पड़ता है। सभापति महोदय, इससे जाहिर है कि हरियाणा में कितनी तरक्की हुई है? जब हरियाणा बना तो इसलिए बना था कि हम औरों के मुकाबले में चीजें सस्ती करेंगे। परन्तु, सबसे ज्यादा मंहगी हो गई हैं। हमारे यहां बिजली पंजाब से ज्यादा मंहगी है। हरियाणा में बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग फालतू पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि, अब हरियाणा और पंजाब बन गया है। मैं ऐसा समझता हूँ पंजाब के किसानों के मुकाबले में हरियाणा के किसानों से इस मामले में भेदभाव हो रहा है। इसके अलावा और भी भेदभाव है। खेतों में पानी देकर पैदावार बढ़ती है जिससे सेल्ज टैक्स भी बढ़ता है। सेल्ज टैक्स बढ़ने से प्रदेश की आमदनी बढ़ती है। स्टेट की आमदनी इतनी कहां से बढ़ गयी? यह थोड़े बढ़ गयी। हम लोग थोड़े ही आमदनी बढ़ाते हैं, हम तो अलाउन्स चाहें हम मिनिस्टर हों या सदस्यगण। स्टेट की आमदनी तो टैक्सिज से और टैक्सिज लोगों से आते हैं। हमारे प्रदेश में जहां अनाज ज्यादा उगाया और जिसका जिक्र वित्त मंत्री महोदया ने किया कि गेहूँ और चावल अन्दाज से ज्यादा हुए हैं, वहां इन्होंने इसके लिए 9 करोड़ के लगभग पैसा मांगा है। मेरा ख्याल है इससे भी तो थोड़ा बहुत सेल्ज टैक्स भी पड़ेगा। एक तो यह किसानों के ऊपर टैक्स लगायें और फिर भेदभाव यह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, एक बात जो सोचने वाली है वह यह है कि हमें घाटा हो रहा है? मैंने कल मद्रास और हरियाणा का मुकाबला किया था। बिजली के हिसाब हमने जो नीति बना दी, जिसको अंग्रेजी में एक्सटैन्शन कहते हैं, उससे आमदनी या बचत नहीं शुरु हो सकेगी। मद्रास के अन्दर जो फैलाव था वह इन्टैन्सिव था और इससे वहां आमदनी और बचत ज्यादा हो गई है।

अगर कौस्ट ऑफ एक्सटैंशन अधिक होती है तो वह जरूर मंहगी पड़ेगी और आपको ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। हमारा जो स्टेट इलैक्ट्रीसीटी बोर्ड का खर्चा है, उसमें ब्याज का खर्चा और बढ़ता जायेगा। जितना ज्यादा हम पैसा लेंगे, उतना ही

ज्यादा ब्याज बढ़ेगा और हमारे इलैक्ट्रीसीटी बोर्ड की जो अपने पांव पर खड़े होने की शक्ति है, वह उतनी ही ज्यादा कम होती जायेगी।

सभापति महोदय, इस बात के लिए मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। आंकड़े देने से पहले मैं थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ कि पंजाब के मुकाबले तथा सारे हिन्दुस्तान भर के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारे किसानों की क्या पोजीशन है? हमारे हरियाणा की सरकार वैसे तो सबसे आगे होने का दावा करती है। लेकिन, यहां काश्तकारों का टैक्स पाँच साल के लिए बढ़ा है और दूसरे अदायरों का एक साल के लिए बढ़ा है। यह सारा बोझा किसान के ऊपर पड़ता है। हमें यह देखना होगा कि सारे हिन्दुस्तान के किसानों के साथ कैसा सलूक हो रहा है और हमारे हरियाणा के किसानों के साथ कैसा? सभापति महोदय, जम्मु कश्मीर की जो रियासत है, उसके अन्दर जो एरिया है, वहां 12.5420 पैसा फी यूनिट के हिसाब से बिजली किसानों को दी जाती है और कश्मीर के अन्दर 8.80 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली दी जाती है। महाराष्ट्र के अन्दर बिजली खुद पैदा नहीं की जाती। वहां तो टाटा की कम्पनी बिजली पैदा करती है। टाटा के जो पॉवर हाऊस हैं, वे ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। वहां पर 13.87 पैसे फी यूनिट के दर से किसानों को बिजली दी जाती है। मैसूर में 11 पैसे प्रति यूनिट और उड़ीसा में 9.90 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसान को बिजली दी जाती है। राजस्थान तो यहां बिजली लेता है। वहां पर जल्दी ही एटम बिजली पैदा होनी शुरू हो जायेगी। लेकिन, पानी से पैदा होने वाली बिजली के मुकाबले में वह सस्ती नहीं होगी। सबसे सस्ती बिजली पानी से पैदा होती है और कोयले से पैदा होने वाली बिजली सबसे मंहगी होती है। राजस्थान में 13.8 पैसा प्रति यूनिट की दर से किसानों को बिजली दी जाती है। वैस्ट बंगाल में जहां पर कि कलकत्ता जैसा बड़ा शहर है अैर किसानों की कोई सुनवाई नहीं। जबकि यहां पर मुख्यमंत्री तथा दूसरे कई मंत्री किसान हैं, 12 पैसे और दिल्ली में जहां पर कि हम बिजली देते हैं या वह कोयले से पैदा करता है, वहां 13 पैसे फी यूनिट के दर से बिजली दी जाती है। हिमाचल प्रदेश जो हमसे बिजली लेता है और जहां पर कि आपने देखा होगा, पहाड़ों पर से तारें ले जानी पड़ती हैं और लाईनें लगाने के लिये ज्यादा खर्चा आता है, जहां बिजली 11.37 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से और पंजाब में 10.60 के हिसाब से दी जाती है, जबकि हरियाणा में 15 पैसे के हिसाब से दी जाती है।

सभापति महोदय, हम कर्जा लेने जा रहे हैं, हमको सोचना चाहिए। चलो

ब्याज का खर्च तो स्टेट के ऊपर पड़ेगा। लेकिन, हमें किसानों के बोझ को तो कम करना चाहिए। जहां मैं उनकीं बात की ताईद करूंगा, वहां इसके साथ यह भी कहूँगा कि जोगिन्द्र नगर बिजली हाऊस के अन्दर अपना हिस्सा हमें मांगना चाहिए। पंजाब वाले अगर देसु की बिजली लेना चाहें तो हमें इससे इंकार नहीं करना चाहिए। यदि वह जोगेन्द्र नगर तथा देसु दोनों को लेना चाहें तो हमको उनका मुकाबला करना चाहिए। यदि हमें जोगिन्द्र नगर का 60 प्रतिशत हिस्सा भी देते हों तो हमें देसू का 40 प्रतिशत हिस्सा देने के लिए 'हाँ' कर लेनी चाहिए। सभापति महोदय, मैंने दूसरे जो सबजैक्ट्स लिये थे, डिवैल्पमेंट का प्रश्न है। इसके बारे में हरियाणा में बड़े जोरों से बातें कही जाती हैं कि अब हमने फाईनेंसियल जस्टीफिकेशन छोड़ दी है। उसके हिसाब से अगर देखा जाय तो भी देहातों की तरक्की नहीं होती। मैंने तो देखा है और मैं जानता हूँ, आखिर मेरा हल्का है, 11 के.वी. लाईन से कनैकशन दिये जाते हैं तो लाईन से 3 मील दूर पर तो बिजली दे दी जाती है। लेकिन, आधा मील दूरी पर भी रोहतक और खासकर किलोई हल्के में नहीं दी जाती। यह पोलिटिकल डिस्क्रमिनेशन क्यों होती है ? आधे मील के अन्दर-अन्दर जो गाँव हैं,वहां के लोग भी तो हरियाणा के निवासी हैं तथा उनका हक भी तो बराबर का है। मैं चाहूंगा कि लाईन के नजदीक जो गाँव हैं, उन सबको बिजली के कनैक्संज दिये जायें।

सभापति महोदय, इलैक्ट्रीसीटी बोर्ड ने यह जो रिपोर्ट छापकर दी है, उसके 71 सफे पर रोहतक और हिसार की बात कही गई है। दो-तीन पेज का पम्फलेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपनी तरक्की के विषय में छापा था। ये सभी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो मिलते नहीं हैं पिछली दफा मैंने इसके बारे में जिक्र किया तो वे कागज भी गुम कर दिए गए। मैं अपने जिले की बात नहीं करता। उनकी ही बात करता हूँ। वर्ष 69 के कनैक्शनों के आंकड़े इस रिपोर्ट से गायब कर दिए गए हैं। मैं कहता हूँ कि जो तरक्की हुई वह बतानी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। हां, तो मैं कह रहा था कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो कनैक्शन्ज बढ़ाए हैं वह हैं हिसार जिले के अन्दर 349 प्रतिशत और अम्बाला में 145, जो नए दिए गए हैं। मैं पूछता हूँ कि अम्बाला ने क्या कसूर किया कि बेचारे खान साहब से ऐसी क्या बात है जो उनके इलाके को थोड़े ही कनैक्शन्ज दिए हैं? कम से कम उपाध्यक्ष महोदया का तो लिहाज कर लेते। मैं रोहतक का जिक्र जानबूझकर नहीं करता, नहीं तो लोग कहेंगे कि यह रोहतक की ही बात करते हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, पिछले साल में जींद जिले के अन्दर प्रति कैपिटा यूनिट 22 बेचे गए, हिसार जिले में 53 और रोहतक जिले में 47 बेचे

गए। सारी फिगर्ज सफा 71 पर हैं। आबादी के हिसाब से हिसार जिले की आय 19 लाख 41 हजार है और यूनिट 10 लाख 35 हजार किलोवाट वहां दिए गए हैं। फी कस को 53 यूनिट दिए हैं और वहां जिनके पास कनैक्शन्ज हैं, वह हैं 62,806 और रोहतक में 82,846। रोहतक ने इसलिए कसूर कर दिया है कि पंडित जी इरीगेशन मिनिस्टर बन गए हैं। मैं कहता हूँ कि पक्षपात मत करो। रोहतक का पांच साल तक राज्य में कोई दखल ही नहीं रहा। पहले जीन्द का भी कोई दखल नहीं था। लेकिन, अब तो जींद वाले भी आ गए हैं चौधरी नेकी राम जी। (व्यवधान) जींद में 15,124 कंज्युमर कनैक्शन्ज हैं। चन्द्रावती जी चली गईं वैसे वह हिसार की नुमाइंदा हैं। लेकिन, इनकी ओरनाल तो महेन्द्रगढ़ में गढ़ी हुई है, वहीं इनका जन्म हुआ है – – – (व्यवधान) उनके महेन्द्रगढ जिले में 14,887, रोहतक के अन्दर कंज्युमर्ज की संख्या ज्यादा और बिजली भी ज्यादा दी गई है। यह कौन सा न्याय है?

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को जहां पैसा दिया जाए आउटर लिमिट 50 करोड़ रुपया मुकर्रर करना अच्छी बात है। क्योंकि कई दफा वे संस्थाएं जिनके दम पर आज कई काम चल सकते हैं जब तक वह प्रस्ताव नहीं होगा कितने ही समझदार आपके बोर्ड के अफसर हों, कितने ही असर रखने वाले हों, उसका फायदा नहीं उठा सकते और इसीलिए शुरु में 12वीं पास करने वाला पंजबा में मैं था और मैं मानता हूँ कि 50 करोड़ रूपये से ज्यादा मांगो तो भी पास कर देना चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ यह भी याद रखना चाहिए कि यह व्यापारिक अदायरा है, यह पोलिटिकल अदायरा नहीं है, इसमें फोलियो कारणों पर काम नहीं होना चाहिए बल्कि व्यापारिक नुकतानिगाह से काम होना चाहिए।

इसके अलावा एक बात और कहकर समाप्त करुंगा। वैस्टर्न जमुना कैनाल इलैक्ट्रिक स्कीम बहुत पहले, आज छह वर्ष हो गए जब मैंने मिनिस्टरी छोड़ी थी, उस समय मन्जूर कराई थी। इस हाईड्रो इलैक्ट्रिक स्कीम ने क्या जुर्म कर दिया है। जमुना कैनाल के इलाके वालों के साथ पानी और बिजली के मामल में बढ़ गई है। बहिन जी से कहूँगा कि कभी उसको भी याद कर लिया है। सभापति महोदय, उस नहर में कोई यू.पी. का हिस्सा नहीं है उनका नाम भी नहीं है। पिछले दिनों श्री वीरेन्द्र वर्मा यहां आए थे उनका तो कुछ बयान भी छपा था और हमारे मुख्यमंत्री का तो कोई बयान नहीं छपा। जब मैं मिनिस्टर था और यू.पी. वालों से मिलता था तो वहां के मुख्यमंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्ता ने एक दफा एतराज भी किया और कहा कि किशाऊ डैम

के बारे में तुम्हारा क्या हिस्सा है ? सभापति महोदय, जब मैं मन्त्री था तो किशाऊ डैम के बारे में हरियाणा, यू.पी., दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल इन पांचों का समझौता था लेकिन वह मसला वहीं का वहीं है। वहां के वजीर आते हैं लेकिन, हमारे दोस्त बात नहीं करते। बात करने में क्या हर्ज है कि जो पानी बढ़ेगा। वह जुई कैनाल को दे देना। कम से कम उसके लिए कोई आवाज तो उठाओ, उसके लिए नहर को पक्का करो उसका पानी रोको, ताकि वह हमें बढ़ाये नहीं, वरना दूसरी तरफ फ्लड आते रहेंगे।

चेयरमैन महोदय, इसके अलावा हमारे प्रदेश का काफी पैसा खर्च हुआ और पंजाब का भी खर्च हुआ था। जो ड्रेन्ज हैं, उनके साथ-साथ 11 के.वी. लाईन बिछानी चाहिये ताकि जो पानी इकट्ठा हो जाए उसका फायदा उठाया जा सके। ड्रेन नं. 8 के ऊपर सन् 63 में रेगूलेटर बना, उस समय मैं वजीर था, जहां लोहारू की लिफ्ट स्कीम बनाई गई (व्यवधान) इनको दादरी के नाम से बहुत चिढ़ लगती है, चलो, लोहारु के नाम से ही सही लेकिन वह काम करें, जिसमें पैसा कम लगे और उस पैसे का इस्तेमाल अब भी हो सकता है। अब भी तो काम शुरू कर दें। मैं जो बात कहता हूँ, निडर होकर कहता हूँ और सच्ची बात कह देता हूँ। चेयरमैन साहब मैं जानता था, मैंने 27 तारीख को कह दिया था। हम विश्वास पात्र हैं, इसलिये किसी से क्यों डरें ? भगवान की दया से हमारी बहुत अच्छी हालत है, जब हम गरीब थे, तब भी हम किसी से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे तो आज श्री बंसीलाल से क्या डरना है ? श्री बंसीलाल हमें डरा नहीं सकते। श्री बंसीलाल की कुर्सी हमको जीत नहीं सकती। (अपोजिशन की तरफ से प्रशंसाद्ध) मैं तो सेन्ट्रल पार्लियामेंटरी बोर्ड में मेजोरिटी में था। आज की प्रधानमंत्री मुझे हरियाणा का लीडर बनाना चाहती थी, बल्कि यहां तक कि आज के कांग्रेस प्रधान जो हैं, वह मुझे हरियाणा का लीडर बनाना चाहते थे। यह तो प्रजातंत्र है। चौधरी लाल सिंह भी मुख्यमंत्री बन सकता है। भजनलाल जी आज भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा तो प्रजातंत्र में होता ही रहता है। श्री बनवारी लाल जी यहां बैठे हैं, कल उधर होंगे, परसों पत नहीं कहां बैठेंगे। हम तो यहां बैठे हैं। हमको श्री बंसीलाल से डर नहीं। (फिर अपोजिशन की तरफ से प्रशंसा)।

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

----------------------------

### राजकीय प्रस्ताव

**चौधरी रणबीर सिंह :** चेयरमैन साहब, मैंने तो आंकड़े दिये हैं, वे प्रिंटिड आंकड़े हैं उनको झूठा साबित करें।

**श्री रामधारी गौड़ :** सभापति महोदय, ऐसा मालूम होता है कि चौधरी रणबीर सिंह जी बहुत पुराने आंकड़े लिये हुए हैं। जो इस सरकार ने काम किये हैं शायद इनको पता नहीं हैं इसलिए इन्होंने पुराने वक्त के आंकड़े निकालकर दिये हैं। इन्होंने अपनी स्पीच में बताया है कि तामिलनाडू में सौ फीसदी बिजली ल ग चुकी है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आल इंडिया बेसिज पर जो रिपोर्ट छपी है उसमें इलैक्ट्रिफिकेशन परसैंटेज तामिलनाडू की 65 प्रतिशत छपी है और हरियाणा की 55 प्रतिशत लिखी हुई है। मैं बताना चाहता हूँ यदि तामिलनाडू से हरियाणा का मुकाबला किया जाए तो पता लगेगा कि हम उनसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब उन्होंने एक साल में 500 गांवों में बिजली दी है तो हमने उनसे कहीं ज्यादा 930 गांवों में बिजली दी है। चौधरी रणबीर सिंह ने ऑनध्र प्रदेश की बात कहीं है। लेकिन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आल इंडिया बेसिज पर छपी रिपोर्ट में वहां सिर्फ 24 प्रतिशत गांवों में बिजली है।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 177-179*

**चौधरी रणबीर सिंह :** सभापति जी, मैंने रेट्स बताये हैं उनको ये लत साबित करें।

**श्री रामधारी गौड़ :** सभापति महोदय, 1946 से पहले यहां पर जो पर कैपिटा कंजम्पशन थी वह 46 थी और आज 81 है। (व्यवधान)....... चौधरी रणबीर सिंह ने एग्रीकल्चर टैरिफ के बारे में भी कहा है। मैं उस सिलसिले में और बताना चाहता हूँ कि यह दर पंजाब में 13.70, यू.पी. में 15.00, राजस्थान में 14.30 और बिहार में 15.00 पैसे फी यूनिट है। यदि हरियाणा में हमने 15 पैसे फी यूनिट कर दिया है तो कौन सा जुल्म कर दिया है? हम पहले से आगे बढ़ गये हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** बहुत बढ़िया है।

**श्री रामधारी गौड़ :** सभापति जी, डैसीमल का तो कोई फर्क नहीं है। हमारे भाईयों को मालूम होना चाहिए जो दूसरे सूबों की बातें करते हैं कि 30 प्रतिशत ऐसी पॉवर है जो कि थर्मल प्लान्ट से ली जाती है जबकि उनमें तमाम की तमाम बिजली पानी से पैदा होती है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** सर, मैं इसे चैलेन्ज करता हूँ।

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

----------------------------

### राजकीय प्रस्ताव

**चौधरी रणबीर सिंह :** सभापति महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है। बिजली और सिंचाई के विभाग के मंत्री ने कई बातें ऐसी कही जो पर्सनल एसपर्शनज का पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। अगर आप पहले वोट कराना चाहें तो वोट करा लें और अगर बाद में वोट कराना चाहें तो पहले बोल लेता आपका जो हुक्म हो।

**सभापति :** पहले वोट करा लेते हैं बाद में आप बोल लेना। चौधरी साहब आप बैठ जाइए।

**चौधरी लाल सिंह :** आप मेरी बात सुन तो लें। आज चार दिन इस सदन हुए हो गए हैं। हम लोग वहां बैठने के लिए तो नहीं आए हैं। हमें भी अपने-अपने इलाके की बात बताने का मौका दीजिए।

**सभापति :** आपको भी टाईम मिलेगा।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 180-181*

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

---------------------------

### राजकीय प्रस्ताव

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** सभापति महोदय मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में दो–तीन ऐसपर्शन किए। एक तो इस बात से सम्बन्धित था कि मैंने पिछली दफा इनसे जिक्र किया कि इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा दूसरा ऐसपर्शन उन्होंने किया जो काम के बारे में था और भी ऐसी कई बातें कीं। जहां तक पहली बात का ताल्लुक है सभापति महोदया, मन्त्री महोदय का मेम्बर के नाते 17 तारीख को भाषण हुआ और उन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन ऐसी बात इन्होंने मेरे बारे में नहीं कहीं थी। बल्कि सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री ने कहा कि सबकी वोट करा लो, मैं आपको वोट दे दूंगा (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)।

अध्यक्ष महोदया, जहां तक दूसरी बातों का ताल्लुक है मुझे मालूम नही कि यह जो किताब छपी है और इसमें जो सरकारी आंकड़े हैं, सफे वाईज जिनको मैने बताया है? वह लत है या पंडित जी ही लत है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि पंडित जी ने एक दो लत बातें बताई हैं। पंडित जी ने हमारे खिलाफ कई ऐसे शब्द बरते जो उनको नहीं बरतने चाहियें थे। मैं भी उनके खिलाफ काफी कुछ कह सकता था। मेरे पास बड़ा मसाला था। पर मेरी ऐसी आदत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया,

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 182*

जितनी बातें मैनें कहीं, उनको कोई आंकड़े से इन्होंने लत साबित नहीं किया। जो मैंने कहा वह पोसवाल साहब के वक्त के आंकड़े थे, लती होगी तो या तो वह उनकी होगी याबोर्ड की होगी। मुझे तो मालूम नहीं है। मैं तो इस रिपोर्ट को सही मानता हूँ, क्योंकि यह बोर्ड की ओर से दिए गए हैं। पर खुद की सरकार के आंकड़ों को लत बताते हैं, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। मैनें जितने भी आंकड़े दिए वह सरकार के आंकड़े थे और आपके बोर्ड के आंकड़े थे। (विघ्न) मुझको जो इन्होंने लत बताया है, इसलिए मैं सैल्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फिर मैं प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दूँगा। इससे पहले कि मैं इनकी स्पीच पकड़ के, वह किताब पकड़ के इनको क्रॉस-एग्जामिन करूं और कहूँ कि मंत्री महोदय ने हाऊस को लत बातें कहीं हैं तो मैं कहूँगा कि वह अपने बयान को दोबारा पढ़कर आपके पास भेज दें और इनको तो सर्कुलेट कर दिया जाए ताकि मैं भी उसमें न फंसू और इनको तो मैं फंसाना नहीं चाहता, क्योंकि ये अभी नये-नये मंत्री बने हैं। 3 दिन पहले रहे थे, अब पता नहीं कितने दिन अब रहना है। पंडित जी को इस काम का बड़ा तजरूबा है, अभी बहुत सारा काम उन्होंने करना है। अगर पंडित जी ही सरकार के कागज को गलत कहें तो इसमें मेरा क्या दोष है ? आखिर सरकार के कागज की कोई मान्यता तो होती ही है। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि बोर्ड का काम अच्छा नहीं है। बोर्ड के बारे में और न ही किसी बोर्ड के ऑफिसर व कर्मचारी के बारे में कोई क्रिटिसीज्म ही किया है। अगर इसमे ंकोई लती हो तो मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि कागज को देखकर मुझे बता दें, मैं मान लूँगा कि मैं लत हूँ। (व्यवधान)।

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

----------------------------

### चौधरी रणबीर सिंह द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**उपाध्यक्षा :** आपको पता है नान-स्टोप सिटिंग चल रही है और अजेन्डा बहुत लम्बा है इसलिए आप अपनी स्पीच को ज्यादा लम्बा न करें, जल्दी खत्म करें।

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, यह टैक्स का मामला है, मैं कोई बात दोबारा नहीं कहूँगा, अगर कहूँगा तो आप रोक दें और सब्जैक्ट से बाहर जाऊं तो भी रोक दें। लेकिन, यह बहुत जरुरी है कि जब हम एक राय बनायें तो उस पर बोलने के लिए पूरा समय मिले। अगर पूरा समय न दिया जाए तो जनता के साथ धोखा है। नान-स्टोप सिटिंग का मतलब यही है कि जितना समय कोई सदस्य लेना चाहे, कायदे के मुताबिक वह ले सकता है।

**उपाध्यक्षा :** आपको समय पूरा दिया जाएगा और पहले भी दिया गया है। अब मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप अपनी स्पीच को ज्यादा लम्बा न ले जाएं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं बहुत संक्षेप रूप में बोलूंगा, बहुत थोड़े समय बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, आज दो बिल आ रहे हैं और दोनों बिलों का मुद्दा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए पैसा इकट्ठा करने का है। इन बिलों के उपरान्त भी, मयाद में भी और रेट में भी फर्क है। डिप्टी स्वीकर महोदया, एक बिल के समक्ष यह

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 190-193*

है जिसका सम्बन्ध किसानों से है और दूसरा यह जिसका सम्बन्ध शहर वाले भाईयों से है। मैं डाक्टर साहब की इस बात से बहुत हद तक सहमत हो सकता हूँ कि गरीब लोगों पर कम से कम टैक्स लगाये जाने चाहिए। अगर गरीबों पर जरुर टैक्स लगाना है तो हर वर्ग पर यानी गरीब अमीर सब पर लगाया जाय। किसी वर्ग को छोड़ें, किसी पर लगायें, यह पालिसी अच्छी नहीं है। दूसरा बिल जो किसानों से सम्बन्ध रखता है, वह भी इसी तरह होना चाहिए। किसानों में काफी गरीब लोग हैं। एक-एक बिस्वे वाले, एक-एक बीघे वाले और एक-एक एकड़ वाले गरीब लोगों पर यह टैक्स लगेगा जिसका रुपया यूनियन पर खर्च होगा। इस रुपये को इकट्ठा करने के लिए सब भाइयों पर जो पहले कई एक्टों के तहत टैक्स देते हैं देना पड़ेगा। सब पर एक जैसा टैक्स लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी वर्ग से टैक्स लिया, किसी से न लिया जाए। इसके अतिरिक्त सब टैक्सिज की मयाद भी एक जैसी होनी चाहिए। इनमें से एक की मयाद एक साल है और दूसरे की पांच साल है। मैं सरकार से तवक्कु करता हूँ कि इनकी मयाद एक जैसी कर दी जाए। पांच साल की मयाद को घटाकर एक साल कर दिया जाय। एक साल वाली मयाद को पाच साल तक बढ़ाने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह जरुर कहूँगा कि एक जैसी मयाद रखने के लिए पांच साल से घटाकर एक साल कर दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदया, आपको याद होगा, 1962 में पैसा इकट्ठा करने के लिए कानून बनाने पड़े थे। हमने लोगों पर सैंस लगाया और जिस कानून के तहत सैंस लगाया उसका नाम था, पंजाब टैम्परेरी टैक्सेशन एक्ट, 1962। इस टैक्स के तहत देने वाले जितने भी करदाता थे, उनका हमने कोई लिहाज नहीं किया और सबसे टैक्स वसूल किया गया। आज सदन में यूनिवर्सिटी की उन्नति करने के लिए, अर्बन इम्मूवेबल प्रोपर्टी पर टैक्स लगा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में सभी के बच्चे हैं, इसलिए मेरे विचार में सभी वर्गों पर यह टैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी खास किस्म के करदाताओं पर ही टैक्स लगाया जाये और दूसरे लोगों पर न लगाया जाये। मैं तो यह कहूँगा कि या तो बगैर टैक्स लगाये काम चलाया जाये, बहुत अच्छी बात है। अगर, लगाना ही है तो सबके ऊपर एक जैसा टैक्स लगाया जाय। उपाध्यक्ष महोदया, पहले दो टैक्स थे - एक लैण्ड लैवी एण्ड कुलैक्शन ऑफ एडीशनल सरचार्ज ऑन लैण्ड रैवेन्यू और दूसरा लैवी एंड कुलैक्शन सरचार्ज ऑन दी सेल ऑफ गुडज। इन टैक्सिज के तहत जो करदाता सेल्ज टैक्स देते हैं उससे काफी आमदनी होती थी। सेल्स टैक्स से स्टेट को सब से ज्यादा आमदनी होती है। यही

सबसे बड़ा आमदनी का ज़रिया है। अगर सेल्ज टैक्स बढ़ा देते तो काफी आमदनी हो सकती थी लेकिन इन्होंने इम्मूवैबल प्रापर्टी टैक्स एक्ट के जरिए 20 लाख रुपए का सैस लगा दिया है। जो भाई विधेयक पर गौर करने वाले हैं वे यूनिवर्सिटी को सबसे जल्दी अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसा कि इस बिल से जाहिर होता है। इसी तरह आल्ट्रेशन ऑफ रेट ऑफ एन्टरटेनमैंट टैक्स है। इस टैक्स को भी बढ़ाना चाहिए।

उपाध्यक्षा महोदया, मिसाल के तौर पर हम पंजाब सेल्ज टैक्स एक्ट के तहत टैक्स देते है, कई भाई ऐसे हैं जो शहरी जायदाद पर टैक्स देते हैं, कुछ पंजाब पैसेंजर एवं गुडज टैक्सेशन एक्ट के तहत टैक्स देते हैं, कुछ पंजाब ऐन्टरटेंमेंट डयूटी टैक्स एक्ट, 1955 के टेक्सेशन एक्ट के तहत टैक्स देते हैं। सिनेमा का तो हमारे समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव है, लाईनों की लाईनें टिकट लेने के लिए खड़ी रहती हैं, यहां पर कर बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई। इसी तरह से पंजाब मोटर स्पिरिट सेल्ज एक्ट, 1939 पंजाब एन्टेरटेनमेंट (सिनेमैटोग्राफ शोज) एक्ट, 1954 और पंजाब ऐक्स ईज टेक्स एक्ट, 1914 के तहत टैक्स देते हैं। इनके इलावा एक ओनियम टैक्स है। मेरे कहने का मतलब है कि इन मुख्तलिफ ऐक्टस के तहत जो कानून बने हुए हैं उनके तहत करदाता कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा कहना यह है कि यूनिवर्सिटी हर वर्ग के लिए है, सबके बच्चे वहां पढ़ते हैं, इसलिए सबके ऊपर टैक्स होना चाहिए। अगर, हमें अलहदा कर लगाना ही है तो हर किस्म के करदाता पर लगाया जाए जिनकी शहरी जायदाद है, उन पर लगा दो। जो गन्ना बोए उस पर लगाएं, जो मिर्च बोए उस पर लगा दो और जो कपास बोए उस पर लगा दो। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है कि किसी पर लगा दिया, किसी पर नहीं लगाया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसा कि सिंगोल साहब ने कहा है, मैं भी कुछेक बातें कहे बगैर नहीं रह सकता। वैसे तो इसके बारे में चौधरी हरद्वारी लाल काफी अच्छी रोशनी डाल सकते है, वे बोलने के लिए उठना भी कई दफा चाहते थे.........

**चौधरी हरद्वारी लाल :** आप उठने ही नहीं देते।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं अपना वक्त आपको कैसे दे हूँ? उपाध्यक्ष महोदया, वे मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे, लेकिन जैसा अखबारों में निकलता है, यह मुझको मालूम नहीं है कि किसका कसूर है, उसके मुताबिक आम हवा है कि वहां पर कुछ भाई जो हरियाणा के हैं उनके साथ कुछ भेदभाव होता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि जो हरियाणा से बाहर के भाई वहां पर बतौर प्रोफेसर काम

करते हैं उनके साथ कोई भेदभाव करें या हरियाणा वालों के साथ खास सलूक या रियायत का सलूक करें। लेकिन, हरियाणा वालों के साथ, बावजूद इस बात के कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी हो, हरियाणा के लोग पैसे दें, सौतेली माता जैसा सलूक हो यह हमारे लिए अच्छा नहीं। मुझको मालूम नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं ? क्योंकि, जाती तौर पर न तो मेरा कोई बच्चा वहां पढ़ता है और न मेरा हल्का उसके करीब है लेकिन जैसी खबरें आती हैं, पोस्टर आते हैं उनसे ख्याल होता है कि ऐसा वहां होता है। अगर इसमें सच्चाई हो तो मैं सरकार से कहूँगा कि उसे इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस तरह नहीं सोचना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के साथ लेकिन अगर हरियाणा राज्य में हरियाणा के लोगों के साथ भेदभाव रहे तो इकट्ठा पंजाब ही अच्छा था। नहीं तो लोगों की शिकायत थी कि इकट्ठे पंजाब में हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के एम.एल.एज. के साथ अच्छा सलूक नहीं होता था। बल्कि उनके साथ डिसक्रिमिनेटरी ट्रीटमैंट होता था। अगर आज भी वही बात जारी रहती है तो हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ ताकि इसके मायने लत न लिए जायें। क्योंकि मैंने इसके जवाब का स्तर देखा है, वे शायद यह कहें कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि दूसरे प्रदेशों के भाई, विशेषज्ञ, शिक्षा देने वाले यहां आएं। हम तो उनके अहसानमन्द हैं, मशकूर हैं कि वे अपना घर छोड़कर हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। उनके साथ दूसरा सलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन, अगर वे हमारे बच्चोंके साथ या हमारे इस प्रदेश के रहने वालों के साथ अच्छा, बराबर का सलूक नहीं करें उसकी भी हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए।

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

----------------------------

### गन्ना ( पंजाब और आपूर्ति के विनियमन ) हरियाणा संशोधन विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, यह विधेयक बड़ा ही मासूम सा विधेयक दिखाई देता है लेकिन इसके पीछे एक बड़ी छिपी हुई भावना है और इसलिए बहुत जरुरी था कि मैं आपके सामने तथा सदन के सामने इसके पीछे जो भावना है, वह रखे। उपाध्यक्ष महोदया, अपनी स्टेट में और दूसरी स्टेटों में गन्ना बोर्ड है और जिस सैक्शन को यह उड़ाने जा रहे हैं उसका मतलब यह है कि तीन आनकेफी मन से ज्यादा नहीं लेगें और जब लेंगे तो वह गजट में छपे। लोगों को इसका पता लगेगा, मेम्बरों को कुछ एतराज हो सकता है। इस सैक्शन को हटाने के बाद सरकार जब भी टैक्स चाहे और जितना लगाना चाहे उतना लगा सकती है। गन्ना पैदा करने वाले गन्ना पैदा करने में जितना पैसा लगाते हैं, उतनी कीमत उन्हें नहीं मिलती। आज जिक्र किया था कि बाबू जगजीवन राम जब खाद्य और कृषि मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि कम से कम गन्ने की कीमत मुकर्रर हो जाए जिसे कारखानेदारों ने लेने के अलावा पिछले कई सालों से 6.37 रुपये कुछ पैसे की क्वींटल गन्ने की कीमत है। उसके अलावा पिछले दफा बाबू जगजीवन राम ने कारखानेदारों की फैडरेशन से कहा कि गन्ने की कीमत 10 रुपये फी क्वींटल दी जाए और हमारे

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, VolI. I, No. 4, Page (4) 203-205*

मुख्यमंत्री ने पक्का आश्वासन दिया था कि 10 रुपए गन्ना पैदा करने वालों को दिलाया जायेगा।

**मुख्यमंत्री ( श्री बंसी लाल ) :** मैंने कभी नहीं कहा कि 10 रुपए दिये जाएं। मैंने कहा था कि 10 रुपए दिवाये जाऐंगे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** ऐसा कहा होगा कि 10 रुपए दिलाने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। गन्ना पैदा करने वालों और चीनी इस्तेमाल करने वालों के ऊपर जितना टैक्स है उसका मुझे कुछ अन्दाजा है। पूरी तफसील तो नहीं है, लेकिन जब मैं लोक-सभा में था उस समय की अन्दाजन फिगर्ज़ मैं दे सकता हूँ। उस वक्त एक मन चीनी के ऊपर 12 रुपए ड्यूटी थी और एक मन चीनी करीब 10 मन गन्ने से निकलती है या एक क्वींटल चीनी 10 क्वींटल गन्ने से निकलती है तो इस प्रकार 10 क्वींटल गन्ने या एक क्वींटल चीनी के ऊपर 30 रुपए टैक्स बैठता है। इसके अलावा सेल्ज टैक्स तथा अन्य स्टेट टैक्स और हैं। इस प्रकार से 10 क्वींटल गन्ने या एक क्वींटल चीनी के ऊपर 40-50 रुपये टैक्स बैठता है। यह काफी टैक्स है और यह टैक्स या तो चीनी खाने वाले देते हैं या किसान देते हैं। आप जानते हैं कि किसान कितने गरीब हैं ? आजकल गुड़ तो केवल देहात के लोग खाते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं चाहे वे गरीब भी हैं वे तो चीनी ही इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से उस गरीब आदमी पर टैक्स बढ़ जाएगा। (व्यवधान) जो भाई चीनी का इस्तेमाल करते हैं। वे समझते हैं कि टैक्स का सारा पैसा कारखानेदार देते हैं। यह विचार उनका लत है। पहले टैक्स चाहे किधर से ही निकले। लेकिन जब किसान के मुनाफे की बात हो तो आखिर में टैक्स उसमें से निकलेगा। कारखानेदार 6.37 की तजाय 10.15 रूपये फी-क्विंटल गन्ने की कीमत देते रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि सारा टैक्स किसान या मजदूर का जो बोनस या वैलफेयर फेड है, उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए हमारे प्रदेश के गन्ना बोर्ड ने इसकी मुखालिफ्त की है। बहन चन्द्रावती उस बोर्ड की मेम्बर थीं। अब तो झगड़ा ही खत्म कर दिया...(व्यवधान) गन्ना बोर्ड से टैक्स बढ़ाने के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो यह कहता हूँ कि इस समय कानून बदलने की क्या जरूरत थी ? जब आप टैक्स लगाते हैं तो लोगों को पता तो लग जाता है। चुपचाप टैक्स लगाना प्रजातन्त्र की भावना के विरूद्ध है। जितना टैक्स लगाना चाहिये, इसके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। जो आज है उतना ही रहेगा या ज्यादा लगाएंगे। मैं इस सरकार की बात कुछ कर नहीं सकता कि यह कितना टैक्स लगाएगी, क्योंकि मैं कोई योगी नहीं हूँ। अब इस सैक्शन को उड़ाने से यह स्वतंत्र हैं

और यह स्वतंत्र है और यह किसी हद तक कितना ही टैक्स लगा देते हैं। यहां ऐसी हालत भी आ सकती है कि इस पर फर्ज किया आज तीन आने फी मन या साढ़े सात आने फी क्वींटल टैक्स है तो आयंदा से उसको चार रूपये या साढ़े सात रूपये क्वींटल भी कर सकते हैं और अगर दो रूपया, एक रूपया फी क्वीटल लग जाए तो किसान को जो 6 रूपये 36 पैसे मिनीमिम प्राइस से ज्यादा पैसा मिलना था, वह नहीं मिलेगा। फिर वही बात है कि पैसा लो और सरकार का जो आम पैसा है, उसे खजाने में दाखिल कर दो। यू.पी. का जिक्र आज सवेरे किया गया था। मैं यू.पी. के अन्दर काफी गन्ना पैदा करने वालों में से हूँ और मीलों में देने वाला हूँ। यू.पी. के अन्दर जो सैस है उस इलाके के गन्ना पैदा करने वालों को इतना फायदा है, अगर उतना फायदा हमारी सरकार लोगों को पहुंचाए तो कोई ऐतराज नहीं करेगा। जहां से वह सैस लिया जाता है उसकी इलाके में ऐप्रोच रोड़ कोई लम्बी चौड़ी सड़क नहीं जिसके लिए जाकर कह दे कि हमने सड़क बना दी, खर्चा डाल दें। गाँव में जो सड़क बनती है, उसी के ऊपर पैसा लगाते हैं और नतीजा यह है तकरीबन हर जगह जहां मील है, वहां सड़क है। जहां गन्ने का कारखाना है, वहां पक्की सड़क बन गई है। इसका तो फायदा इसलिए भी रहता है कि अगर कच्चे रास्ते से गन्ना लाना पड़े तो उसकी ढुलाई का बहुत खर्चा पड़ेगा। अगर पक्की सड़क होगी तो पैसा कम लेगा। इससे यह होता है कि पैसा बचेगा और वही पैसा स्कूल बनाने के काम आएगा, अस्पताल बनाने के काम आयेगा और विश्वविद्यालय बनाने के काम आएगा। अभी मेरी बहन वित्तमंत्री महोदया ने बताया है कि पैसा लेते उनसे हैं, जिनके बच्चे कॉलेज नहीं जाते। सरकार इस पैसे को और जगह इस्तेमाल करती है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि रैस्ट हाऊस वगैरा में एयर कंडीशनर लगाने के लिए इस टैक्स से वसूली रकम में से कोई आना पाई जाती है। चूंकि वह तो सारे फण्ड का हिस्सा बन गया। रैस्ट हाऊसिज में गरीब आदमियों को कभी जाना ही नहीं है तो इसलिए ऐसा जो भी जरिया पैसा इक्कठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह सरकार के लिए शोभा देने वाला नहीं हो सकता, खास तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार कोई काम छिपकर नहीं करती। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जेल जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ कानून तोड़ने के लिए जब कहते थे कि पहले नोटिस दो। नोटिस देकर नारा लगाओ...। आज हमारी सरकार बिना कोई कानून पास किए, बिना किसी बात का नोटिस दिए टैक्स लगा रही है। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए, मैं कहूंगा कि अगर यह सरकार इस बिल को वापिस ले ले तो अच्छा होगा। इससे कांग्रेस पार्टी का नाम ऊंचा होगा और इसके हित में होगा।

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

----------------------------

### पंजाब वाणिज्यिक फसल उपकर ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, अभी थोड़ी देर पहले, हमने शहरी जायदाद के ऊपर, कुरुक्षेत्र यूर्निवसिटी के सिलसिले में एक विधेयक पास किया। उस विधेयक की अवधि एक साल है और इस विधेयक की अवधि पांच साल है। दोनों का उद्देश्य एक जैसा है। उसके साथ विश्वविद्यालय के लिये पैसा दिया जाये और इसके साथ डिवैल्पमेंट बोर्ड के लिए पैदा दिया जाए।

**वित्त मंत्री ( श्रीमती ओम प्रभा जैन ) :** कमर्शियल क्राप्स में तो ऐसा नहीं है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उद्देश्य में एक जैसा न सही, लेकिन आज से कई साल पहले, जब इकट्ठा पंजाब था, कांग्रेस पार्टी ने असैम्बली में एक प्रस्ताव पास किया था कि पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसान भाइयों का मालिया माफ किया जाए। लेकिन, इस बिल के जरिये जो सैस लगता है वह उन छोटे किसान भाइयों पर भी लगता है जो भाई गन्ना बीजते हैं, जो भाई मिर्च बीजते हैं, कपास बीजते हैं आदि आदि। आदि आदि में पता नहीं क्या क्या आता है? भगवान न करे इन सब भाइयों पर यह कर लग सकता है। अगर इस पर लगता है तो एक एकड़ जमीन रखने वाले पर भी हो सकता है, एक बीघे वाले पर भी हो सकता है। 10 मरले मिर्च बोर्ड

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 242-245*

है, उस पर भी हो सकता है। जिनके बच्चे विश्वविद्यालय जायेंगे ही नहीं उनके ऊपर यह कर लगाना कहां तक जायज है? जिन व्यक्तियों पर इन्कम टैक्स लगता हो, जिन पर प्रोफै शनल टैक्स लगता हो, उन भाइयों का हमें पता है कि वे तनख्वाहदार भाई हैं। यह ठीक है कि जो इन्कम टैक्स है उस पर हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन, ये तो पता है कि ये तनख्वाहदार भाई हैं, जिनके लड़के कालेजिज में पढ़ते हैं और इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी देते हैं। इनकी संख्या काफी बड़ी तादाद में है जिनके घरों में फ्रिज़ लगे हुए हैं, जिनके कपड़े बिजली की मशीनों से धोये जाते हैं और जिनकी विश्वविद्यालय से बड़ा फायदा है, उनके ऊपर कोई गैस अधिक टैक्स लगता है। अभी थोड़े दिनों की बात है जब हिन्दुस्तान का काफी रुपया विदेशों से चीनी मंगवाने के लिये खर्च होता था। जो लम्बे रेशे वाली कपास है, उसको मंगवाने में विदेशी मुद्रा की जरुरत होती थी। बजाये इसके कि हम गन्ना पैदा करने पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, कपास पैदा करें, हम काश्तकारों पर और टैक्स बोझ लाद कर एक तरह से रुकावट पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इस साल गन्ना सस्ता था, गुड़ का भाव बहुत गिर गया और चीनी का भाव भी सरकारी भाव से ऊंचा था। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने हिन्दुस्तान के किसानों का अच्छी तरह अध्ययन किया है कि उनके ऊपर टैक्स का प्रभाव कैसे होता है? जहां तक गन्ने का ताल्लुक है, गन्ने के भाव पर टैक्स का असर तीसरे साल की बीजाई पर दिखाई देगा। हिन्दुस्तान में कई बार ऐसे मौके आये जब यह कहा गया कि चीनी बहुत ज्यादा है, चीनी को बाहर भेजने की आवश्यकता है। इससे यह हुआ कि भाव गिर गया, खण्डसारी का भाव गिर गया या टैक्स ज्यादा लग गया। अगर गुड़ ज्यादा है और उसका भाव कम है तो उसपर और टैक्स लगा दिया। यह बात ठीक नहीं है। इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। राव साहब ने कहा था कि गुड़ बड़ी अच्छी चीज है, वे चीनी पर कुछ बात कह रहे थे। जब कोई व्यक्ति दिन भर काम करके आता है तो गुड़ खाने से थकावट दूर हो जाती है और उसकी वायटैलिटी दोबारा पैदा हो जाती है। इन्होंने हर आदमी पर, जो गन्ना बोए और चाहे कोई बच्चा कालेज में पढ़ता हो चाहे न पढ़ता हो उसपर टैक्स लगा दिया, चाहे उसका बच्चा मुश्किल से ही प्राईमरी में ही पढ़ता हो। ऐसा नहीं करना चाहिये। विश्वविद्यालय को तरक्की करनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन, जिन लोगों को विश्वविद्यालय से ज्यादा लाभ होता है उनसे ही यह टैक्स लेना चाहिये।

**श्रीमती ओम प्रभा जैन :** इस विश्वविद्यालय वाली बात नहीं है। इसका यूनिवर्सिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** फिर तो जरुर कहूँगा कि इसको वापिस ले लेना चाहिए या कम से कम कोई हद मुकर्रर करनी चाहिए ताकि जो लोग पांच या तीन एकड़ या दो एकड़ तक के काश्तकार हैं उनके ऊपर न लगाया जाए। अगर एक बीघे वाले या दस मरले वाले पर टैक्स लगाया जाए तो अच्छा नहीं। वित्त मंत्री महोदया ने कल ही बताया था कि हमारे रिसोर्सिज आमदनी के जराय बहुत बढ़ रहे हैं, हमको आमदनी बहुत हो जाती है।

**श्रीमती ओम प्रभा जैन :** बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। मैंने जिस कंटैक्स्ट में कहा था, वह और था।

**चौधरी रणबीर सिंह :** आपने अपने विचारों के मुताबिक कहा था। अब मैं अपने विचारों के मुताबिक कहूँगा। उपाध्यक्ष महोदया, टैक्सिज से सरकारों को कैसे आमदनी होती है, पहले कैसे होती थी, अब कैसे होती है ? इसका भी मैंने अच्छी तरह अध्ययन किया है। जितने भी टैक्स लगते थे, उनका 75 फीसदी टैक्स जमीन कर से आता था, काश्तकारों से आता था। इस बिल के मुताबिक आपको सिर्फ 30 लाख रुपया मिलने वाला है। इस तीस लाख रुपये से आपको क्या फर्क पड़ेगा ? इसलिये मैं कहूँगा कि किसानों की हमदर्दी हासिल करने के लिये गरीब लोगों के ऊपर टैक्स न लगायें जिनका कोई कसूर न हो क्योंकि जहां अनाज जरूरी है वहां चीनी, मिर्च भी जरुरी है। इनसे ज्यादा कपास जरुरी है जोकि हिसार जिले में लम्बे रेशे वाली कपास पैदा होती है।

उपाध्यक्ष महोदया, जो लम्बे रेशे की कपास है, वह तो हमारे देश में आज भी कम होती है। लम्बे रेशे की कपास पर सैस छोड़ दो। वह दूसरे देश से मंगानी पड़ती है। अगर आप इसपर छूट देंगे तो विदेशी पूंजी बचती है। आप किसानों में 20-30 लाख लेकर क्या करेंगे ? आपका इतना बड़ा खजाना है जिसकी कल आपने तारीफ की कि बड़ी आमदनी हो गई है। इसके लिये रहम कर दो। उस किसान के लिये कुछ तो थोड़ी बहुत छूट दो जो देश के लिये उपयोगी चीजें पैदा करता है। कम से कम छोटे किसान को तो छूट दो, बड़े के लिए न सही। अव्वल तो बड़े का भी कोई कसूर है नहीं ? इसलिये, उपाध्यक्ष महोदया आपके द्वारा सरकार से निवेदन करुंगा कि अगर उनको यह पास ही करना है तो एक साल की अवधि कर लो। यह पांच साल की बात इसके साथ क्यों बांध दी है ? कम से कम आए साल हालत देखने के बाद यह लगना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदया, अबकी दफा गुड़ का भाव 16 रुपये तक गिर गया। अब गन्ना पैदा करना बिल्कुल घाटे का सौदा हो गया है। हर साल नए भाव के मुताबिक गन्ने के ऊपर यह सैस लगना चाहिये। अब की दफा इस टैक्स की अदायगी से गन्ना छोड़ना चाहिये क्योंकि गन्ने की खेती एक घाटे का सौदा बन गई है। अगर गुड़ का भाव फिर महंगा हो तो अगले साल देख सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी आपके द्वारा गवर्नमैन्ट से यही प्रार्थना है कि एक तो पांच साल की अवधि खत्म करके एक साल करनी चाहिये और यदि ये ऐसा करने के लिये तैयार न हों तो छोटे किसान को इससे मुक्त कर दें। मेरी राय तो यह भी है कि 30 लाख की आमदनी सरकार के लिये बहुत बड़ी आमदनी नहीं है और ये अगर इस बिल को वापिस ही ले लें तो अच्छा है। (विघ्न)

बहन जी (श्रीमती ओम प्रभा जैन की तरफ इशारा करते हुए) का दबाव न हो तो चौधरी नेकी राम इसको वापिस ले लेते, परन्तु अब उनके बस की बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि सरकार के अन्दर सभी की ज्वायंट रिसपांसिबिलिटी होती है। एक ने तो साफा उतार लिया है। (चौधरी माड़ू सिंह जी की तरफ इशारा) कल मेरे बुजुर्ग साथी मज़ाक करते थे कि कौन सी पलटन के ये जवान हैं? (चौधरी माड़ू सिंह और चौधरी नेकी राम की तरफ इशारा) मैं यह मानता हूँ कि उनकी शिक्षा दीक्षा के मुताबिक ये दोनों एक ही बैन्च पर बैठने वाले इसके असूली तौरपर खिलाफ हैं। मगर, सरकार में मजबूरी होती है। हमारे पर भी मजबूरी होती थी, क्योंकि ज्वायंट रिसपांसिबिलिटी होती है। पार्टी में भी होती है। अगर पार्टी मेजारिटी का फैसला हो तो एक मैम्बर की राय कोई वजन नहीं रखती। जैसे बहिन चन्द्रावती जी पिछले बिल पर नौमिनेशन के खिलाफ थी लेकिन हाथ उठाना पड़ा था। हाथ हमको भी उठाना पड़ेगा। लेकिन यह बात अच्छी नहीं है। इसको हटाना ही चाहिए और कम से कम अवधि घटाकर एक साल की अवधि पांच साल की अवधि बिल्कुल छोड़ देनी चाहिये। यही निवेदन करके सरकार से मैं प्रार्थना करुंगा कि इस पर फिर गौर करके सरकार अमैन्डमेंट लाए। अमैन्डमैंट तो मैं भी ला सकता था परन्तु मुझे आखिर विद-ड्रा करनी पड़ेगी। सरकार को सूझबूझ आ जाए तो वही अच्छा है।

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

----------------------------

### हरियाणा राज्य बिजली ( बकाया वसूली ) विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** चेयरमैन साहब, ऐसा मालूम होता है कि यह बिल कुछ लत वक्त पर आ गया है। आज दिन के वक्त नहीं आया है और उस वक्त के हिसाब को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस बिल को पास करने के बाद जो रुल्ज बनाने की बात है या जब यह रुल्ज बनाये जायेंगे उस वक्त इन बातों को जो विधेयक में रह गई है, ध्यान में रखना होगा। लाल सिंह जी ने बड़ी तारीफ की हैं। लेकिन, एक बात उन्होंने जरुर बताई और वह ठीक भी है कि कई दफा और आम तौर पर मीटर को पढ़कर बिल नहीं भेजे जाते हैं और वैसे ही अंदाजा लगाकर भेज दिये जाते हैं। अब यह जो कानून बन रहा है इसके तहत कुछ दिनों के नोटिस के बाद बिन न देने की सूरत में पैनल्टी लग सकती है और रिकवरी करने का खर्च भी लग सकता है और इस सबको लैंड रैवेन्यू के तौर पर वसूल किया जा सकता है। सभापति महोदय, माल की वसूली में जहां कर देने वालों को मुश्किल होती है वहां उसमें कुछ सुविधायें भी होती हैं। काश्तकार को मालिया सिर्फ 6 महीने के बाद देना होता है और जब उसकी फसल आ जाती है तब मालिया दिया जाता है। इसके अलावा अगर फसल खराब हो जाये तो उसमें माफी का खाना भी होता है। अभी बत्तरा साहब ने बताया और यह बात बहुत जगह लागू होती है कि जहां

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 263-265*

कई जगह टयूबवैल फे ल हो जाते हैं उनका एम.बी.जी. का पीरियड रखा जाता है कि इतने साल तक एम.बी.जी. चलता रहेगा..... (विघ्न) ...... पहले कुछ साल के लिये था, अब लगातार हो गया होगा। मद्रास में उन्होंने यह रखा ही नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स ने इस चीज को आसान किया है। जब इस महकमा का चार्ज मेरे पास था तो मैंने बोर्ड को लिखा था कि जहां तक काश्तकार का संबंध है उनको मालिये की तरह बिल के अदा करने के लिए 6 महीने की सुविधा दें और जिस वक्त फसल आती उस वक्त बिल दिया जाये। यही नहीं, जिस तरह गांव के अन्दर लैंड रैवेन्यु देने की सुविधा है, जो आपस में झगड़ा करने वाला हो वहीं खुद तहसील में आकर देता है वरना सबको गांव में ही मालिया देने की सुविधा है। उसी तरह इस बारे में भी कुछ न कुछ किया जाना और सोचा जाना चाहिये। हर गांव में तो बोर्ड का आदमी जाना मुश्किल है। लेकिन, अगर आप इसको मालिए की बकाया के तरीका की तरह ही वसूल करना चाहते हैं तो इसकी वसूली का तरीका भी आपको अपने रुल्ज़ में दूसरे ढ़ंग से करना चाहिये। चाहे आप इसे नम्बरदार को दें, जितनी इसमें 10 फीसदी का कनसैशन उस आदमी को दिया जाता है जो ठीक वक्त पर बिल देता है उसमें से कुछ परसैंटेज नम्बरदार को दे दें या वसूल करने वाले को दे दें या कोई और तरीका निकालें जैसे ग्रामसेवक को यह काम दे दें या पंचायत के सेक्रेटरी को दे दें या जैसा मुनासिब समझें कर लें। लेकिन बोर्ड का खर्च बढ़ाये बगैर काश्तकार को गांव में यह देना पड़े ताकि उसका वक्त जाया न हो। चार पांच मील तक आने जाने में। काश्तकार को यही आपत्ति और बिल तो उसने देना ही है। जैसे वजीर साहब ने कहा है कि 26 जनवरी तक हरियाणा के हर गांव में बिजली दे देंगे। यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन, उसकी यह जो आपत्तियां हैं इनको भी अगर आप किसी तरह दूर कर पायें ...(विघ्न) हर गाँव में बिजली देने का मतलब भी कुछ मुख्तलिफ होता है। कहीं ट्रांसफारमर लगा दिया तो कह दिया गांव में बिजली दे दी..... (विघ्न)...... मैं यह अर्ज़ कर रहा था या कि यह काश्तकार को यह जो बिल लेने देने में आपत्तियां हैं या होगी इसे किसी तरह से दूर करें...........।

**उद्योग मंत्री ( श्री अब्दुल गफ्फार खां ) :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। चौधरी साहब ने फरमाया है कि पत्ती लेने देने की है। कौनसी पत्ती इनकी है और दूसरों की है यह तो बता दें? (हंसी)।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अब तो सबकुछ पत्ती इनकी ही है हमारी तो कुछ है ही नहीं खान साहब। पत्ती का फिक्र आप ही करो हम तो बगैर पत्ती के ही हैं (हंसी)।

**श्री अब्दुल गफ्फार खां :** उसी का तो सब झगड़ा है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** झगड़ा कोई नहीं लोगों की सुविधा देने की बात है। कई आदमी ऐसे हैं जो पैसे दे सकते हैं और देते भी हैं, देने भी चाहिए क्योंकि वे नहीं चाहते कि अदालत में जाकर झगड़े करें। इसलिए लैंड रैवेन्यू के तौर पर यह मालिया वसूल हो सकता है। अगर इस तरह से वसूल करेंगे तो बोर्ड से पैसा वसूल करने में आराम भी होगा। इसलिए यह बिल सदन में आया है। जो बातें मैंने कहीं हैं, जब तक ये इस बिल में नहीं आयेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और यह बिल काफी उलझन वाला हो जाएगा। सभापति महोदय, आम कम्पनीज जो सरकारी नहीं है, उनके लिए वसूली करने की अवधि तीन साल की होती है। चूंकि सरकार एक बहुत बड़ी होती है, जिसको हम लोगों की वैलफे यर या कल्याणकारी सरकार कहते हैं, इसको लोगों की सुविधा का खास ख्याल रखना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आम कम्पनीज की जो अवधि तीन साल रखी है उसकी बजाय सरकारी कारोबारों के लिए यह डेढ़ साल होनी चाहिए। छ : साल के चक्र में क्यों पड़ते हैं? चौधरी लाल सिंह ने बिजली की बड़ी तारीफ की। परन्तु मुझे डर है कि अगर लत तरीके से काम होता रहा तो कहीं फायदे के बजाये नुक्सान न हो जाए क्योंकि बिजली में भी अगर कहीं लत जगह हाथ लगा दें तो मरने वाली बात हो जाती है। बिजली जोकि एक शक्ति है उस शक्ति को लोगों की भलाई के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन, अगर यह खराब करने वाली चीज होगी तो ठीक नहीं। इसी तरह से अगर कानून लत ढंग से बनेंगे तो उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा।

सभापति महोदय, रैवेन्यू वसूल होने के वक्त अगर कोई रैवेन्यू न दे तो उसमें कोई पैनल्टी का खाता नहीं होता है। इसलिए यह पैनल्टी लगाने की बात नहीं रखनी चाहिए, इसको उडा दो। जो प्रैसक्राइब्ड पैनल्टी है, उसका जिक्र तो इस ऐक्ट में किया नहीं कि कितना जुर्माना होगा। क्या पता एक्ट के तहत रुल बनाते वक्त पैनल्टी रख दें, न जाने रुल सख्त बनायेंगे या नर्म बनायेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देहाती उपभोक्ता जो खेती की पैदावार के लिए, ट्यूबवैल के लिए कनैक्शन्ज लगाते हैं, उनसे पैसे की वसूली लैंड रैवेन्यू के रुप में वसूल करें और पैनल्टी वाली बात उसमें से निकाल दें। यह नहीं रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त छह महीने के बाद, जब जमींदार की फसल आती है, उसके बाद बिल वसूल किया जाए, ताकि किसान अपनी फसल बेचकर बिल के पैसे आसानी से दे सके, क्योंकि इससे पहले उनके पास पैसे नहीं होते जिसका परिणाम यह होता है कि किसानों पर पैनल्टी लगती

है। जो तनख्वाहदार लोग हैं उनको छ : महीने के बाद बिल देने में आपत्ति होगी। खान साहब आपत्ति की जगह तकनीक इस्तेमाल कर देता हूँ क्योंकि आपको यह लफ्ज अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा था कि अगर तनख्वाहदार लोग छ : महीने के बाद बिल देंगे तो उन्हें तकलीफ हो सकती है, उनको महीने के बाद बिल दे दिया जाये तो ठीक है। लेकिन, काश्तकारों को फसल आने पर छ : महीने के बाद सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, इसकी वसूली के लिए हर एक गांव में इन्तजाम हो। यह इन्तजाम किसी को भी सौंप सकते हैं, चाहे पंचायतों को दे दें, चाहे लम्बरदारों को दे दें, जैसे भी मर्जी आए करें। लेकिन, इतना अवश्य होना चाहिए कि इस चीज को अपने रुल में ले आएं। अगर इन्तजाम करने वालों का रुल के नाम होगा तो गांव वालों को काफी सुविधा रहेगी। जहां बोर्ड की सुविधा के लिए कानून बन रहे हैं वहां गांवों के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भी रुल्ज में गुंजाइश रखनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

----------------------------

### हरियाणा लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, मैं तो डिबेट का लैवल थोड़ा सा ऊंचा ही करूंगा। संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाते वक्त, वहां पब्लिक सर्विस कमिशन के दफ्तर को अलग रखा है, वहां आप देख लें कि इस दफ्तर का या इसके औहदे का किसी दूसरे दफ्तर के साथ मुकाबला किया जा सकता है या नहीं। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आया यह दुरुस्त है या नहीं? संविधान में जब इस चीज को अलग रखा गया था तो उसका कारण यही था कि इसमें किसी का दखल नहीं। हमारे देश में अमरीका जैसा संविधान नहीं है। अमरिका में जब सरकार बदलती है तो सारी नौकरशाही बदल दी जाती है। हमारे देश में नौकरशाही नहीं बदलती। सरकार आती है जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमीशन में नौकरशाही किसी खास पार्टी की न हो, किसी खास ग्रुप की न हो, इसीलिये संविधान में इस संस्था को अलग स्थान दिया है। इसका विशेष स्थान है, ताकि कमीशन में किसी का दखल न हो। अध्यक्ष महोदय, इसी नुक्तानिगाह को ध्यान में रखते हुए, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ। ठीक है, अख्तियार तो उनको है, इसमें झगड़े की बात नहीं है। हां, एक बात पर मैं श्री बनारसी दास गुप्ता के साथ सहमत हूँ कि इस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम यह कह सकें कि

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 313-315*

संविधान को आघात पहुँचा है। हां, एक बात जरुर है, जिस तरह की भाषा को यहां रखा गया है, उससे जाहिर होता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इतने बड़े औहदे के पीछे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे महामन्त्री माननीय सदस्य हैं, वे हमेशा ऊंचा बोलते हैं, पता नहीं उन्हें इस बात पर क्यों कष्ट होता है। मैं उनसे भी और मुख्यमंत्री से भी यहीं कहूँगा कि हमारी पार्टी की इसी में इज्जत है कि उनकी तकलीफों को देखें। क्योंकि, संविधान बनाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। अगर संविधान में तबदीली की आवश्यकता है तो वह कांग्रेस पार्टी की शक्ति पर ही निर्भर है। आज तक कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए सामने नहीं आई कि इसमें कोई तबदीली करें। हमारी पार्टी को संविधान और कमीशन की इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, अगर कमीशन 14 हजार, 10 हजार या 20 हजार रुपया विशेषज्ञों को बुलाने के लिए मांगता है तो उसकी बात को मानना चाहिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। इसी तरह से रुल्ज में दिया हुआ है कि कमीशन का सैक्रेटरी, कमीशन की सलाह से बनाया जाए और यह बहुत ही सीनियर सी.पी.एस. या आई.ए.एस. आफिसर हो। सरकार ने जो नीतियां निर्धारित की थी उसके पीछे यही भावना थी कि कमीशन की इज्जत को बरकरार रखा जाए और इसे एक अहम स्थान दिया जाए। इस चीज को हमें कायम रखना चाहिए। मैं चेयरमैन को या दूसरे सदस्यों को, सबको मानयोग मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सरकार जब किसी को बनाती है तो मानयोग को ही बनाती है और अगर कोई बीच में खराब होता है तो उसके लिए और कई रास्ते हैं। उन रास्तों पर चलकर सरकार काम करती है, मैं मानता हूँ। मुख्यमंत्री जी मेरी तरफ देख रहे हैं, अगर बीच में झगड़ा न होता तो मैं उनको अच्छी तरह से, अच्छे ढ़ंग से कह सकता था। आखिर में मैं एक ही बात कह कर बैठ जाऊंगा कि जहां तक हो सके लोक सेवा आयोग की सलाह को मानना चाहिए, क्योंकि इसीलिए यह रिपोर्ट सदन में आती है। अगर सरकार कुछ कारणों की वजह से कोई बात न माने, जैसे अभी दो तीन केसिज, का जिक्र किया गया है, और कुछ कारणों की वजह से सरकार की कैबिनैट में कोई बात गई और उसका फै सला सही तौर पर या लत तौर पर हुआ तो यह सरकार को अधिकार है। सरकार जो अधिकार बरतती है उसके ऊपर सदन को टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। बाकी तो यह लोक सेवा आयोग है, जिस ढंग से यह काम करना चाहता है उसे करने देना चाहिए। यह ठीक है कि सदस्यों की क्वालिफिकेशनज कम या ज्यादा हो सकती है। यह जरुरी नहीं है कि सबकी क्वालिफिकेशनज़ एक जैसी हों। आप देखें भाखड़ा से सलोकम साहब ने

बनवाया था जो कि इंजीनियरिंग पास भी नहीं था। उसके पास कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं थी लेकिन वह लायक था।

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब, आपका टाईम दो मिनट से ऊपर हो गया है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं आखिर में यहीं कहूँगा कि मुख्यमंत्री उनके औहदे को बड़ी इज्जत से और उनके मान को कायम रख कर जवाब देंगे।

**मुख्यमंत्री ( श्री बंसी लाल ) :** स्पीकर साहब, काफी देर से पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। विरोधी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि कंस्टिच्यूशन का कहीं ध्यान ही नहीं रखा गया है। स्पीकर साहब, जहां भारत के कंस्टिच्यूशन ने पब्लिक सर्विस कमीशन को अख्तियार दिए हैं वहां विरोधी पक्ष के मैम्बरों को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार को भी उसी कंस्टिच्यूशन ने अख्तियार दिए हैं। जो कुछ दिया गया है कंस्टिच्यूशन को ध्यान में रखकर किया गया है, कंस्टिच्यूशन के मातहत किया गया है और कंस्टिच्यूशन को किसी जगह वायलेट नहीं किया गया, न किया जा सकता है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी रणबीर सिंह पदासीन हुए।)

# हरियाणा विधानसभा

## शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

----------------------------

### स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह :** डिप्टी स्पीकर महोदया, पहला मोशन चल रहा था तो स्पीकर महोदय ने कहा था कि आप इस पर कम समय लें। अगले मोशन पर ज्यादा समय दिया जाएगा यानी 15 मिनट दिये जायेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि स्पीकर महोदय ने जो आश्वासन दिया था उसको आप पूरा करें।

**उपाध्यक्ष :** वह बाद में देखा जाएगा।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 345*

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### श्रद्धांजलि

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, वह पीढ़ी धीरे-धीरे अब हमें से समाप्त होती जा रही है, जिसने हिन्दूस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश इम्पीरिलीज़म के खिलाफ जितने हथियार वह इस्तेमाल कर सकते थे किये और जितने भी किस्म की तकलीफें ब्रिटिश इम्पीयरिलीज़म उन्हें दे सकता था, उन्होंने सहीं। जेलें गयी, देश को आजादी दिलवायी, देश को एक नया विधान दिया और एक नया शासन दिया। यह साथी जिनका कि यहां जिक्र है उनमें से श्री गोरख नाथ जी हमारे साथ जेलों में रहे। महाशय बनारसी दास जी भी हमारे साथ जेलों में रहे। चौधरी करतार सिंह, श्री एम. थीरुमल राव जी और श्री नाथ पाई भी हमारे साथ जेलों में रहे। ये देश की आजादी की लड़ाई के बहुत बहादुर सेनानी थे और आजादी के सेनानी होने के नाते इन्होंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त कीं।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मेजर जनरल जंग शमशेर सिंह, जोकि आपके और मेरे जिले के रहने वाले थे, वह बहुत ही बहादुर अफसर थे। जिस प्रकार से आपने अपने सुपुत्र को देश की रक्षा के लिए कुर्बानी करते हुए देखा, इसी तरह से इनके सुपुत्र भी 1965 की लड़ाई में देश की रक्षा करते हुए स्वर्गवासी हुए और इनके एक बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हमारी पुलिस के अफसर हैं और वह भी देश की

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 120-121*

रक्षा के लिए कई स्थानों पर रहे हैं। जनरल साहब ने देश की आजादी की रक्षा के लिए जो कारनामें किए हैं उनको हम भूल नहीं सकते।

श्री एम. थीरुमल राव कांस्टीटुएंट असेम्बली में मेरे साथ थे। वे गवर्नर भी रहे थे और फिर हमारे साथ लोकसभा में सदस्य भी रहे। राव साहब देश की आजादी की लड़ाई में आंध्र प्रदेश के अन्दर एक अग्रणी नेता रहे।

पंडित गोरख नाथ जी पब्लिक सर्विस कमिशन के मैम्बर रहे और हम में से कुछ के साथ पंजाब असेम्बली के भी सदस्य रहे। महाशय बनारसी दास हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खजांची भी रहे थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए जेल की यातनाएं भी सही, कई साल तक एम.एल.ए. रहे और यहां पर उप-मंत्री रहे।

श्री नाथ पाई जो कि प्रजा सोशिलस्ट पार्टी के सदस्य थे, मेरे साथ 1957 से लेकर 1962 तक संसद के सदस्य रहे और इसी तरह अध्यक्ष महोदय, नासर साहब जिनको कि सारी दुनियां जानती है कि किस तरह से उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरु के साथ कन्धे से कंधा मिलाकर दुनियां को रास्ता दिखाया। अपने हितों की रक्षा करते हुए और विश्व को राजनीति में हमारे साथ मिलकर दुनियां की सेवा की।

डा. सी.वी. रमन जो कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे, ने देश की बड़ी सेवा की। आजकल देश को बनाने में वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा हाथ है।

अंत में मैं यहीं कहूँगा कि इन महानुभावों ने देश तथा अपने प्रदेश की जो सेवा की है वह भुलाई नहीं जा सकती और हमारी सरकार की यह नीति रही है कि जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ीं और देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी तथा तकनीकें सहीं उनका संरक्षण तथा उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करती है। लेकिन, कई दफा हम भूल भी जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे प्रदेश में इन लोगों में किसी के खानदान के लोग रहते हों तो उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद यह सरकार करे। और अंत में मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

**Mr. Speaker :** Friends! a great deal has been said about the various departed leaders. Indeed, they were very great men and they rendered distinguished services to our country. I fully associate myself with what has been said by my colleagues and I shall convey the sympathies

of this House to the bereaved families. At the end, may I request you, as a mark of respect to the departed souls, to stand in your seats to observe two minutes' silence.

(*The house then stood in silence for two minutes*)

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### पंजाब मनोरंजन शुल्क ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक, 1971

**Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) :** Sir, I beg to move -

That the Punjab, Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved -

That the Punjab Entertainment Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, सिनेमा या दूसरे एंटरटेनमैंट के सिलसिलों पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को बढ़ाने के लिए यह बिल आया है। अध्यक्ष महोदय, शायद इस हाऊस के अन्दर कुछ और दूसरे मैंबर भी ऐसे हों जिन्होंने आज तक पूरी फिल्म न देखी हो, उनमें से एक मैं भी हूँ जिसने आज तक कोई भी फिल्म पूरी नहीं देखी।

**एक आवाज :** यह टिकट ही आधी लेते थे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब मैं तो इनकी फिल्म देखता हूँ।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 139-145*

उपाध्यक्ष महोदया, सिनेमा और यह फिल्में देश को बनाने में काफी मदद कर सकती हैं और इनको मदद करनी भी चाहिये लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि देश के अन्दर नौजवान लड़के और लड़कियाँ सिवाये इस बात के कि आज कैसी पतलून या और कपड़ा पहना जाये और कल कैसा पहना जाये ही फिल्मों से सीखते हैं और कोई अच्छी बात सीखने की बात नहीं करते हैं। आज हम कोई बात देश को बनाने वाली सिनेमा से नहीं सीखते हैं। आज समाज में जो हम उथल-पुथल देखते हैं उसके लाने के लिये जो फिल्में हम देखते हैं उनका काफी हाथ है और असर है। कई किस्म के केस हमारे सामने आये हैं। बैंक्स में डाके पड़े और जब पूछा गया डाका डालने वालों से कि ऐसी शिक्षा कहां से ली तो यही जवाब मिला कि साहब फलां फिल्म देखी थी उससे यही बात सीखी कि कैसे डाका डाला जाये ? और भी कई बातें समाज के अन्दर गड़बड़ पैदा करने की हुई हैं और हो रही हैं जिनकी शिक्षा हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों ने फिल्मों से ली हैं देश को कैसे बनाना है, कैसे उन्नत करना है उस बात की शिक्षा या तो अच्छे ढ़ंग से सिनेमाओं में उनको दी जाती नहीं या हमारे नौजवान उसे अच्छे ढंग से लेते नहीं। मैं मानता हूँ कि केन्द्रीय सरकार का एक बोर्ड है जो फिल्मों को देखता है और छानबीन के बाद उनको दिखाने का लाईसेंस देता है लेकिन उसके साथ-साथ हरेक प्रदेश सरकार को अधिकार है और जिलाधिशों को अधिकार है कि वह देखें कि कौनसी फिल्म दिखाई जानी चाहिये और कौन सी न दिखाई जाए।

आज हमारी यह सरकार सिनेमाओं पर टैक्स बढ़ाने को बात लाई है और इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो टैक्स आम आदमी के ऊपर पड़े और उनसे लिया जाये जो दे न सकते हों, वह टैक्स समाजवाद के खिलाफ है और यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि आजकल कौन आदमी है चाहे अमीर हो या गरीब, जो सिनेमा नहीं देखता ? जैसा मैंने अभी कहा था शायद मेरे जैसा दूसरा साथी न मिलता हो जो सिनेमा न देखता हो। मैं कहना चाहता हूँ कि सब गरीब सिनेमा देखते हैं और उनके ऊपर इस तरह से टैक्स बढ़ाना तो एक तरह से उनको इस एन्टरटेनमैंट से रोकना है और सिर्फ बड़े-बड़े साहूकारों और आर्थिक शक्तिशाली लोगों को सिनेमा देखने की छूट देना है। यदि यह बड़े लोगों से पैसे लेने वाली बात होती तब तो कोई एतराज की बात न होती। लेकिन, यह तो गरीबों पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ वैसे तो उस बात में बड़ा फर्क है लेकिन मैं कहता हूँ कि आज तो सिनेमा ऐसी चीज हो गई है जैसे खाने में नमक। गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने

के खिलाफ 1930 में सत्याग्रह किया था और उसका एक ही असूल उन्होंने बताया था कि क्योंकि यह आम आदमी पर टैक्स लगता है और गरीब आदमी की जेब से पैसा निकलता है इसलिये ऐसा टैक्स लगाना सरकार के लिये अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ कि आमतौर पर फिल्में अच्छी नहीं दिखाई जातीं या उनका असर आम लोगों पर अच्छा नहीं पड़ता, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि फिल्म दिखानी नहीं चाहिये। अच्छी फिल्में देखनी चाहियें और दिखानी भी चाहियें। मैं समझता हूँ कि यह समाज को बदलने के लिये अच्छा साधन है और सिनेमा समाज में क्रांति ला सकते हैं। क्रांति अच्छी आये या बुरी आये यह तो समझ की और असर की बात है। लेकिन, जहां तक मीनज की बात है वह बुरा नहीं है अच्छा है। अगर इनका लत असर पड़ता है तो यह विचार करने की बात है कि असर लत क्यों पड़ता है? लेकिन, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि समाज बनाने के लिये यह अच्छा यन्त्र है। फिर आप देखते हैं कि सरकार के पब्लिक रीलेशनज डिपार्टमैंट की तरफ से लाखों रुपये सिनेमा दिखाने के लिए खर्च किये जाते हैं और सिनेमा मोटरें देहातों में सिनेमा दिखाने के लिए फिरती हैं। यह इतना खर्च इसलिये ही किया जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि इस बात का देश को बनाने में काफी हाथ है और देश के नौजवानों और आने वाली पीढ़ी को देश की समस्याओं को समझाने और उनको हल करने की बात बताने में यह काफी सहयोग देने वाली चीज है। ऐसी चीज से उनको, इस तरह दूर रखना अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस कानून के जरिये सिनेमा देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन, इसके जरिये उनकी जेबों पर असर पड़ता है और जो गरीब लोग हैं उनपर इस तरह से टैक्स लगाना उनको सिनेमा देखने से रोकने वाली बात ही है। जब आप भी मानते हैं कि यह समाज में अच्छी क्रांति लाने वाली बात है तो फिर आप गरीबों को उस क्रांति से क्यों दूर रखना चाहते हैं? इस टैक्स से कितनी आमदनी सरकार को मिलती है? और कितनी सद्भावना सरकार को मिलती है? यह सोचने वाली बात है। जो कोई सिनेमा देखने जायेंगे तो जब उनसे टिकट लेते वक्त और ज्यादा टैक्स मांगा जायेगा तो उस चीज का असर गरीबों पर अच्छा नहीं पड़ेगा और वह यही समझेंगे कि यह उनको सिनेमा देखने से रोकने वाली बात है। जब हम खुद मानते हैं कि सिनेमा समाज को बदलने के लिए एक अच्छा यन्त्र है तो फिर इस तरह से उस पर टैक्स बढ़ाना मैं समझता हूँ गरीबों को इस क्रांति से दूर रखने वाली बात है। बावजूद इस बात के कि मैं सिनेमा नहीं देखता मैं मानता हूँ कि यह समाज को बदलने के लिये अच्छा साधन है और सिनेमा देखने के लिये गरीबों को सुविधा मिलनी चाहिये न कि उन पर टैक्स

बढ़ाकर उनसे यह सुविधा छीनने का यत्न करना चाहिए। ये विचार एक तरह से निष्पक्ष आदमी के विचार हैं और आप जानते हैं कि निष्पक्ष आदमी के विचार सही होते हैं। आप टैक्स लगायें या न लगायें मैंने तो सिनेमा देखना नहीं है। इसलिये, मेरे ऊपर उसका असर नहीं है। लेकिन, जो बात सही है वह मैंने बता दी है कि इसका असर गरीब लोगों पर अच्छा नहीं पड़ेगा और हमारे नौजवान जो देश में समाज में क्रांति चाहते हैं, उनकी भावनाओं पर चोट लगाना कोई समझ की बात नहीं है। आज हम देश में अमन और शान्ति से क्रांति लाना चाहते हैं और समाज को बदलना चाहते हैं। लेकिन, ऐसा करके हम लोगों को अमन के रास्ते की बजाये दूसरे रास्ते पर धकेलने की बात करने लगे हैं। हिंसा आदमी तब करता है जब वह समझता है कि अहिंसा का हथियार वह नहीं चला सकता और चला नहीं पाता और अगर उसे अहिंसा की शिक्षा न मिले तो हिंसा की ओर बढ़ता है। अगर हम नौजवानों को हिंसा की तरफ ले जायेंगे तो हम देश प्रदेश की सेवा नहीं करेंगे। सिनेमा एक अच्छा साधन है और उसके जरिये हमें नौजवानों को अहिंसा की शिक्षा देनी चाहिये और ऐसा करने के लिये सिनेमा को मंहगा नहीं करना चाहिये इस तरह टैक्स लगा लगाकर और बढ़ाकर हम ठीक रास्ते पर नहीं बढ़ रहे हैं, आज हम क्या देख रहे हैं। अभी दो चार दिन का वाकिया है मैं रोहतक शहर में था। आप जानते हैं कि हमारे एक हवाई जहाज को दो नौजवान जबरदस्ती पाकिस्तान भगा कर ले गये और इसके बावजूद कि पाकिस्तान सरकार ने वायदा किया कि वह उसे वापिस कर देंगे उसे आग के सुपुर्द कर दिया गया और पाकिस्तान सरकार अपना वचन पूरा न कर सकी या उसने पूरा नहीं किया। उसके प्रति हमारे यहां रोष होना स्वाभाविक था और वह हुआ भी। तो हमने क्या देखा कि पहले दिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ रोष था दूसरे दिन क्या देखते हैं कि रोष भी प्रकट किया जाता है और साथ में कहा जाता है कि अगर इस बात को नहीं रोक सकते तो गद्दी छोड़ दो। उसके बाद मैं जा रहा था तो मुझे कुछ लोग देखते ही कहने लगे कि कांग्रेस छोड़ दो तोड़ दो। ऐसी हिंसा की भावना दिमाग में लोगों के आती है उसका एक ही कारण है कि आज हम सिनेमा के जरिये नौजवान लोगों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। लत शिक्षा देते हैं। अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो सिनेमा शिक्षा का बहुत बड़ा साधन है। सरकार मानती है और इसके माध्यम से पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट के जरिए लाखों रुपये खर्च कर रही है ताकि जनता को अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए ऐसे हथियार के ऊपर जो लोगों को सही रास्ता दे, उनपर टैक्स बढ़ाकर आप लत काम कर रहे हैं। सिनेमा पर टैक्स बढ़ाकर हम नौजवानों को

उनकी शिक्षा से दूर ले जाएंगे जो कि आज के जमाने में बिल्कुल अकलमन्दी नहीं है। नौजवान जब सिनेमा आएंगे तो गाली देंगे। वैसे तो दो चार आन की ही बात है लेकिन यह प्रजातन्त्र की सेवा नहीं है और न ही उस पार्टी के लिए अच्छी चीज है जिसके द्वारा हम नुमायंदे चुनकर आए हैं। अगर यह टैक्स लगाने के लिए थोड़ी देर इन्तजार करते तो अच्छा होता अब मैं सरकार से निवेदन करुंगा कि अगर वे टैक्स लगा ही रही है तो कम से कम इस बात पर ध्यान दे कि कम से कम अच्छी फिल्में बनाई जाएं। अच्छी फिल्में हरियाणा में दिखाई जाएं। अगर इस नजरिए से पैसा खर्च किया जाए तो टैक्स लगाने में कोई ऐतराज नहीं है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि देश में शराब की इतनी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, इतनी जगहों पर शराब बिकने लगी है जो कि देश को भलाई की तरफ नहीं ले जा रही है। समाज को तबाही की तरफ ले जाती है। इसी प्रकार जो टैक्स हम लगाना चाहते हैं, वह धर्म का पैसा नहीं है। वह एक अच्छा असर पैदा नहीं करेगा और जो पैसा अच्छा न हो उसके बारे में हरियाणा में कहावत है कि ऐसे आदमी के घर पर कभी भोजन न करो जिसमें कोई पाप की भावना हो।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, आप कितना बोलेंगे, हाऊस के सामने बड़ा बिजनैस है, जरा जल्दी खत्म करें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, आज अधिवेशन शुरु हुआ है, जितना समय लगे, उतना लगाना चाहिये। इसपर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए क्योंकि यह सदस्य का अधिकार है कि वह अपने विचार प्रकट कर सकता है।

**उपाध्यक्षा :** मैं यह सबकुछ जानती हूँ ...........

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं सदन का आधा मिनट भी फालतू नहीं लूंगा। अगर, मैं यह समझूं कि मैं प्रदेश की सेवा नहीं कर रहा और विषय से बाहर जा रहा हूँ तो आप कहना। मैं ठीक-ठीक बोलूंगा। इस बिल के जरिए टैक्स लगाने की जो बढ़ोतरी की गई है, सिनेमा देखने वालों पर जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा था। मैं समझता हूँ कि आज का वक्त टैक्स बढ़ाने का सही समय नहीं है। दूसरे देशों में, जहां समाजवाद का ढांचा है, वहां मुफ्त सिनेमा दिखाया जाता है। मजदूरों को, चाहे वह कारखाने में काम करता है, चाहे किसी और जगह काम करते हैं, उसको सिनेमा दिखाने का प्रबन्ध किया जाता है। सिनेमा इन्सान के ख्यालात बनाने के लिए एक साधन है। जो लोग हिंसा का सहारा लेते हैं या जिनकी हिंसा की वृद्धि बहुत बढ़ गई है उनको इस साधन के प्रयोग की

बहुत आवश्यकता है। बाहर के मुल्कों में सिनेमा देखने वालों पर टैक्स नहीं लगाया जाता। मैं वित्त मंत्री महोदया से जानना चाहूँगा कि वे यह बता दें कि दूसरे प्रदेशों में कितना-कितना टैक्स वसूल किया जाता है? हरियाणा के नौजवानों पर सिनेमा टैक्स बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है इसलिए आप किसी भी नुक्तानिगाह से देख लें, इस टैक्स का प्रभाव अच्छा नहीं है। समय की नजाकत को देख लें कि इसके पीछे भावना क्या है। आन वाला समय हमारे हाथ में नहीं है, अगली पीढ़ी के हाथ में है। अगली पीढी अगर टैक्स लगाने वाली चीज को स्वीकार करती है तो हमें झिझक नहीं होनी चाहिए लगा देना चाहिए। अगली पीढ़ी अगर हिंसा रोकना पसंद करती है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। अहिंसा की क्रांति लाने के लिए सिनेमा बहुत जरुरी है। अहिंसा की क्रांति में काफी समय लगता है लेकिन, देखना यह है कि इस समय को कैसे कम किया जाए? क्रांति जल्दी-जल्दी कैसे लाई जाए। इस अहिंसक क्रांति को लाने के लिए सबसे बड़ा साधन है 'सिनेमा'। इसको देखने से रोकना, हमारे देश की तरक्की में कोई अच्छा कदम नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं और आपको काफी देर से देश के सदनों का तजरुबा है और एक कार्यकर्ता के नाते भी सारे प्रदेश में जाने का मौका मिला है। आज से पन्द्रह या दस साल पहले लोग शान्ति के साथ रहते थे लेकिन अब इतनी हिंसा की भावना आ गई है जिसका हम अन्दाजा नहीं लगा सकते। इस हिंसक भावना को कैसे कम कर सकते हैं। कौन सा सबसे बड़ा यन्त्र है? मेरी राय में वह यन्त्र सिनेमा है। हम नौजवानों के दिमागों को अहिंसा की तरफ तभी मोड़ सकते हैं अगर उन्हें सहूलियत हों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी जेब में पैसे ही न हों और वे पैसे के अभाव में हिंसक हो बैठें। ठीक है.... आराम गाहों (रैस्ट हाउसिज) में बैठने के लिए गद्देदार कुर्सियां न हों, सोफे न हों, एयर कंडीशन वगैरा पर खर्च न करें। हम खर्च उन चीजों पर करें जो जरुरी हों ताकि टैक्स बढ़ाने की जरुरत न पड़े और देश के नौजवान हिंसा से परे रहें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी प्रकार की फिल्में दिखाएं, ताकि बच्चों में हिंसा की भावना जागृत ही न हो। अगर आन वाली पीढ़ी के अन्दर हिंसा की भावना पैदा होगी तो समझो कि हम देश की सेवा नहीं कर रहे। इस प्रकार टैक्स लगाकर पैसा इक्ट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। यह तो वही बात हुई जैसे एक भाई रिवालवर लेकर बैंक में जाता है और रिवाल्वर दिखाकर पैसा लूट लाता है। इसी प्रकार यह सरकार लोगों के लिए एक रिवालवर है जो कि पैसा इकट्ठा कर रही है। सिनेमा, जो देश के निर्माण के लिए एक साधन है और सबसे कारगर साधन है इसको पीछे न करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें

और टैक्सेशन इस ढंग से करें जो कि देश की तरक्की के लिए हो। कभी चुनाव के वक्त क्या कोई भी समझदार सरकार नया टैक्स लगाती है? यह माना कि हमारी सरकार मजबूत बहुत है। लेकिन, अभी सदन में जो हमने कार्यक्रम पास किया उससे हमारा सिर ऊंचा नहीं होता। मैं तो सोचता हूँ कि क्या इस तरह से सदन की आवश्यकता रहेगी भी या नहीं रहेगी। लोग मांग करेंगे कि सदन का खर्चा फिजूल क्यों करते हो? जब हाऊस के अन्दर किसी मामले पर ठीक ढंग से बहुत नहीं हो सकती? ऐसे प्रजातन्त्र की आवश्यकता क्या है? मैं तो सोचता हूँ कि बहन श्रीमती ओम प्रभा जी कोई ऐसा कारनामा करेंगी जिससे हमारी पार्टी का नाम ऊंचा होगा, जिससे हमें लोगों की सद्भावना मिलेगी। मगर यहां ऐसी कोई बात ही नहीं है। इस बिल के पास होने से तो स्थिति यह हो जाएगी कि जिस भी बच्चे को चार आने फालतू देने पड़ेंगे वही कांग्रेस सरकार के समाजवाद के खिलाफ नारा लगाएगा। उपाध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूँ कि अब भी अगर हमारी सरकार को समझ आ जाए और वह इस विधेयक को वापिस ले ले तो यह अपनी पार्टी की, प्रदेश की और अपने देश की भी बड़ी सेवा करेगी।

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### उत्तरी भारत नहर और
### जल निकासी ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक, 1971

**Irrigation & Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) :** Sir, I beg to introduce the Northern India Canal and Drainage (Haryana Amendment) Bill, 1971.

**Shri Ram Dhari Gaur :** Sir, I beg to move -

That the Northern India Canal and Drainage (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved -

That the Northern India Canal and Drainage (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, नहर के कानून में तबदीली करने के लिये जो विधेयक लाया गया है ..................... (अन्तरबाधाएं)

अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो श्री बनारसी दास महामंत्री जी के दिमाग में आबसेशन हो जाता है।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** कुछ नहीं होता।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 161-166*

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर कम सदस्य हैं जिनको नहर के महकमे को चलाने का मौका मिला हो या इस क्षेत्र में कोई तजरुबा हो। चौधरी दल सिंह को कुछ तजरुबा है और काफी अर्से तक मुझे भी इस महकमें में काम करने का मौका मिला है। एक वक्त था जब पंजाब एक बहुत बड़ा प्रदेश था और अब हमारा प्रदेश एक बहुत छोटा प्रदेश है। इस विधेयक के अन्दर कुछ स्कीमें हैं, जैसे मोघे बनाना, या उसमें कोई अदला बदली करना, कुछ तरमीम करना आदि। इनको कैसे किया जाये, कौन करेगा और किन तरीकों से उनको अमल में लाया जाये ? यह सब चीजें इस बिल का एक हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे भी पंजाब के बिजली तथा सिंचाई विभाग के मंत्री के नाते इन धाराओं को तब्दील करने का मौका मिला था और उस वक्त उस तबदीली को कराने की जरुरत इसलिये समझी गई थी क्योंकि जहां भी हम जाते थे, वहां पर मोघों की अदल बदल की दरखास्तों के ढेरों के ढेर मिलते थे और उनका फैसला नहीं हो पाता था, उनको डील करने का तरीका इतना पेचीदा था कि वह कागज आगे चलता ही नहीं था, महकमें वालों को लोगों को आपस में लड़ाने का एक जरिया बना हुआ था। लड़ाई कम से कम हो सके और दरखास्तों का फैसला जल्दी से जल्दी हो सके इस भावना को सामने रखकर उसमें तब्दीली करवाई थी। फिर, इसके इलावा दरखास्त अगर सरकार के पास आती थी तो सरकार के चीफ इंजीनियर को उसमें कोई अधिकार नहीं था और यह आज भी नहीं है। अगर मंत्री इस सिलसिले में किसी की दरखास्त पर कोई अपनी राय लिख दें तो वह अनाधिकार चेष्टा होती थी और यह आज के कानून के रुप से भी है। मगर, अध्यक्ष महोदय, जहां तक लोगों का ताल्लुक है उनका यह ख्याल होता है, यह चूंकि मंत्री है, इसलिये हमारे दु :ख निवारण करेगा और उसी ख्याल के मुताबिक आज भी मंत्री को हजारों दरखास्तें दी जाती हैं और पहले भी दी जाती थी। उनका जो फैसला होगा वह तो वही उन अफसरों की आज भी जिम्मेवारी है और पहले भी उनकी ही थी और उनके ऊपर विश्वास करके चलना होगा। अगर उनके फैसले में कोई खराबी हो तो उसके ऊपर चैक तब हो सकता है अगर सरकार के पास कुछ अधिकार हों। लेकिन, आज तो चीफ इंजीनियर को भी और हमारी सरकार को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हमने इसीलिये उस वक्त तब्दीली की थी। इसके इलावा एक बात यह भी थी कि नहर के महकमें के काम के जो बीच की कड़ी है यानी जो एस.ई. का दफ्तर है, जिसके ऊपर सालाना पांच छ : लाख रुपया खर्च आता था, हमें यह देखना पड़ा कि क्या उसकी कोई जरुरत है भी

कि नहीं। इसके बारे में उस वक्त सदन में एक रैजोल्यूशन भी आया था और हमारे मैम्बर स्वर्गीय मेजर अमीर सिंह जी जब वह पंजाब कौंसल के मैम्बर थे तो वह इसके बारे में प्रस्ताव लाये थे। उसी से इसका सम्बन्ध है। कुछ लोग जो आज डरते हैं, वह यह चाहते हैं कि कायदे और कानून को इस ढंग से बदला जावे कि नौकरियों में फर्क न पड़े, उनकी यह खाहिश होती है इनको काम दिखाना है इसलिये नौकरियों की असामियां बढ़ानी हैं। अध्यक्ष महोदय हमने उस कड़ी को जो देर करने वाली कड़ी थी, उसमें इस ढंग से तबदीली की थी कि धीरे-धीरे इनको भी तकलीफ न हो और लोगों की भी तकलीफ रफा हो सके। उन तब्दीली में हमने चीफ इंजीनियर को यह अधिकार दिया था कि अगर सूओ मोटो या उनके पास कोई दरखास्त आये तो वह उसके ऊपर दोबारा गौर कर सकें। अगर लोग चंडीगढ़ में मंत्री जी से आशा लेकर आयें तो मंत्री जी उनको किसी पास के अफसर के पास भेजें तब तो कुछ फायदा है। लेकिन, अगर वह उनको वापिस रोहतक में ही भेजें तो उनको हैरानी में डालने के इलावा उनके ऊपर फालतू का खर्चा भी डालने वाली बात है। मेरे दोस्त ट्रांस्पोर्ट मंत्री हंस रहे हैं, अगर वह अपने महकमे की मदद करने की बात करते हैं तो बात दूसरी है, जैसे आज गवर्नर साहब ने बताया था कि हरियाणा परिवहन की बसों में एक लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। मगर, 25-30 हजार के करीब तो प्रदेश में टीचर ही होंगे जो सफर करते हैं। खैर अगर लोगों के दु :खों को दूर करने की भावना आप के मन में है तो मैं समझता हूँ कि यह बिल सही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब आप और कितना टाईम लेंगे ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब आज तो सदन का पहला दिन है और इसके इलावा मैं कोई इररेलेवैंट भी नहीं बोल रहा। इसलिये, आप इतनी जल्दी से पाबन्दी लगाने की क्यों सोच रहे हैं ? अगर इस असैम्बली की कार्यवाही ऐसे चले जिसमें कोई मैम्बर अपने विचार भी न पेश कर सके तो फिर इतना चर्चा करने का क्या फायदा है ? फिर तो अच्छा है कि सदन की छुट्टी हो वरना मैं समझता हूँ कि जब तक कोई मैम्बर रेलेवैंट बोलता है उसको बोलने की इजाजत होनी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब मेरे कहने का मतलब यह है कि और भी मैम्बर साहिबान बोलना चाहेंगे इसलिए आप यह बता दें कि और कितना टाईम लेंगे ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** इसीलिये तो मैं कहता हूँ कि उनको मैं एक रास्ता दिखाऊंगा कि किन लाईन्ज पर बोलना है क्योंकि मुझे तजरुबा है। मेरे पास पेरैंट एक्ट

भी है, उनको मैंने स्टडी किया हुआ है, इसलिये उनको मेरी स्पीच सुनने के बाद मदद मिलेगी।

**श्री अध्यक्ष :** आप पांच मिनट और बोल लें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** आप समय न मुकर्रर करें। लेकिन, मैं कोशिश करूंगा अपनी स्पीच को जल्दी खत्म करने की।

**श्री अध्यक्ष :** मैंने आपके फायदे के लिये ही टाईम लिमिट नहीं लगाई।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं आपकी भावना को समझता हूँ, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय यह एक छोटी सी स्टेट है, इसके अन्दर सबसे बड़ी क्रांति जो एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर ऑनी चाहिये वह यह है कि सरकार के बीच की जो कड़ी है उनको इधर उधर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की तरक्की रोकने की बात नहीं करता, मैं यह कहता हूँ कि उनके ग्रेड बेशक समय के साथ बढ़ें लेकिन हरियाणा बनने के बाद इस छोटी सी स्टेट पर इतना बड़ा भार एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों के ऊपर डाल देना कोई अच्छी बात मालूम नहीं होती। हरियाणा में पहले कितने आई.ए.एस. थे और अब कितने बढ़ गये हैं ? मैं समझता हूँ कि यह एक साजिश है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कौस्ट को किसी न किसी ढंग से बढ़ाया जाए। इस बिल में यह एक नई बात है। मैं कहता हूँ कि हमारे मंत्री लोगों को यह क्यों खुले तौर पर नहीं बता देते कि हमको कोई अधिकार नहीं है। इसलिये, हमारे पास दरखास्तें न लाओ ताकि लोगों को असलियत का पता लग जाये। लेकिन, अगर आप लोगों का बहकावा भी करते रहे और कानूनी तौर पर आपको कोई अधिकार भी नहीं तो यह कोई कानूनी और इख्लाकी तौर पर ईमानदारी नहीं होगी। स्पीकर साहब, जब यह महकमा उस समय मेरे पास था तो हमने उसमें तब्दीली की लेकिन हम उस भावना को अभी पूरा नहीं कर पाये थे कि वह डिपार्टमैंट मेरे हाथ से निकल गया और दूसरे साथियों ने फटॉफट मिलकर उसको ड्राप करवा दिया। मैं जानता था कि कितने लोग खिलाफ थे और आज और भी ज्यादा है। अब हमारे बीच में एक और कड़ी एस.ई. की लगा दी गई है। इसके अन्दर भावना क्या है, वह आप देख लें। कानून में यह था कि पहले ऐस.डी.ओ. स्कीम बनायेगा और एक्स.ई.एन. उसे एप्रूव करता है। एस.ई. को उसे तबदील करने का अधिकार है। लेकिन, तब्दीली के मायने एस.ई. ने यह लगा दिये कि मंजूर को नामंजूर और नामंजूर को मंजूर करना। जब यह मामला हाई कोर्ट में गया तो उन्होंने पूछा कि कौन सी दफा के अधीन ऐसा करने का अधिकार मिलता

है..........

**शिक्षा मंत्री ( श्री माडू सिंह मलिक ) :** स्पीकर साहब, जो बिल हाऊस के सामने है मेरे काबिल दोस्त उस पर नहीं बोल रहे हैं और इरैलेवैंट बोल रहे हैं ............

**चौधरी रणबीर सिंह :** आपको पता भी है कि कौन से बिल पर बहस हो रही है ?

**श्री माडू सिंह मलिक :** आप कैनाल एंड डरेनेज ऐक्ट पर बोल रहे हैं। लेकिन, इस वक्त पेश हुआ ट्यूबवैल्ज वाला बिल ....... (विघ्न और शोर) .........

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अगर सदन में हाजिर रहें तो ऐसी लती न करें और उनको पता होना चाहिये कि सदन में कौन सा विषय चल रहा है। फिर वह तो काबिल वकील हैं और दाना बजुर्ग हैं अगर वह ऐसी बात करें तो भगवान ही रक्षक हैं इस हरियाणा का .......... विघ्न....... यह तो मुझे बेवकूफ बनाने वाले थे। अब आप ही इनको बता दें कि यह किस की बेवकूफी है। अगर मंत्री महोदय ही का पता न हो कि कौन से बिल पर बहस हो रही है और वह बीच में टोकाटाकी करें। इस तरह से तो भगवान ही रक्षा करे ( श्री बनारसी दास गुप्ता की ओर से विघ्न) मंत्री महोदय को पता नहीं मुझको पता है और मैं चाहता हूँ कि यह सीखें........ (विघ्न)..... हमारे प्रदेश के महामंत्री सदन में हैं। प्रदेश के प्रधान सदन में हों और वह सरकार को सलाह न दें और सरकार को पता ही न लगे कि कौन सा बिल अंडर डिस्कशन है तो हमारे प्रदेश का भविष्य कैसा होगा।? यह भगवान ही जानता है.... (विघ्न)....... हां मैं भी मैम्बर हूँ और आपके हटाये नहीं हट सकता...........

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** आपको क्यों खतरा है ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** मुझे कोई खतरा नहीं आपको वहम हो गया है।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** तिनका है दाढ़ी में ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** मेरी दाढ़ी में तिनका नहीं है आपकी दाढ़ी में है तिनका।

**Shri S.P. Jaiswal :** On a point of order. May I request the Hon. Speaker to draw the attention of the hon. Members interrupting to the

Rules which bar interruption by other Members while another Members is speaking and request that directions be issued to those interrupting, not to interrupt?

**Mr. Speaker :** It is hardly a piont of Order.

**Shri S.P. Jaiswal :** I have only drawn your attention to the Order. The hon. Member could draw my attention and not rise on a point of Order.

No interruptions please. We are losing time.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी बीच में आ गये और जिस बात की तरफ मैं सदन का ध्यान दिला रहा था, वह बीच में ही रह गई। मैं अर्ज कर रहा था कि एस.ई. महोदय ने कुछ डीसीजन दे दिये और वह केस हाईकोर्ट में गया और उन्होंने फैसला दे दिया कि कानून में अधिकार ही नहीं है उनको ऐसा करने का। अब उनको उस अधिकार के देने के लिये यह बिल लाए हैं। मेरा कहना यह है कि यह अधिकार जो हम उनको दे रहे हैं, इससे हम प्रदेश की ओर लोगों की सेवा नहीं करने जा रहे हैं और हम काश्तकारों के दु :खों को ऐसा करके दूर करने नहीं जा रहे हैं बल्कि उनके दिलों पर चोट लगाने की बात करते हैं, मरहम पट्टी लगाने की बात नहीं करते हैं। अगर मंत्री महोदय और प्रदेश सरकार के अफसर उस लत बात को सही करने की तरफ कदम नहीं उठा सकते हैं तो उन लोगों को कहें कि वह चंडीगढ़ न आयें और बिल्कुल कायदे कानून से बात चले अगर हमारे बस की बात नहीं है........ (विघ्न)........ गद्दी मुझे नहीं मिली है गद्दी तो गौड़ साहब को मिली है जिसने हरियाणा के हरेक गांव को बिजली दे दी है, अच्छे आदमी हैं घबराहट किस बात की.........

**श्री रामधारी गौड़ :** वह मैं बताऊंगा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** वह आप बता देना। लेकिन, तारीफ के मायने तारीफ न समझ लेना। मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह जो हम करने जा रहे हैं ऐसा करके हम लोगों की जो तकलीफें हैं उनको दूर नहीं कर रहे हैं। लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए अगर हम संशोधन करते तो ठीक था। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वह बड़ी सोच समझ के बाद दिया था। लेकिन अब हम ऐसे वक्त में जब चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे पास समय भी नहीं है यह बात करने जा रहे हैं। चूंकि बजट

आने वाला है और उस पर बहस होगी तो मैं सारे आंकड़े देकर बताऊंगा कि हमारे ऊपर कितना बोझ एडमिनिस्ट्रेशन का तीन साल में बढ़ाया गया है और उसके नतीजे के तौर पर कितने टैक्स लगाने पड़े हैं? आज मैं एक ही बात कहता हूँ कि यह जो बीच की कड़ी है उसे अधिकार न देते तो ठीक था और अगर देना था तो केवल चीफ इंजीनियर को देते रीकन्सिडर करने का। लेकिन, जो आप करने जा रहे हैं यह ठीक नहीं है, जो बीच में एक और कड़ी जोड़ दी है।

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

----------------------------

### उत्तर भारत नहर और ड्रेनेज ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक, 1971

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, उस वक्त मैं इस तरफ ध्यान दिलाना भूल गया था लेकिन, अब बताना चाहता हूँ। जैसे चौधरी दल सिंह जी ने जिक्र किया कि यह मामला सिलैक्ट कमेटी के सपुर्द किया जाना चाहिये। इसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। नहरी कानून अंग्रेजों के वक्त का कानून है। आम आदमी आउट लैट वगैरह चीजों को नहीं समझ सकता इसलिये सरकार ने इस कानून को तबदील करने के लिये एक कमेटी बनाई थी जिसमें मुझको छोड़कर सभी पुराने इरीगेशन मिनिस्टरों को उस कमेटी का मैम्बर बनाया गया था। इस कमेटी के प्रधान चौधरी रिज़क राम थे। इस कमेटी ने इस बिल की जांच पड़ताल करने में बहुत वक्त लगाया, पैसा भी बहुत खर्च किया। लेकिन, बड़ी अजीब बात है कि उस कमेटी का यहां पर कोई जिक्र ही नहीं है। इस कानून में तब्दीली सुझाने के लिये हर मैम्बर के पास एक-एक कॉपी भेजी थी। बहुत मोटे-मोटे बंडल थे, मेरे ख्याल में तकरीबन बीस-तीस हजार रुपया उसकी छपाई पर खर्च आ गया होगा। ये कागजात मैम्बरों को भेजे गये, कमेटी बैठी। लेकिन, पता नहीं उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है? यदि उस रिपोर्ट के अनुसार यह कानून बदला जाता और नया बनाया जाता तो ठीक होता।

**Mr. Speaker :** Chaudhri Sahib please be brief. You have had

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 168-171*

your chance before also.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अच्छा जी। मैं कह रहा था कि बजाय इसके कि कोई छोटा-मोटा संशोधन कानून के लिये पास करें, बेहतर यही है कि इसको वापिस करें और एक कम्प्रिहैंसिव कानून बनायें। इसके बाद इस पर गौर करें और अगर यह समझें कि इसमें कानून की तब्दीली आवश्यक है तो कर दें। चाहे आप कोई कमेटी बनायें या न बनायें लेकिन इतना जरुर है कि इस बिल पर दोबारा गौर करें और आज के हालात को ध्यान में रखकर सदन में पास करवाएं।

**श्रीमती चन्द्रावती ( लोहारु ) :** स्पीकर साहब, जैसे कि चौधरी रणबीर सिंह ने कहा है इसके सम्बन्ध में मैं भी अपनी बात कहना चाहती हूँ और चौधरी साहब के व्यूज को इन्डोर्स करना चाहती हूँ। जब यह इतना पुराना ऐक्ट है तो मैं समझती हूँ कि वज़ीर साहब भी इसको नहीं समझे होंगे। क्योंकि यह आउट ऑफ डेट हो चुका है। हम जो भी ऐक्ट बदलें, उसमें गरीब किसान के हितों को सामने रखना चाहिये। हम यहां बैठे हैं, शायद वह कठिनाई महसूस नहीं कर रहे जो किसान महसूस करता है। आप देखते हैं जिन किसानों के मोघे हर तीसरे दिन ऊंचे नीचे कर दिये जाते हैं और इनके अगेन्स्ट अपील करने का टाईम 30 दिन रखा जाता है, उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तीस दिन तक अगर अपील का फैसला नहीं होगा तो किसान का गेहूँ का खेत पानी न मिलने के कारण सूख जायेगा, सब्जियां सूख जायेंगी। इन बातों को सदन ठीक तरह से समझे और इस तरह अध-कचरे काम न करें। इस तरह करने से मैं समझती हूँ कि किसान की कठिनाई को कम करने की बजाये बढ़ावा दे रहे हैं। जितने मैम्बर हाऊस में बैठे हैं, मेरे विचार में 80 फीसदी मैम्बरों ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं है। अगर बिना पढ़े ऐसे ही अंगूठा लगाकर पास कर दें तो मैं समझती हूँ कि लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा, जिनसे, हम वोटें लेकर यहां आये हैं।

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री ( श्री रामधारी गौड़ ) :** स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों ने इस अमैंडमेंट को समझा नहीं है। इस अमैंडमेंट में आपत्ति की कोई बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो फैसले डी.सी.ओ. जिसको डिस्ट्रिक्ट कैनाल आफिसर कहते हैं और जो एक्स.ई.एन. के रैंक का होता है, वह जो फैसला कर देता था उसके बाद किसी को अपील करने का हक नहीं होता था। सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाता था। लेकिन, इस अमैंडमेंट से इस चीज को खत्म किया जा

रहा है। यह प्रजातन्त्र का अधिकार है कि जिस चीज को डी.सी.ओ. रिजैक्ट कर देता है, उस पर आगे अपील की गुंजाइश हो। डी.सी.ओ. के बाद सुपरिंटेंडिग कैनाल आफिसर के पास अपील हो सकती है। प्रजा को अपील करने का अधिकार देना प्रजातन्त्र के अनुकूल है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। जिस केस की डी.सी.ओ. इन्कार कर देता था उस पर आगे कोई गुंजाइश नहीं थी कि अपील कर सके लेकिन इस अमैंडमेंट से यह कठिनाई दूर हो जायेगी। जो पाबन्दी थी उसको हटाया जा रहा है और अधिकार दिया जा रहा है कि अगर किसी को किसी स्टेज पर इन्साफ नहीं मिलता तो वह आगे अपील करे और इन्साफ ले सके। यह एक बड़ी इनोसेंट अमेंडमेंट है। इससे आम आदमी को सुविधा मिल जायेगी। मेरी बहन जी समझती हैं कि पता नहीं क्यों अमैंडमेंट आ गई है? क्या ऑफत आ गई है? हमने अमैंडमेंट लाकर आम आदमी को सहूलियत दी है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। यह तो देखना चाहिये कि अगर एक आदमी को इंसाफ नहीं मिलता तो वह जाय कहां? इन्साफ का रास्ता बन्द नहीं होना चाहिये। अब दोनों को इन्साफ के लिये एक रास्ता दिया गया है। वह आगे जाकर इंसाफ हासिल करेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस बिल को पास कर देना चाहिये।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह पैरैन्ट एक्ट है। इसमें कहीं डिस्ट्रिक्ट कैनाल अफसर नहीं लिखा हुआ है, इसमें तो डिविजनल कैनाल अफसर लिखा हुआ है।

**श्री रामधारी गौड़ :** वह तो बात हो गई थी, डिविजनल कैनाल अफसर ही है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये एतराज कर रहा हूँ कि एक वह मंत्री जिसको यह नहीं मालूम कि डिस्ट्रिक्ट कैनाल अफसर है या डिविजनल कैनाल अफसर, वह दूसरों को कैसे कहता है कि इनको कुछ पता ही नहीं। अजीब हालत हो गई है और आपको मैम्बरों को संरक्षण देना चाहिये। जब कोई सदस्यों का मजाक उड़ाना चाहे उसको आपको फौरन रोकना चाहिये और इन्होंने जो शब्द पीछे इस्तेमाल किये कि मैम्बरों को कुछ पता नहीं, वे सदन की कार्यवाही से निकाले जायें। यह मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है।

**Mr. Speaker :** Anyway, I agree, this is a small matter. When the honourable Minister accepts it, the matter ends. If any remark has

been passed that should be expunged.

**Chaudhri Ranbir Singh :** Sir, when an honourable Member rises and makes a submission to the Chair, there are several friends who say that he is advising the Chair. To make submission to the Chair is the right of honourable Members at all times, of course, with the permission of the Chair. If a Member does so it does not amount to advice or anything else.........

**Mr. Speaker :** I agree.

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### भूमि के पूर्वी पंजाब उपयोग ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक, 1971

**Revenue Minister** (Sh. Neki Ram) : Sir, I beg to introduce the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill, 1971.

**Shri Neki Ram :** I beg to move -

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker :** Motion moved -

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** सभापति महोदय इस विधेयक के जरिये, जो अधिकार हर शहरी का है कि वह किसी सिविल अदालत में या रैविन्यू कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिये दरख्वास्त कर सके, उसको छीनने वाली बात कर रहे हैं।

यह ऐसा क्यों हुआ ? आप जानते हैं, क्योंकि आप भी उसी जिले के रहने वाले हैं जिस जगह के लिये यह बिल लाया जा रहा है। जिला करनाल की बहुत सारी

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 161-166*

भूमि कई सालों से बंजर पड़ी रही। उसमें किसी भी प्रकार की कोई खेती वगैरह नहीं होती थी। ऐसे बहुत सारे गांव थे जिनकी जमीनें इस तरह से बंजर पड़ी हुई थी। वहां की थोड़ी सी ही ज़मीन खेती करने के लायक थी। इस बंजर जमीन का पड़ा रहने का क्या कारण था? सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हरियाणा का किसान एक हौसले वाला और बहादुर किसान है। इसी प्रकार से करनाल जिला जिसकी यह भूमि इतने दिनों तक बेकार पड़ी रही वह भी किसी से पीछे नहीं है। उसके बंजर पड़े रहने का कारण यह था कि वहां छोटे-छोटे दरियाओं का पानी आता था और उस ज़मीन के अन्दर एक खासियत थी कि जब तक वह ज़मीन गीली रहे या गीलापन ज़रा सूखने लगे उसी वक्त उसमें हल जोत लिया जाये तो वह जमीन खेती लायक हो सकती है। अगर, उसके जोतने में कुछ समय लग जाये तो यह जमीन भाठा हो जाती थी यानी सख्त ज़मीन बन जाती थी। जो बैलों से खेती करने वाले किसान हैं उनके बस की बात नहीं रहती थी कि उसको जोत दें।

देश के अन्दर एक मशीन का यानी ट्रैक्टर का युग आया। बैलों के मुकाबले में ट्रैक्टर की शक्ति कई गुना होती है। इसलिये बैलों से यह सख्त ज़मीन उखाड़ी नहीं जा सकती थी। उस वक्त हमारा किसान आम पढ़ा-लिखा नहीं था और न ही उनके पास सामान ही था, न ही इतना पैसा था कि वे ट्रैक्टर खरीद सकें। दूसरे ट्रैक्टरों से खेती करने के विषय में उनको ज्ञान भी नहीं था। बहुत सारे हमारे समझदार भाई तो उस टाईम पर यह माना करते थे यानी दस-पन्द्रह साल पहले कि अगर ट्रैक्टरों से या मशीन से हिन्दुस्तान के अन्दर खेती की जायेगी तो बेकारी बढ़ जायेगी। इसलिये हिन्दुस्तान में मशीन से या टैऊैक्टर से खेती करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, जो लोग बड़े समझदार थे और उनको दूसरे देशों में जाने का मौका मिला था वे भी तब तक ट्रैक्टर नहीं खरीद सके थे। उनका इतना हौसला नहीं था। अब तक उनके अन्दर अज्ञानता है। उन लोगों के मुकाबले में जो भाई आगे आये जिनको उस वक्त की सरकार का बहुत ज्ञान था। उन्होंने हौंसला किया और ट्रैक्टर-बिजली से उस बंजर जमीन को सोना उगलने वाली ज़मीन बना दिया। उस समय की सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई और किसान इस तरह से अपनी जमीन की बंजर न रखे और रखेगा तो उसको दूसरों की खेती के लिये पट्टे पर दे दिया जायेगा। सभापति महोदय, हमारे देश में एक युग आया और वह युग अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे देश पर विदेशी ऋण है और वह विदेशी ऋण आधे से ज्यादा केवल इस नाम से है कि हमारा देश अपनी जरुरत के अनुसार अनाज पैदा नहीं कर सकता है। पहले हमारे देश में

250 करोड़ या 300 करोड़ रुपये का अनाज एक-एक साल में आता रहा है और कुल तीन हजार करोड़ रुपये का अनाज आया है। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिये हमारी सरकार ने एक कानून बनाया कि जो उस जमीन को लेगा वह उसमें से केवल अनाज ही पैदा कर सकता है, दूसरी फसल नहीं पैदा कर सकता। दूसरी पाबन्दी और लगायी गई कि उस जमीन पर जो खेती करेगा वह ट्रैक्टरों से ही कर सकता है बैलों से नहीं। इतना ही नहीं उस समय की सरकार के कोलैक्टर को अधिकार दिया गया कि अगर कोई अनाज के इलावा उन खेतों में पैदा करें तो उससे जमीन वापिस ले ली जाये। कुछ दिनों से बड़ी अजीब कहानी सुनने में आयी। उस समय हमने इस पर किसी प्रकार की कोई वकालत नहीं की। लेकिन, दोनों तरफ की बात सुनी। तीसरे उस समय एक ऐसी बात भी सुनने में आयी कि अगर किसी ने उस जमीन में गन्ना बो दिया है तो उसके नाम से भी लीज कैन्सल की गई। तो उसके ऊपर हाईकोर्ट में विचार हुआ। अब मैं नहीं कह सकता कि उस समय पंजाब सरकार ने कोलैक्टर को जो अधिकार दिया था उसके पीछे क्या भावना थी? किराया भाड़ा कानून के तहत एक केस हाईकोर्ट में दायर हुआ और हाईकोर्ट ने उन सारी बातों पर गौर करते हुए अपना फैसला दे दिया। इस फैसले के बाद एक ऐसा ही और केस सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके ऊपर भी फैसला दिया गया। इसलिये हमारी सरकार को भी यही डर पैदा हुआ है क्योंकि वहां पर उसको स्ट्राइक डाउन किया गया यानी उस एक्ट की सैक्शन की स्ट्राइक डाउन किया गया। इसी बात को मानकर हमारी सरकार ने सोचा कि यह धारा भी वैसी ही है और कहीं कोई अदालत इसे भी स्ट्राइक डाउन न कर दे इसलिये इस बिल द्वारा यह संशोधन करने की आवश्यकता इन्हें महसूस हुई है।

सभापति महोदय, आप भी मेरे जैसे काश्तकार हैं। आपको भी तजरुबा है और मुझको भी है कि बंजर जमीन को चालू करने के लिये शुरु में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितना नुक्सान उठाना पड़ता है? उन जमींदारों ने उस जमीन को इसलिये चालू किया कि उसकी लीज की अवधि सात वर्ष से लेकर 20 साल तक की रखी गई थी। उनमें कई एक को बीस साल पूरे हो गये हैं। मान लीजिये कि किसी को छ: महीने में पूरे होने हैं या उससे पहले पूरे हो गये हैं। उस वक्त के हमारी सरकार के अफसरों ने यह नहीं सोचा कि हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर दें बल्कि एक ऐसा वायुमंडल बना और एकदम से लीज को कैंन्सल कर दिया गया। इस प्रकार से लीज़ को कैंसिल कर देना कानून के अन्दर मैलाफाइड है और विशेषकर उस देश के अन्दर जहां पर एक प्रजातन्त्र राज हो। मैं तो

यही कहूँगा इस समय जो आपका एक्शन है वह जस्ट और सही नहीं है। एक्शन ऐसा होना चाहिये जो न्यायोचित दिखाई दे, न्याय के मुताबिक हो और देखने में भी ऐसा लगे कि न्यायोचित है। आप जानते हैं कि प्रजातन्त्र के अन्दर कोई भी व्यक्ति ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। लोकसभा की अवधि पहले पांच साल होती थी अब की बार वह चार साल के अन्दर ही समाप्त हो गई है और दोबारा इलैक्शन हो रहे हैं। आपको मालूम ही है कि पिछली बार हमारा सदन केवल आठ-सात महीने ही चल पाया था और दोबारा इलैक्शन हो गये। अब भी पता नहीं किस टाईम पर कैसे हो जाये और सदन टूट जाये। दूसरे स्टेटों में आप देख ही रहे हैं कि कई एक सदन पांच साल का अपना पूरा समय नहीं कर पाये जैसे उड़ीसा का है, मद्रास का है, वैस्ट बंगाल का है और वहां अब चुनाव होने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने इस विषय में विचार नहीं किया कि इस कानून के बन जाने से लोगों को क्या ठेस पहूँचेगी। हमारी सरकार ने सोचा ही नहीं कि इसका क्या असर होगा? जब इस प्रकार के कानून बनाये जाते हैं तो प्रजातन्त्र में ध्यान रखना होता है। परन्तु ये तो कहते हैं कि हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिसमें अदालत को कोई भी अधिकार न हो फिर तो इन अदालतों को भी क्यों न तोड़ दिया जाये और उनको पैन्शन कर दी जाये। आजकल का वक्त बदल गया है वक्त के हिसाब से हमें ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहिये जिसमें अधकचरी बात हो; हमें तो ऐसा करना चाहिये जिससे बीमारी का सही इलाज हो। मैं तो इस विषय में एक ही बात कह सकता हूँ कि जिन भाइयों के पांच साल पूरे हो जायेंगे तो उनको फिर उसी दिशा में जाना पड़ेगा और उनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा।

जैसा कि अभी पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि श्री गुलजारी लाल नन्दा जो कैथल हल्के से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वे इस लीज के कैंसिल के हक में नहीं थे। वे हमारी सरकार के मंत्री तो नहीं और न ही कोई उनकी सहमति ली गई है लेकिन इस बात को अखबारों में जरुर पढ़ा है कि कुछ भाइयों ने कहा है कि जिसको श्री बंसी लाल का समर्थन होगा उसका हम साथ नहीं देंगे मैं जानता हूँ कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं, कोई सहमति नहीं लेकिन अगर सरकार भी ऐसे हालात पैदा करे जिससे खामखवाह की मुश्किलात आएं तो यह अच्छी बात नहीं है। जो कोई भी यह कानून बना रहे हैं यह कोई सही नहीं। कभी इसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है वहां कई साल लग जाते हैं। कम से कम इस समय यह जो कानून बनाया गया है, इससे चुनाव पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा के तीन हल्के ऐसे हैं

जिनके ऊपर इस चीज का कोई अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है। यह जो कानून बनाया है, इस कानून से बहुत बुरा असर पड़ेगा इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी। जो यह कानून सरकार ने पेश किया है उससे मैं तो यह समझता हूँ कि नई बीमारी पैदा कर दी है, थोड़े से पैसे की खातिर। हम नये-नये कानून बनाते जाएं, ठीक बात नहीं। हम किस इरादे से चल रहे हैं मुझे तो इनके इरादों में कुछ शक दिखाई दिया है। इसमें या तो बेसमझी है या फिर इरादों में फर्क है। मैं अपनी ही बात कहता हूँ किसी दूसरे के इरादों की बात नहीं करता। हमारी सरकार के सलाहकार कुछ बेसमझी से कार्यवाही कर रहे हैं और ऐसे बेवक्त कर रहे हैं जिस वक्त कि इन्हें यह कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी। मैं कहता हूँ कि अब भी हमारी सरकार की समझ में यह आ जाए कि इस कानून की जरुरत नहीं है और इसकी आज के दिन कोई जरुरत नहीं है तो अच्छा है। एक तो दूसरे कानून के डर को इस कानून से जोड़ना अच्छा नहीं था दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने एक और कानून सैक्शन नम्बर पांच को उड़ा दिया। इसलिये अब इन्होंने यह कानून पेश किया। हमारे यहां बड़े-बड़े समझदार वकील हैं, डिप्टी एडवोकेट-जनरल हैं, और एडवोकेट-जनरल हैं उनसे सलाह मशविरा कर लेना चाहिए था। इस सैशन में इसको लाने की क्या जरुरत थी? यह मेरी समझ में नहीं आया।

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### पूर्वी पंजाब गुड़ ( नियंत्रण ) हरियाणा संशोधन विधेयक

**SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1**

**Mr. Chairman :** Question is -

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

TITLE

**Mr. Chairman :** Question is -

That the Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Revenue Minister (Shri Neki Ram):** I beg to move-

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill be passed.

**Mr. Chairman :** Motion moved -

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment)

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 184*

Bill be passed.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** सभापति महोदय, जब पहले मैं इसके बारे में निवेदन कर रहा था तो मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि इस कानून की जरुरत क्या है? हाईकोर्ट में तो हम जीते हैं हाईकोर्ट में हारने के बाद तो यह ठीक था कि इसको लाया जाता लेकिन अब क्या कारण है कि इस कानून को लाया गया है?

**मुख्यमंत्री ( श्री बंसी लाल ) :** रेपिटिशन नहीं होनी चाहिये। इसका जवाब दिया जा चुका है। बार-बार वही बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** जब कोई सीधा और अहम प्रश्न किया जा रहा है ..........

**श्री सभापति :** चौधरी साहब, यही बातें आपने पहले भी कही हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** थर्ड रीडिंग में मैं यह चाहता था कि सरकार की तरफ से कोई उत्तर मिलता।

**श्री बंसी लाल :** इसका जवाब पहले भी दिया जा चुका है।

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 11 फरवरी, 1971 ई.*

----------------------------

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी सबमिशन यह है कि जो प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी राठी साहब ने रेज किया था, उसी सिलसिले में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आम तौरपर तमाम सदनों का यही कायदा रहा है कि पहले गर्वनर या राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है, फिर उस पर बहस हो जाती है और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स हो जाता है। उसके बाद बजट पेश किया जाता है। लेकिन, यहां पर तो एक नई बात हुई। यह सही है कि जो भी नई बात होती है, वह सदन के फैसले के मुताबिक होती है, चाहे उसमें कुछ भाई नाराज हों या राजी हों। लेकिन, जो फैसला सदन कर दे, वह ठीक समझा जाता है। जहां तक मैं समझता हूँ कि आपने जो फैसला दिया है, वह इसलिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं और आगे कभी यह कंटनजैसी आएगी भी नहीं कि अभिभाषण के वक्त यह बजट का जिक्र किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो वह बजट का लीकेज हो जाता है, जोकि कानून के खिलाफ वर्जी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको अपने फैसले पर ही कायम रहना चाहिये और गुप्ता साहब को यही सलाह देनी चाहिए कि अच्छा यही रहेगा कि बजट की बात न कही जाए, क्योंकि आगे कोई इस तरह की कंटनजैंसी आन वाली नहीं है।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 11th Feb. 1971, Vol. I, No. 4, Page (4)* 46

**उपाध्यक्षा :** मैंने यही कहा है कि उसी वक्त बजट का जिक्र होना चाहिए, जबकि बजट पर डिस्कशन हो रही हो तो अच्छी बात है।

# हरियाणा विधानसभा

## शुक्रवार, 12 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वैसे तो उसके बाद कई बातें बहुत आगे चली गई। लेकिन, वह एक मैम्बर की पर्सनल बात है। वे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां एक चपड़ासी और एक मैम्बर का मुकाबला किया गया। चपड़ासी हमारे देश का बहुत मानयोग शहरी है, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि और सदस्य भी बड़े मानयोग शहरी हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि यह जो मुकाबला किया गया है, इस मुकाबले के लफजों को ऐक्सपंज किया जाए।

**Shri Bansi Lal :** No, they should not be expunged. They are parliamentary. आप आराम से स्टडी कर लें।

**Mr. Speaker :** We will examine these things and if there is anything against the Rules as far as this remark is concerned, I will give my ruling.

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 12th Feb. 1971, Vol. I, No. 5, Page (5)* 9

# हरियाणा विधानसभा

## शुक्रवार, 12 फ रवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल ने .......... (विघ्न)

**चौधरी बनवारी राम :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। स्पीकर साहब, हाऊस के अन्दर काफी मैंबर हैं। इसलिए सबका टाईम बांध दिया जाए ताकि सभी 'बार' लेने का मौका मिल सके। चौधरी रणबीर सिंह जी ने तो ठेका ले रखा है हाऊस का, हम ऐसी बात नहीं चलने देंगे।

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी बनवारी राम जी, यह आपका प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, यह तो आप सजैशन दे रहे हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, अभी मानयोग सदस्य ने ठेके की बात कही है, ठेका कभी एक पार्टी से नहीं होता। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब, बिजनैस ऐडवाइज़री कमेटी की मीटिंग अभी होने वाली है और आप उसमें स्पैशल इन्वाईटी हैं। इसलिए आप अभी बोलना चाहेंगे या कि बाद में बोलना पसंद करेंगे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, अगर मीटिंग अभी शुरु होनी है तो मैं

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 12th Feb. 1971, Vol. I, No. 5, Page (5) 20-21*

उसके बाद में बोल लूंगा।

**श्रीमती चन्द्रावती :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। स्पीकर साहब, यहां पर यह कहा गया था कि अखबारों को कोट नहीं किया जा सकता। जहां तक मेरा ख्याल है हम अखबारों को पढ़ नहीं सकते लेकिन उनकी रेफ्रैंस ज़ुरुर दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करुंगी कि आप हमें इस बारे में ऐन्लाइटन करें कि क्या कोई मैम्बर अखबार में से रेफ्रैंस दे सकता है कि नहीं ?

**Mr. Speaker :** I think] you are right. Now, I remember that questions, which are based on the information given in the News papers, cannot be asked. I have also seen in Lok Sabha, news papers being quoted. So, I will give my ruling on this sometime later.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं बोल तो नहीं रहा। लेकिन, एक मानयोग सदस्य ने एक ऐसी बात कहीं जो कि चेयर पर भी रिफ्लैक्ट करती है। उन्होंने कहा था कि चौधरी रणबीर सिंह ने ठेका ले रखा है। तो ठेका एक तरफ से नहीं होता, ठेका हमेशा दो पार्टियों के बीच में होता है। एक पार्टी देने वाली होती है और एक लेने वाली। इसका मतलब है कि उन्होंने आपको भी बीच में इन्वाल्व किया है। मैं समझता हूँ कि ठेके वाली बात प्रोसोडिंग्ज में से ऐक्सपंज की जानी चाहिए।

**Mr. Speaker :** Khan Sahib, you wanted to speak. You may do so now.

# हरियाणा विधानसभा

## शुक्रवार, 12 फरवरी, 1971 ई.*

---

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** सभापति महोदय, मैं पहले बोल रहा था। लेकिन, अध्यक्ष महोदय ने एक सदन की समिति की बैठक के बारे में कहा कि वहां से आने के बाद मैं अपना भाषण जारी रखूं। मैं यह जिक्र कर रहा था कि हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण का जिक्र किया वह बिल्कुल सही है। जिस समय, हमने देश का विधान बनाया था उसके अन्दर राज्यपाल का औहदा बड़ी सोच समझकर स्टेट से बाहर रखा था और राज्यपाल को लगाना केन्द्रीय सरकार के तहत रखा गया था। यह ठीक है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वह एक तरह से उसकी सरकार के द्वारा लिखाया हुआ होता है और वह उस सरकार के विचार होते हैं। अगर दोनों राज्यपालों के अभिभाषणों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक राज्यपाल पाकिस्तान का है और दूसरा हिन्दुस्तान का। मुझे खुशी है कि हमारे राज्यपाल ने, केन्द्र ने जो फैसला किया है, उसको माना है। लेकिन पंजाब के राज्यपाल ने केन्द्र के फैसले को बाज़ारु फैसले के तौर पर माना है। यह चीज़ हमारे देश के राजनीतिक इतिहास की एक बड़ी बात है और इन्हीं बातों को देखते हुए लोकसभा के स्पीकर ने हिन्दुस्तान की असैम्बलियों के नुमायंदों को बुलाकर यह बात उनके सामने रखी थी कि संविधान को दुबारा लिखने को कोई आवश्यकता है या नहीं। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है, अगर इसी तरह से चलना है तो चुनाव के

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 12th Feb. 1971, Vol. I, No. 5, Page (5)* 43-50

बाद दोबारा संविधान लिखने के लिए कंस्टिचुएंट असैम्बली बिठानी पड़ेगी। यह बड़े अफसोस की बात है कि एक राज्यपाल ऐसी भाषा बोले जो दूसरे देश के राज्यपाल की भाषा मालूम पड़े और दूसरा राज्यपाल दूसरे ढ़ंग से ही बोले। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि फाजिल्का और अबोहर हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं और बाकायदा यह मानी हुई बात है। लेकिन, फिर भी पंजाब के राज्यपाल महोदय कहते हैं कि जो भाषा ज़बानी बोली जाती है उसके बिनां पर फैसला किया जाए। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान का कायदा एक है, वही कायदा हरियाणा में लागू होता है, वही कायदा तमिलनाडू में लागू होगा। किसी आदमी की भाषा क्या हो, संविधान में इसका अधिकार हर एक को ही दिया गया है और अगर वह नाबालिग है तो उसका फैसला उसके माता-पिता करेंगे। यह बताना कि मेरी मातृभाषा क्या है, यह मेरा मौलिक अधिकार है। अगर मैं तमिलनाडू में चला जाऊं और वहां मैं अपनी मातृभाषा तमिल लिखाऊं तो मुझे कोई रोक थोड़े ही सकता है? पंजाब वाले कहते हैं कि फाजिल्का में पंजाबी बोली जाती है और इसीलिए वह पंजाबी भाषी एरिया है। लेकिन, हम कहते हैं कि वहां की मातृभाषा हिन्दी है।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। हमारे राज्यपाल ने बड़ी चर्चा की कि यहां पर अनाज का उत्पादन बढ़ा है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन, यह तो तथ्यों को पीछे रखकर कोई बात की जाने वाली बात है। बात हमारे हक में हो वही बात हम कहें यह अच्छी बात नहीं है और जो हमारे खिलाफ पड़ती है उस बात को छिपाया जाए यह तरीका अच्छा नहीं है। सभापति महोदय, मेरे पास हरियाणा सरकार की छपी हुई सूचना है उसके अन्दर यह लिखते हैं कि 1967-68 के अन्दर के अन्दर अनाज की पैदावार 39.70 लाख टन थी और 1969-70 के अन्दर पैदावार 46.26 लाख टन हुई। यह मुकाबला करते हैं 39 और 46 का। यह 1968-69 में जो 27 लाख टन पैदावार हुई यानी 39 से 27 लाख टन रह गई यानी बारह लाख टन घट गई, उससे मुकाबला नहीं करते। हमें 1967-68 में जिसके बाद नए सदन ने काम सम्भाला, उससे मुकाबला करना चाहिए। जहां तक तिलहन की पैदावार का ताल्लुक है वह 1967-68 में एक लाख इक्कीस हज़ार टन थी और 1969-70 के अन्दर 0.81 लाख टन। इस तरह तिलहन की पैदावार भी घट गई। इससे आगे कपास की पैदावार का जिक्र है वह 1967-68 के अन्दर 3 लाख 74 हज़ार टन थी और 1969-70 के अन्दर वह 3 लाख 40 हज़ार रह गई इस तरह से वह भी घट गई। जहां तक गन्ने की पैदावार का ताल्लुक है वह 1967-68 के अन्दर 4 लाख 73

हज़ार थी और 1969-70 के अन्दर वह 7 लाख 92 हज़ार हो गई। यह अच्छी बात है कि हम गुड़ की पैदावार में आगे बढ़े हैं। इस बात को कौन जानता है कि यह जो अनाज और गन्ने की पैदावार बढ़ी है उसमें हमारा कितना हाथ है और कुदरत का कितना हाथ है।

सभापति महोदय, पंजाब और हरियाणा का जो बिजली का स्त्रोत है वह दोनों का एक ही है और वह है भखड़ा और उनका ग्रिड रेट भी एक ही है। जिस रेट पर पंजाब को बिजली दी जाती है उसी रेट पर हरियाणा को बिजली मिलती है। आमतौर पर ट्यूबवैल चलाने के लिए पांच हॉर्स पॉवर की मोटर चाहिए। वहां पर एक हॉर्स पॉवर का खर्च 90 रुपया साल है। वे पांच हॉर्स पॉवर पर 450 रुपया साल में लेते हैं। एक साल में मैक्सिमम 450 रुपया वे लेते हैं। मीटर में वे नहीं गिनते। लेकिन हमारे यहा कैथल के अन्दर एक ट्यूबवैल के लिए डेढ़ हज़ार या दो हज़ार रुपया देना पड़ता है। (विघ्न)। जो सच है हम उसको क्यों न सामने रखें। हमको कारण बताने चाहिए कि क्या फर्क है? हम कहते हैं कि हमने लाईनें बहुत बिछा दी, ठीक है, यह भी कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन, उन लाईनों का तब तक फायदा क्या है, अगर बिजली लोगों को पूरी नहीं मिल पाती? इसलिए आप सचाई को क्यों छिपाते हैं? आप यह कह सकते हैं कि हमारा खर्चा ज्यादा हो गया है, हम पंजाब के मुकाबले में अपने अधिकारियों को तनखाहें ज्यादा देते हैं। लेकिन, सचाई को छिपाने की कोशिश करना प्रजातंत्र के सूत्र के खिलाफ है। हमारी सरकार चाहती है कि बिजली देने के मामले में हम बहुत आगे हैं, यह अच्छी बात है। इससे किसको खुशी नहीं होगी? हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। हमने वह भी दिन देखा था सदन के अन्दर जब सवाल के जवाब में कहां गया था कि रोहतक में बिजली देना बंद है। खुशी की बात है हमारे पण्डित जी आए, इन्होंने कहा कि हरियाणा के हर एक गांव को बिजली दे दी। लेकिन, बिजली देने के मायने हैं कि वहां तक तार बिछा दी आये और बिजली पीछे से आए न। इससे मैं समझता हूँ कि न लोगों को फायदा होता है, न बिजली बोर्ड को ही फायदा होता है। फायदा तब होता है जब बिजली मिले और लोग पैसा दें। चेयरमैन साहब, यहां पर कहा गया कि 40 फीसदी लोड खेती पर खर्च होता है। आप जानते हैं कि किसानों के ट्यूबवैल हफ्ते में कितने दिन चलते हैं और कितनी उनको बिजली मिलती है? यहां पर बहिन चन्द्रावती जी के सवाल के जवाब में यह कहा गया है कि इसके आंकड़े नहीं हैं। सभापति महोदय, हरेक तहसील के आंकड़े इकट्ठे हो सकते हैं, हां, मैं इस बात को मानता हूँ कि उसके लिए समय चाहिए और समय दिया जा

सकता है। इनको वह आंकड़े देने चाहिएं। लोड सैंक्शनड है। लेकिन, बिजली मिलती नहीं तो अकेली सैंक्शन को आप कमर पर उठाकर फिरते रहें। मैं कहता हूँ कि अगर बिजली नहीं मिलेगी तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? इसलिए हमको चाहिए कि वह भाषा हम बोलें जिसको आम लोग समझ सकें। सभापति महोदय, हरियाणा सरकार की जो स्टैटिस्टिक्स बुक छपी है उसमें से मैं हाऊस को आंकड़े बताना चाहता हूँ। बिजली के बारे में हरियाणा की क्या पोज़ीशन है, इसका उन्होंने चार पांच तरीके से मुकाबला किया है। यह मेरे अपने आंकड़े नहीं हैं, सरकार की खुद की छपी हुई किताब है। यह इसके पेज, 128, 129 और 130 पर लिखे हुए हैं। उसमें इन्होंने हरियाणा का हिन्दुस्तान की बाकी रियासतों के साथ मुकाबला किया है। एक मुकाबला यह है कि कितने यूनिट यहां आदमी इस्तेमाल करता है, उसमें हरियाणा का सातवां नम्बर है। हमारा पड़ोसी प्रदेश जिसके हम हिस्सेदार थे वहा ंपर हर आदमी के हिस्से 166.67 यूनिट पर-कपिटा खर्चा है जबकि हरियाणा में सिर्फ 68 है। इसमें 100 का फर्क है। सभापति महोदय, हालांकि बिजली में हमारा उनसे ज्यादा हिस्सा है। यह बात मैं मानता हूँ कि हमारे यहां बिजली में तरक्की हुई है। 11,000 किलोवाट की लाईन सारी जगह पर बिछा देना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन, उसके बाद अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं तो उससे काम नहीं बन सकता। इसी तरह एक हजार की आबादी के पीछे बिजली कितनी खर्च होती है उसका दूसरे सूबों के साथ मुकाबला करके यह बताया है कि हमारा सातवां नम्बर है। इसी तरह एक वर्ग किलोमीटर इलाके के अन्दर हरियाणा में कितनी बिजली खर्च होती है और दूसरे प्रदेशों में कितनी बिजली खर्च होती है, उसमें भी इन्होंने हरियाणा का सातवां नम्बर दिखाया है। सभापति महोदय, जहां तक बिजली की लाईन बिछाने का ताल्लुक था इसमें कोई शक की बात नहीं हमें बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन, जहां तक लोगों को बिजली देने का ताल्लुक है इनको कहना चाहिए था कि अभी हम बहुत पीछे हैं और भगवान अगर हमारा साथ देगा तो हम उस दौड़ में भी आगे निकलेंगे। सभापति महोदय, इसी तरह जो बिजली बिकती है उसमें मिलियन किलोवाट के अन्दर भी हरियाणा का स्थान सातवां है और हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब में 22 लाख 80 हजार किलोवाट पर-ऑवर खर्चा होता है और इसके मुकाबले में हमारे यहां छ : लाख 54 हजार किलोवाट पर-ऑवर बिजली खर्च होती है। यह आंकड़े मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, यह इनको अपनी स्टैटिस्टिक्स बुक में दिए हुए हैं।

**श्री बंसी लाल :** चौधरी साहब, यह कौन से साल की है?

**चौधरी रणबीर सिंह :** यह तो आपने अभी चार दिन पहले तकसीम करवाई थी। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, इसके इलावा नौकरियों की बात कही गई। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब, आप और कितना टाईम लेंगे? आपको 19 मिनट पहले बोलते हुए हो गए हैं, आपने 11.20 पर बोलना शुरु किया था। मैं आप को चार मिनट और देता हूँ।

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, इसी तरह से हमने नक्शा दिखाया है कि जो स्टैम्पस हैं, उनके ऊपर हमारी आमदनी 1967-68 के मुकाबले में काफी ज्यादा हुई है। उसके मायने क्या हैं? (विघ्न)

**श्री बंसी लाल :** स्पीकर साहब, चौधरी साहब ने जो फिग्र्ज़ बताए हैं पंजाब के। मैं उनकी इतलाह के लिए बताना चाहता हूँ कि उसमें नंगल फर्टिलाईज़र फै क्टरी की बिजली की कन्जम्पशन आती है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** लेकिन, मुख्यमंत्री साहब, यह तो आपकी किताब कहती है। मुख्यमंत्री साहब की बात दुरुस्त है। मैं उसको मानता हूँ। लेकिन, किताब में उस तरह से नहीं छपा हुआ। यह आपकी तरफ से ही हमें मिली है और इस पर गवर्नमैंट की मोहर लगी हुई है। यह मुझको तीन दिन पहले दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, यह जो बीच में इन्ट्रप्शन्ज़ हुई हैं क्या यह समय मेरे टाईम में से काटा जाएगा।

**श्री अध्यक्ष :** नहीं चौधरी साहब, आपके समय में से नहीं काटा जाएगा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, सेल्ज़ टैक्स में हमारी आमदनी तकरीबन डबल हुई है, तो हम किसी के घर से तो आती नहीं, वह तो हमारे से ही ली जाती है। इरीगेशन के बारे में बड़ा शोर करते हैं कि इस पर जितना पहले रुपया खर्च किया था अब उससे डबल हो गया है। लेकिन, उस किताब को अगर आप पढ़ें तो यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमें जो इससे आमदनी होती थी वह पहले से घट गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश को चलाने की क्या यही तरकीब है? हम जो ब्याज की रकम लेते हैं वह तीन करोड़ रुपए सालाना से भी अधिक बढ़ गई हैं। अगर, उस पैसे को अच्छे काम पर जैसे पैदावार बढ़ाने के लिए लगाया जाए फिर तो उसका फायदा है। वरना मैं समझता हूँ कि यह स्टेट का दिवाला निकालने वाली बात होगी। अध्यक्ष महोदय, जो एक वक्त डींग होती है, वह दूसरे वक्त बुराई हो जाती है।

मैंने एक दफा अखबार में पढ़ा, पता नहीं सही है या लत और इस बारे में वही बतायेंगे, लेकिन हमने यह पढ़ा कि हमारे बोर्ड का इरादा है कि जिस तरह से औरजिस दर पर पंजाब के किसान को बिजली दी जाती है उसी तरह से हम देंगे। जिस तरह वहां वर 90 रुपये फी हॉर्स पॉवर के हिसाब से देते हैं उसी तरह ये यहां देंगे। बिजली के बारे में यहां पर बहुत कुछ कहा जाता है और बहुत बातें होती हैं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में थर्मल बिजली का पॉवर हाऊस लगना था और उसकी क्लीयरैंस पता नहीं कितने साल पहले भारत सरकार से मिल गई थी और बायलर का आर्डर भी बुक हो गया था लेकिन वह आर्डर कैंसल कर दिया गया। वह कारखाना गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का था और पब्लिक सैक्टर में लगा हुआ था। फिर दोबारा टैंडर मांगे गए और भारत सरकार के कारखाने का टैंडर 80/90 लाख रुपये सस्ता मिला। मुझे खुशी है कि उसी कारखाने का टैंडर बुक हो गया। लेकिन, नतीजा क्या हुआ? पंजाब में बिजली का थर्मल प्लांट भटिंडा में लगना था और उसकी मंजूरी अभी तीन महीने हुए मिली है। लेकिन, फिर भी 10 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं मगर यहां पर सिर्फ 40/50 लाख..........

**श्री बंसी लाल :** आपको पता होना चाहिए कि भटिंडा का थर्मल प्लांट बनते डेढ़ साल हो गया है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अब मैं क्या कहूँ? मैं कह सकता हूँ। लेकिन, मुख्यमंत्री जी अगर इस बारे बाहर बात कर लें तो ठीक रहेगा क्योंकि मुझे अगर इस बारे में चैलेंज करना पड़े तो मुझको पीछे हटना अच्छा नहीं और उनको चैलेंज करना पड़े तो उनको पीछे हटना अच्छा नहीं। लेकिन, इसमें सही मैं ही हूँ। मैंने कहा है कि प्लानिंग कमिशन की कलीयरैंस जो मिली है उसके लिए उनको वह कुछ महीने पहले मिली है। लेकिन, हमें कई साल पहले मिली थी (श्री बनारसी दास गुप्ता की ओर से विघ्न) आप फिर मेरे साथ इस बारे में बात कर लें (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, यह जो विघ्न हो रहे हैं और मेरा टाईम कभी बंसी लाल जी ले लेते हैं और कभी बनारसी दास जी, तो क्या यह टाईम मेरे टाईम में गिना जायेगा?

**श्री अध्यक्ष :** आप चार पांच मिनट ज्यादा बोल भी चुके हैं और अपने टाईम से ज़्यादा ले चुके हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** ठीक है, तो मैं बैठ जाता हूँ।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

----------------------------

### हरियाणा विनियोग ( संख्या 2 ) विधेयक, 1971

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब जैसे आपने पहले सुझाव दिया था एप्रोप्रिएशन बिल के लिए दो घन्टे तो ज़रूर रखने चाहिए।

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब मुझे इसमें क्या एतराज़ है। मैंने तो आपकी सहूलियत के लिए कहा है क्योंकि इस पर मैंबर साहिबान पहले काफी बोल चुके हैं इसलिए अब कम टाईम रख लिया जाए।

So, we will have two hours for Appropriation Bill, two hours for the other eight bills, and then whatever time you require for the remainder (last) two items viz., Public Service Commission's Report and the Annual Financial Statement of the Electricity Board.

So, on the Appropriation Bill I shall apply guillotine at 4.00 p.m. and the Hon. Members may now like to start discussion thereon.

### BILLS

### THE HARYANA APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1971

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, वित्त मन्त्री महोदया

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Evening Sitting] Vol. I, No. 9, Page (9)* 9-17

ने अपने भाषण में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया, यह सही बात थी। लेकिन, नीति ही की बात नहीं है। बात तो दरअसल यह है कि अगर हम सारा हिसाब किताब लगाकर देखें तो पता चलता है कि हम किसी हद तक हिन्दुस्तान की सरकार के पैसे पर निर्भर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा सदन के सामने जो आंकड़े रखूंगा वे सारे के सारे वित्त मन्त्री महोदया ने ही हमको छाप कर दिए हैं। इससे पहले कि मैं आंकड़ों की तरफ जाऊं, एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि हमारी सरकार से जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब सही हों। अक्सर लत होते हैं। अभी दो तीन सवाल इस सदन में किये गये और उनका जवाब 'न' में दिया गया। इन्होंने कहा कि कोई आवेदन-पत्र या कोई मैमोरैंडम प्रैस एडवाईजरी कमेटी बनाने के लिए नहीं आया और न ही सरकार को प्राप्त हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। जो प्रस्ताव हरियाणा लघु समाचार पत्र सम्पादक संघ ने पास किया और जिसको जनरल सैक्रेटरी ने श्री स्वरुप किशन के नाम से सरकार को भेजा, वह पत्र मैं सदन में रखना चाहता हूँ। (पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया)। इसी तरह सरकार ने कई बार कहा कि हम छोटे समाचार पत्रों और साप्ताहिक समाचार पत्रों की सहायता कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यह उचित बात नहीं है कि जिन समाचार पत्रों का काम ही सरकार को सारी सूचना देना है उनके बारे में लत बातें कहीं जाएं और असलियत को छुपाया जाए, यह सही नहीं है। कोई अच्छी बात नहीं है। हमने 1968-69 में जो सूचना सदन में रखी थी उसके मुताबिक साप्ताहिक अखबारों या जो अखबार जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर चलते हैं उनको साल में 29537 रुपये दिये गये और इसके मुकाबले में कुछ समाचार पत्रों को जो रुपया दिया गया, वह 2,81,505.97 रुपए था। 1969-70 में हरियाणा के पत्रों को 29,181.49 रुपये के इश्तिहार दिये गये जबकि इसके मुकाबले में सब अखबारों को 3,24,675.43 रुपये दिए गए। उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रदेश के साप्ताहिक आदि पत्रों की बहुत बड़ी सूची थी, उन सबको इश्तिहार नहीं दिए गए। 1968-69 में 29 अखबरों को दिए और 1969-70 में सिर्फ 27 अखबारों को दिए गए।

इसके साथ ही साथ आपको यह जानकर भी ताज्जुब होगा कि जिन रोजाना निकलने वाले अखबारों को इश्तिहार दिए गए उनमें से हरियाणा में केवल एक छपता है। इसी तरह से जिन वीकलीज को इश्तिहार दिए गए उनकी संख्या 32 है। मगर, इनमें से भी हरियाणा में छपने वाला एक है। फिर 15 दिन में छपने वाले अखबारों का

जो इश्तिहार दिए गए उनकी संख्या 9 है। मगर, हरियाणा में छपने वाले केवल 3 हैं। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा में छपने वाले अखबारों की आज कमी नहीं है इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि जैसा उन्होंने एलान किया है कि हरियाणा के अखबारों को वे प्राथमिकता देंगे उसके मुताबिक ही उनकी नीति होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद मैं आंकड़ों की तरफ ऑना चाहता हूँ।

**एक आवाज :** चौधरी साहब, आंकड़ों को छोड़ो। क्या रखा है इनमें ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं खान साहब तो नहीं हूँ जो आंकड़ों को छोड़ू। मेरा नाम चौधरी रणबीर सिंह है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया, इकट्ठे पंजाब के कर्ज़े का बंटवारा हमारी हिन्द सरकार ने पूरा नहीं किया है बल्कि प्रीवियनल बंटवारा किया है। 1.11.1966 को प्रीवियनल कर्ज़ा हमारी सरकार के जिम्मे 161.76 लाख था और 1.4.71 को वह 190.68 लाख होगा। 1.4.70 को बजट के आंकड़ों के मुताबिक यह 189.19 लाख था। उपाध्यक्ष महोदया, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमारा काम किस तरह से चलता है। पिछले साल 1970–71 के अन्दर जो हमने कर्ज़े लिए वह 50 करोड़ 65 लाख रुपये के थे और जो कर्ज़ा वापिस किया वह 30 करोड़ 33 लाख रुपये का था। इसका मतलब यह है कि अंगूठा तो हमने लगाया 50 करोड़ 85 लाख रुपये पर। मगर, हमें दरअसल मिला 11 करोड़। उपाध्यक्ष महोदया, इस साल के आंकड़े यह हैं कि जो हम कर्ज़ा लेने जा रहे हैं, जिसका बजट के अन्दर जिक्र है, वह 60 करोड़ 75 लाख का कर्ज़ा होगा। इसमें से 42 करोड़ 42 लाख के ऊपर तो हम केवल अंगूठा लगायेंगे, वह हमको मिलेगा नहीं। हमको दरअसल जो मिलेगा वह 18 करोड़ के लगभग मिलेगा जबकि पिछले साल 11.52 करोड़ मिला था। अगर यही रफ्तार रही तो कभी ऐसी हालत आ जाएगी कि हम अंगूठा तो लगायेंगे मगर पैसा हमको मिलेगा नहीं। यह बड़ी गम्भीरता से सोचने की बात है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूँ कि कर्जे के बगैर काम नहीं चल सकता, यह ठीक बात है। वित्त मंत्री महोदया ने जैसा कहा वह बात सही है। पंजाब एक बहुत छोटी सी स्टेट थी लेकिन सारे हिन्दुस्तान में काफी डिवैल्पड थी। उसका एक कारण था और वह यह कि हिन्दुस्तान सरकार की सबसे बड़ी कर्जेदार जो स्टेट थी वह पंजाब थी। पैसे लिए बगैर काम नहीं चल सकता लेकिन बात असल उसमें यह है कि हम जो कर्ज़ा लेते हैं, वह कर्ज़ा सही तौर पर इस्तेमाल हो और इससे पैदा करने की शक्ति बढ़े। तब तो कर्ज़े का फायदा है। अगर

कर्ज़ को पी जायें या नवाबों की तरह खर्च करें तो वह फायदेमन्द नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदया, बिजली के बारे में यहां बड़ी बात कही गई। शाम को शायद इस बारे में बहस करने का मौका भी मिले। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बिजली के लिये दो साल के अन्दर, जिसके बारे में बजट के अन्दर बड़ा जिक्र किया गया है, हमारी सरकार ने कितना रुपया दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, हम जो पैसा कर्ज़ के रुप में लगा रहे हैं स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर उसका जो ब्याज हमको साल भर में ऑना चाहिए, वह बैठता है 1969–70 में चार करोड़, तिहत्तर लाख बाईस हजार और 1970–71 में पांच करोड़ चार लाख बहत्तर हजार रुपये तथा जो हमारी सरकार ने पैसे दिये वे हैं पांच करोड़ पचास लाख रुपये जिसके मायने हैं कि कोई 70–75 लाख रुपये लिये दिये। असल में कोई रुपया लिया दिया नहीं गया, क्योंकि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अनुदान लिया मान लिया और सरकार ने ब्याज आया मान लिया। जिस तरह से हमारी सरकार के साथ हुआ उसी तरह से अपने स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कर रहे हैं। (इस समय सभापत्तियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी जय सिंह राठी पदासीन हुए)। सभापति जी, फिर सवाल है कि पैसा कहां से आया? इसके बारे में अर्ज यह है कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में 1969–70 के अन्दर पैसा आया ,वह तीस करोड़, सत्तर लाख पैंसठ हज़ार है जिसमें से पांच करोड़ पचास लाख जो है, वह हमारी सरकार का है।

**श्री सभापति :** मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहिबा से कहूँगा कि – – – – न बैंठें।

**श्रीमती ओमप्रभा जैन :** आपने कल भी यह बात कही थी – – – –

**श्री सभापति :** कल तो मैंने चिट से कह दी थी। परन्तु, मुझे ऐसे कहना पड़ा क्योंकि आज भी आप वैसे ही बैठी थी।

**श्रीमती ओम प्रभा जैन :** इसमें कहने की तो कोई बात थी नहीं, क्योंकि बाकी हाऊस को तो दिखाई नहीं देता, सिर्फ चेयर की बात थी।

**उद्योग मंत्री ( खान अब्दुल गफ्फार खां ) :** चेयरमैन साहब, थोड़ी सी तो लिहाज की होती। मुझे समझ नहीं आता कि आपको यह कहने की क्या जरुरत पेश आई?

**Mr. Chairman :** That is not the decency in the House.

**चौधरी रणबीर सिंह :** सभापति जी, मैं इसलिए आंकड़े रख रहा हूँ क्योंकि यहां बिजली का बड़े जोरों से प्रचार है। पोल अच्छे लगे या खराब लगे वह बात दूसरी है लेकिन पैसा कहां से आया यह जानने की बात है। मैंने शुरू में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात में तो मैं भी बहिन ओम प्रभा जी के साथ अपने आपको शामिल करता हूँ। बहिन इन्दरा गांधी प्रधानमंत्री ने हमको नई आर्थिक नीति ही नहीं दी बल्कि काम चलाने के लिए साधन भी दिये हैं। वही हमको पैसा दे रही हैं। हमारी सरकार भी चाहे पंजाब की सरकार थी या चाहे हरियाणा की सरकार है इस मामले में बहादुर है, क्योंकि इसने अंगूठा लगाकर हौंसले से कर्ज़ उठाया। (विघ्न) । दूसरी विरोधी दलों की सरकारें चाहे वह यू.पी. की सरकार हो या कोई और सरकार हो। अगर, फायदा न उठाये तो इसमें प्रधानमंत्री या सैन्ट्रल गवर्नमैंट का क्या कसूर? अंगूठा लगाने की बहादुरी के लिये तो हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है क्योंकि इसने हौसले से कर्ज़ उठाया। इसी तरह से बोर्ड के अफसर भी कर्ज़ा हासिल करने के लिए धन्यवाद के मुस्तहिक हैं। इनकी बहादुरी का इस बात से पता चलता है। जितने भी बिजली के यंत्र लगे हुए हैं उनकी घिसाई के लिए पैसा रखा जाता है जिसका नाम रिजर्व डैप्रिसिएशन फंड होता है। यह 1969-70 में एक करोड़ तेतालीस लाख पैंतालीस हजार था और 1970-71 में दो करोड़, त्रेपन लाख बासठ हजार था लेकिन यह सारे का सारा पैसा लगा दिया गया है। मशीनरी घिसने के बाद कहां से लगा सकेंगे, यह समस्या आगे सामने आयेगी। मगर, हौंसले की बात है। बैंक में पैसा रखने से भी कोई फायदा नहीं, उसका प्रयोग होना चाहिए। (विघ्न) मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम इस बात के लायक हुए। लाईफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन जो हिन्दुस्तान की सरकार का अदारा है उससे भी हम लोगों ने मदद ली। इसलिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को तथा सैंट्रल वगर्नमैंट को बधाई दी है। उन्होंने अढ़ाई करोड़ रुपये 1969-70 के अन्दर और दो करोड़ रुपये 1970-71 के अन्दर दिए। इसी तरह से सैंट्रल गवर्नमैंट के जो दूसरे अदारे हैं, उनसे भी इन्होंने 1969-70 और 1970-71 में दो करोड़ नब्बे लाख रुपये लिए। असल बात यह है कि बीस करोड़ सत्तर लाख में से पांच करोड़ इक्कासी लाख छोड़ करके, जो ब्याज का ऑना था और हमने नहीं लिया, बाकी सारा रुपया हिन्दुस्तान सरकार के अदारों से आया। फिर समाजवाद की नीति के तहत हमारी केन्द्रीय सरकार ने बैंकों को नेशनेलाईज किया। वे बैंक जो कभी किसी को पैसा नहीं देते थे, उनसे हमारे चेयरमैन साहब बोर्ड के अफसरों ने तालमेल कायम किया और वहां से पैसा लिया तो एक तरह से, मैं मानता

हूँ कि हमारी वित्त मंत्री महोदया ने प्रधानमंत्री का जब जिक्र किया वह सरकारी जिक्र है। मगर, उसके ऊपर भी कुछ आपत्ति यहां की गई माफ करना, सभापति महोदय, यह आपकी तकरीर में ही थी।

**श्री सभापति :** अब भी तो मसाला आप दे रहे हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** असल बात यह है कि हमको यह मानना चाहिए और हमें सैंट्रल गवर्नमैंट का मशकूर होना चाहिए कि हमारे प्रदेश को तरक्की करने लायक बनाया।

सभापति महोदय अब जो बजट में आंकड़े छपे हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। कितनी टैक्स के उगाहने से हमारी तरक्की हुई और कितना अपने दम पर हुई। सन् 1967-68 के जो अकाउन्ट हैं, जिनमें कोई अदला-बदली नहीं हो सकती है। उनके मुताबिक हरियाणा से इन्कम टैक्स और सैंट्रल एक्साइज टैक्स प्रदेश की कुल टैक्स आय जो 33 करोड़ और 53 लाख रुपया था जिसमें से 7 करोड़ और 11 लाख हमें आया। इस तरह सन् 1971-72 में 59 करोड़ और सात लाख रुपया उन टैक्सों का जाएगा। लेकिन, हिन्दुस्तान की सरकार से 13 करोड़ 48 लाख रुपया आएगा। दरअसल जितना पैसा सैन्ट्रल गवर्नमैंट से आता है वह 21 से 25 प्रतिशत के बीच में इमदाद के रुप में आता है। जहां तक हमारा ताल्लुक है उसमें दो चीजें बड़ी जरुरी हैं, एक जो यह प्रोफै शनल टैक्स है, इसके बढ़ाने के मैं हक में नहीं हूँ लेकिन 1967-68 में 17 लाख रुपया प्रोफै शनल टैक्स आया और 71-72 में भी 17 लाख ही आयेगा। आज जब कि हमारी आबादी बढ़ गई है, सरकारी नौकरी करने वालों का प्रोफै शन भी बढ़ गया है लेकिन उनका टैक्स उतना ही है। इसी तरह से लैंड रैन्वेयू है। यह मैं मानता हूँ कि समय बदलता रहता है उसी के हिसाब से यह लैंड रैवेन्यू भी नहीं रहेगा। लेकिन फिर 1967-68 में जो लैन्ड रेवेन्यू आया वह एक करोड़ 43 लाख रुपये आया। अब 1971-72 में एक करोड़ 53 लाख रुपया जाने की उम्मीद है, वह जो 10 लाख रुपये की बढ़ोतरी है, यह कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं है। हां यह मैं मानता हूँ कि सेल्स टैक्स के अन्दर काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि 1967-68 में नौ करोड़ और 54 लाख थी 1971-72 में 18 करोड़ अधिक और 31 लाख दिखाया है। इस प्रकार के आठ करोड़ और 77 लाख रुपया अधिक आमदनी होगी। कहने का मतलब यह है कि सही ढंग से टैक्स को वसूल किया जाना चाहिए, ताकि हम यह बता सके कि हमने टैक्स वसूल करने में काफी सतर्कता से काम लिया है।

सभापति महोदय नहरों के विषय में बड़ी बातें कही जाती है कि हम बहुत खर्च कर रहे हैं और जैसा कि, वित्त मन्त्री महोदया ने भी अपनी बजट स्पीच में कहा है कि पिछली बार हमने 5 या 7 करोड़ रुपया नहरों पर खर्च किया और इस साल नौ करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। चेयरमैन साहब कोई टाईम बोलने का फिक्सड है या जितना मर्ज़ी आये ले सकते हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** सभापति महोदय मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इरीगेशन के विषय में जिक्र कर रहा था। इरीगेशन के लोन का जो हमने ब्याज दिया वह सन् 1969-70 में दो करोड़ 17 लाख रुपया दिया, इसमें मल्टीपरपज़रिवर वैली प्रोजैक्ट का शामिल नहीं है और इस साल के बजट में जो रखा है, वह तीन करोड़ और 17 लाख रखा है। एक साल के अन्दर एक करोड़ ब्याज का खर्चा बढ़ा है। इसमें हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन, आमदनी तो उससे बढ़नी चाहिए। इस हिसाब अगर हमें जो आमदनी हुई है मल्टीपरपज को छोड़ कर यानी सिंचाई विभाग से एक करोड़ और 93 लाख की हुई है सन् 1970-71 में। लेकिन, 1971-72 के बजट में जो रखी है उसमें मुझे पता नहीं क्यों कम दिखाई गई है। इसमें केवल एक करोड़ और चालीस लाख रुपया रखी है। क्या कारण है कि पिछले साल की अपेक्षा साल की अपेक्षा इस साल कम क्यों रखी गई है? स्टॉफ का खर्चा बढ़ गया या कोई और खर्चा बढ़ गया वह बताया जाना चाहिए था।

**श्री सभापति :** टाईम फिक्स नहीं है बनारसी दास जी, अगर समय मिला तो आपको भी टाईम दिया जायेगा। इतना जरूर है कि चार बजे गिलोटीन लागू हो जायेगा।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** सभापति महोदय हमारी ओर से बहुत सारे स्पीकरज़ की आपके पास लिस्ट आई हुई होगी और जब आप सबको ही मौका देना चाहते हैं तो टाईम मुकर्रर होना चाहिए।

**श्री सभापति :** यह पहले ही डिसाइड हो चुका है कि चार बजे गिलोटीन लागू होगा सब स्पीकरज़ को बोलने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** महामंत्री जी मेरे विषय में ज्यादा एतराज कर रहे हैं। सभापति महोदय मैं इरीगेशन की आमदनी के विषय में जिक्र कर रहा था। भाखड़ा से

जो इरीगेशन की आमदनी है वह सन् 1970–71 में एक करोड़ और 71 लाख रुपए हुई और रिवाइजड बजट एस्टीमेट्स के हिसाब में 1971–72 में वह आमदनी एक करोड़ 75 लाख रूपया बतायी है। भाखड़ा के एरिया में जहां बैटमैंट लगी है, वह एक करोड 27 लाख रूपया सन 1970–71 में थी और अगले साल के रिवाइण्ड एस्टीमेट्स को देखकर पता चलता है कि एक करोड़ और 28 लाख रूपया है।

वैस्टर्न जमुना कैनाल बैटरमैंट लेवी की आमदनी 35 लाख और 87 हजार रूपया दिखाई गई है और सन 1971–72 के अन्दर 36 लाख 88 हजार है। कोई विशेष अन्तर नहीं है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा आंकड़ों से सदन के ऊपर बोझा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ और महामंत्री जी हमारे जल्दी में हैं कि मैं जल्दी से अपनी स्पीच को खत्म करूं। लेकिन, यह बजट के जो आंकड़े मैंने बताये हैं, उनसे पता चलता है कि हमारी सरकार जो काम करती है, उसका बोझा किसी महकमे पर कितना बढ़ा है। यह देखने की बात है। हमें यह देखना है कि हमें नेट आमदनी कितनी होती है।

आपको पता ही है कि हमारे यहां तीन–चार दरियाओं का पानी एक–दो साल के अन्दर पहुँचेगा और एक–दो दरिया का पानी अब आता है। एक जमुना का और दूसरे सतलुज का भाखड़ा से ब्यास और रावी का पानी भी आयेगा। सतलुज पर तो हमारा डैम बना हुआ है और जमुना पर भी डैम बनाने की योजना थी। जमुना पर किशाऊ डैम बनाने का फैसला आज से छह वर्ष पहले हुआ था। लेकिन, इस बजट में उकस कहीं भी जिक्र नहीं है। सैन्ट्रल गर्वनमेंट के मंत्री डॉक्टर के.एल. राव साहब ने विश्वास दिलाया था कि जल्दी इसका फैसला करेंगे। वैसे तो हमारी सरकार बड़ी तेज है। लेकिन जैसा कि बहिन चन्द्रावती जी ने कहा कि दो चीजों में है। एक तो किसी के साथ बिगाड़ करना हो, उसमें तेज है। (विघ्न)

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कुछ भी कहें, मैं उसके बारे में महसूस नहीं करता क्योंकि जब मैं आया था, तब मुख्यमंत्री जो आज हैं, उनको भी पता नहीं था कि मुझको कांग्रेस में लाने वाला वह नहीं है ? जब मैं कांग्रेस का महामंत्री बना था तब तो वे कांग्रेस में आये थे। इसके अलावा इस सदन के अन्दर हमने देखा है कि हम जब शुरू में आए थे तो 48 मेम्बर बनकर आए थे 148 मेम्बरों में से 17 इनसे नाराज होकर चले गये थे। एक तिहाई मेम्बरों के दल बदल करने के पीछे उनका यानी मुख्यमंत्री जी का सीधे या टेढ़े तौरपर हाथ है। जो कुछ हुआ, उसके विषय में कुछ

नहीं कहता, लेकिन मुख्यमंत्री जी या अन्य कोई मंत्री हमारे बीच में रूकावट डालना चाहें तो हम उसको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### हरियाणा विनियोग ( संख्या 2 ) विधेयक, 1971

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, मानयोग मंत्री महोदय ने अभी जो पंजाब सहकारी संस्था हरियाणा संशोधन विधेयक पेश किया है, यह हरियाणा के अन्दर सहकारी संस्थाओं में सुधार के हित में है। संस्थाओं में कुछ खराबियां भी चलती हैं और वह उनमें मौजूद भी हैं। मगर, एक बात जो देखने वाली थी, वह यह है कि रिजर्व बैंक ने हमारी स्टेट के लिये और स्टेटों की तरह एक हद-बन्दी मुकर्रर की है कि हम उससे कितना पैसा हासिल कर सकते हैं? उसके लिए यह देखना जरुरी था कि स्टेट सहकारी बैंकों का, व सैंट्रल बैंक की कितनी हिस्से की रकम है या कितनी वर्किंग कैपिटल है?

(इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य प्रिंसिपल ईश्वर सिंह पदासीन हुए)

सभापति महोदय, जैसे मैंने पहले बिल पर भी कहा था कि हिन्दुस्तान की सरकार हमारे प्रदेश को बढ़ावा देने के लिये काफी इमदाद कर रही है लेकिन कई बातों में हम अभी भी पिछड़ रहे हैं। पिछले सालों में जितना रुपया हम हासिल कर सकते थे, उतना रुपया हासिल नहीं किया गया, इस बात के पीछे सैंट्रल बैंक, स्टेट सहकारी बैंक और सोसाइटियों की भी खराबी थी। इसके साथ-साथ आप जानते हैं,

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9) 52-55*

जैसे कि हमारे यहां शुगरकेन फैक्ट्रीज हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, ये वहीं कामयाब हो सकती हैं, जहां कि संस्था के सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हों, उन्हें एक दूसरे का ज्ञान हो। अब सहकारी गन्ना मिलों में हजारों हिस्सेदार होते हैं, वे एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। इस बात के नतीजे के तौर पर आज हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारी जो गन्ना सहकारी मिलें हैं, उनके या तो चुनाव हुए ही नहीं और उनके हिस्सेदारों ने मिलकर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज का चुनाव ही नहीं किया है। यह माना गया है कि वे लोग इनका इन्तजाम नहीं कर सकते आज होता क्या है? जो मिल का मालिक बना बैठा है, उसका कोई हिस्सा पत्ती नहीं हैं। मैं किसी बड़े अफसर या छोटे अफसर का नाम नहीं लूंगा। मैं चाहता हूँ कि पी.सी.एस. या आई.सी.एस. जो अफसर हैं, उनकी वहां रहने का एकबार मौका जरूर मिले। रोहतक गन्ना मिल के बारे में मैं जानता हूँ कि वहा ंएक साल में 19 लाख रुपया का घाटा हुआ था और उस साल उसके अन्दर के आई.सी.एस. और पी.सी.एस. अफसरों का दखल था।

सभापति महोदय वे जो कुछ करें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज एक दफा लगा दिए जाते हैं उसके बाद उनको हटान का तो अधिकार है। लेकिन, कानूनी तौर पर एक ऐसी पोजीशन है कि वे जो कुछ करें, ठीक माना जाए। सरकारी तौर पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे अच्छा करें या बुरा करें। और न लोग ही कुछ कर पाते हैं। यह हालत सिर्फ हमारे प्रदेश की ही नहीं, बल्कि जो हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब तथा यू.पी. हैं वहां भी यही हालत है। उन बड़ी-बड़ी सहकारी संस्थाओं के पीछे जो भावना होती है उसका ध्यान नहीं रखा जाता है और वह रह भी कैसे सकता है, क्योंकि वहां एक मेम्बर दूसरे को जानता तक नहीं है। हमारी सरकार उनमें एक हिस्सेदार है, किसी में बीस लाख की, किसी में कुछ कम की, किसी में फालतू की और उस हिस्से में से कुछ वापिस लेने देने की बात होती है और कर्जे के लिए हमारी सरकार उनकी गांरटीयर होती है। लाखों रुपए का उनका बजट होता है, करोड़ों रुपए की बात है लेकिन कहीं पर कोई दखल नहीं, सदन के अन्दर कभी कोई बात उनके सम्बन्ध में नहीं आती। इसलिए मैं विकास मंत्री महोदय से कहूँगा कि जहां वे इस बात की कोशिश करें कि हमारे प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा पैसा आए वहां इस बात का भी ध्यान रखें कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो चल नहीं सकतीं, जो गन्ने की फैक्टरियां हैं, वे स्टेट पब्लिक सेक्टर में ऑनी चाहिए, जिससे जो उनके कर्मचारी होंगे उनकी कुछ जिम्मेदारी तो होगी, उनका कुछ बिगाड़ा जा सकेगा, इस सदन के अन्दर रिपोर्ट आएगी, कोई बहस होगी, अब तो कोई हिसाब

नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं और हरियाणा का किसान भी अच्छी तरह जानता है कि 'किसान खाद' बहुत बढ़िया खाद है। बिजली की कमी की वजह से किसान खाद की कमी रही। सभी पन्द्रह बीस दिन के भीतर अखबारों में एक बहस–मुबाहसा चला। हमारी सरकार ने कहा होगा कि हमें किसान खाद कम मिली है। फर्टीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का अदारा है उसके मनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हमारी स्टेट सरकार की सोसायटियों ने जितना किसान खाद मांगा उन्हें अलाट किया। लेकिन, वह उठाया नहीं गया। उसके अन्दर पैसा नहीं मिला या उनकी खरीदने की शक्ति नहीं थी, उसमें से कोई बात हो सकती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद यह बात सही नहीं। सरकार भी पैसा दे सकती थी और उनकेा भी सेन्ट्रल बैंक से या दूसरे बैंक से पैसा मिल सकता था। इससे हमारे प्रदेश को कितना नुकसान हुआ? आज हालत यह हैं कि किसान को खाद नहीं मिलता। मुझे मालूम है कि रोहतक के अन्दर काफी पुराना खाद पड़ा था उसको भी उठा लिया गया क्योंकि मिलता नहीं था। आज हर सूरत में कोशिश करने के बावजूद भी वह नहीं मिलता। सभापति महोदय, इसी सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूँ, ब्यौरा नहीं दूंगा क्योंकि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। एक जिक्र आया स्टेट मार्किटिंग फे डरेशन का। कोई चिट्ठी निकली कि एक खास किस्म का खाद खरीदा जाए। लेकिन, स्टेट मार्किटिंग फे डरेशन ने उसको खरीदना नहीं चाहा। लेकिन बम्बई से कोई एजेन्ट का सवाल था, रगड़े–झगड़े की कोई बात थी। अदालत में भी वह गया। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। सरकार का दबाव डाला गया कि उसे खरीदा जाए। इस विषय में मेरा कहना यह है कि जिस खाद को लोग नहीं चाहते उस खाद को क्यों खरीदा जाए? इस बात को विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जिस तरह गोबर का खाद है उसी प्रकार का 'किसान का खाद' है। उसे चाहे किसी हालत में जमीन में डाल दो। लेकिन, वह नुक्सान नहीं पहुँचाता। इस खाद की विशेषता यह है कि चाहे इसे सूखे में डाल दो, बरसात के बाद डाल दो, बरसात से पहले डाल दो, नुक्सान का कोई डर नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस खाद को हमारा किसान चाहता है और जो फसल के लिए बहुत अच्छा है, उसको लेने में हम पीछे रहें और जिस खाद की बिक्री में भी शक है, किसान जिसको लेना नहीं चाहता, उसको खरीदे जाने की कोशिश की जाए। इस चीज की रोकथाम होनी चाहिए। कोआपरेटिव फै डरेशन्ज हैं या सरकार की

तरफ से जो डिपार्टमैंट हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक और बात के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। हमें एक प्रथा डालनी चाहिए कि आज सैन्ट्रल बैंक और दूसरी जितनी ऐपिक सोसायटी हैं उनके अन्दर सरकार के पैसे के बारे में कि वह पैसा सही तौर पर इस्तेमाल होता है या नहीं, इस सदन में बहस होनी चाहिए। जो बड़े-बड़े अदारे हैं। जैसे स्टेट कोआपरेटिव बैंक, स्टेट मार्किटिंग फै डरेशन, बल्कि मैं तो और भी आगे जाना चाहता हूँ कि सेन्ट्रल बैंक की भी रिपोर्ट यहां पर ऑनी चाहिए। ताकि, हम उनकी कुछ मदद कर सकें, महकमें को कुछ अच्छे सुझाव दे सकें। गन्ने की सहकारी मिलें रहती हैं जिनमें लाखों-करोड़ों रुपए का लेन-देन इधर से उधर होता है। इस सदन में उनकी रिपोर्ट रखी जाए ताकि सदन को मौका मिले कि कुछ अच्छे सुझाव दे सके। इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड एक अटॉनोमस बाडी है, उसके अन्दर हमें वोट देने का अधिकार नहीं है। कोआप्रेटिव सोसायटिज एक्ट या किसी खास एक्ट के तहत उनके काम-काज को देखा जाए और इस सदन के द्वारा उनको नए सुझाव तथा एक अच्छी किस्म की इमदाद मिल सकेगी। सरकार जो भी कानून लागू करे उसे एक मजबूत इरादे से करे।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### पंजाब गन्ना ( खरीद और आपूर्ति के विनियमन ) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1971

**Agriculture Minister** (Shri Bhajan Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, 1971.

Sir, I also beg to move —

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Chairman :** Motion moved —

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** सभापति महोदय, जैसा मुख्यमंत्री जी चाहते थे, मैं इसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन, बात यह है कि इसके पीछे एक इतिहास है। कहीं वह इतिहास दोहराया न जाए यह मुझे डर है। बहुत सारे दोस्त जो यहां बैठे हैं उस वक्त सदन के मेम्बर नहीं थे जब पहले भी सरकार ने ऐसी ही इजाजत कानूनी तौर पर ली थी और बाद में एक बड़ी भारी शिकायत हुई कि

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9)* 70-72

कारखानेदार के साथ रियायत करने के लिए सरकार ने ड्यूटी जो है वह छोड़ दी है। सभापति महोदय, सरकार को कम लेने का हमेशा अख्तियार रहता है। दरअसल बात यह है कि शुगर की यहां तीन मिलें हैं – दो सहकारी गन्ना मिलें और एक प्राइवेट सैक्टर में–और दो तीन सहकारी मिलें आगे कायम करने का सरकार का इरादा है। सरकार अगर सहकारी शुगर मिलों की इमदाद के लिए यह संशोधन लाई है तब तो मुझको इसका स्वागत करना है। लेकिन, ऐसी बात है नहीं। यह कानून दूसरे प्राइवेट सैक्टर के मिलों पर भी लागू होगा।

**मुख्यमंत्री ( श्री बन्सी लाल ) :** चौधरी साहब इनमें कोई शक नहीं है कि जो भी कानून बना है वह तीनों मिलों के लिए बन रहा है और जो दूसरे मिल लगेंगे, वे कोआपरेटिव सैक्टर में होंगे........

And I can assure the Hon. Member that whatever authority is gievn to the Government they will not be mis-used; that will be properly used in the public interest.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात पर ही बोल रहा था। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात समझी ही नहीं। मैं यह कह रहा था कि यह जो ड्यूटी लगती है यह सहकारी शुगर मिलों पर ही माफ करने का सवाल होता है और दूसरे मित्रों की नहीं माफ होनी होती। लेकिन, जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि सब पर यक्सां असर करेगा। जो प्राइवेट सैक्टर की मिल है और जो बहुत अच्छे मिलों में से है, उसकी शक्ति भी बहुत बड़ी है। अगर, इन मिलों का सहारा लेकर प्राइवेट सैक्टर की मिल की ड्यूटी माफ की गई तो जिस तरह पीछे भी आवाज उठी थी कि सरकार ने नाजायज रियायत कर दी और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति भी आवाज उठाई गई थी, कहीं अब भी ऐसा न हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट सैक्टर के मिल की माफ माफ नहीं होगी, बल्कि सहकारी मिलों की होगी। परन्तु चीफ मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि सब के साथ एक–सा बर्ताव होगा। मुझे तो आपत्ति यह है कि जो प्राइवेट सैक्टर के मिल हैं, उनको रियायत दी जाएगी। कल को हमारी पार्टी को कोई बदनाम न करेगा कि चन्दा की खातिर रियायत कर दी।

**श्री बन्सी लाल :** वहां से चन्दा लेने चौधरी साहब गये होंगे। हम वहां से चन्दा लेने के लिए कभी नहीं गये। जो भी कायदे–कानून लागू होंगे वे सब के लिए यकसां लागू होंगे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मुझे अफसोस है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, लीडर ऑफ दी हाऊस हैं उन्हें ऐसी भाषा की आदत हो गयी है जो कि उनको बोलनी नहीं चाहिए। जो भी कोई चीफ मिनिस्टर आयेगा तभी इनका भाण्डा खुल सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किये हैं वे बिलकुल निराधार हैं, लत हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी सरकारी कागज हो या कोई अन्य शिकायत हो तो वे मैदान में लायें।

**श्री बन्सी लाल :** अगर आपके पास कोई सबूत है कि सरकार ने चन्दा लिया है तो आप बतायें। आप तो सरकार को बदनाम करने पर लगे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए आप अपोजीशन का रोल प्ले कर रहे हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह : को**ई सर्टिफिकेट मुझे आपसे नहीं लेना है।

**श्री बन्सी लाल :** पार्टी की तरफ से ले लो।

**चौधरी रणबीर सिंह :** आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है आप तो पांच दिन में भाग रहे हो। केवल वोट ऑफ अकाउन्ट भी पास नहीं करवाते हो।

**श्री बन्सी लाल :** हमने तो पूरा बजट पास करवा दिया। आपने तो सरकार को तोड़ने की पहले भी काफी कोशिश की थी और इस बार भी कर लो।

**चौधरी रणबीर सिंह :** सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस रूलिंग पार्लियामेंट में आयी लेकिन उसने कभी भी इस प्रकार से भागने की कोशिश नहीं की। किसी भी कानून पर बहस करने के लिए अगर विरोधी दल के सदस्यों ने समय मांगा है तो उनको अवश्य ही दिया गया है। कभी भी मैजारेटी के आधार पर प्रजातन्त्र के जो अधिकार हैं, उनको नहीं छीना गया है। परन्तु यहां पर तो तरह-तरह की बातें करते हैं। हमारे पर किसी धमकी का असर नहीं होता है यहां तो सही बात का असर है। अगर किसी मुख्यमंत्री जी को सही बात कही जाये और वह लत कहें, जिससे हमारी पार्टी बदनाम हो वह हमें कबूल नहीं है। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि वे मुझसे नाराज रहें या राज़ी रहें।

मैं कह रहा था कि जो यह कानून बन रहा है इससे तो यह दिखाई देता है कि जो भी ड्यूटी माफ करने की बात है वह प्राइवेट सैक्टर के लाभ की है। लेकिन मैं कहूँगा कि प्राइवेट सैक्टर के लिए फीस माफी की किसी पार्टी को इजाजत नहीं होनी

चाहिए जब तक कि कोई ऐसा मौका न आ गया हो या कोई सबूत न आ जाये।

**श्री बन्सी लाल :** हम जो यह बिल हाऊस में लाये हैं, यह सबके लिए एक-सा होगा, चाहे प्राइवेट सैक्टर हो, चाहे पब्लिक सैक्टर हो। कहने का मकसद यह है कि कानून सबके लिए एक होता है। जहां तक चौधरी रणबीर सिंह जी का सम्बन्ध है, उनका मनशा तो कुछ और मुझे तो लगता है कि वह प्राइवेट मिल ओनर्ज से कभी चन्दा मांगने गये होंगे और इनको नहीं मिला होगा। हम तो किसी भी मिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। यह कानून जो बनाया गया है, यह भी पब्लिक इन्ट्रैस्ट के लिए है। चौधरी साहब तो पार्टी का नाम बार-बार ऐसे ही लेते हैं। जो यह पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं, वह तो उनकी स्पीच से ही मालूम देता है कि वह कितना अच्छा पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं। So let him play. (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

----------------------------

### पंजाब ग्राम शामलात भूमि ( नियमन ) हरियाणा संशोधन विधेयक , 1971

**चौधरी रणबीर सिंह :** प्वॉयन्ट ऑफ ऑर्डर, मैडम, जैसे अभी मानयोग जयसिंह जी ने कहा कि वह कोई एमैन्डमैन्ट नहीं दे सके। मैं इस सिलसिले में आपका आदेश जानना चाहता हूँ कि जो बिल उसी दिन इन्ट्रोड्यूस हुआ हो और उसी वक्त उस पर कैसिडरेशन चले। क्या किसी सदस्य को उस बिल में संशोधन देने का उसी वक्त अख्तियार है या नहीं ?

**उपाध्यक्षा :** मैं अभी देख कर बताती हूँ।

**चौधरी जय सिंह राठी :** हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** एक सरकुलर के मायनों में तो यह है कि एमैंडमैंट तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि कोई बिल हाऊस के पोजैशन में न आ जाये। यह बिल हाऊस के पोजैशन में तो अब आया है। उसमें यह भी है कि एमैंडमैंट दो रोज पहले दी जानी चाहिए........... ।

**उपाध्यक्षा :** वैसे तो एमैंडमैंट दो रोज पहले दी जा सकती है परन्तु अगर कोई ऐसी चीज हो कि बिल ही अभी मिला हो तो चेयर को अख्तियार है कि किसी

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9)* 81

वक्त भी वह एमैन्डमैंट स्वीकार कर लें। ........। मेरे पास अब तक कोई इस बारे में अमैन्डमैंट नहीं पहूँची है और रिप्लाई देने के लिए मिनिस्टर साहब खड़े हो रहे हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैडम, अभी तो वह क्लाम्ज आयी भी नहीं और अभी तो फर्स्ट रीडिंग चल रही है। सैकिन्ड रीडिंग भी अभी होनी है। लोक सभा में मैंने तो यह देखा है कि ............

**Deputy Speaker :** I stand on my ruling. I did ask for your amendment and I was really waiting for the same, but that did not reach me. I could not, therefore, withhold the business of the House.

**चौधरी रणबीर सिंह :** जिस समय आपने क्लाज 2 कहा तभी मैं खड़ा था। उस वक्त मैंने कहा कि उपाध्यक्ष महोदया मैं उस पर बोलना चाहता हूँ..........

**उपाध्यक्षा :** इसलिए कि तब तक इनकी एमेडमेंट आ जाए। (*Interruptions*)

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फ रवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### पंजाब ग्राम शामलात भूमि ( नियमन )
### हरियाणा संशोधन विधेयक, 1971

**CLAUSE - I**

**Deputy Speaker :** Question is —

That clause I stand part of the Bill

*The motion was carried.*

**TITLE.**

**Deputy Speaker :** Question is —

That title be the title of the Bill.

*The motion was carried.*

**Shri Sarup Singh :** Sir, I beg to move —

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, be passed.

**Deputy Speaker :** Motion moved —

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9)* 85

Amendment Bill, be passed.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया आपने कोशिश की कि मानयोग मंत्री महोदय सदन को आश्वासन दें। इसमें कई बातें कहीं गई। लेकिन, जो असल बात है उसका जिक्र नहीं किया। मैं मंत्री महोदय से दो आश्वासन चाहता हूँ। एक तो यह कि पंचायत की जमीन से पट्टे पर बोली देकर फी एकड़ जो आमदनी होगी वह रुपया पंचायत को जरूर दिलाएंगे। दूसरे उन पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा लगाया जाएगा, वह इस हद तक होना चाहिए, जिसमें सिर्फ़ बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा या कोई एग्रीकल्चर लेबर जो है वही खर्चा शामिल किया जाएगा। यह नहीं कि एक अफसर लगाया, उसके नीचे कोई एसिस्टेंट लगाया और इस तरह एक लम्बा चौड़ा महकमा बना दिया और उनका खर्चा पंचायत से लिया जाए और फिर यह एक घाटे का सौदा बन जाए।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

---

### पंजाब ग्राम पंचायत ( हरियाणा संशोधन विधेयक )

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इसमें कई एक बहुत अच्छी बातें हैं। जैसे, ग्राम सभा के सैक्रेटरी को सरकारी मुलाजिम बनाया जा रहा है। सुबह भी यहां इस बात का जिक्र आया था कि कोई बात ऐसी नहीं जिसे ग्राम सभा सैक्रेटरी की सलाह के बगैर पास कर देती हो और मैं समझता हूँ कि सैक्रेटरी तो उसका ब्रेन (दिमाग) होता है। लेकिन, जिम्मेवारी उसके ऊपर कोई नहीं थी चाहे वह लत रास्ते पर ले जाये या सही पर। यह अच्छी बात की है और इसकी जितनी तारीफ की जाये उतनी थोड़ी है। इसके अलावा इस बात को सोचते हैं कि उनकी तनखाह सारे गांव से इकट्ठी करेंगे। अब भी तनखाह सरकार देती है और सरकार ही देती जाये, इसमें बुरी बात नहीं है। यहां कहा गया है कि पहले कानून के अन्दर पंचायतें विलेज कॉमन लैन्ड का इन्तजाम अच्छा नहीं करतीं। इसलिये, ज्यादा अख्तियार चाहिये। अब सैक्शन 5 के अन्दर उनको मुकम्मल अख्तियार दे रहे हैं और यह देकर पंचायत कारपोरेट बाडी बन जायगी और जो उसकी जायदाद है वह कारपोरेट बाडी की जायदाद बन जायेगी और समझी जायेगी। वह उसको खुर्दबुर्द कर सकती है और यह साबित करना आसान नहीं होगा, कानून में इस बात की गुंजायश है।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9)* 91-94

**उपाध्यक्षा :** मैं हाऊस की पहले सैन्स लेना चाहती हूँ कि वह हाऊस का टाईम कितना बढ़ाना चाहता है क्योंकि हाऊस साढ़े छ : बजे खत्म होना चाहिये लेकिन बोलने वाले अभी बहुत हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, इसकी जरुरत नहीं क्योंकि, सैशन नान स्टाप चलना है और इस बारे में प्रस्ताव पहले पास हो चुका है। मैं निवेदन कर रहा था कि पंचायतों को मुकम्मल अधिकार दे रहे हैं और डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर कोई सरपंच कोई खराबी करता है और उसको हटाने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी तो वह पंच सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट लेकर पहूँच जाएगा और हाईकोर्ट फै सला करेगा कि किसका इरादा कैसा है? सरकार का इरादा क्या है और पंच का इरादा क्या है? यह उस वाक्या पर डिपेंड करता है जैसा केस हो। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के गांव का एक सरपंच है जिसका झगड़ा चल रहा है और वह केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एक चेयरमैन का जिक्र आया तो चुनाव में जीत गया। लेकिन, उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं छापा गया। ऐसे हालात में हमें सोचना चाहिए कि हम जो प्रोविजन रख रहे हैं, क्या वह हमारे भले का है? क्या इनको अख्तियार देते हैं या छीनते हैं? पंचायत को जो कारपोरेट बाडी बना दिया है यह ठीक नहीं है। आप सोच लें, मिनिस्टर साहब वकील हैं, मैं तो वकील भी नहीं हूँ। सदनों में आकर थोड़ा सा इस मामले में कढ़ गया हूँ। लेकिन ये तो वकील हैं, प्रैक्टिस भी की है, सदन का तजुर्बा भी है। आप इस बात पर गौर करें और सोचें कि जो कारपोरेट बाडी हम एक दफा बना देंगे तो फिर हटॉना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

**Shri Bansi Lal :** On a point of order madam. Is the Honourable Member speaking relevant? He is talking of some corporation while we are discussing the Gran Panchayat Amendment Bill. There is no question of any corporation. The Hon. Member should not be allowed to talk irrelevant.

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि बिल में सैक्शन 5 है, जिसको हम अमैंड कर रहे हैं। (विघ्न) अगर मुख्यमंत्री चाहें तो मैं यह सैक्शन पढ़ दूं जिस बिल पर मैं बोल रहा हूँ।

**उपाध्यक्षा :** आप बिल पर बोलें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ। अब तो मुझे यह सैक्शन

पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें लिखा है –

**Shri Bansi Lal :** We are not making any corporation.

**Chaudhri Ranbir Singh :** Clause 5 of the Bill reads —

"After Section 7 of the principal Act, the following section shall be inserted namely —

> "8. Incorporations of Gram Panchayat — Every Gram Panchayat shall, by the name notified under sub-section (1) of section 5, be a body corporate having perpetual succession and a common seal, and subject to any restriction by or under this Act or any other law, shall have power to acquire, hold, administer and transfer property, movable or immovable, and to enter into contracts, and shall by the said name sue or be sued and do all such things as rae necessary for which it is constituted."

**समाज कल्याण मन्त्री ( श्री प्रभु सिंह ) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैम्बर साहिब जी टाईम खराब कर रहे हैं इसको राकें। (व्यवधान)

**श्री बन्सी लाल :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, टाईम लिमिट होनी चाहिए। He is not the only member in the house.

**उपाध्यक्षा :** आप अपनी स्पीच को जल्दी खत्म करें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि बिल को एमेंड किया जाए, यह सोच समझ कर करें। हर चीज को, हर पहलू को सोचकर देख लें कि इसको एमेंड करना चाहिए या नहीं? ये एमेंडमेंट्स शामिल करनी चाहिए या नहीं? इन चीजों की छानबीन कर लेनी चाहिए। क्या ये एमेंडमेंट्स सरकार के हित में है या नहीं? इस पर सरकार गौर करे। अब मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ।

इसके बाद मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है। एक मंत्री महोदय सूबेदार प्रभु सिंह जी ने फरमाया है कि मैं हाऊस का समय खराब कर रहा हूँ। अगर इनके कहने के मायने यह हैं कि किसी बिल पर कोई सदस्य बोल रहा हो, अपने विचार प्रकट कर रहा हो तो हाऊस का टाईम खराब होता है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो शब्द ''टाईम खराब'' करने के कहे हैं इनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। जिस बिल

पर बहस चल रही है, उस पर बोलने से टाईम खराब नहीं होता। यह पार्लियामेंट्री प्रथा के खिलाफ है। ये तो यह कह सकते थे कि समय कम लिया जाए। लेकिन, यह नहीं कह सकते कि समय खराब कर रहे हैं जबकि मैं एमेंडिंग बिल पर ही बोल रहा था। (विघ्न) मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं।

**श्री बंसी लाल :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी रणबीर सिंह जी ने मेरे गांव के एक सरपंच के केस का जिक्र किया है। उनका मतलब मुझे बदनाम और ब्लैक-मेल करने का ही था और कुछ नहीं था। हकीकत यह है कि चौधरी रणबीर सिंह जी का धन्धा यह हो गया है कि उनको कोई भी आदमी मेरे गांव का मिल जाए उसे सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, वकील के पास ले जाते हैं ताकि कोई न कोई केस बन जाए। उससे गवाही वगैरह भी दिलवाते हैं, मुकद्दमा करवाते हैं और मुकद्दमें के लिए चन्दा भी इकट्ठा करवाते हैं। इस तरह से झूठे मुकद्दमें करवाना इनका रोज का धन्धा हो गया है। इसी तरह से इन्होंने मेरे गांव के उस सरपंच को भी भड़का दिया। जब हाई कोर्ट ने उस मुकद्दमे का फैसला दे दिया तो उसे कह दिया कि सुप्रिम कोर्ट में जाओ। फिर कह दिया कि चेयरमैन का नोटिफिकेशन नहीं छपा। यह इनका रोज का कारोबार हो गया है, चौबीस घंटे सरकार के खिलाफ ब्लैक-मेलिंग करते रहते हैं। आपको याद होगा, पिछली फरवरी के सैशन में किस तरह सरकार तोड़ने के लिए सारी रात फिरते रहे। चौधरी भजन लाल से कहने लगे कि मैं हरियाणा का चरण सिंह बन गया हूँ और अब मैं तुझे मिनिस्टर बना दूंगा (व्यवधान)

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री महोदय को ऐसी बात कहने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातें कहने का कोई फायदा नहीं होता। यह जो इन्होंने कहा ..........

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, पिछले सैशन में भी सैल्फ ऐक्सप्लेनेशन दिए गए थे और मैंने कहा था कि अपने सैल्फ ऐक्सप्लेनेशन ऐसे दिए जाएं जिनमें कोई ऐसी बात न करें जिससे दूसरे मेम्बर को दोबारा सैल्फ ऐक्सप्लेनेशन देना पड़े।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं इनके सरपंच को जानता भी नहीं और ये कहते हैं कि चन्दा इकट्ठा करते हैं यह बिल्कुल लत बात है। जहां तक चेयरमैन का जिक्र है, उसका जिक्र सप्लीमेंटरी बजट में आया है। मुझे मालूम नहीं है कि वह कौन सरपंच और चेयरमैन है। ब्लैकमेलिंग करने का धन्धा मेरा नहीं, शायद इनका है। (व्यवधान)

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### हरियाणा राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों ( सेवा की सुरक्षा ) विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** जहां तक इस विधेयक का सवाल है मैं शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। जो बात बाबू दया कृष्ण जी ने कही है वह भी एक विचित्र बात है। बिल के लाने का मक्सद यह है कि कई संस्थायें जो टीचर्ज़ को काफी खराब करती हैं। जो पूरा काम करते हैं फिर भी उनको पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। उनकी जो सर्विस की सिक्योरिटी होनी चाहिये, इस बिल के लाने से हो जाती है, जो अन्य लोगों को आजादी है वह उनको भी मिल जाती है। सरकार जो बिल लायी है इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन आप जानते हैं यहां तो हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षकों को काफी दिक्कतें हैं जैसे उनकी तबादलें की हैं, उनके और खर्चे के विषय में है, उनको भत्ता पूरा नहीं मिलता है। इसलिए सरकार को उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। बिल अच्छा है और यह ऑना भी चाहिए था।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, ·16 Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9)* 100

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### सरकारी/राजकीय प्रस्ताव

**Deputy Speaker :** Motion moved —

That Whereas during the priod of operation of the proclamation of emergency, the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) was amended by Parliament by the following Acts, namely :-

1. The Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963).
2. The Finance Act, 1954 (5 of 1964)
3. The Taxation Laws (Constitution and Validation of Recovery Proceedings) Act,1964 (11 of 1964)
4. The Direct Taxes (Amendment) Act, 1964 (31 of 1964)
5. The Finance Act, 1965 (10 of 1965)
6. The Finance (No. 2) Act, 1965 (15 of 1965)
7. The Taxation Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1965 (41 of 1965), and
8. The Finance Act, 1966 (no. 13 of 1966)

AND WHEREAS under clause (2) of article 250 of the Constitution, the aforesaid Acts in so far as they related to Estate Duty in respect of agricultural lands caused to have effect on the expiration of a period of six months after the proclamation ceased to operate;

----------------

**Haryana Vidhan Sabha,*Official Resolution, *16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9)* 109-110

AND WHEREAS after the proclamation ceased to operate, Parliament had no power to make laws for the States except as provided in article 249 of the Constitution with respect to matters specified in the aforesaid Acts in so far as they related to estate duty in respect of agricultural lands;

AND WHEREAS Parliament enacted the Estate Duty (Amendment) Act, 1968 (Parliament Act, 22 of 1968), which interalia provided that the aforesaid Acts shall be deemed to have applied on and from the dates on which amendments made by each of the aforesaid Acts took effect to estate duty in respect of agricultural lands situate in the territories comprised in such other States as the Central Government may, by notification, specify in this behalf after resolutions have been passed by the Legislatures of those States adopting the said amendments retrospectively under clause (1) of article 252 of the Constitution;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the amendment made in the Estate Duty Act, 1953, by the aforesaid Parliament Act No. 22 of 1968 so as to adopt the amendment made by the aforesaid Acts in so far as the agricultural lands situate in the territories of the State of Haryana are concerned should be adopted on and from the dates on which amendments made by the aforesaid Acts took effect;

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves in pursuance of clause(1) of article 252 of the Constitution to adopt retrospectively in the territories of Haryana the Estate Duty (Amendment) Act, 1968 (Parliament Act, 22 of 1968) from the date on which it was enacted by Parliament and also to adopt respectively in such territories the amendments made by each of the aforesaid Acts from the dates on which such amendments were made by each of the aforesaid Acts in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural lands situate in the territories of Haryana.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, यह ऐस्टेट ड्यूटी के बारे में जो सरकार प्रस्ताव ला रही है, वैसे तो मैं उस पर बोलने के लिये न खड़ा होता। लेकिन, क्या ही अच्छा होता यदि हम इसको एक अच्छे ढंग से पेश करते। यानी इस एक्ट को जिस तरह यह था, उसी ढंग से पेश करते। यह किसी अदालत में गया और इसकी इन्टरप्रैटेशन का सवाल पैदा हुआ कि क्या लोक सभा जमीनों के बारे में कोई कानून पास कर सकती है या नहीं ? यह कान्करैन्ट लिस्ट में है। इसके

ऊपर काफी बहस–मुबाहिसा हुआ जहां तक टैक्सेशन का ताल्लुक है, उसके ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं है। जहां तक तरीके का ताल्लुक है, मैं उस तरीके से सहमत नहीं हूँ। क्या ही अच्छा होता अगर हम इसको बाकायदा एक बिल लाकर के पास करवाते। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यह इसे बिल के तौर पर लाते तो एक अच्छी बात होती।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

----------------------------

### वर्ष 1969-70 के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई है इस पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय इसमें दो-तीन बातें हैं और मैं 5-4 मिनट में इसके बारे में निवेदन करूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** पहले आप मूव तो कर दीजिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैंने मूव किया है कि उस पर विचार किया जाए।

**Mr. Speaker :** Motion moved —

That the Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission, for the period from 1st April, 1969 to 31st March, 1970, which was laid on the Table of the House on the 8th February, 1971, be taken into consideration.

I would suggest that the speeches may not last more than five minutes.

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9)* 111-112

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने आदेश किया है उसके मुताबिक मैं चलने की कोशिश करूंगा। यह जो रिपोर्ट है वह हमारे प्रदेश के लिये शान की बात नहीं है। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का ताल्लुक है आप जानते हैं कि उसकी अपाएंटमेंट कांस्टीट्यूशन के तहत है और संविधान के तहत उसको सेफगार्ड मिलता है। इसके अन्दर जिक्र है कि सेक्रेटरी की भर्ती के मामले में सलाह ली जाती थी। लेकिन, अब की बार हमारी सरकार ने उनकी सलाह लेने की परवाह नहीं की है। यह कोई शान की बात नहीं है। आप जानते हैं कि संविधान के अन्दर उनको अधिकार दिया गया है कि वे आसामियां निकालें। इस रिपोर्ट के अन्दर जो बातें लिखी हैं वह हमारे प्रदेश की शोभा नहीं बढ़ाती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि संविधान के पीछे जो धारणा है, उस धारणा को सामने रखकर हम चलें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कुछ आसामियां उनके अधिकार से निकाल ली गईं। मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं कि अगर आम हालात में ऐसा किया जाता, ताल्लुकात अच्छे रहते, उनकी सलाह से ऐसा किया जाता, उनके पास काम ज्यादा होता तब यह आसामियां निकाली जातीं तो इसमें उनकी भी सहमति होती और उन्हें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन यह सारी रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो भी सिफारिश की हमारी सरकार ने उसको कबूल किया। लेकिन, कुछ आसामियों के बारे में जो उनकी राय थी उसको कबूल नहीं किया। अच्छा हो कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे देश की जो रवायात हैं, उन रवायात को सामने रखकर इस ढंग से काम चलाएं जिससे उनकी इज्जत दुगनी हो और साथ ही हमारे प्रदेश की इज्जत भी बढ़े।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

----------------------------

### सरकारी/राजकीय प्रस्ताव

**चौधरी रणबीर सिंह :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, डाक्टर विद्या सागर का शायद बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं हो कि वह कौन हैं ? वह रोहतक मैडिकल कालेज़ में मैन्टल विभाग में डाक्टर हैं। यह किसका इलाज कराना चाहते हैं डाक्टर विद्या सागर से ?

**श्री बन्सी लाल :** अपने पड़ोसियों का करा लो और क्या करोगे (हंसी)

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, यही मैं कहलवाना चाहता था। यह कागज़ात में से निकाल दिया जाए क्योंकि किसी मैंबर के बारे में कोई मैम्बर यह नहीं कह सकता कि दिमागी तौर पर वह पूरा नहीं है और अगर वह पूरा न हो तो उसके बाद मैम्बर वह रह नहीं सकता, खड़ा हो नहीं सकता। इससे ज्यादा और कोई तौहीन नहीं हो सकती। जो शब्द मुख्यमंत्री जी ने कहे हैं मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कार्यवाही में से निकाल दिए जायें।

**Mr. Speaker :** I will examine it.

**चौधरी रणबीर सिंह :** दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो कोशिश मेरी बहन ऑनरेबल मैम्बर चन्द्रावती जी ने की कि चूंकि चेयरमैन साहब यहां इस बात का

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9) 116-119*

जवाब देने आ नहीं सकते। इसलिए, यह ठीक नहीं। मैं भी कई बातें ऐसी कह सकता था। हाईकोर्ट में रिट हुई है, मैंने नहीं कहीं और इसलिए नहीं कहीं कि हमारी भाषा अच्छी हो जाये। हमारे ताल्लुकात सुधर जायें यह अच्छी बात है। मैं आपसे आदेश चाहूँगा कि जिसको कान्सटीच्यूशन ने सरंक्षण दिया है उसके बारे में उसकी जात के बारे में सदन में बात आ सकती है या नहीं और अगर नहीं आ सकती है तो यह शब्द हटा दिए जायें, जो उन्होंने कहा कि चौथी जमात पास नहीं हैं यह नहीं हैं, वह नहीं हैं। यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

**श्री बन्सी लाल :** स्पीकर साहब, चेयरमैन का जिक्र इस किताब में भी है और चेयरमैन चेयरमैन कह कर दो तीन बार चौधरी रणबीर सिंह ने भी अपनी स्पीच में जिक्र किया। जिस चेयरमैन के साथ उन्होंने कहा कि सरकार का झगड़ा है वह ऐक्सप्लेन करना सरकार का काम है कि वह झगड़ा क्यों है। I have got that right to explain. There is nothing wrong in it. तो स्पीकर साहब, एक बार वहीं चेयरमैन पब्लिक सरविस कमीशन रिसोर्सिज कमेटी के चेयरमैन ......... विघ्न......

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैंने आपसे आदेश मांगा था – विघ्न –

**श्री अध्यक्ष :** उस वक्त तो आपने कुछ कहा नहीं ––जब शुरू में कुछ बातें हुई ––

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैंने तो चन्द्रावती जी के मैन्टल के बारे में ––

**Mr. Speaker :** About Chandravati Ji, I said that I will examine it and take necessary action.

**चौधरी जय सिंह राठी :** वह रिपोर्ट पर बोल रहे हैं और यहां रिपोर्ट की बात की जा रही है ..... (विघ्न).... मेरे को तकलीफ हो गले की और बात कहने लग जायें, दिमाग की तो यह अच्छी बात नहीं है ................

**चौधरी रणबीर सिंह :** चन्द्रावती जी ने प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर उठाया और आपके आदेश के लिए एक सवाल पेश किया और उस सवाल के समर्थन में मैंने कहा और आपने इस सिलसिले में कुछ आदेश नहीं दिया था, मैंने भी निवेदन करना चाहा और निवेदन आपके सामने है कि वह भाषा कि चौथी जमात पास नहीं वह नहीं यह नहीं यह कार्यवाही से निकाले जायें यह नहीं ?

**श्री बन्सी लाल :** मुझे भी तो यह बताना पड़ेगा कि उनकी क्या लियाकत है और क्यों झगड़ा है ....... ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं यहां आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली दफा भी यही कोशिश की गई थी और उस वक्त भी आपने ..........

**Mr. Speaker :** I gave you the answer. About Chandravati Ji, I said "I will examine it and take necessary action."

**Chaudhri Ranbir Singh :** What about the Chairman?

**श्रीमती चन्द्रावती :** मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है और मैं परवाह नहीं करती कि मुख्यमंत्री जी किस भाषा का प्रयोग करते हैं? जो आदमी चेयरमैन बनाया है चाहे इनसे पहले की सरकार ने बनाया है। लेकिन, बनाया सरकार ने है और यहा ंपर उनको डिफै ड करने के लिये कोई भी नहीं है और हमारा भी फर्ज नहीं है क्योंकि सरकार का ही तो वह मुलाजिम है और सरकार ही अगर उसको गालियां देती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो स्पीकर साहब आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि इस तरह की भाषा उचित है क्या?

**श्री अध्यक्ष :** देखिये शुरू में जो हुआ उस वक्त तो कुछ किया नहीं..... मुझे अब तक याद है जब यह कहा कि वह सेक्रेटरी से अपनी कमी पूरा करना चाहते हैं, उस पर आप खड़ी हुई हैं। उसमें कोई खास ऐसी बात मालूम नहीं हुई कि कोई खराब लफज इस्तेमाल किये हैं। लेकिन, पहले वाले पर तो आपने कोई उस वक्त एतराज नहीं किया........ (विघ्न) ........।

**श्री बन्सी लाल :** स्पीकर साहब, जिस कमीशन के बारे में कहा जाये कि उसकी सरकार के साथ लड़ाई है और सरकार पर रीफलैक्शन डाला जाये तो सरकार तो अपनी बात का प्रौपर जवाब देगी और सरकार को प्रौपर जवाब देने का अख्तियार है। अगर एक आदमी यहां जवाब नहीं दे सकता किताब में लिखकर भेज सकता है तो Government has to clarify its position as to why these things are going on. That is the answer.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, पहले जब इस सदन में बहस हुई थी उस वक्त ऐसा ही सवाल उठाया गया था और उस बारे में जो आपका आदेश था वह कागजात में हैं। अगर मुझे सही तौर पर याद है तो उस वक्त ऐसे शब्द निकाले गये

थे। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि सैक्रेटरी से काम लेना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं तो सैक्रेटरी तो होता ही इसलिए है। खैर, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। हमारा तो जो प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है वह बिलकुल लिमिटड है कि यह शब्द जो कि वह सदन में आकर बता नहीं सकता कि कितनी जमात पास है कितनी नहीं है और उसकी लियाकत क्या है ? इस तरह के जो शब्द मुख्यमंत्री महोदय ने इस्तेमाल किये हैं यह न उनको शोभा देते हैं और न इस सदन की कार्यवाही को शोभा देते हैं इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

**श्री अध्यक्ष :** पिछली दफा जो मुझे याद है और मैं चैकअप करवा लूंगा वह नाम के बारे में बात थी कि हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिये और चेयरमैन का नाम नहीं डैज़िगनेशन ले सकते हैं। फिर दूसरी बात यह कि जब लीडर ऑफ दि हाऊस ने अपनी तकरीर शुरू की उस वक्त कोई ऐसी चीज आपने रेज़ नहीं की जब उन्होंने कहा एक सैक्रेटरी के बारे में उन्होंने तीन बार नाम दिये और उन्होंने हरेक को इन्कार किया और ऐसा मालूम होता कि वह अपनी कमी को सैक्रेटरी से पूरा करना चाहते हैं तो उस वक्त चन्द्रावती जी

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### सरकारी/राजकीय प्रस्ताव

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** स्पीकर साहब, जैसा मुख्यमंत्री जी की बात से जाहिर हुआ कि चेयरमैन ने मुलाकात मांगी कि उन्होंने रिसोर्सिज एंड रिट्रैंचमेंट कमेटी के सिलसिले में कोई बात करनी है। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के सफा 2 पैरा 5 में इस बात का जिक्र है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने चीफ सैक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का जवाब चीफ सैक्रेटरी की मारफत चाहा। वह चिट्ठी चीफ सैक्रेटरी की मारफत गई। जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनकी टैलीफोन पर बातें हुई। लेकिन, इन बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। यह बातें ठीक हो सकती हैं। लेकिन, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब की यह धारणा है कि सफा 2 पैरा 5 पर जो कुछ लिखा हुआ है वह लत है। क्या उन्होंने (कमीशन ने) चीफ सैक्रेटरी साहब को चिट्ठी नहीं लिखी ? अगर आप चाहें तो मैं रिपोर्ट का यह पैरा पढ़ देता हूँ।

**श्री बंसी लाल :** यह चिट्ठी बाद में लिखी थी और यह बात पहले हो चुकी थी। स्पीकर साहब, इसमें एक पैरा और जोड़ दूं। हमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने एक सुझाव भेजा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मैम्बर हैं उनकी अप्वायंटमैन्ट में स्टेट गवर्नमैन्ट का हाथ नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर अप्वायंट करे। मगर ऐसा हो गया होता तो मौजूदा चेयरमैन का नम्बर कभी नहीं आया होता।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9)* 124-125

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 16 फरवरी, 1971 ई.*

---------------------------

### हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की
### वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में चर्चा

**Mr. Speaker :** Now, the motion for discussion on the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board, may be moved.

**Chaudhri Ranbir Singh :** Sir, I beg to move —

That the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71 which was laid on the Table of the House on 8th February, 1971, be taken into consideration.

**Mr. Speaker :** Motion moved —

That the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71 which was laid on the Table of the House on 8th February, 1971, be taken into consideration.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा कर दूं जो उन्होंने बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में सहमति दी कि इसके ऊपर भी वार्ता हो जाए। यह एक कम से कम कवैन्शन अच्छी

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 16th Feb. 1971, Vol. I, No. 9, Page (9)* 125-135

हो जायेगी कि आए साल इसके ऊपर डिसकशन हुआ करेगा। इसके बाद मैं स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड के अन्य मैम्बरों और दूसरे कार्यकर्त्ताओं को भी बधाई पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। (सरकारी पक्ष से तालियां) आज इन लोगों ने ग्यारह के.वी. की लाईन हरियाणा के हरेक गाँव के 'गोरे' तक पहुंचा दी है। यह एक बहुत बड़ा काम होता है। इसके अलावा हमारे प्रदेश के अन्दर जो बात पहले ना–मुमकिन समझी जाती थी उतने ट्यूबवैल इन्होंने लगा दिए और उससे भी ज्यादा आगे लगायेंगे, ऐसी हम उनसे आशा करते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस बोर्ड की कितनी मदद करती रही है। पैसे के बारे में यह सिर्फ इतनी मदद है कि जो ब्याज इनको लेना होता है उस ब्याज को बगैर पैसा लिए ही कह दिया जाता है कि हमने ले लिया और साथ ही कह दिया जाता है कि हमने तुमको इतना पैसा दे दिया।

**वित्त मंत्री : ( श्रीमती ओम प्रभा जैन ) :** मूल भी दिया है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** कौन सा ? वह तो बताओ ? अध्यक्ष महोदय जो पैसे दिये गए हैं वे तो इनके हैं नहीं। सवेरे मैंने सारे आंकड़े पेश किये थे। अगर, अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदया चाहती हैं तो मैं फिर उन आंकड़ों को, रख सकता हूँ।

**श्रीमती ओम प्रभा जैन :** स्पीकर साहब, ब्याज तो तभी मिलेगा अगर मूल दिया हो।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदया कहती हैं कि असल इन्होंने दिया था। मगर, यह बात ठीक नहीं, क्योंकि असल तो हिन्दुस्तान की सरकार ने दिया था। उन्होंने शुरू में खुद बताया था कि हमारे ऊपर जो कर्ज़ा है उस कर्ज़े के अन्दर मल्टीपरपज़ प्रोजैक्टस का बहुत बड़ा हिस्सा है।

**श्रीमती ओम प्रभा जैन :** अगर गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया ने दिया है तो स्टेट गवर्नमैन्ट ने ही उसे वापिस करना है। फिर अध्यक्ष महोदय बात यह है कि अगर प्रिंसिपल ही न दें तो ब्याज कौन देता है ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल अभी इन्होंने दिया है। असल जो पैसा है वह हिन्दुस्तान की सरकार ने दिया और जैसा मैंने सवेरे कहा था, वह साठ करोड़ कुछ लाख है जिसके ऊपर मेरी बहिन हरियाणा स्टेट का पैसा लेने देने में ही चला गया है। जबकि, लिया केवल अठारह करोड़ है। बाकी का पैसा लेने देने

में ही चला गया है। ऐसा ही बोर्ड के साथ हिसाब है। यह तो मैं भी जानता हूँ और यह भी जानते हैं क्योंकि कोई चीज़ हम से छुपी हुई नहीं है। वह जो पैसा आया वह बैंक नेशनेलाइजेशन से हिन्दुस्तान की सरकार ने जो नये अदारे खोले हैं, उनसे आया है और उस रुपये को लेने में मैं नहीं कहता कि वित्त मंत्री महोदया और मुख्यमंत्री जी का हाथ नहीं होगा। लेकिन, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन हैं उनके गुण भी मैं जानता हूँ और उनकी एक दो बातों के बारे में जो लोग शिकायत करते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। उनके गुण बहुत अच्छे हैं। पैसा लेने में वे बहुत माहिर हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा कहां से मिल सकता है और कैसे लिया जा सकता है? मैं इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे स्टेट को बनाने के लिए हर अदारे से चाहे वह नेशनेलाइज बैंक थे, चाहे वर्ल्ड बैंक था, चाहे एग्रीकल्चरल फाइनैन्सिज कारपोरेशन था या री–फाइनैन्सिज कारपोरेशन था या फिर लाईफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन था, सबसे उन्होंने पैसे लिए और इस्तेमाल किए। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरा भी बड़े हौसले का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो आमदनी होती है उसमें से कुछ पैसा मशीनों की घिसाई के लिए रख लिया जाता है, ताकि घिसी हुई मशीनरी आगे जाकर बदली जा सके। वह तकरीबन सारे का सारा पैसा इन्होंने लगा दिया है। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि फिजूल ही उसकी बैंक में रखने से कोई फायदा नहीं होता। वह इन्होंने प्रदेश को बनाने के लिए किया। यह हौसला आज के चेयरमैन ही कर सकते हैं क्योंकि अच्छा काम जो है बगैर हौसले के होता नहीं। इनके इस हौसले की मैं दाद देता हूँ, कोई मुखालफत नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट मैंने पढ़ी। इसके पहले ही सफे के अन्दर उन्होंने लिखा है कि भाखड़ा की बिजली में हमारा हिस्सा 57.08 परसैंट होना चाहिए था। लेकिन, बंटवारे के बाद गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया ने हमारे हिसाब में सिर्फ 39.5 परसैंट लिखा दिया है। इसमें मैं और भी जानकारी देना चाहता हूँ। पहले जो चिट्ठी आई थी, हिन्दुस्तान की सरकार से उसमें कुछ हिस्सा ज्यादा था। उस हिस्से में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, केवल प्वायंट के तौर पर कम हुआ था। इसके बारे में हिन्दुस्तान की सरकार को शायद पहले भी लिखा गया हो लेकिन बाद में भी 31.10.1969 तक की जो अवधि थी, उसमें भी एक दरख्वास्त हिन्दुस्तान की सरकार को भेजी गई, जिसमें हमारा भी हाथ था। एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखने दी गई। (विघ्न) पैसा कहां से आए, बचत कहां से हो? खैर उस बात को

जाने दीजिए। जो असल बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि कई साल पहले एक समझौता हुआ था। साल के बारे में मुझे पक्की याद नहीं है, शायद 1924 में हुआ था और उसके बाद फिर 1964 के अन्दर उसको दोहराया गया। उसमें ऐसा है कि जमुना से जो बिजली पैदा होगी उसके अन्दर उन प्रदेशों का जिनका जमुना से सम्बन्ध है, उतना हिस्सा होगा जितना कि पानी में हिस्सा है। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) उपाध्यक्ष महोदया, जमुना के पानी में हमारा दो तिहाई हिस्सा है और एक तिहाई हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, जो आज का उत्तर प्रदेश है, कल तो शायद उसका कुछ भाग हरियाणा का हिस्सा बन जाए। तो उस हिसाब से इसके बाद थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी हुई। उस जमाने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहा ंतक अपना ख्याल रखा कि उसका पचास फीसदी हिस्सा पॉवर का हमारे पास रहे।

लेकिन कमाल की बात है वहां उनकी, उसके अन्दर बिजली जो पैदा करने की योजना है, उसके अन्दर इतनी बिजली पैदा होगी जितनी कि भाखड़ा में पैदा होती है। यह बाकायदा छपी हुई योजना है कि जमुना से उतनी ही बिजली पैदा होगी जितनी कि भाखड़ा करता है और कुछ उन्होंने पैदा करनी शुरू कर दी है। लेकिन, आज तक हमारी सरकार ने उनसे अपना हिस्सा नहीं मांगा कि हमारा जो हिस्सा बनता है वह हमें दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदया किशाउ डैम जो जमुना के ऊपर बनना है। यह डैम भाखड़ा से भी ऊंचा होगा। वहां पर बहुत भारी पॉवर हाऊस बनेगा। सन् 1964 में इन्टर स्टेट कान्फ्रेन्स में हुई थी उसमें फै सला हुआ था। अब उसके अन्दर जो देरी हो रही है उसके पीछे यही कारण है कि कहीं जो पहले पंजाब वाले थे और अब हरियाणा हकदार हो गया है, इस जमुना में जो बिजली पैदा हो उसके हिस्सेदार बन जायें। उसके लिए भी सरकार ने कोई मांग नहीं की है।

इसके अलावा आपने तो जोगिन्दर नगर देखा है। जोगिन्दर नगर मंडी रियासत में है। आज वह हिमाचल में है और हिमाचल का इलाका हो चुका है। पहले तो हिमाचल यूनियन टैरेटरी था और अब पूरी स्टेट बन गई है। वहां पर जो पॉवर हाऊस है, अगर वह हिमाचल को दे दिया जाता तो हमें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन, उस पॉवर हाऊस को पंजाब के हवाले कर दिया गया। उसके दो हिस्से होने चाहिए थे। इसी प्रकार से बसी पॉवर हाऊस है वह मेरे वक्त में बनना शुरू हुआ था। उसके बारे में फै सला हुआ कि वह हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाए। उपाध्यक्ष

महोदया, आपको पता होगा उस वक्त आप पंजाब में कौंसिल की सदस्या थी, सबसे पहले बिजली ज्वायंट पंजाब में उस पॉवर हाऊस ने देनी शुरू की थी। लेकिन, आज उस पॉवर हाऊस के अन्दर भी हमारा कोई हिस्सा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया वहां पर 100 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। जितनी कि भाखड़ा में कमी पड़ती है। लेकिन, हमारी सरकार ने कोई मांग नहीं की। उपाध्यक्ष महोदया इससे भी गम्भीरता का प्रश्न यह है कि हमारा हिस्सा 39.05 परसैन्ट बैठता है। लेकिन, इन्होंने जो खुद अपने आंकड़े निकाले हैं उसके मुताबिक 76 मेगावाट बैठता है लेकिन जो हरियाणा को हिस्सा मिला है वह 65.5 मेगावाट यानी जितना हमारा है उतना भी नहीं मिला है।

दूसरे आप जानते हैं कि भाखड़ा प्रोजैक्ट जिन्होंने बनाया था उसमें लिखा है कि एक वैट साईकिल होगा और एक ड्राई साईकिल होगा। वैट साईकिल के माने यह हैं जिन सालों में ज्यादा पानी होगा वह वैट साईकिल होगा जिन सालों में कम प्रतिशत पानी होगा उसको ड्राई साईकिल कहते हैं। वैट साईकिल के अन्दर पूरा डैम भरेगा और ड्राई में पूरा नहीं भरेगा। इस साल ड्राई साईकिल है। डैम नहीं भरा। भगवान न करे यह साईकिल रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगल साल वैट हो जाए। अगर वैट नहीं होता है तो हमको इन्तजाम करना होगा। उपाध्यक्ष महोदया मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहां जहां भी पॉवर हाऊस बने हैं उनसे अपना हिस्सा मांगना चाहिए और जो जमुना पर बनेगा उसका भी हिस्सा मांगना चाहिए।

वैस्ट्र्न जमुना कैनाल हाइडिल स्कीम की मंजूरी के कागजात जो कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के मुख्तलिफ दफतरों से सफर करते थे, वे मेरे टाईम पर तय कर चुके थे। आज उन बातों को छ : वर्ष हो गये हैं। परन्तु, अभी तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। इधर पंजाब के अन्दर एक नहर यू.बी.डी.सी. है उसके ऊपर भी काम चालू हो गया है, वह बनने वाली है। इसी प्रकार से थरमल प्लांट भटिंडा में बनने जा रहा है। इस पर काफी रुपया खर्च होगा। मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में एक बात कही थी कि चौधरी साहब समझते हैं कि प्लानिंग कमीशन की मंजूरी मिलते ही पैसा मिल जाता है। वे मुझे अनभिज्ञ मानते होंगे। लेकिन, एक बात मैं पूछता हूँ कि पॉवर हाऊस के लिए तो इनको पैसा नहीं मिला और स्टेट के रिसोर्सिज नहीं मिल सके। लेकिन, क्या लाईन खींचने का ही इनका मंशा है। उससे क्या फायदा होगा, जब बिजली ही नहीं पहुँच सकी ? हमको बिजली देनी चाहिए। इसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ कि इसी सदन के अन्दर एक सवाल का जवाब दिया गया। उपाध्यक्ष महोदया आप जानती हैं कि भाखड़ा डैम की जब योजना बनी उस वक्त पंजाब के अन्दर श्री छोटू

राम मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इस प्रोजैक्ट पर दस्तखत किये थे। जब यह बननी शुरू हुई तो उस वक्त चौधरी लहरी सिंह मंत्री होते थे वे भी रोहतक जिले के थे। जब पूरा समय हुआ उस समय मैं मंत्री था। लेकिन, जब यहां गुड़गांव के मंत्री आये तो यहां सवाल के जवाब में बताया गया कि रोहतक जिले के गांवों को बिजली नहीं दी जा सकती। खैर हमें अब तो खुशी है कि हरियाणा के सभी गांवों में बिजली के तार पहुँचा दिये और मुझको खुशी इस बात की और भी अधिक हुई कि यह काम उस वक्त हुआ जबकि रोहतक जिले के पंडित रामधारी गौड़ मिनिस्टर हैं। यह तो और भी अच्छी बात है कि रोहतक जिले के मिनिस्टर के टाईम पर यह काम हुआ। लेकिन यहां पर जब गुड़गांव के मिनिस्टर होते थे तो उन्होंने यहां यह जवाब दिया था और यह रिकार्ड पर मौजूद है। इस तरह का जवाब देना कोई अच्छी प्रथा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदया इस सरकार ने एक हुक्म निकाला और एक्ट के अन्दर यह बात थी कि अगर ट्यूबवैल् का कनैक्शन सौ फुट से ज्यादा हो तो कनैक्शन देते वक्त टोटा-मुनाफा की बात सोचते थे और कनैक्शन देने में सुस्ती करते थे। लेकिन, इस सरकार ने अब अच्छा किया कि यह जो कागजी तौर पर टोटे-मुनाफे का हिसाब किताब लगाते थे इसको खत्म कर दिया है। अब सरकार ने यह तरीका निकाला है कि जो भी तीन मील तक ट्यूबवैल का कनैक्शन ले, वह दे दिया जाये। अगर सरकार इसको तीन मील की बजाए आधा मील तक कर देती है तो इतना घाटा नहीं होता। लेकिन, फिर भी अच्छी बात है जो कुछ सरकार ने किया। अभी पिछले दिनों पंडित रामधारी गौड़ ने एक सवाल के जवाब में यहां सदन में बताया था कि इतने हजार अरजियां पैंडिंग हैं और कई हजार ने तो टैस्ट रिपोर्ट भी दे दी हैं। लेकिन, पैंडिंग हैं। खैर तो उपाध्यक्ष महोदया यह कहते हैं कि लम्बे तार बिछाये गए। लेकिन, अगर हिसाब देखा जाये तो कम ही तार बिछाने की बात हुई है। लेकिन, फिर भी काम बहुत बड़ा था और मैं मानता हूँ कि वह बहुत कुछ किया गया है। अब एक बहुत बड़ा काम है जिसकी तरफ में सरकार का ध्यान दिलाना चाहात हूँ। अगर, हमने तारों का लोगों को फायदा पहुँचाना है। दूसरे, घरेलू कनैक्शन्ज के लिए, जो इन्होंने लिखा है कि सौ फुट से आगे अगर तार कनैक्शन्ज के लिए ले जाओगे तो वह खर्चा लोगों को देना होगा।

**एक माननीय सदस्य :** डिप्टी स्पीकर साहिबा कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घन्टी बजायी गई)

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं हुआ करती, बेशक रूल में आप देख लें। यह जानबूझ कर कोरम खत्म किया गया है। मुझे कोई एतराज नहीं सरकार को जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने तो बहुत सारी बातें अपनी कह दीं। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूँ......।

**उपाध्यक्षा :** कोरम नहीं है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** रूल में लिखा है कि इसके ऊपर कोरम नहीं चाहिए।

**Shri Bansi Lal :** Madam, Deputy Speaker, how is the speech going on on without a quorum?

**उपाध्यक्षा :** आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्षा महोदया ........।

**श्री बंसी लाल :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हुआ हूँ। There is no such Rule that the House can proceed on without the quorum.

**Deputy Speaker :** Let me see if there is any Rule.

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ.........।

**श्री बंसी लाल :** उपाध्यक्ष महोदया, जब कौरम नहीं हो तो स्पीच कैसे दे सकते हैं? He can continue his speech only when there is quorum.

**उपाध्यक्षा :** अब कोरम हो गया है (विघ्न)

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं अर्ज कर रहा था कि अगर सौ फुट की दूरी का हिसाब होगा तो किसी को भी कनैक्शन नहीं मिल सकेगा और इसलिए मकानों के अन्दर कनैक्शन नहीं लगे हुए हैं। बिजली चालू है लेकिन इस कारण से उसको कनैक्शन नहीं दिया जा सकता है कि सौ फुट से ज्यादा दूरी है। बोर्ड ने जब इतना हौसला किया है तो इसको खत्म करना चाहिए ताकि बोर्ड को कुछ और फायदा हो सके और जो पैसा लगाया है उसकी रिटर्न भी ऑनी शुरू हो जाये। लोगों को भी कुछ फायदा हो।

**चौधरी चांद राम ( बबैन, एस.सी. ) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कुछ

ज्यादा नहीं कहूँगा। इन्होंने काफी कह दिया है। मैं दो तीन बातें कहूँगा। एक तो यह कि जो बिजली बोर्ड है, यह बहुत बड़ा एम्पलायर है और इसमें भी जो कन्स्टीच्यूशन में रिजर्वेशन है .......

**उपाध्यक्षा :** कोरम नहीं रहा ..... There is no quorum बैल करते हैं Chaudhri Sahib, please take your seat.

(At this stage Chaudhri Chand Ram resumed his seat)

**Chaudhri Ranbir Singh :** It means the House stands adjourned ......... (*Interruption*)

**श्रीमती चन्द्रावती :** हाऊस को कल बुलाना पड़ेगा फिर ..... (विघ्न)

**चौधरी रणबीर सिंह :** रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हाऊस को कल के लिये एडजर्न करना पड़ेगा.....

**श्रीमती चन्द्रावती :** जब कोरम नहीं है तो टूमारो के लिये पोस्टपोन करना पड़ेगा।

**महन्त गंगा सागर :** कल के लिये पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि कोरम नहीं है .... (विघ्न)

**उपाध्यक्षा :** हाऊस पहले ही सैनेडाई की मोशन पास कर चुका है.....

**महन्त गंगा सागर :** जब कोरम नहीं है तो रूल्ज़ के अन्दर यह चीज़ है कि कल के लिये एडजर्न किया जाये ..... (विघ्न)

**चौधरी चांद राम :** हाऊस कल के लिये एडजर्न होगा डिप्टी स्पीकर साहिबा।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

**चौधरी रणबीर सिंह :** एडजर्नमैंट के लिए जरूरी है कि कोरम रहे, अध्यक्ष महोदय। सैनेडाई एडजर्न नहीं हो सकता जब तक कोरम न रहे, ..... (विघ्न)

**श्री बन्सी लाल :** कोरम न होने के दौरान में जो प्रोसिडिंग होंगी वह एक्सपंज कर दी जाये ...... (विघ्न)

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपनी स्पीच खत्म कर चुका

था। चौधरी चांद राम दो मिनट के लिये कुछ कहना चाहते थे। मन्त्री महोदय ने कहना था कुछ। मैं तो इनको बताता हूँ कि जो कोरम खत्म कराने की बात है वह इनके हित में नहीं है ..... (विघ्न)

**श्री बन्सी लाल :** यह जंगल में खड़े होकर बोलने लगें तो घना अच्छा रहे .......

**Mr. Speaker :** It is all sorted out. Chaudhri Sahib, you want to speak.

**Chaudhri Chand Ram :** Hardly for two minutes.

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं जंगल में खड़ा होकर बोलने लग जाऊं तो यह बात अच्छी है। सदन की कार्यवाही के बारे में यह कमेन्टरी इनकी अच्छी है क्या? .......... (शोर)

**श्री बन्सी लाल :** जब हाऊस में कोरम न हो तो ये बोल रहे हैं तो बाहर बोलें।

**श्री अध्यक्ष :** यह चलता ही रहता है ..........

**चौधरी रणबीर सिंह :** आपको तो इस बात को रोकना है..... लत बात को ......

**Mr. Speaker :** I will request ..........

**Shri Bansi Lal :** There is no quorum. The House is duly constituted when there is quorum and it is presided over by the Speaker or the Chairman.....

**Mr. Speaker :** What are the Rules beyond that? (*Interruptions*) Could you kindly show me a Rule. As far as we know, I have asked my staff, if there is no quorum we adjourn sinedie. But, if you have a Rule, kindly let me know.

**महन्त गंगा सागर :** रूल इसी किताब में है।

**श्री अध्यक्ष :** किताब दे दो इन्हें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उस वक्त अगर यह आदेश देते तो यह हाऊस की

कार्यवाही का पार्ट होता। अब तो हाऊस है ही नहीं।

**श्री बन्सी लाल :** आपने हुक्म दिया है ......

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये जवाब नहीं देना चाहते।

**श्री अध्यक्ष :** अब तो दस हो जायेंगे।

**एक आवाज :** अब भी दस नहीं बनते।

**Mr. Speaker :** Kindly atleast count properly. इस वक्त नौ हैं उस वक्त दस थे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** बुला लो बेकार का क्यों खेल करते हो .... (विघ्न) जी आपने आदेश दिया .... (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** मैं देख लेता हूँ अगर कोई रूल हो तो।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह कार्यवाही का पार्ट नहीं हो सकता। जब सदन होगा तो सैनेडाई का प्रश्न उठेगा ..... शोर

**श्री अध्यक्ष :** उस वक्त दस ही थे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उस वक्त he was in possession of the House. He was speaking. (*Interruptions*)

**श्री बन्सी लाल :** कोरम इनके पास नहीं है हमारे पास तो है ही।

(इस वक्त कुछ मैम्बर हाऊस में दाखल हुए)

**चौधरी जय सिंह राठी :** आप हांक के खूब ले गये।

**चौधरी रणबीर सिंह :** यह कार्यवाही भी हमारे इतिहास का हिस्सा रहेगी।

**Shri Bansi Lal :** There should be some limit on speech ........

**Mr. Speaker :** Chaudhri Chand Ram, how much more time do you want?

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

----------------------------

### श्रद्धान्जलि

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, मंख्यमंत्री जी ने जिन दिवंगत आत्माओं के लिए जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है, उनमें से कुछ महान पुरुषों के साथ मेरा सम्बन्ध रहा है और उन्हें मुझे करीब से देखने का मौका मिला है। श्री श्रीप्रकाश जी कंस्टीच्युएंट असैम्बली के मैम्बर मेरे साथ रहे। जबकि मैं लोकसभा का सदस्य था, ये केन्द्रीय सरकार के मन्त्री भी रहे। इसी प्रकार श्री बिमला प्रसाद चालिहा के साथ मेरा सम्बन्ध 1952 के बाद उनके उप-चुनाव के बाद रहा। लोकसभा के सदस्य होने के नाते उनके साथ रहने का मौका मिला। इसी प्रकार राजा सुरेन्द्र सिंह, जो पैप्सू में मंत्री होते थे, को भी मैं अच्छी तरह जानता था। गुरू जसवन्त सिंह जी हमारे पड़ोसी स्टेट पंजाब की असैम्बली के सदस्य रहे। इन सब दिवंगत आत्माओं के परिवारों के साथ हमें बड़ी हमदर्दी है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वर्ग दे और मोक्ष की प्राप्ति हो। इन महान् आत्माओं ने देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां कीं और जिस सहनशीलता और कार्यक्षमता से देश का काम चलाया, उससे हम वंचित हो गए और वे हमारे लिए शोकप्रद जीवन छोड़ गए। अध्यक्ष महोदय, श्री श्रीप्रकाश ने जहां खुद देश की बड़ी सेवा की वहां उनके पिता श्री भगवान दास ने देश को आजाद कराने में बड़ा हिस्सा लिया। जिस पीढ़ी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करवाया, देश के सामने आदर्श रखा और

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 116-119

यह ख्वाहिश जाहिर की कि एक आजाद देश इस तरह से तरक्की करे। मुझे बड़े दु :ख के साथ कहना पड़ता है कि आज वह पीढ़ी धीरे-धीरे हम में से जा रही है। इस पीढ़ी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि देश को आजादी मिलने के बाद हमने उस आजादी को कैसे कायम रखना है? इनको श्रद्धा के फूल भेंट करने का फायदा तभी हो सकता है। अगर, हम उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करें कि देश की रक्षा कैसे हो सकती है। मैं मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनके परिवारों को हौसला दें और मृतक आत्माओं को मोक्ष मिले। साथ ही साथ मैं अपने सभी सदन के साथियों से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको उनके जीवन से सबक लेना चाहिए।

**Shri S.P. Jaiswal** (Karnal) : Mr. Speaker, Sir, I fully associate myself with the sentiments expressed by the honourable mover of the resolution and other members of this House and pray that the lord may grant eternal peace to the departed souls and strength to their bereaved families to bear the irreparable loss.

**श्रीमती चन्द्रावती ( लोहारू ) :** स्पीकर साहब, वैसे तो मुख्यमंत्री जी, जो जीडर ऑफ दी हाऊस भी हैं, के कहने के बाद कोई खास बात अर्ज़ करने को रह नहीं जाती परन्तु जिन महानुभावों के बारे में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उनमें से कुछ के प्रति मैं विशेष श्रद्धा रखती हूँ। इसलिए, थोड़े से शब्द मैं भी कहना चाहती हूँ। राजा सुरेन्द्र सिंह पैप्सू में हमारे साथ एम.एल.ए. थे और मैं जानती हूँ कि वे एक बहुत अच्छे इन्सान थे। जब वे पैप्सू में वजीर थे तो वे बड़े पापुलर थे। अगर, उस वक्त वे चाहते तो पूरे आर्गेनाइजेशन पर हावी हो सकते थे और एक सफल राजनीतिज्ञ बन सकते थे परन्तु उन्होंने एक सफल राजनीतिज्ञ बनने की अपेक्षा एक अच्छा इन्सान बनने की कोशिश की। मेरे एक बार पूछने पर कि आपने डी.सी. और ए.आई.सी.सी. का सदस्य बनने की कोशिश क्यों नहीं की उन्होंने कहा कि मुझे अल्कोहल लेने की आदत है और आप जानती हैं कि कांग्रेस आर्गेनाइजेशन का एक नियम है कि जो व्यक्ति उसका कार्यशील मैम्बर बनना चाहे उसको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। जब तक मैं अल्कोहल नहीं छोड़ता तब तक मैं कांग्रेस का कार्यशील मैम्बर नहीं बन सकता। मैं यह समझती हूँ कि जहां उन्होंने खेती के काम में अपनी बहुमूल्य राय दी, अच्छे सुझाव दिए और बहुत ही अच्छी बातें उसको प्रोग्रैस करने के लिए बताई। वहां उन्होंने एक उदाहरण भी हमारे सामने रखा कि मनुष्य को सफल राजनीतिक होने के

अलावा एक अच्छा इन्सान बनने की भी जरुरत है।

**Speaker :** Hon. Members, a great deal has been said about the departed leaders. No doubt they were very great men who had rendered distinguished service. I fully associated with all that has been said by my colleagues. I shall also convey the sympathies of the House to the bereaved families and at the end, may I request you all to stand in silence for two minutes as a mark of our respect to the departed leaders.

(The House then stood in silence for two minutes)

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, कुछ देर पहले मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहा था। परन्तु, आपका आदेश हुआ था कि शोक प्रस्ताव खत्म होने के बाद मैं प्रश्न करुं। इसलिए अब मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखता हूँ।

**श्रम तथा रोजगार मन्त्री ( श्री अब्दुल गफ्फार खां ) :** जनाब स्पीकर साहब, यहां हर बार यह सवाल उठा है कि ऐसी जबान का इस्तेमाल होना चाहिए जिनका सब लोगों को पता चल जाए। मैं जनाब के जरिए ........

**Mr. Speaker :** Are you on a point of order?

**Khan Abdul Ghaffar Khan :** I am.

**Mr. Speaker :** No, first his point of order. He was speaking when you got up.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि लोक सभा में एक व्यवस्था है कि जब प्रश्नोत्तर का समय होता है तो उस वक्त कोई प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर नहीं रखा जाता। उस सिलसिले में यदि किसी को कोई व्यवस्था का प्रश्न करना हो तो वह उस वक्त किया जाए जब प्रश्नोत्तर न आये। दूसरे एक मेम्बर साहब ने एक बात कही उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता उन्होंने लीडर ऑफ दी हाऊस से कहा कि वे जबान का तमस्खर उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं किसी भी जबान का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि संस्कृत को लाजमी पढ़ाया जाये और यह तीतर बटेर वाली जबान न बोलें।

**श्री अध्यक्ष :** यह ठीक है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** ऑन ए प्वायंट ऑफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन सर। मेरा पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन यह है कि मैं जो भाषा बोलता हूँ उस पर आपत्ति की गयी है। हो सकता है कि कुछ सदस्यों को हिन्दी की उतनी जानकारी न हो परन्तु जैसा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है उसकी जो परिभाषा है वह यह है कि जब कंस्टीच्यूएन्ट असैम्बली में विधान के ऊपर बहस हुई और प्रस्ताव पास हुआ – (मुख्यमंत्री जी की ओर से विघ्न)

मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं तो इसको और लम्बा किया जाये क्योंकि उसके बाद कुछ और मामला आने वाला है और शायद ये उससे बचना चाहते हों। मैं परिभाषा बता रहा था। कंस्टीच्युएन्ट असैम्बली में डिसकस हुआ कि कैसी हिन्दी हाऊस में बोली जाये? वही भाषा मैं यहां पर बोलता हूँ। मैं उसकी चारदीवारी से बाहर एक मिनट के लिए भी नहीं जाता हूँ अगर मैं बाहर नहीं जाता हूँ तो मेरी जबान पर कोई आपत्ति करे तो उसके लिए मैं आपका संरक्षण चाहूँगा।

**श्री अब्दुल गफ्फर खां :** स्पीकर साहब बार-बार ये उन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

---

### कृषि उत्पादन बाजार ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगी कि यह छोटा सा बिल है इसलिए आप ज्यादा टाईम न लें।

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह आपने बगैर किसी बात के, जैसे कि मैं हाऊस का ज्यादा समय लेने का आदी हूँ, पहले ही मेरे खिलाफ अपना फैसला दे दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं मुकाबला तो नहीं करता। लेकिन, इतना कहने का जरूर हक रख्ता हूँ कि जो मैं समय लेता हूँ वह इस सदन की, और हरियाणा के लोगों की इज्जत बढ़ाने के लिए लेता हूँ और मेरी कन्ट्रीब्यूशन इस किस्म की होती है कि जो हमें बार-बार हाऊस में तरमीमें लानी पड़ती है। वे न लानी पड़ें और उससे हमारे देश को जो घाटा होता है वह न हो। मैं हमेशा ऐसी बातों की तरफ ध्यान दिलाता हूँ।

**उपाध्यक्षा :** हां जी आप बोलिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं सोचता हूँ कि जो विधेयक यहां पर लाकर रख दिया है उसकी पहले ये हमें इतलाह देंगे, पहले प्रोग्राम के मुताबिक इस पर आज बहस नहीं होनी थी। लेकिन बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई और उसका

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 140-142

एक फैसला हुआ। उसको भी सदन में पेश करके उसकी मन्जूरी नहीं ली गयी। अगर हाऊस की मन्जूरी लेने के बाद वह कार्यवाही शुरू होती तो कोई एतराज की बात नहीं थी। जैसे श्री बनारसी दास जी ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि यह अमैंडमैंट मासूम सी दिखाई देती है। मगर, इसका नोटिस हमें अभी मिला है और न ही मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि इसको लाने के पीछे भावना क्या है और क्यों इसको लाने की जरुरत पड़ी ?

**उपाध्यक्षा :** वह तो आपको बाद में बतायेंगे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मिनिस्टर साहब ने जब विधेयक पेश किया उस वक्त उनको बताना चाहिए था और उसके बाद पहली रीडिंग पर मैम्बर साहिबान जब अपने ख्यालात का इजहार कर चुकें तो सरकार की स्थिति के बारे में वजीर साहब दोबारा बताएं। मैं मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने समय नहीं दिया तो कम से कम वह इतना तो जरूर बता दें कि वह इसे क्यों लाए हैं ? बहरहाल इस सदन ने एक कानून पास किया जिसकी अमैंडमैंट की आज जरूरत है और मैं उसकी हिमायत में हूँ। लेकिन वह कानून किन हालात में पास किया गया जो आज उसमें तरमीम लाने की जरूरत पड़ी है ? उसकी वजह या तो यह है कि जिस तरीके से आज दोबारा इस विधेयक को लाकर कोई समय नहीं दिया जा रहा उसी तरह से उस वक्त भी बगैर विचार विमर्श के उस बिल को रश-थ्रू किया गया जिसकी वजह से आज यह अमैंडमैंट लाने की जरूरत पड़ी। इस बात में दो राए नहीं हो सकतीं कि हमारे कन्स्टीच्यूशन के तहत जितने भी कानून हैं उसके मुताबिक किसी आदमी को हमेशा के लिए रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन उस वक्त रोक लगाने का क्या मुद्दा था ? उस पर रोशनी डाली जानी चाहिए थी। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि किसी ने अगर गबन कर लिया हो तो उसको सारी उम्र के लिए डिबार कर दिया जाए, चाहे वह किसी सरकारी हुक्म के मुताबिक हो, तो मैं भी इसके हक में नहीं हूँ। चुनाव में करप्ट मीन्ज एडाप्ट करने के जब सुप्रीम कोर्ट में केसिज जाते हैं वह पांच छः सालों से ज्यादा रोक नहीं लगा सकते। इसलिए यह जो त्रुटि दूर की जा रही है मैं इसके हक में हूँ अभी मुझसे पहले जैसे सिंगोल साहब ने कहा कि स्टेट मार्किटिंग बोर्ड का आज एक बहुत अहम स्थान हो गया है और उस पैसे को खर्च करने के लिए जो बोर्ड बनता है उसमें हमारे प्रदेश का बहुत हित है कि वह बोर्ड अच्छा बने। कौन उसके सदस्य बनाए जाएं ? उनके ऊपर क्या रोक लगनी चाहिए, इन सब बातों पर विचार करने के लिए इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं हो

सकता। जिसे करोड़ों रुपया खर्च करने का अधिकार है, जिसे अनुदान भी देते हैं, जिस पर कि सदन को चर्चा करने का मौका भी नहीं मिलता, उस बोर्ड की फौरमेशन के बारे में यहां पर अच्छी तरह से वजाहत के साथ बताया जाना चाहिए कि उसका क्या रूप होगा? श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने कहा कि पहले जितना स्टेट मार्किटिंग के पास पैसा होता था उसका इस्तेमाल नहीं होता था। उसका कारण यही था कि कोई उस पैसे के बारे में सदन के सामने रिपोर्ट वगैरह नहीं आती थी। तो जैसे उन्होंने शिकायत की सिर्फ एक आदमी पर रोक है। भले ही कोई आदमी कमेटी से रिमूव हो गया हो, जिसको ये मैम्बर बनाना चाहेंगे, जो इनका मित्र बन गया हो, चाहे वह मित्र किसी क्रिमिनल केस में सजा भोग कर आया हो, उसको आसानी से मैम्बर बना सकते हैं जबकि पहले नहीं बना सकते थे। अब ये समझते हैं कि बतौर एक क्रिमिनल के सजा भुगतने की अवधि के दौरान उस अपराधी ने अपने में सुधार कर लिया है और उसको बोर्ड में शामिल कर लिया जाए। इसीलिए, यह संशोधन लाया गया है। मैं सदन को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इस अमेंडमैंट से कोई सुधार होने वाला नहीं, इससे कोई बात साफ नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में मैं ज्यादा न जाता हुआ इतना ही कहूँगा कि मन्त्री महोदय इस चीज को स्पष्ट करें कि इस अमेंडमैंट का क्या मतलब है?

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

----------------------------

### कृषि उत्पादन बाजार ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुख्यमंत्री जी ने सदन को एक अजीब अवस्था में लाकर रख दिया है।

**श्री बन्सी लाल :** आप तो हमेशा ही अजीब अवस्था में रहते हो।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं हूँ या आप हैं, कोई सा दोनों में से एक है जरूर।

**उपाध्यक्षा :** अजीब अवस्था में हाऊस नहीं रहेगा। हाऊस में फै सला चेयर की तरफ से होना है कि अमैंडमैंट की आवश्यकता है या नहीं ?

**Shri Bansi Lal :** Legally if the amendment comes in, we agree.

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, संशोधन अब दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार संशोधन को कबूल करने के लिए तैयार है। जब एक असूल को ये मानते हैं और कोई सदस्य संशोधन न दे तो कल को इन्हें संशोधित विधेयक लाना पड़ेगा। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सरकार को सलाह दें कि अगर कोई सदस्य संशोधन नहीं लाता तो वे संशोधन ले आएं। या तो इनको आश्वासन नहीं देना चाहिए था, अगर दिया है तो उसे पूरा करना चाहिए। बीच में वित्त मंत्री जी कुछ

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 147-148

कोमैंट कर गई हैं। लेकिन, हमें पता नहीं लगता है कि वित्त मंत्री महोदया सही हैं या मुख्यमंत्री महोदय सही हैं? कागज़ पढ़ने के लिए सदन की बैठक के बाद यह कोई समय ले लें और दूसरा विधेयक आ जाए।

**Shri Bansi Lal :** Madam Deputy Speaker, the point is now clear that this amendment will have to be brought in the other Act under which a Member continues to be a member. This amendment will not be in this Act but in the other Act. But the Government assures the House that this amendment will be made.

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

-----------------------------

### कृषि उत्पादन बाजार ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल पर अपने विचार रखना चाहता हूँ....।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** उपाध्यक्ष महोदया, दूसरे मैम्बरों को भी बोलने का टाईम दिया जाए क्योंकि इन्हें तो बोलने की बीमारी है।

**श्री मंगल सैन :** आप ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, मैडम। मैं आप की रूलिंग चाहता हूँ कि कोई ऑनरेबल मैम्बर इस सदन के किसी दूसरे सीनियर और बैटरन मैम्बर को क्या यह कह सकता है कि उसे बोलने का रोग है?

**Deputy Speaker :** It is a joke only and no reflection on any hon. Member.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी पार्टी के महामन्त्री जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं कोई और बात कहने से पहले उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि ये उनके लायक नहीं थे। इसके अलावा, मैं कोई टीका टिप्पणी उस सिलसिले में या अपनी सफाई में नहीं कहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदया, यह पूर्वी पंजाब भू-उपयोग विधेयक 1949 का जो संशोधन

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 159-162

विधेयक यहां सदन के सामने आया है और डा. मंगलसैन जो अभी मेरी मदद में बोले, इस विधेयक के बारे में जो बातें उन्होंने कहीं, उनके बारे में मुझे सही तथ्य भी रखने पड़ेंगे। मेरा मतलब विधेयक के सम्बन्ध में है न कि डा. साहब के सम्बन्ध में। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश के जो आम मुजारे हैं उनकी बेदखली के सिलसिले में, उनके पट्टे की बेदखली के सिलसिले में यह बिल नहीं है। डा. साहब को यह अच्छी तरह से ज्ञान होगा कि पंजाब जब इक्ट्ठा था और हरियाणा का एरिया जिसे आज हरियाणा प्रांत कहते हैं, उस वक्त हिन्दी रीजन था। उस वक्त उस हिन्दी रीजनल कमेटी की तरफ से, जिसमें बहुत सारे भाई जैसे राठी साहब के भाई चौधरी धर्म सिंह राठी वगैरह थे, पट्टेदारों के सिलसिले में एक प्रस्ताव पास हुआ था। उस प्रस्ताव में यह बात मानी गई कि जो पट्टेदार हैं उनके पट्टे रद्द कर दिए जाएं। यह मेरी पृष्ठभूमि इसी सिलसिले में थी। इस विधेयक के अन्दर जो मुजारे हैं, जिनका इसके अन्दर जिक्र है वे आम मुजारे नहीं हैं। इसलिए आम मुजारों के डरने की बात नहीं है। जिनके पास बहुत जमीन है, उससे भी ज्यादा जितनी कि एक भू-स्वामी के लिए सीमा रखी गई है वे ही इसके अन्दर आऐंगे। इसलिए यह बिल एक खास हालत के लिए है। आप जानती हैं कि देश के अन्दर कुछ ऐसे इलाके जैसे गुहला और कैथल तथा कुछ और भी ऐसे इलाके हैं जहां जमीन की काश्त बगैर मशीनों के नहीं की जा सकती थी और मशीन का युग देश के अन्दर आया नहीं था। इसलिए, वहां के किसान भाई अच्छे काश्तकार न हों, ऐसी बात नहीं थी। कई दूसरे भाइयों को पट्टे दिये गये वे भी उनसे कोई अच्छे काश्तकार साबित नहीं हुए। लेकिन, बाद में उसी जमीन को मशीन की मदद से चालू कर दिया गया, जिसका डा. साहब ने सदन के सामने नक्शा पेश किया है। यह काश्तकार और मुजारे का सवाल नहीं है। यह सवाल तो एक खास किस्म के पट्टेदारों का है, जो हमारे भाई छोटे भू-स्वामी हैं, किसी के पास एक एकड़ जमीन है। इस बिल में उनकी जमीन का सवाल नहीं। इसलिए उसी पृष्ठभूमि में हमको इस बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर मंत्रीमंडल से कहूँगा कि आपने जो पहले एक संशोधन किया था, आप आज उसको उलट रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने इस पर पहले अच्छी तरह विचार नहीं किया था। इस बारे हम को ठीक सलाह नहीं मिली थी। मैं महामंत्री जी से कहूँगा कि हम सबको मिलकर तथा दूसरे सदस्य भी अगर वे सही सलाह देते हैं तो हम सबको बैठकर ठीक तरह से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, इस विधेयक के अन्दर से जो 14(क) को निकालने

की बात की गई है और 6(4) को दाखिल करने की बात की गई है। मेरे विचार में इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। इसका मतलब एक ही है कि सिविल अदालतों को अधिकार न हो।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके अलावा इसके अन्दर होईकोर्ट के फैसलों का जिक्र भी किया गया है। यह दु :ख की बात है कि जिन रिट्स का जिक्र किया गया है उनका ब्यौरा सदस्यों के पास नहीं है। जब तक किसी सदस्य के पास किसी चीज की पृष्ठभूमि न हो। वह उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। छ : महीने पहले इस कानून को बदला गया था और आज इसे फिर बदल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि जहां इसके अन्दर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया गया हो उन फैसलों की प्रतिलिपियां, जिसकी वजह से हम इस विधेयक को बदलने जा रहे हैं, सारे सदस्यों को मिलनी चाहिये थी।

**उपध्यक्षा :** आप कितना टाईम और लेगें ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** दो-तीन मिनट और लूंगा।

**उपाध्यक्षा :** आप जल्दी खत्म करें और भी बिल हैं, जिनपर सदस्यों को बोलना है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिनके फैसले के कारण हम विधेयक में संशोधन करने जा रहे हैं उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को मिलना चाहिए जिससे सदस्यों को मालूम हो सके कि उन फैसलों में क्या है ? अगर पहले नहीं दी जा सकी है तो अब दी जाएं ताकि जिस वक्त यहां दूसरी रीडिंग आए उस वक्त सदस्यगण उसके ऊपर पूरी तरह विचार कर सकें नहीं तो जैसा कि वह पिछली दफा बदल गया था, अब बदल रहे हैं और आगे फिर बदलेंगे। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने रिटों के सम्बन्ध में जो फैसले दिये हैं, उनकी प्रतिलिपियां अगर नहीं मिल सकती तो सचिवालय की तरफ से या सरकार की तरफ से उसकी प्रेसी सदस्यों को भेजनी चाहिये ताकि जनता के सदस्यों को जो जिम्मेवारी दी हुई है और जिस मतलब के लिये यहां चुनकर भेजा है, वे अपना फर्ज अदा कर सकें, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल पर नहीं तो कम से कम आगे जब भी कोई संशोधन विधेयक आए और उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण संशोधन

किया जा रहा हो तो उस फैसले की कॉपी सदस्यों को दी जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ।

**महन्त गंगा सागर (झज्जर) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो कुछ श्री दया कृष्ण जी ने कहा है, वह मैं समझता हूँ एक दरूस्त बात है। इसलिए हमें इस अमेंडमेंट को मान लेना चाहिए।

**मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) :** ठीक है, मान लेंगे।

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

---

### हरियाणा नगर शामलात भूमि ( नियमन ) विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो अमैंडमेंट श्री दया कृष्ण जी ने सदन में पेश की है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। लेकिन हो सकता है कि 1970 से पहले के समय के दौरान कुछ जमीन जा शामलात देह के जायज या नाजायज कब्जे में हो म्यूनिसिपैलटियों या पंचायतों ने गरीब हरिजनों को या बिसवेदारों को दे दी हों और उन्होंने उस जमीन पर मकान वगैरह बना लिये हों.......... (विघ्न).....

**श्री सत्य नारायण सिंगोल :** म्यूनिसिपैलटियों पर तो कांग्रेसियों का कब्जा है।......

**गृह मंत्री ( श्री के.एस. पोसवाल ) :** तभी तो आप कांग्रेस में एप्लाई कर रहे हो।

**चौधरी रणबीर सिंह :** इस विधेयक का कोई फायदा मुझे दिखाई नहीं देता। एक दफा विचार करने के बाद यदि हम इस बिल को पास कर देंगे तो हम म्यूनिसिपैलटियों को एक अधिकार दे देंगे और वह जमीनों की मालिक बन जायेगी। मुझे कुछ ठीक याद नहीं। मुख्यमंत्री महोदय जरा ला डिपार्टमैंट से पता कर लें। आज

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 182-185

से कुछ साल पहले सारे पंजाब के अन्दर जितने भी बे-बिसबेदार मकानों के मालिक थे, उनके मकानों के नीचे वाली जमीन के मालिक या रेवन्यू एस्टेट के बिसवेदार ही माने जाते थे। उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद एक कानून पास हुआ था और उस कानून के जरिये जो जमीन उन बे-बिसवेदारों के मकानों के नीचे थी, उसकी मल्कियत मकान मालिकों को दी गयी थी। यह बात मुझे अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि वह जमीन जो रैवेन्यू एस्टेट की थी, वह म्यूनिसिपैलेटी के तहत आती थी या किसी और के तहत। लेकिन, यह जरूर है कि उस जमीन की मल्कियत उन गरीबों को दे दी गयी थी जो उन पर अधिकार किये हुये थे। इसके अलावा जितनी शामलात देह जमीन इवैक्यू प्रापर्टी डिक्लेयर हुई थी, और उसके कुछ मालिक यहां के रहने वाले थे और कुछ पाकिस्तान चले गये थे, उनकी जमीनों को मल्कियत नहीं दी गयी थी। जहां तक म्यूनिसपल ऐरिये का ताल्लुक है उसके अख्तियारत स्टेट गवर्नमेंट को नहीं थे। उसके अख्तियारात सैंटरल रिहैब्लिटेशन मिनिस्ट्री को थे। इन्होंने इवैक्यू प्रापर्टी नीलामी के लिये निकाली। वह जमीन भी इसमें शामिल थी जिस पर कि गरीब आदमियों के बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस साल से मकान बने हुये थे। इस नीलामी के बाकायदा आर्डर इशू हुए थे लेकिन बाद में हिन्दुस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री ने हिदायत की, मेरा मतलब पंडित जवाहर लाल नेहरू से है और वह जमीन उन लोगों को दे दी गयी थी, जिनके उन जमीनों पर मकान थे। उस वक्त मेरी खुशकिस्मती यह थी कि इस मामले को उठाने को मुझे मौका मिला। चौधरी चांद राम जी अब यहां बैठे नहीं हैं, उन्होंने भी इस मामले में हाथ बटाया था। उस वक्त के एक केन्द्रीय मंत्री ने मुझे यह कहा था मैं नाम नहीं लूंगा, कि जालन्धर और अमृतसर की जमीन नीलाम हो गयी हैं। अब जब रोहतक को नीलामी होने लगी है तो आप इसको रोकने वाले कहां से आ गये? वह नीलामी होने से रुकेगी नहीं। मैंने उन्हें मज़ाक में कहा था कि न तो मैं जालन्धर को रिप्रैजैन्ट करता हूँ और न ही अमृतसर को। लेकिन, रोहतक को जरूर रिप्रैजैन्ट करता हूँ। रोहतक के गरीब आदमियों के जहां मकान बने हुये हैं, उनको नीलाम करने की यदि सरकार कार्यवाही करेगी तो उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करूंगा और भगवान की दया से उसमें कामयाब भी हुआ हूँ। इसमें भी एक झगड़े की बात है। फर्ज़ किया एक आदमी चाहे वह शक्तिशाली है या नहीं, अच्छी जमीन का मालिक है, उसकी एक लाख रुपये की जायदाद है। जैसे कि मेरे साथी माननीय सदस्य चाहते हैं कि उस मालिक को जो पिछली डेट से मालिक है जमीन से बेदखल न किया जाये, तो जो एक लाख, 50 हजार या 20-25

हजार की जमीन मालिक है, उससे जमीन म्यूनिसीपल कमेटी के मैम्बरों के हवाले करनी पड़ेगी या उसको सुलझाने का क्या तरीका होगा? कितनी कम म्यूनिसिपल कमेटियां हमारे यहां काम कर रही हैं। इसके बारे में अपोजिशन वालों को शिकायत हो सकती है, क्योंकि सरकार ने हमेशा यह कहा है कि फलां कमेटी के अन्दर ईमानदारी के साथ काम नहीं किया गया है, वहां पर यह रियायत हुई है, वहां पर यह हेराफेरी हुई है, इसलिए हमें म्यूनिसिपैलिटी तोड़नी पड़ी है। अपोजिशन वालों को शिकायत हो सकती है कि सरकार शायद शक्ति अपने हाथ में रखने के लिए यह बिल पास करवा रही है। मुझे शक है कि जो अख्तियार हम कमेटियों को दे रहे हैं, उसे वे सही तौरपर न्याय करते हुए और ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसलिए किस ढ़ंग से अख्तियार इस्तेमाल हो, इसके लिए यदि किसी रूल के अन्दर प्रोविजन हो सकता है तो वह किया जाए। इसके अलावा यदि माननीय सदस्य ने जो संशोधन दिया है, उसको न मानना उचित हो, तो ऐसा कर लिया जाए या कोई और संशोधन कर दिया जाए ताकि कमेटियां इस अख्तियार को लत इस्तेमाल न कर सकें। जो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली व पैसे वाला होता है, वह न्याय हासिल कर सकता है। जैसे चौधरी लाल सिंह जी ने कहा है कि लोग कोर्ट में जाएंगे, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा संविधान कायम है और उसको कोर्ट में जाने का हक है, वे कोर्ट में जरूर जाएंगे। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। क्योंकि उनको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीजिफ मिलेगा, जबकि गरीब आदमी रीलिफ लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। गरीब आदमी के लिए तो एक तरह से प्रदेश की सरकार ही हाईकोर्ट होती है, क्योंकि वह गरीबों के लिए सब कुछ कर सकती है। वैसे प्रदेश सरकार को कानूनी तौर पर हाईकोर्ट पर अधिकार नहीं होता। लेकिन वह उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखकर कानून बना सकती है और उसके द्वारा उनका अधिकार अपने पास रख सकती है। अगर फर्ज किया कि कानून में इनको अधिकार न हो तो उसमें संशोधन करने की जरूरत है, जिससे कि गरीब हरिजन शैड्यूल्ड कास्ट्स तथा बैक्वर्ड क्लासिज के लोग जिनको हमने क्लासिफाई किया है, अगर वे कोई मकान बना लेते हैं या कोई जमीन खरीद लेते हैं तो उनको कोई घाटा न हो। इस परिस्थिति को देखते हुए इस विधेयक के अन्दर जो संशोधन हो वह पहले आना चाहिए। अगर विधेयक के अन्दर जो संशोधन लाने की आवश्यकता न हो तो कल के अन्दर संशोधन लाया जाए। यही मेरा कहना है।

# हरियाणा विधानसभा

## सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

---------------------------

### पंजाब नई मंडी शहरी ( विकास और विनियमन ) हरियाणा संशोधन विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, सदन के सामने पंजाब नए मण्डी नगर (विकास तथा विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1971 पेश है। एक मण्डी का मुझे भी ज्ञान है, वह है बवानी खेड़ा की मण्डी। सरकार ने इस मण्डी को डेवेल्प करने की कोशिश की, काफी पैसा खर्च किया। लेकिन मण्डी की डिवैल्पमेंट आज तक पूरी नहीं हो सकी। इसके मायने यह हुए कि उस मण्डी का कामकाज ऐसे महकमे के अण्डर रहा जो चण्डीगढ़ में है और बनाने वाला पी.डब्लू.डी. महकमा है, यानी निर्माण कार्य पी.डब्लू.डी. करता है और उसकी देखभाल कोई दूसरा विभाग करता है। जो काम पी.डब्लू.डी.करता है, उसकी देखभाल ठीक तरीके से नहीं होती और परिणाम होता है कि मण्डी का काम पूरा नहीं हो पाता। अब सवाल पैदा होता है कि इस काम को कौन चलाए? क्या चण्डीगढ़ से देखभाल की जाए? डा. मंगल सैन को गिला है और वह गिला सही भी हो सकता है कि इस काम में कई ज्यादतियां हो सकती हैं। उनका गिला यह था कि लोगों के हाथ से यह उलट बात हो जाएगी, बजाय इसके कि जनता को फायदा हो, नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कुछ कमेटीज़ इलैक्टीड हों, जिससे थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो मैं कह रहा था कि जो काम चण्डीगढ़ में बैठे हुए अफसरों के पास हो तो यह काम सुचारू रूप से

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1) 199-204*

पूरा नहीं हो सकता। जिस मण्डी को पी.डब्लू.डी. ने डिवैल्प करके बना दिया है, जो काम होना था, वह कर दिया। लेकिन उस महकमे का मुझे मालूम नहीं कि कौन देखभाल कर रहा है। शायद यह महकमा चण्डीगढ़ में ही हो। आशा है मंत्री महोदय उसका नाम बताएंगे। क्या सरकारी अफसर चण्डीगढ़ में बैठकर इस काम को सुचारू रूप से चला सकते हैं? जहां तक मैं समझता हूँ, ये नहीं चला सकते। क्या कारण है कि बहुत सारी मण्डियां काफी समय पहले विकसित होना शुरू हुई थी। लेकिन अभी तक पूरे तौरपर विकसित नहीं हुई हैं? क्योंकि पूरे तौरपर वे विकसित नहीं हुईं। इसलिए, लोकल बॉडिज़ के पास वह काम नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे ही काम को पूरा करने के लिए, इन्तजाम को ठीक चलाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है और मैं समझता हूँ कि यह डॉक्टर मंगलसैन और विरोधी दल के दूसरे सदस्यों की ख्वाहिश के मुताबिक है। उपाध्यक्ष महोदया, सिंगोल महोदय ने अपने भाषण में एक खदशा जाहिर किया। मुझे मालूम नहीं कि रूल्ज में उस खदशे का इन्तजाम हो सकेगा या नहीं? मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जिस वक्त एक छोटी कमेटी के पास अख्तियार दे दिए जाते हैं तो सरकार के पास खबर पहुंचते-पहुंचते वहां की हेराफेरी हो गई, काफी समय लगता है। उनकीं इस बात में वजन हो सकता है। मान लो मण्डी के प्लॉट्स हैं। उनकीं नीलामी के लिए कोई कायदे और रूल बने होंगे कि मुनादी बीट ऑफ ड्म होगी या किसी और तरीके से होगी। इन कायदों को शायद म्यूनिसिपैलिटी इस्तेमाल न करे। तो इनके रूल्ज में नीलामी का शब्द जोड़ा जा सकता है या उपनियमों में यह जोड़ा जा सकता है कि नीलामी पहले कायदे के मुताबिक ही होगी। जगर ऐसा हो जाए तो उनको फिर म्यूनिसिपैलिटी चोरी से नहीं बेच सकेगी। इसके साथ ही साथ अब तक जो बोलियां आई हैं, उनको सरकार ने हो सकता है इसलिए न माना हो क्योंकि वे बोलियां बहुत कम पैसे की आई हैं, लेकिन अब देखने की बात यह है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि छोटी-छोटी कमेटियों के हवाले यह काम करने से वे उससे भी कम बोलियों पर उनको छोड़ दे। इस चौकसी को रखने के लिए इस विधेयक में कोई तबदीली करनी पड़े तो वह करनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा आपने कहा आज तो समय भी बहुत है क्योंकि हमने 6 विधेयक पास कराने का फैसला कर रखा है और बोलने वाले बहुत कम हैं। पहले तो आपने भी हमारा मुँह बन्द कर दिया। लेकिन, अब आप भी सोचती हैं कि कोई समय व्यतीत कर दे तो आप इसलिए काफी समय हमारे पास हैं। हम इसके ऊपर सोचें। मन्त्रीमण्डल सलाह कर ले। यह बात नहीं होनी चाहिए कि चूंकि

यह आशंका विरोधी सदस्यों की तरफ से आइ है। इसलिए, यह ठीक नहीं है। कल को कमेटी हो सकता है विरोधियों के हाथ से चली जाए तो उस समय हमको आशंका करनी पड़ेगी। म्यूनिसिपैलिटी किसी पार्टी के अधिकार में नही होती। कल को यह बगैर पार्टी वालों के हाथ में भी हो सकती है। तो एक तरफ से सरकार के रूपए की या आमदनी कीचोरी हो सकती है, उसको रोकने के लिए हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और विधेयक में तबदीली करने की आवश्यकता हो तो करनी चाहिए। यह बात मैं मानता हूँ कि बवानी खेड़ा की हालत को देखते हुए ऐसे विधेयक की जरूरत आ गई है। बवानी खेड़ा को मैंने आज से 6 वर्ष पहले देखा था। आज मुख्यमंत्री जी बात-बात में बता रहे थे कि आज भी उसकी हालत वही है जो आज से 6 साल पहले थी, जब पी.डबल्यू.डी. महकमा मेरे पास था। लेकिन, मेरी गुजारिश यह कि अगर किसी कानून में थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो संशोधन करने का अधिकार सरकार को है, वह करना चाहिए। कहीं एक लती को कम करते करते किसी दूसरी लती में न फंस जाएं और दोबारा फिर उसके लिए अदला-बदली न करनी पड़े, इस बात की भी चौकसी जरूर करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का तो स्वागत करता हूँ। लेकिन, इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदय का ध्यान पहले अपने यहां चलने वाली परिपाटी की और दिलाना चाहता हूँ जिसके द्वारा पहली रीडिंग के शुरू होते ही सम्बन्धित मंत्री अपने बिल के बारे में सरकार की नीति तथा दूसरी बातों का पूरा पूरा ब्यौरा सदन के सदस्यों को देते थे। (विघ्न) यह मैं मानता हूँ कि हर बिल के पीछे स्टेटमैंट ऑफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज में तबदीली के कारणों के बारे में लिखा होता है परन्तु इतना लिखना ही काफी नहीं होता। आज जो जल्दी-जल्दी काम करने की आदत बन गई है उसमें ऐसा लगता है कि शायद ये उस परिपाटी को भूल गए हैं। यह परिपाटी भूलनी नहीं चाहिए चाहे हमको पांच-छ : घन्टे ज्यादा क्यों न बैठना पड़े और अगर हम पांच-छ : घन्टे लेट बैठना न चाहते हों तो एक दो दिन सैशन को और आगे बढ़ा लें। इस बात की तरफ जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कम से कम मंत्री साहब अपने बिल के बारे में, जब वे पास कराने के लिए उसे सदन के सामने पेश करते हैं, बताएं कि क्यों यह बिल लाया गया है? इसको लाने की क्या जरूरत हुई? कितनी हमारे प्रदेश में मंडियां हैं जो काफी समय से विकसित नहीं हुई हैं? बवानी खेड़ा के बारे में तो मैं जानता हूँ। मगर और भी कई मंडियां हो सकती हैं जो काफी समय से पूरी विकसित नहीं हुई हों?

**मुख्यमंत्री ( श्री बंसी लाल ) :** चौधरी साहब, इसकी फाऊन्डेशन किसने

रखी थी ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** पता नहीं, यह स्कीम हमसे पहले ही की है। मैंने तो तोशाम की पानी पिलाने की स्कीम शुरु की थी।

**श्री बंसी लाल :** आपने तो तोशाम में यह भी कहा था कि भाईयो बंसी लाल को नहीं जिताना चाहिए, क्योंकि मुझे इससे खतरा है। (हंसी)

**चौधरी रणबीर सिंह :** ऐसा मैंने कभी नहीं कहा।

**श्री बंसी लाल :** आपने मजाक में यह कहा था।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मजाक में तो मैंने कई बातें कहीं थी, जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि वे घरेलू बात हैं। मैं तो कभी किसी से खतरा नहीं मानता। प्रजातन्त्र में कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए ? (व्यवधान) खतरा तो न मैं पहले मानता था और न आज मानता हूँ, क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन सरकार का राज हाथ में लेने से आरम्भ नहीं हुआ था। मैं तो एक बात जानता हूँ कि अपने विचार रखने के लिए अगर सरकार के जेलखाने का दरवाजा खोलने की आवश्यकता भी पड़े तो खोलना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री को एक थानेदार से फालतू अख्तियार नहीं होते। कचहरी के कटहड़े में थानेदार को भी और जिसको वह पकड़ता है, दोनों को एक साथ नीचे खड़ा होना पड़ता है। मेरी तो बात साफ है। मैं न तो बंसी लाल जी से खतरा मानता हूँ और न गृह मंत्री जी से मानता हूँ।

**गृह मंत्री ( श्री के.एस. पोसवाल ) :** गृह मंत्री से तो किसी को खतरा नहीं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** आजकल तो गृह मंत्री जी भी बड़े तेज हो रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि अगर मेरे हाथ में काम हो तो जो मानयोग सदस्य आजादी के सेनानी रहे हैं, जिन्होंने इस देश के कानून को बनाने में अपना सहयोग दिया है उनके खिलाफ किसी राजनीतिक बिना पर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। यह मैं मानता हूँ कि वे गलतियां भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ लत शिकायतें भी आ सकती हैं। मगर, इस ओर ध्यान देना सरकार का बड़ा अहम फर्ज है। (व्यवधान) आप इस काम को करें या न करें, हमको तो यह देखना नहीं है, जब देखना था तब देखा भी है और आगे जब देखना होगा तो आगे भी देखेंगे। इसलिए, हमको इस बात में कोई घबराहट नहीं है। वित्त मंत्री महोदया हो या कोई मंत्री महोदय हो। मुझे किसी भी महोदया या

महोदय से घबराहट नहीं है। अगर मैंने कहा है और मुख्यमंत्री भी कहते हैं तो मैं उनकी बात को सत्य मान लेता हूँ। (विघ्न)

**श्री बंसी लाल :** (बैठे हुए) मैं ही कह देता हूँ कि आपने कभी नहीं कहा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैंने उन बातों में जिनके विषय में आपको आपत्ति थी उसमें हाथ बटाने की कोशिश की। (विघ्न) अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि जब भी कोई मंत्री महोदय किसी बिल को लायें तो उसकी सदन में पहली सारी जानकारी दें। जैसे कि अभी मैंने बवानी खेड़ा मंडी की बात की है। इसी प्रकार की और भी कई एक मंडियां होंगी जिनके लिए विधेयक में यह संशोधन किया जा रहा है। दूसरी चीज जैसा कि विरोधी दल के सदस्यों ने कहा कि नाजायज तौर पर मैम्बर खुद फायदा उठाना चाहते हैं या कमेटियों के चेयरमैनों को फायदा करवाना चाहते हैं, इसके बारे में सरकार यह विश्वास दे कि ऐसा नहीं किया जायेगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 3 अगस्त, 1971 ई.*

---------------------------

### ध्यानाकर्षण अधिसूचना

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजा था, उसका एक हिस्सा यह था कि कुछ किताबें जो अब हरियाणा में लगी हुई हैं, वही हुबहू किताबें पंजाब में पहले चलती थीं। उन किताबों के दूसरे नाम रख कर यहां हरियाणा शिक्षा बोर्ड में लगवा दिया। इतना ही नहीं उनकी कीमतें भी बढ़ायी गयीं। जिस किताब की कीमत 5 रुपये पंजाब में थी उसी किताब की कीमत हरियाणा में 9 रुपये रखी गयी है। शिक्षा मंत्री जी ने अभी जो उसका जवाब पढ़ा है उसमें सरकार की स्थिति बतायी है। परन्तु, इन कीमतों के बारे में कोई चर्चा नहीं की। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इसके बारे में भी बतायें। मैंने खासतौर पर इसी प्रश्न को उठाया है और आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उन किताबों के नाम दिये हैं। मैंने उसमें लिखा है ये किताबें हूबहू पंजाब में थी, पंजाब में इनकी इतनी कीमत है और हरियाणा में इनको इतनी कीमत पर खरीदा गया है। इसलिए इस विषय में सरकार की स्थिति बताने का कष्ट करें।

**श्री माड़ू सिंह मलिक :** इस विषय में लास्ट पैरे में दिया हुआ है।

I have already stated Sir, that the Government are considering

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 3 Aug. 1971, Vol.I I, No. 2, Page (2) 76-79*

whether the price already fixed is in order or requires any downward revision.

**श्री मंगल सैन :** स्पीकर साहब मंत्री महोदय ने जो जवाब पढ़ा है उसमें कहा है कि गर्वनमैंट सोच रही है। चौधरी रणबीर सिंह जी ने तो यह कहा है कि पंजाब में तो उसी किताब की कीमत 5 रुपये है परन्तु हरियाणा के लिए 9 रुपये कीमत लिख दी गयी है। किताब लिखने वाले ने केवल उसका टाईटल चैन्ज किया हुआ है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रतिलिपि मेरे पास आ गई है। आपकी इजाजत हो तो मैं उन किताबों के विषय में इस प्रतिलिपि से पढ़ देता हूँ। इन्हीं किताबों के विषय में मैंने खासतौर से पूछा था।

**Chief Minister** (Shri Bansi Lal) : This which has been referred to by Chaudhri Ranbir Singh and Dr. Mangal Sein came to our notice some time back and the Government is going to order an enquiry into this matter (*Interruption*).

**चौधरी दल सिंह :** जो किताबें फरोखत की जा रही हैं और लोग उनकी कीमतें दे रहे हैं उनको जिन बुकसैलर्ज़ ने ज्यादा कीमत पर बेचकर हजारों रुपये ले लिए हैं उनके विषय में गवर्नमैंट क्या कोई ऐक्शन लेगी ?

**Shri Bansi Lal :** Whatever possible the Government can do Government will do.

**Mr. Speaker :** I think this is the best thing. The hon. Members should give some suggestions and they are prepared to consider it.

I think this is a very clear reply and the hon. Members should appreciated it (*Interruption*).

**Shri Bansi Lal :** If hon. Members give any good suggestions today, till the rising of the House or any time later, after ten days, a month or at any time, all the good suggestions will be considered and accepted.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजा है, उसमें नम्बर छ : पर लिखा है कि दसवीं कक्षा के लिए 'रीगल जनरल साईंस' नाम की पुस्तक जिसकी स्वीकृति 21 अप्रैल, 1971 को शिक्षा बोर्ड ने प्रदान की थी। वह पंजाब की एक 'औरियन्ट जनरल साईंस' नाम की पुस्तक की हू-ब-हू नकल है।

इस पुस्तक का मूल्य पंजाब में 5 रुपये 35 पैसे है, जबकि हरियाणा में उसी पुस्तक की नकल जिसका नाम 'रीगज जनरल साईंस' है 9 रुपये 35 पैसे रखा गया है।

**श्री अध्यक्ष :** इसका आपको जवाब तो मिल गया है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ठीक हो जायेगा। लेकिन, उसमें एक .........

**श्री बंसी लाल :** यही ठीक नहीं हो जायेगा बल्कि डैटरैन्ट पनिशमैंट देना चाहता हूँ। ताकि वह आगे ऐसा करने की हिम्मत ही न रखे whosoever he may be (तालियां)।

**Mr. Speaker :** Very good.

**चौधरी रणबीर सिंह :** इसी प्रकार से पांचवी श्रेणी के सामाजिक अध्ययन की पुस्तक को, दिल्ली की पुस्तक की हू-ब-हू नकल करके प्रकाशित कर दिया गया है जिसे दिल्ली की पाठ्य पुस्तकों में से भी निकाल दिया गया है, क्योंकि उसे कुछ अध्यापक भी नहीं समझ सके थे। ऐसी पुस्तक जिसको अध्यापक भी नहीं समझ सकें, उसको कोर्स में रखने का क्या फायदा? उसके बारे में भी शिक्षा मंत्री तथा मुख्यमंत्री जी सोच लें।

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

---------------------------

### नियम 30 के तहत प्रस्ताव

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, अभी आपने, वित्त मंत्री साहिबा और मुख्यमंत्री साहब ने भी इस सदन में कहा कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट या दूसरी रिपोर्टस के ऊपर जो बहस है, वह नौन औफिशियल डिस्कशन का पार्ट है। लेकिन, हमारे रूल्ज़ के अन्दर यह चीज बिल्कुल साफ है कि प्राइवेट मैम्बर द्वारा दिये गये प्राइवेट बिल या रैजोल्यूशन ही प्राइवेट डिस्कशन का पार्ट होते हैं। Dsicussion on a report cannot be a part of non-official business. It has to be adjusted on an official day. तो कल क्या हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन, जो हमारे दिलों में ख्याल देने की कोशिश की गई है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट पर डिस्कशन नौन-आफिशियल-डे पर ही हो सकती है यह चीज़ रुल्ज़ के मुताबिक लत है, ऐसी चीज़ औफिशियल-डे पर ही आ सकती है। यह नौन-औफिशियल वर्क का पार्ट नहीं है। इसके बारे में मैं आपकी रुलिंग चाहता हूँ।

**Shri Bansi Lal :** Mr. Speaker, let us dispose of the item moved by me first. Then we will take a decision at 4.30 P.M. We are meeting at 4.30 P.M. to-day when we will take a decision. (*Interruptions*).....

**Mr. Speaker :** The whole confusion has occurred because you, Mr. Syngol, had raised a certain point. (*Interruption*)...... Now we will

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 4 Aug. 1971, Vol. II, No. 3, Page (3)* 53-55

first dispose of and complete this thing. Your request and other things were all heard, they have been considered and a reasonable reply has been given. We will first dispose of this and then we shall deal with orther matter.

**श्री सत्य नारायण सिंगोल :** स्पीकर साहब, बात यह थी कि ट्रिब्यून अखबार के अन्दर यह खबर आई थी कि हाऊस के अन्दर नौन-औफिशियल बिजनैस कोई नहीं है। उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास तो नौन-औफिशियल बिजनैस है।

**श्री बंसी लाल :** ट्रिब्यून ने कभी सच्ची बात तो दी ही नहीं।

**श्री सत्य नारायण सिंगोल :** झूठे पेपर्ज़ को आप ऐडवर्टाइज़मेंट क्यों दें ?......(*Interruption*)........

**Mr. Speaker :** That is too much (*Interruption*)...... Anyway, we are complicating the matter. How can you ask me or anybody else to take cognizance of that one? That Report may be right as far as they are concerned but it may not be so so far as I am concerned.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने ट्रिब्यून के बारे में जो कुछ कहा है, वह हंसी में कहा है। लेकिन, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को हास्य करते वक्त सम्भल कर चलना चाहिए। ट्रिब्यून में सरकारी रिपोर्ट भी छपती है, क्या वह भी झूठी छपती है ?

**श्री बंसी लाल :** चौधरी साहब का नाम ट्रिब्यून वाले आराम से छाप देंगे, ये उनकी बड़ी अच्छी वकालत करते हैं। ............. (हंसी)..........

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि यह चीज न मेरी पार्टी के लिए शोभा की है और न मेरे लिए शोभा का है। न जाने क्या क्या तरीके बरते जाते हैं कि सदन की कार्यवाई कितनी छपे, कितनी न छपे, मैं इस बात के झगड़े में पड़ने का आदी नहीं हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ......... (व्यवधान) ..........

**श्री बंसी लाल :** हम तो सदन की कार्यवाई.... (व्यवधान)...... This allegation is baseless. There is nothing in that. If the Hon. Member wants to plead the case of Tribune somewhere he may...........

**Mr. Speaker :** Let him say. You can reply later.

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, वे बाद में कह लें। जो राय देना चाहें वह बाद में दे दें। हां, मैं कह रहा था कि मैं मानता हूँ कि वे उस बात को कभी गम्भीरता से नहीं कह सकते। उन्होंने हास्य में ही यह बात कहीं होगी। अगर उनके कहने का कोई दूसरा मतलब हो तो मैं उनसे आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वे इसको सही कर दें। अगर ये सही न करेंगे तो यह आपको देखना है कि इसके बारे में क्या कार्यवाई करनी है?

**श्री बंसी लाल :** ट्रिब्यून में उनके नाम छपवाने के लिए काफी मसाला आ गया है...... (व्यवधान) ट्रिब्यून कितना सच छापता है, यह ऑनरेबल मैम्बर ने बताया है। ट्रिब्यून में छपा है कि कोई नौन-आफिशियल बिजनेस है या नहीं। सदाकत तो यही आ गई कि यह कितना सच्चा है।

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

---

### हरियाणा विनियोग ( नं. 3 ) विधेयक

**उपाध्यक्षा :** हाऊस एक घण्टा के लिए ऐक्सटैंड किया जाना है, जबकि तीन बिल अभी और पास करने वाले रहते हैं। 6 बजे गिलोटीन ऐप्लाई किया जाएगा, अभी 15-20 मिनट और रहते हैं इसलिए आप जल्दी खत्म करें।

**राव दलीप सिंह :** मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा आपका धन्यवाद करता हूँ और इतना ही कह कर अपनी जगह लेता हूँ।

(इस समय चौधरी रणबीर सिंह बोलने के लिए खड़े हुए)

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, लीडर ऑफ दी हाऊस ने मुझे लिखकर भेजा था कि गवर्नमैंट की तरफ से सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा दो मिनट के लिए जवाब देंगी। इसीलिए, स्पीचिज के लिए आपोजीशन वालों को टाइम दिया गया है। आप अगर बोलना चाहते हैं तो हमको हाऊस और ऐक्सटैंड करना पड़ेगा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा चीफ मिनिस्टर साहब, यहां पर यह कह कर गए हैं कि जो मैंबर कल नहीं बोले हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए।

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 4 Aug. 1971, Vol. II, No. 3, Page (3) 96-98*

**उपाध्यक्षा :** जी नहीं, आप बैठिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक भी नौन–आफिशियल मैंबर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने का मौका नहीं दिया गया।

**Deputy Speaker :** This is the decision of your party.

**चौधरी रणबीर सिंह :** मुझको मालूम नहीं है, जो आप कह रही हैं। वह तो अब यहां पर कह कर गए हैं कि जिनको कल बोलने का मौका नहीं मिला था वह बोल सकते हैं। उसके मुताबिक मैं खड़ा हुआ हूँ।

**उपाध्यक्षा :** नहीं, चौधरी साहब आप बैठिए, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो मैंने बताया है वही फैसला किया था। मैंने 6 बजे गिलोटीन अप्लाई करना है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** कांग्रेस पार्टी के जो बैक बैंचर्ज़ हैं उनको भी तो बोलने का समय मिलना चाहिए चाहे मुझे आप समय न दें। लेकिन, मुझे एतराज है कि जो नॉन–आफिशियल मैंबर हैं उनका आपने टाईम नहीं दिया है। समय का देने का जो काम है वह चेयर के हाथ की बात है, मुख्यमंत्री साहब ने अगर आपको कोई बात कही है तो उससे आप के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं आयद होती।

**उपाध्यक्षा :** आपकी वित्त मंत्री साहिबा बैठी हुई हैं अगर वह चाहें तो मै ंआपको थोड़ा सा टाईम टाईम दे सकती हूँ।

**श्रीमती ओम प्रभा जैन :** आप 6 बजे गिलोटीन एप्लाई कर दीजिए।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, आप दस मिनिट के लिए बोल सकते हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** जिस तरह से कार्यवाही चल रही है, आपने एक भी कांग्रेस के नॉन–आफिशियल मैंबर को नहीं बुलाया।

**Deputy Speaker :** You may ask from your leader about this.

**चौधरी रणबीर सिंह :** मुख्यमंत्री साहब कह कर गए हैं कि मुझको कोई एतराज नहीं है। लेकिन, अगर आप अपनी जिम्मेवारी पर न बोलने देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है।

**उपाध्यक्षा :** मैंने 6 बजे गिलोटीन लागू करना है। हाऊस अगर चाहे तो वह जितनी मर्ज़ी सिटिंग का समय बढ़ा ले मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी तक हमारे नॉन-औफिशियल मैंबरों में से कोई नहीं बोला। अगर आप उनके बोलने में रोक लगाना चाहते हैं तो मुझको कोई एतराज नहीं है।

**उपाध्यक्षा :** मेरा यह डिसिजन है कि मैंने 6 बजे गिलोटीन लगाना है और जो टाईम ऐक्सटेंड करना है वह जो दूसरे बिल रहते हैं उनके लिए है। अगर औनरेबल मैम्बर बोलना चाहें तो वह दस मिनिट के लिए बोल सकते हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह कौन सा रूल है जिसके मुताबिक आप गिलोटीन लगा रही हैं? गिलोटीन जो है वह तो सदन की मंजूरी के साथ लगता है। मुख्यमंत्री साहब कहकर गए हैं कि जितना कोई चाहे उतना ही बोल सकता है लेकिन आप मुझको गैग करना चाहती हैं, इसलिए मैं बतौर प्राटैस्ट कोई बात नहीं कहूँगा।

**उपाध्यक्षा :** अगर चौधरी साहब चाहते हैं तो मैं रूल कोट कर देती हूँ -

The rule reads -

"...... the Speaker shall at 6 O' clock on the allotted day or, as the case may be, the last of the allotted days, forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which the day or days have been allotted.

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

----------------------------

### हरियाणा विनियोग ( नं. 3 ) विधेयक

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, सदन में इतनी गर्मा गर्मी पैदा हो गई......।

**उपाध्यक्षा :** आप अपनी बात कहें, गर्मी न कहें। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो पांच मिनट ऐसे ही खत्म हो जायेंगे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** ऐसा नहीं है, मुझे कोई बुखार नहीं है। अगर, आप चढ़ाना चाहें तो मुझे एतराज नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वह रूल 225 को गवर्न करती हुई कही है। अब वित्तमंत्री महोदया समझती हैं कि मुख्यमंत्री ने ऐप्रोप्रिएशन बिल के लिए टाईम बढ़ाने के लिए नहीं कहा था। चलो मैं उनकी बात मान लेता हूँ क्योंकि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी सांझी होती है। अगर वे इस बात को कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं कि रूल के मुताबिक 6 बजे गिलोटीन लागू होना है। लेकिन जिस तरीके से वार्ता शुरू हुई उसके मुताबिक बात थी नहीं ? जब मुख्यमंत्री जी उठे थे तो कहा था कि क्या आप जवाब देने के लिए उठे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इण्टरवीन कर रहा हूँ। (विघ्न)...... जब मैं बोलूंगा उस वक्त बताऊंगा कि यह इनके ऊपर भी लागू है या नहीं लेकिन इस वक्त मैं अपनी पार्टी के

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 4 Aug. 1971, Vol. II, No. 3, Page (3) 102-109*

खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता। 6 बज गये हैं। मुझे अब बोलना ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी पार्टी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करनी है।

**चौधरी जय सिंह राठी :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या मुझे टाईम नहीं दिया जाएगा ?

**उपाध्यक्षा :** 20 मिनट इस बहस में खराब हुए हैं, आपको टाईम नहीं मिलेगा ........ (शोर)

**चौधरी जय सिंह राठी :** आप हमें टाईम नहीं देना चाहती। इसलिए, मैं प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करता हूँ।

(इस समय चौधरी जय सिंह राठी वाक आउट कर गए)।

## RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE HARYANA APPROPRIATION NO. 3 BILL

**उपाध्यक्षा :** अगर थर्ड रीडिंग पर कोई मेम्बर बोलना चाहें तो उसे मैं पांच मिनट टाई दे दूंगी। छ : बजे मैंने गिलोटीन लागू करना है। (व्यवधान)

6.00 बजे – वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों का उत्तर दे दिया है, मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है। चौधरी चांद राम जी ने इस बात का जिक्र किया कि सप्लीमैंटरी बजट ऐम्पलायमेंट औरिएंटिड बजट नहीं है। उन्होंने हमारे बजट को ऐम्पलायमेंट औरिएंटिड नहीं समझा। वे जानते हैं कि फूडग्रेन्ज कितनी प्रोक्योरमेंट कर रही है। इससे छोटे किसानों को फायदा पहूँचेगा। दो करोड़ सड़कों के लिए मांगा गया है। उसके ऐम्पलायमेंट पोर्टन्शियल्ज भी बड़े जबरदस्त हैं। लोगों को ऐम्पलायमेंट मिलेगी। इसके अतिरिक्त औगमैण्टेशन ऑफ ट्यूबवैल्ज, माइनर इरीगेशन कार्पोरेशन तथा और भी कई काम हैं, जिनसे जनता को फायदा होगा। उन्होंने तो दो–चार छोटी आइटम्ज रैस्ट–हाउसिज की हो लेकर अपनी सारी स्पीच बेस की। मैं यह समझती हूँ कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हरियाणा स्टेट ने इतनी डिवैल्पमैण्ट का इतना बड़ा टैम्पो क्रिएट किया है, जिसके कारण बड़ी जब्रदस्त ऐम्पलायमैन्ट हुई है। यह मैं समझती हूँ कि अन–ऐम्पलायमैण्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन, दूसरी स्टैट्स की निस्बत और बाकी देश की निस्बत हमने इसे कम करने में बहुत सहायता दी है। मेरे पास डायरैक्टर जनरल ऐम्पलायमैण्ट एंड टेर्अनिंग की रिपोर्ट.......।

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, यह जो बिल और डिमांड्ज हमने तकरीबन पास कर दी हैं और अब आखिरी मोहर लगाने जा रहे हैं इस सिलसिले में जो शब्द मैंने पहले कहे हैं उनको मैं दुबारा नहीं दोहराना चाहता। लेकिन, इतना जरूर कहूँगा कि आज की कार्यवाही कोई अच्छे तरीके से या जो हमारी परिपाटी थी, उसके मुताबिक नहीं चली। मुझे दु :ख है कि मैंने भी कुछ चेयर के बारे में कहा जो मैं आज तक कभी नहीं कहा करता था। उसके लिए चूंकि उन हालात में मैं मजबूर था। इन्सान को शराफत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ में यह बात कहना चाहता हूँ कि अनुपूरक की पहली किश्त जो हाऊस के सामने आई हैं उसके ऊपर जितनी बातें और टीका-टिप्पणी हुई है उसका सम्बन्ध डिमांड्ज से बहुत ज्यादा नहीं था। प्रदेश की कार्य प्रणाली किस तरह से चल रही है उससे उन बातों का सम्बन्ध हो सकता है? डिमांड्ज़ का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें से 14 करोड़ 70 लाख तो अनाज खरीदने के लिए है। हां, इसमें एक बात जरूर कही जा सकती है। मुझको मालूम नहीं कि कृषि विभाग का यह जो पर्चा, पैम्फलैट है, यह हमारे पास ही भेजा जाता है या वित्त मंत्रालय के पास भी भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय का अनुमान कि हमारे प्रदेश के अन्दर कितना अनाज पैदा होगा, क्यों लत साबित हुआ? क्यों न पहले पैसा ज्यादा मांगा? इसमें मैं समझता हूँ कि जहां कृषि विभाग और किसानों ने हरियाणा को आगे ले जाने के अन्दर एक बहुत बड़ा कदम उठाया वहां वित्त मंत्रालय से चूक भी हुई क्योंकि उनका अनुमान लत निकला। उनको यह पैसा पहले ही मांगना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदया, प्रदेश के अन्दर अनाज की पैदावार और भी बढ़ाई जा सकती है और यह रूपया इससे दुगुना-तिगुना मांगा जा सकता है। महन्त गंगा सागर जी ने पंजाब का मुकाबला करते हुए बहुत सी बातें कहीं। यह बात दुरस्त है कि हरियाणा ने तरक्की की है। लेकिन, अगर इस वक्त की तरक्की का और पंजाब जितना अनाज दूसरी स्टेटों को आज देता है तथा उससे कुदरती तौर पर जो प्रदेश की तथा लोगों की आमदनी बढ़ती है उसका मुकाबला पंजाब से करें तो उसके मुताबिक हम उनके मुकाबले में नहीं हैं। हम आगे जा सकते हैं, मैं मानता हूँ।

हमारे बिजली और सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय आ गए हैं, इसलिए उपाध्यक्ष महोदया, एक-दो बातें मैं इनकी सेवा में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश की जितनी बद-रोह हैं, ड्रेन्ज़ हैं, उनके साथ-साथ 11 के.वी. लाईन लगा दी जाए। जमुना की नहर जो है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह एक तरह से चावल पैदा करने

वाली नहर है। वह सारे साल की नहर एक नाम के तौर पर है क्योंकि दो-तीन महीनों के अन्दर जमुना में इतना पानी होता है, जिससे जितनी हमारी नहरों की शक्ति पानी बहाने की है या पानी ले जाने की है, वह उसको पूरा कर चला सकती है और उस दौरान केवल चावल ही पैदा हो सकता है। करनाल जिला ही नहीं, रोहतक जिले के हर गांव में और हर उस भूमि में जिसमें नहर की सिंचाई होती है या हर उस भूमि में जहां बद-रोह के पानी को उठा करके खेत में डाला जा सकता है, चावल पैदा किया जा सकता है, हर उस भूमि के अन्दर जहां चावल पैदा होता है वहां सी-306 गेहूँ भी पैदा हो सकती है और हम पंजाब का मुकाबला कर सकते हैं जो कि हमको करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे प्रदेश के लोगों ने और सरकार ने काफी कोशिश इस ओर बढ़ने की है और काफी हम आगे बढ़े हैं। लेकिन, अभी भी आगे जाने की बहुत जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूँ कि हमारे प्रदेश की सरकार ने, खास तौरपर वह अंग जो पिछड़े हुए हैं, खास तौर पर वे भाई जिनको विधान में संरक्षण दिया गया है, उनके बारे में यदि कोई ऐसी कार्यवाही कर दी हो जैसी कि कमिश्नर महोदय के बारे में चौधरी चांद राम ने अपनी बात कहते हुए चर्चा की तो उसकी तरफ हमको ध्यान रखना चाहिए। गरीब के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले हमें काफी सोचना चाहिए। मैं कोई कवि तो नहीं हूँ और वह कविता मुझे याद भी नहीं है। परन्तु, गरीबदास ने कहा है कि -

'गरीब को मत सता, अगर गरीब रो देगा तो दीन दुनिया से खो देगा'

इसलिए अब मैं क्या कहूँ? क्या आप अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि हम सोलह आने ईमानदार हैं। हम दूसरों के विषय में जब यह कहें कि तुम बेईमान हो, तब हमें पहले अपनी तरफ देख देना चाहिए कि हम क्या हैं? बेईमानी को हम रोकना चाहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वयं भी बेईमानी न करें। हसमें कोई शक नहीं कि हमारे मंत्रालय ने काफी काम किया है। कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता है। मैंने एक सवाल दिया था। परन्तु, अभी तक मुझे कोई ब्यौरा नहीं मिला लेकिन मेरा अनुमान है कि जहां हमारे मंत्रियों को 1500 रुपये माहवार तन्खाह मिलती है, वहां साथ ही साथ वे 1300-1400 रुपये महीना रोजाना भत्ते का भी ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मुझको याद है कि जब आप डिप्टी चेयरमैन थीं, चौधरी चान्द राम जी भी मिनिस्टर थे और मैं भी उस वक्त मिनिस्टर था। उस समय हमको 1500

रुपये माहवार तन्खाह मिलती थी। लेकिन, सन् 1962 के अन्दर जब मिनिस्टरों की तादाद ज्यादा बढ़ गई तो 700 रुपये महीना तन्खाह कम कर दी गयी और हमें 800 रुपये महीने की तन्खाह मिलने लगी। परन्तु, आज के मिनिस्टरों को 1500 रुपये तन्खाह मिलती है और भत्ता अलग से मिलता है। इस प्रकार से 1 लाख 85 हजार आयकर का सरकार को और जनता को उनका देना पड़ेगा। इसलिए यह सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी रकम भत्ते की और तन्खाह की जो मिनिस्टर्ज़ लेते हैं क्या यह ठीक है? इसके अलावा भी उपाध्यक्ष महोदया चौधरी प्रताप सिंह दौलतपुर ने अभी कहा कि और भी बहुत खर्चे हैं जिनका कोई अनुमान नहीं है। मुझे याद है कि जब सरदार प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर थे उनके वक्त में एक फैसला किया गया था कि कोई मंत्री 10 दिन से ज्यादा भत्ता नहीं लेगा और किसी मंत्री के पास अपनी कार है तो वह 1000 या 1500 मील से ज्यादा का मील भत्ता चार्ज नहीं करेगा। अगर अपने प्रदेश में किसी काम के लिए बाहर जायेगा तो उसके लिए अलग होगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि आप भी मंत्रियों को हिदायत करें कि वे अपने हल्के में रहें तो उसका रोजाना भत्ता खजाने से न लें और दूसरे अब तो चुनाव भी आने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि किसी प्रदेश में इतना विवेकाधीन अनुदान राज्यपाल महोदय के लिए नहीं रखा गया है जितना कि हमारे प्रदेश में रखा गया है। अब पता नहीं यह इतना ज्यादा क्यों रखा गया है? शायद ये गरजते हुए बादल आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन का हमको ध्यान दिलाते हों। यदि ऐसा भी है तो भी हमें सोचना चाहिए। हमको इस विषय पर गौर करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर महोदया, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब में जो कार्यवाही हो रही है वह कल को हमारे यहां भी हो सकती है चाहे वे हमारे अफसर हैं, चाहे हम लोग हैं, हमें पंजाब से सबक सीखना चाहिए।

चौधरी चांद राम जी ने एक चीज़ का अभी जिक्र किया था कि एक नहर बन रही है उस पर 13 करोड़ रुपया या 15 करोड़ रुपया खर्च होगा। वह पक्की नहर बनेगी। यह नहर जगाधरी से लेकर मुनक तक बनेगी। उन्होंने अन्दाजा लगाकर बताया कि 500 क्यूसिक पानी नलकूपों से पड़ेगा और साढ़े चार सौ क्यूसिक पानी जो जमीन में जज़्ब होता है वह नहर में बचाया जा सकेगा। बड़ी अच्छी बात है नहर बननी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में जुई कैनाल बनी और एक इन्दिरा कैनाल बन रही है। जब पिछले दिनों चौधरी चांद राम मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे और मैं

बिजली तथा सिंचाई मंत्री था उस वक्त ड्रेन नम्बर आठ के अन्दर एक रेगूलेटर और नहर पर 34 लाख रुपया खर्च के लगवाया गया था। एक बार इसी मंत्रालय ने मेजर अमीर सिंह के सवाल के जवाब में यहां सदन में बताया था कि नहर के विशेषज्ञों ने यह राय दी है कि यह जो रेगूलेटर लगाया है या नहर बनाई गई है यह टैक्नीकली ठीक नहीं है। परन्तु, आज मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती कि जिन विशेषज्ञों ने यह राय दी थी कि यह स्कीम टैक्नीकली लत है, आज के दिन उन्हीं विशेषज्ञों ने उस स्कीम को सही माना है। यह स्कीम हमारे वक्त में चालू की गई थी। मैं यह मानता हूँ कि हमारे प्रदेश के अन्दर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हरियाणा के एक एक टिब्बे पर पानी पहुँचाया जाये ताकि किसान अच्छी खेती कर सकें। किसान अपने लिए भी पैदा कर सकें और प्रदेश के लिए भी आमदनी बढ़ा सकें। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि यह जो तरीका है जैसा कि कल कहा गया कि हम रैस्ट-हाउसिज़ इसलिए बनाते हैं कि हमारे अफसरों को 12-15 घण्टे काम करना पड़ता है, इसलिए उनको आराम के लिए जगह भी चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो मज़दूर मिट्टी का काम करते हैं क्या उनको रैस्ट-हाउसिज़ की जरूरत नहीं है? जो आदमी मेहनत से काम करते हैं उनको रैस्ट की ज्यादा जरूरत है। जिस आदमी ने मेहनत से काम किया हुआ है उसको पड़ते ही नींद आयेगी। जो आराम का काम करते हैं उनको ठंडी जगह चाहिए यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो इंजीनियर हैं वे अगर काम करते हैं तो उनको फौरन नींद आयेगी। उनको नींद लाने के लिए इतने रैस्ट-हाउसिज़ की जरूरत नहीं है। रैस्ट-हाउसिज़ पर जो खर्चा हो रहा है, वह तो बहुत बड़े साहूकार प्रदेश के नाते खर्च हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसमें कमी हो। एक बार जब मैं जिला परिषद् की मीटिंग में रोहतक गया तो वहां पता लगा कि जिला परिषद् का रैस्ट-हाऊस भी ऐयर-कंडिशन्ड बन रहा है। हो सकता है उसमें सरकार का हाथ न हो। मुझे तो उसको देखकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। मैं नहीं समझता कि जब चौधरी चांद राम जी मिनिस्टर थे और मैं भी मिनिस्टर था, उस वक्त क्या बात थी और अब क्या हो गया? पता नहीं हम ही पिछड़ गये या प्रदेश बहुत आगे चला गया। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदया, यह घण्टी आखिरी मिनट की है या दो मिनट पहले की है?

**Deputy Speaker :** Please do not waste your time in talking. You can speak for two minutes more.

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया मैं जानता हूँ कि नहरों का बनाना

बहुत जरूरी है। परन्तु, साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि जिन किसानों के खेतों में नहरें निकलती हैं, उनको उजाड़ना नहीं चाहिए। उनको भी बसाया जाना चाहिए। जो कच्ची नहरें हैं, वे कितने क्यूसिक पानी के लिए हैं और उनके नीचे की जमीन कितनी एकड़ है, यह मुझे पता नहीं है। उनके नीचे की जमीनों को बड़े-बड़े बुलडोजर लगाकर ठीक और एकसा करके दिया जा सकता है। लेकिन, वे उसी हालात में दी जा सकती है, अगर उन नहरों को पक्का कर दिया जाए। (घंटी की आवाज) आपने दो मिनट के लिए कहा है। आपने तो एक मिनट के अन्दर ही घण्टी बजानी शुरू कर दी। इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी नहरों के पास की जमीन हो या कोई और जगह हो, सड़क के पास की जमीन हो या रेलवे के पास की जमीन हो, वह ले करके उन किसानों को दे दी जाए, जिन किसानों की जमीन हमने नहरों के बनाने में इस्तेमाल की है। इससे हमारे प्रदेश को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा। किसानों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और कायदे-कानून के मुताबिक सब चीजें हों। उनका जो भी मुआवजा बनता हो तो वह दिया जाये।

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

---------------------------

### पंजाब यात्री एवं माल कराधान ( हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण ) विधेयक

**Deputy Speaker :** Motion moved —

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, यह विधेयक हम पास करने जा रहे हैं लेकिन मंत्री महोदय ने सदन को इस बात का ज्ञान नहीं कराया कि इसके पीछे क्या भावना थी ? जहां कुछ अदालतों के फै सलों का जिक्र आया, मैं समझता हूँ कि इसके साथ-साथ अखबारों के अन्दर एक चर्चा हुई जिसका मतलब यह था कि हरियाणा प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का गाड़ियों के चलाने के बारे में कुछ झगड़ा था। उपाध्यक्ष महोदया, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना कि वह लत था या ठीक था लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि दोनों प्रदेशों के अन्दर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर हरियाणा प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ इतना गूढ़ सम्बन्ध ......

**Chief Minister** (Shri Bansi Lal) : Madam Deputy Speaker, on a point of order. My point of order is that the hon. member is speaking

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 4 Aug. 1971, Vol. I, No. 3, Page (3)* 115-118

irrelevant on this subject, because that is not touched any where in this Bill. It is entirely a separate Bill and Himachal and Haryana dispute does not come here anywhere. Such discussion should not be allowed like this. It is not covered by the clauses of the Bill.

**उपाध्यक्षा :** अगर आप बोलना ही चाहते हैं तो बिल पर ही बोलें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** आप मेरा निवेदन सुन लें, उसके मुताबिक अगर आप यह समझें कि मैं बिल पर बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोलने देना।

आप जानती हैं कि यह बिल इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जो जाने वाली गाड़ियां हैं, कितनी ऑनी चाहिएं और कितनी जानी चाहिएं? इसी सिलसिले के अन्दर हरियाणा प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में कुछ तनाव ......

**श्री बंसी लाल :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा प्रान्त का और हिमाचल प्रान्त का आपस में टेक्सेशन के ऊपर कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। That was entirely a different thing. Their decision was their internal matter and our decision is our internal matter. Thi sis absolutely irrelevant.

**Deputy Speaker :** I would request the honourable member that he should speak only on the Bill.

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, जैसा मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि अगर यह बात उनके मंत्रिमण्डल का कोई सदस्य पहले कह देता तो मैं कोई बात नहीं करता। अब वे कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वह ठीक होगा। लेकिन, मेरा मन तो नहीं मानता......(शोर) (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य प्रिंसिपल ईश्वर सिंह पदासीन हुए।)

सभापति जी, मुझे चर्चा की आदत नहीं है। लेकिन, कई दफा ऐसा होता है कि किसी की बात का उत्तर न दिया जाए तो ऐसा समझा जाता है कि वह कसूरवार है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं, उनके साथ गाड़ियों के सम्बन्ध में अगर कोई झगड़ा हो तो उसका शान्ति से फै सला किया जाए। इसी बात की ध्यान में रखकर अगर कोई आपसी विरोध हो और आपस में मिलकर चर्चा आदि करके झगड़ा खत्म हो सकता हो तो उसे खत्म करने की कोशिश करें।

**चौधरी लाल सिंह :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। चौधरी साहब ने जो

बात कही है वह ठीक नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा हल्का हिमाचल के साथ लगता है। मैं हरियाणा सरकार को इस बात की मुबारिकबाद देता हूँ......

**Chaudhri Jai Singh Rathi :** On a point of order, Sir.....

**Mr. Chairman :** No point of order on a point of order please. Chaudhri Lal Singh may cintinue.

**चौधरी लाल सिंह :** चेयरमैन साहिब, मैं हाऊस को बताना चाहता हूँ कि हिमाचल की सरकार ने जो पन्द्रह रुपए स्टेट में दाखल होने के और पन्द्रह रुपए निकलने के लगाए यह बड़ी भारी ज्यादती थी, हमारी सरकार की कोई ज्यादती नहीं थी, हमारी सरकार की कोई ज्यादती नहीं थी। हमें सरकार की सराहना करनी चाहिए।

**Mr. Chairman :** This is no point of order.

**श्री बंसी लाल :** चेयरमैन साहब, मैं एक और चीज आपके नोटिस में ला देता हूँ। चौधरी रणबीर सिंह ने बड़े जोर का भाषण दिया कि झगड़े आपस में नहीं होने चाहिएं। पप्सू रोडवेज ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन का और हमारा फै सला हो चुका था। दोनों गवर्नमैंट्स ने कमिट कर लिया था। यह श्रीमान् जी उस कमेटी के चेयरमैन बन गए और अस्सैट्स और लाएबिलिटीज बांटने के मामले को इन्होंने इतना उलझा दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। वरना, अभी तक हमारा हिस्सा मिल गया होता।

**चौधरी रणबीर सिंह :** ऑन ए पर्वनल ऐक्सप्लेनेशन, सर। चैयरमैन साहब। कभी भी इन्सान लती कर सकता है। मैं लती कर सकता था। लेकिन, वहां तो उस समिति के अन्दर 15-20 सदस्य थे। चलो वह भी लती कर सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री उनका मंत्रिमण्डल और उसके साथ इतना बड़ा सचिवालय जो है, उसके ऊपर यह बाइंडिग, तो नहीं है कि जो हम कहें वे उसे माने या जो समिति कहे वे उसे माने। अगर ये कहलवाना ही चाहते हैं तो मैं कह देता हूँ कि आज तक समिति की रिपोर्ट लिखने ही नहीं दी गई।

**श्री बंसी लाल :** अगर रिपोर्ट लिख देते तो बिल्कुल ही डूबो देते।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं उनका मश्कूर हूँ कि प्रदेश के हित के लिए हमने जो सिफारिश की थी उस सिफारिश को इन्होंने आगे पहुँचाया। वह कोई झगड़ा पैदा नहीं करती। 60-70 करोड़ का वह हिसाब है। उससे हमारे प्रदेश को कुछ फायदा हो जाए तो मैं उनका मश्कूर होऊंगा कि उन्होंने हमको मौका दिया था और हमारे कहने

पर केस भेज दिया था। बेशक यह हमको चार गाली ही सुना दें।

**श्री सरूप सिंह :** चेयरमैन साहब, यह साधारण बिल है। मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस है और खासकर चौधरी रणबीर सिंह पर जो कि एक पुराने सियासतदान हैं और हर बिल को पढ़ते हैं, इस बिल में से उन्होंने कुछ निकाला नहीं। जैसा कि वह हरियाणा और हिमाचल का जिक्र इस पर बोलते हुए कर रहे थे, मैं सदन को बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा और हिमाचल का इस बिल के अन्दर कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन साहब, इतनी बात है कि हाईकोर्ट का फैसला हुआ था और ट्रकों पर जो माल हरियाणा से गुजरता है, उसके लिए पहले 'प्लाई' शब्द लिखा हुआ था। 'प्लाई' का मतलब है लोडिंग और अनलोडिंग। अगर कोई ट्रक माल को सीधा ले जाए तो वह न लोडिंग करता था और न अनलोडिंग करता था, इस वास्ते हम उस पर टैक्स नहीं लगा सकते थे। इस साधारण अमैण्डमैंट के जरिए अब हमने 'प्लाई' के बदले 'कैरी' कर दिया है, जिससे हम उसी ढंग से काम चलाते रहें। साथ ही यह भी फैसला हुआ कि जो टैक्स लिया है उसको भी वापिस करना चाहिए, उसको भी वैलीडेट करने के लिए एक क्लाज डाली हुई है। इसके अलावा यह भी है कि हमारी टैरिटरी में से दूसरी रियासतों के ट्रक वगैरह गुजरते हैं। यह उनका औप्शन है कि यह तो वे लम्पसम में पैसा दे दें या जितना माईलेज कवर करते हैं, उस हिसाब से दे दें।

# हरियाणा विधानसभा

## बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

----------------------------

### पंजाब सहकारी समिति ( हरियाणा संशोधन ) बिल

**Mr. Chairman :** Motion moved —

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once

**चौधरी रणबीर सिंह :** सभापति महोदय, अभी–अभी मंत्री जी ने कहा कि मैं पढ़कर आता हूँ। उन्होंने मेरे प्रति जो अच्छे शब्द कहे, उनके लिये मैं उनका मश्कूर हूँ। उनकी मेहरबानी है कि कम से कम उन्होंने यह तो मान लिया है। यहां तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इस बात को भी नहीं मानते। लेकिन, इन्होंने जो दूसरी बात कही उसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था कि चौधरी साहब ने जो बात कहीं है उसे अगर वे पहले ही कह देते तो मुझे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभापति महोदय, यह जो बिल रखा गया है, आज ही हमको सदन में आने के बाद मिला और यह कागज़ों में जो मेरे पास है, सबसे आखिर में लगा हुआ है। आखिर वाले को ये सबसे पहले ले आये। इस चीज से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अगर हम पढ़ न पायें तो हमारा कसूर कितना है और यह जो तेजी से काम चलाने की परिपाटी है उसका कसूर कितना है? (विघ्न)

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 4 Aug. 1971, Vol. I, No. 3, Page (3)* 119-122

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** चौधरी साहब, एजैंडा देख लो।

**चौधरी रणबीर सिंह :** बहुत अच्छा महामन्त्री जी, आप पढ़ कर आये हैं, धन्यवाद। सभापति महोदय, अभी वही बात मैं आपसे कहने लगा हूँ। जो विधेयक इन्होंने पेश किया है उसके स्टेटमैंट ऑफ आब्जैक्ट्स ऐंड रीजंज़ में क्या लिखा है यह देखने वाली बात है। देखिये कितनी कमाल की ड्राफ्टिंग की है। कितनी होशियारी से लिखा जाता है इससे आपको ज्ञान हो जायेगा -

"The intention of the Government in adding a new sub-clause (d)..........."

यहां कहते हैं कि ऐक्सप्लेनेशन ऐड किया है। मुझको कोई एतराज नहीं था। अगर, ये शुरू में यह कहते कि यह जो ऐग्जिसटिंग सब-क्लाज 'डी' है। इसकी जगह यह नया सबस्टीच्यूट कर दिया जाये तो वह भी मैं समझ सकता था। लेकिन, यह इनकी शुरू की फे जोलौजी है। अगर, एक बार फिर आप सारी को पढ़ जायें तो यह इनका मुद्दा है जिसके लिये यह लाये हैं। इससे जो मतलब निकलता है वह बिल्कुल ही उल्टा है। आप जानते हैं कि यह किसलिये लाये हैं? क्योंकि, किसी सोसायटी के अन्दर सोसाइटी डिफालटर हो जाती है, वह भी लाने की आवश्यकता थी या नहीं थी? उसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा। एक सोसाइटी जो है वह सोसाइटी डिफालटर हो गई। लेकिन, जो सदस्य है वह डिफालटर नहीं है। वह अपना पैसा वक्त पर अदा करता है या लोन नहीं लेता है तो वह भी नुमांयदे के तौर पर नहीं भेजा जाता। इसलिये, इनको इस बात के लायक किया है कि जो आदमी चुना जाता है और उसके ऊपर कर्ज नहीं है। उसे सोसाइटी की तरफ से, चाहे सोसाइटी डिफालटर हो, राय देने का हक है। फिर, आगे चलकर मंत्री महोदय ने कहा कि यह बिल हम इसलिये लाये क्योंकि मैंबर के माने कई दफा सोसाइटी भी होता है। सभापति महोदय, मैं इसमें इस सदन की बात नहीं कहता लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि जिसने यह इन्टरप्रेटेशन निकाली है, क्या यह सही थी? उसमें 'डी' में लिखा है 'ए मैंबर इन डिफालट'। 'ए मैंबर सोसाइटी' में 'ए मैंबर और 'ए मैंबर सोसाइटी' भी आ सकता था। मैं मानता हूँ कि पहले जिन्होंने यह विधेयक बनाया था, उनका कोई इरादा नहीं था कि किसी सोसाइटी को डिफालटर किया जाये। जो सरकारी आज्ञा निकलती है, उसमें यह धक्का-धक्की अपने मन की बात चलाने के लिये फंसा दिया। इस विधेयक के बगैर यह जो कार्यवाही करना चाहते थे वह कर सकते थे। इसके अन्दर सही लिखा है 'ए

मैंबर इन डिफालट'। 'ए मैंबर इन डिफालट' या 'मैंबर सोसाइटी इन डिफालट' ऑना चाहिये था। पहले विधेयकों के मुताबिक जिस तरीके से यह महकमा कार्यवाही चलाता रहा है उसके मुताबिक अगर इनका इरादा होता तो इनके लिये कोई मुश्किल नहीं थी कि 'मैंबर सोसाइटी' लिखते। बिल्कुल उनका इरादा 'मैंबर' ही था। लत तरीके से हम काम चलाते रहे हैं और लोगों को परेशान करते रहे हैं। अच्छा हुआ चौधरी सरूप सिंह जैसे समझदार और पढ़ने वाले मंत्री हमारे इस महकमे को मिले हैं और जो लत कार्यवाही हो रही है, उसको देख करके इस महकमे में सुधार करने की कोशिश हुई है। इसके साथ-साथ सभापति महोदय, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारे प्रदेश के अन्दर खेती का काम बढ़ाने के लिये या दूसरे काम बढ़ाने के लिये जितना पैसा हमको रिजर्व बैंक दे सकता था उतना लेने का चाहे उसके अन्दर सरकार का कोई हाथ न हो, हमारे सैंट्रल बैंक्स का या दूसरी संस्थाएं इसमें जिम्मेवार हैं या सरकारी महकमा जिम्मेवार है। लेकिन, उसमें कमी रही है। इस मामले में हमको अपने प्रदेश का महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश के साथ मुकाबला करके देखना चाहिए कि हम कितने ब्याज पर किसानों को रुपया देते हैं और वह कितने दर पर देते हैं। आपको मालूम होगा कि उस में दिन-रात का फर्क है, क्योंकि यहां पर जो बीज़ की सोसाइटियां हैं उनका दखल महकमें पर रहता है, वे इनकी सलाहकार हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज के जो हमारे कोओप्रेशन के मंत्री हैं उन्होंने इस महकमें को मुख्तलिफ खिंचाव से निकालने की कोशिश की है लेकिन मैं चाहूँगा कि वे सही तौर से निकलें और किसानों को ज्यदा से ज्यादा कर्ज कम से कम ब्याज पर दिलाने की कोशिश करे तभी किसानों को फायदा पहुँ सकता है। मैं दो कोओप्रेटिव गन्ना मिलों का मैंबर हूँ एक रोहतक का और दूसरे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अन्दर उस कोऔप्रेटिव मिल को काफी आसानी के साथ खड़ा किया गया है और यहां जितनी मुश्किलात पेश आई हैं, उनका दिन-रात का फर्क है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूँ कि वे महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में जाकर देखें कि वहां पर काफी ज्यादा पैसा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर थोड़े सूद पर किसानों को दिया जाता है? मैं मंत्री महोदय को वहां पर जाने के लिए अपनी जेब से भत्ता देने के लिए भी तैयार हूँ। जिस तरीके से वहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर किसानों को बहुत थोड़े दर पर दिया जाता है यहां पर भी वही तरीका अपनाया जाए ताकि खेती की तरक्की हो सके।

आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो कमर्शियल बैंक थे, उनको हमारी प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी जी ने नेशनेलाईज़ कर दिया है और उनको भी अपदेश दिया

है कि वह खेती के कामों के लिए कर्जा दें। बावजूद इस पॉलिसी के भी हमारे रूल्ज कुछ इस किस्म के हैं कि गरीब किसानों को अभी तक उसका पूरा फायदा नहीं पहूँच रहा है। इसलिए, उस सारे प्रोसीजर को आसान बनाना चाहिए। आप जानते हैं कि आज ट्रैक्टर अगर किसी ने खरीदना हो तो कम से कम 15 या 20 हजार से कम नहीं आता। लेकिन, हमने स्टेंप डियूटी सिर्फ दस हज़ार पर ही मुऑफ कर रखी है, जिससे कि किसानों को पूरा फायदा नहीं पहूँचता है। गवर्नमैंट को चाहिए कि 25 हजार की लिमिट तक स्टैंप डियुटी मुऑफ करें ताकि खेती के काम में बढ़ावा हो सके। हमको चाहिए कि कोऔप्रेटिव बैंक्स की मारफत और नेशनेलाईज़ड बैंक्स के जरिए जितना ज्यादा से ज्यादा रुपया मिल सकता हो किसानों को दिलाएं। लेकिन, यह जो तरीका था कि अपने आदमियों को कर्ज़ा दिलाना है और जो दूसरे हैं, उनको नहीं लेने देना उससे हमारे प्रदेश का भला नहीं हो सकता। वह पालिसी इस मूवमैंट को पीछे रखेगी। इसलिए, इस नज़रिए को आपको छोड़ना चाहिए। वज़ीर साहब ने इस बिल के जरिए जो कानूनी अड़चन निकाली है मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इससे भी ज्यादा यह बात देखने की जरूरत है कि ऐसा न हो कि ज़मीन कोई और गिरवी रख जाए और कर्ज़ा कोई दूसरा आदमी ले जाये। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि हमारे कोऔप्रेटिव डिपार्टमैंट के रजिस्ट्रार और दूसरे अधिकारी देखें कोऔपरेटिव बैंकों की रिज़र्व बैंक से कितना कर्ज़ा उठाने की शक्ति है और उन्होंने उस हद तक कर्ज़ा उठाया है या नहीं और लोगों को बांटा गया है कि नहीं? जो सोसाइटीज हैं उनकी एक क्रेडिट लिमिट होती है। उनकी जितनी लिमिट है उसको अगर जोड़कर देखा जाए तो सोसाइटी की उतनी लिमिट नहीं बनती, यानी सोसायटी की लिमिट थोड़ी होती है। इसी तरह, सोसाइटियों की कुल लिमिट जो होती है सैण्ट्रल बैंक को उससे कम रहती है। इसलिए किसानों को जितना पैसा चाहिए वह पूरा नहीं हो सकता। इसलिए दोनों की लिमिट एक-सा होनी चाहिए।

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, मैं आपका आदेश चाहता हूँ कि इस अमैंडमैंट के सिवाए जनरल कोआप्रेशन पर क्या मैंबर साहब बोल सकते हैं?

**श्री सभापति :** जो अमैंडमैंट है उसी पर ही मैंबर साहब को बोलना चाहिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** चेयरमैन साहब, महामंत्री जी को पता नहीं क्या

आपत्ति है। मैं सरकार का क्रिटिसिज़्म नहीं कर रहा, समय दो घण्टा बढ़ गया है। इसलिए, उनको घबराना नहीं चाहिए। चेयरमैन साहब, महामंत्री जी ने जो कुछ आपकी मार्फ्त कहा है उस सिलसिले में मैं एक बात कहता हूँ। उनको पता नहीं, क्यों बेचैनी होती है? इस कानून के अन्दर जो कमी दिखाई देती थी जिसकी वजह से पैसा कम उठा सकते थे। उस कमी को दूर करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। यह तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अच्छी बात है। लेकिन, इस के इलावा जिन और बातों को करने की जरूरत हैं, उनके लिए मैंने सुझाव दिए हैं। हमारे मंत्री महोदय जिस तरीके से इस महकमें का काम चला रहे है अगर उनको मौका दिया गया आगे के लिए काम करने का तो मुझे यकीन है कि वह इस क्षेत्र में लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचा सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 5 अगस्त, 1971 ई.*

---------------------------

### चौधरी रणबीर सिंह द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**Mr. Speaker :** Doctor Sahib, I have already given my ruling. Chaudhri Ranbir Singh may now give his personal explanation.

**Shri Bansi Lal :** On a point of order, Sir. I think, you should give him this time later. When he gives the explanation, he will take hours together.

**Mr. Speaker :** I have told him that this is the right time. In relation to the observation oft he Leader of the House, I would like to refer to rule 63, which says :

"........ Provided that such explanation, if permitted, shall be made at the earliest possible opportinity before the business for the day, is entered upon, and shall be limited to the circumstances which are the subject of the explanation and no speech or debate thereon shall be allowed by the Speaker."

That is why, this ruling was given.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बारे में कोई बात कहने से

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 5 Aug. 1971, Vol. II, No. 4, Page (4)* 38-42

पहले मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ पुराना इतिहास बताने के लिये इन्होंने मुझे मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, पहली बात जो इन्होंने यह कही कि आज पानी का सिलसिला कहां है? इन्होंने कहा कि आज पानी की कमी इसलिये हो गई है कि क्योंकि मैंने जो जमुना के ऊपर किसाऊ डैम बनना था, उसके अन्दर राजस्थान का हिस्सा मान लिया था। मुझको समझ तब आती, अगर मुख्यमंत्री किसाऊ डैम बनवा देते और उसके बाद मुझ पर यह इल्जाम लगाते। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। जमुना का जहां किसाऊ डैम बनना है, उसके बारे में बताता हूँ। लगभग 1924 के अन्दर हरियाणा के महान् पुरुष चौधरी सर छोटू राम इकट्ठे पंजाब के इरीगेशन और पी. डबल्यू.डी. के वज़ीर होते थे। उस वक्त उन्होंने, खोसला साहब को, जो सैंट्रल वाटर एंड कमिशन के चेयरमैन बने और बाद में उड़ीसा के राज्यपाल भी बने, उनको पंजाब की तरफ से भेजा कि यह देखो कि जमुना के ऊपर कोई डैम बन सकता है या नहीं। उन्होंने वह स्थान देखा जहां अब किसाऊ डैम बनाया जाना है। उन्होंने राय दी है कि यह स्थान डैम बनाने के लिये भाखड़ा से भी बढ़िया है। चालीस साल के बाद मैंने भी वह स्थान देखा जो पहाड़ के अन्दर खोदा हुआ स्थान है। जमुना के ऊपर जो डैम बनेगा वह भाखड़ा से भी ऊंचा बनेगा। अध्यक्ष महोदय उस सिलसिले में मैंने डा. के.एल. राव से प्रार्थना की कि आप मेहरबानी करके उस डैम को बनाने के लिये कार्यवाही करें। इस बारे में थोड़ी सी जानकारी और मैं दे देना चाहता हूँ ताकि उन सदस्यों को भी पता चल जाये जिनको पूरी जानकारी नहीं है। बरसात के बाद दो-तिहाई पानी जमुना की टिब्यूटरी में आता है, जिसका नाम टौंस है और उनकी राय के मुताबिक जमुना मेन रीवर है। उसके ऊपर डैम नहीं बन सकता है। टौंस ट्रिब्यूटरी जिसमें वर्षा ऋतु के बाद यमुना का दो-तिहाई पानी बहता है उसके ऊपर बन सकता है। उसके बाद उसी सिलसिले में एक कान्फ्रेंस बुलाई गई। उस कान्फ्रेंस के अन्दर जितने मंत्रियों का नाम लिया गया उनको हिन्दुस्तान के केन्द्रीय मंत्री ने बुलाया। राजस्थान के मंत्री के भी दस्तखत हुए और मैंने भी दस्तखत किये। इन्होंने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया है, इसकी असली वजह यही है कि मैंने दस्तखत किये हैं। अब उसके मुताबिक पानी का कोई बटवारा नहीं किया गया। केवल डैम बनाने का किया गया था। गुड़गांव नहर का भी जिक्र किया गया है। गुड़गांव की जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट है वह मेरे से पहले हिन्दुस्तान की सरकार को भेज दी गई थी। उस प्रोजैक्ट के अन्दर राजस्थान की सरकार को हिस्सेदारी उस पानी में दी गई थी।

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब, बहुत देर हो गई है आप दो-तीन मिनट और

ले सकते हैं।

**श्री बंसी लाल :** जनाब, आप परसनल एक्सप्लेनेशन पर इतना टाईम नहीं दे सकते।

**Mr. Speaker :** In this connection, I will again read out the relevant rule :

"......... and shall be limited to the circumstances which are the subject of the explanation and no speech or debate thereon shall be allowed by the Speaker."

So, kindly go on.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री साहब ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया कि मैंने राजस्थान को किसाऊ डैम में हिस्सेदार करवाया था। यह बात लत है। राजस्थान का हिस्सा उस वक्त शामिल हो गया था, जब गुड़गांवा कैनाल प्रोजैक्ट के अन्दर उनका हिस्सा मान लिया गया था और वह बात मुझसे पहले पिरियड (समय) मे हो चुकी थी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने यह यकीन दिलाया था कि वह पांच साल के अन्दर पूरा हो जायेगा। लेकिन, आज सात साल बीत गये हैं और सवा तीन साल मुख्यमंत्री साहब को भी हरियाणा सरकार की गद्दी पर बैठे हो गये हैं। मगर, उस प्रोजैक्टर की इस वक्त तक एक ईंट भी नहीं रखी गई (शेम शेम की आवाजें)। मैंने एक फै सला हरियाणा के हक में करवाया था कि यहां डैम बनाया जाये। अभी तक डैम बना नहीं तो पानी का बटवारा कैसे हो गया? इसलिये यह इल्जाम जो मेरे ऊपर लगाने की कोशिश की गई है सरासर लत है। अध्यक्ष महोदय, जो चिट्ठी है, उसमें लिखा हुआ है कि पानी का और दूसरा फै सला बाद में किया जायेगा इसके ऊपर पहले काम शुरू कर दिया जाये। तो यह तो प्रदेशों का झगड़ा कायम रखना चाहते हैं, काम बेशक न हो। इन्होंने बरवाला लिंक का भी जिक्र किया और बीच में कैरों साहब का भी जिक्र किया, जिनके लड़के के बारे में इनका कल जवाब देने का हौसला नहीं पड़ा कि उसने बिजली के पोल दिये हैं कि नहीं दिये?

**Shri Bansi Lal :** On a point of Order, Sir. The time limit of speeches may kindly be fixed

.**Mr. Speaker :** Two minutes more please.

**Shri Bansi Lal :** He will have enough time because he is to

speech on every subject. He is an expert on all matters.

**Shri Mangal Sein :** No doubt he is an expert.

**चौधरी रणबीर सिंह :** इन्होंने यह भी कहा है कि जिस वक्त चीन की लड़ाई हुई थी तो कोई काम पंजाब के उस हिस्से में जो बाद में पंजाबी सूबा बना था, बन्द नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि यह इनकी लाइलमी की बात है क्योंकि बाद का काम इनके पास नहीं है। यू.बी.डी.सी. वाली एक हाईडल स्कीम पानी से बिजली पैदा करने की योजना भी थी जिस पर कि पॉवर हाऊस बनना था।उस वक्त उसका काम रोका गया था, किसी नहर का भी काम उस वक्त आज के पंजाबी सूबे में चालू नहीं था और यह कैबिनिट का फैसला था। यह बात ठीक है कि कुछ दिनों के लिये काम रोका गया लेकिन मैं आपके जरिये यह बात हाऊस के ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि मैंने आऊट ऑफ दी पलैन सीलिंग से 50 लाख रूपया जमूना फीडर स्कीम के लिये केन्द्रीय सरकार से दिलाया था और फिर अगले साल के लिये एक करोड़ रुपये की मन्जूरी करवाई थी। (व्यवधान)। 50 लाख रूपया उस वक्त था जब मैंने पद छोड़ा और उसी साल एक करोड़ रुपए की मंजूरी गुड़गांव कैनाल प्रोजैक्ट के लिये ले कर दी थी। बरवाला लिंक की मंजूरी चौधरी रिजक राम के वक्त में हुई थी इसलिये उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। इसके इलावा देहली पैरेलल का भी इन्होंने जिक्र किया।

**श्री अध्यक्ष :** यह तो चौधरी साहब कवर हो गया है।

**चौधरी रणबीर सिंह : दे**हली पैरेलल अभी रहता है। इसपर अब काम चालू कल बजट में इसका जिक्र था, मैंने इसकी सराहनी की थी। (व्यवधान) वह काम इन्होंने अभी तक नहीं किया। मैं इनसे पूछता हूँ कि जुई कैनाल में पानीक्या आसमान में आ जायेगा? जुई कैनाल में वैस्टर्न कैनाल के बीच में से पानी जायेगा।(व्यवधान)

**Shri Bansi Lal :** Mr. Speaker, Sir, now the hon. Member is making a speech. He has covered so many items. He may be allowed to speak again when the House adjourns. (*Interruptions*)

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री साहब को बड़ी परेशानी होती है। लेकिन जब आप बोलते हैं तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आप एक मिनट और बोल सकते हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** देहली पैरेलल स्कीम के बारे में जितनी मेरे पार्ट पर जिम्मेवादी आती है वह मैं बताना चाहता हूँ। यह काम मेरे पास दो साल रहा था, जिसमें से एक वर्ष तो चीन के साथ लड़ाई रही, लेकिन इनको सवा तीन साल हो गए हैं, मगर इन्होंने आज तक वहां पर काम शुरू नहीं करवाया।

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 5 अगस्त, 1971 ई.*

----------------------------

### वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और वर्ष 1969-70 के हरियाणा रा%य बिजली बोर्ड के खातों पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव रखता हूँ -

कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन परजो 2 अगस्त, 1971 को सदन की मेज़ पर रखा गया है चर्चा की जाए।

स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरा प्रस्ताव भी साथ ही मूव कर दूं?

**श्री अध्यक्ष :** हां जी, कर दीजिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं सविनय प्रस्ताव करता हूँ -

कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की थर्ड ऐनुवल स्टेटमेंट ऑफ अकांऊट्स, साल 1969-70 पर जो 2 अगस्त, 1971 को सदन की मेज पर रखी गई थीं, चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमें तो कागज़ इसके पश्चात् हरियाणा बिजली बोर्ड की

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 5 Aug. 1971, Vol. II, No. 4, Page (4)* 108-121

तरफ से छपा हुआ मिला है उसमें 31-3-1971 तक की तरक्की का जिक्र है। जो तरक्की हमारे हरियाणा बिजली बोर्ड ने की है उसका जिक्र कल हमारे मंत्री साहब ने भी किया था। जहां तक खेती के लिये पंपिंग सैटों के लिये कनैकशन देने का ताल्लुक है उसकी मैं सराहना करता हूँ। जो सही हालात हैं, वह कहने में कोई झिझक नहीं है और कोई मुखालिफत करने के लिये कह दे तो और बात है लेकिन मैं तो यह कहूँगा कि हमारे प्रदेश में बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से बहुत काम किया है। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) कई भाई जो बिजली बोर्ड की टैक्नीकल भाषा को समझने में असमर्थ हैं, वे कह सकते हैं कि फलां गांव में बिजली मिली है और फलां में नहीं मिली। वह जो हम कहते हैं कि हमने बिजली सब गांवों को दे दी है उसके मायने यह हैं कि जिसने भी गांव हैं उन तक 11 के.वी. लाईन बिछा दी गई है और उसके साथ-साथ 11 के.वी. के लिये ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। उसके बाद अगर किसी को अपने घरेलू काम के लिये या किसी और काम के लिये बिजली की जरूरत हो तो उनको दरखास्तें देनी होती हैं। मैंने एक प्रश्न किया था कि लोगों ने कनैक्शन लेने के लिये कितनी दरखास्तें दी हैं और कितनों को अब तक कनैक्शन दे दिया गया है लेकिन उसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। इसलिये, उस पर चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन, मैं कहता हूँ कि पहला कदम सराहनीय है और उसका फायदा हमको तभी हो सकता है कि जब हम इस बात की तरफ चलें कि जितनी दरखास्तें आती हैं उनको कनैक्शन जल्दी दिया जाये और इसके लिये अगर बोर्ड को कुछ ज्यादा कानून (Rules) बदलने की जरूरत हो तो वह भी बदल दिया जाना चाहिए। अगर एस.डी.ओ. को या लाईन सुप्रीटेंडेट को केसिसि को जल्दी ऐक्सपिडाईट करने के लिए कुछ अख्तियार देने की जरूरत हो तो वह कर दे देने चाहिए। वरना अगर कागज इधर से उधर चक्कर काटता रहेगा तो उससे तरक्की नहीं हो सकती। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब में यह गुण है कि वे फैसला शीघ्र करते हैं। अगर वे शांति से इस बात को सुनेंगे और कागजात को देखेंगे तो इस पर जरूर ऐसा आदेश देंगे और हमने जो बिजली की लाईनें हैं, उनका लोगों को पूरा फायदा पहुंचेगा।

अब मैं कुछ सुझाव आपके द्वारा सदन में सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब के अन्दर जो विभाजन से पहले पंजाब था, सबसे पहले जो पानी से बिजली पैदा होती थी, वह जोगिन्द्र नगर में अहल रिवर की स्कीम से होती थी। मुझको मालूम नहीं कि इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन

जोगिन्द्र नगर का पॉवर हाऊस वैसे तो हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन उसको पंजाब का मान लिया गया है। पंजाब वहां से 70 या 100 मील की दूरी पर है। अगर उनका हक है तो हमारा भी उसमें हिस्सा होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी सस्ती बिजली वहां पर पैदा होती है, उतनी और किसी जगह पर नहीं होती। वहां पर एक पैनस्टॉक लगा हुआ है और दूसरे पैनस्टॉक के लिए जगह खाली है। जब यह विभाग मेरे पास था, मैंने डॉ. के.एल. राव को सुझाव दिया था कि हमें यहां पर डैम बनाने की मंजूरी दी जाए। अगर वह मंजूरी मिल जाती तो उस दरिया के ऊपर मामूली पैसा खर्च करके एक छोटा सा डैम बन सकता था और सस्ती बिजली पैदा की जा सकती थी। क्योंकि वहां पर चार हजार फीट का फाल है। हमारी बदकिस्मती यह है कि जब पंजाब का रिआर्गेनाईजेशन हुआ, उस वक्त जितना हिस्सा हरियाणा का बनता है था या तो वह माना नहीं गया या हमने अपने हिस्से को छोड़ दिया, यह मुझे मालूम नहीं। हमें वहां पर अपना हिस्सा कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे कई दोस्त बताते हैं कि डेसू (DESU) में जो थर्मल प्लांट लगा है, वह हरियाणा को मिला। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि थर्मल प्लांट से पैदा हुई बिजली के खर्च और पानी से पैदा हुई बिजली के खर्च में बहुत ज्यादा अन्तर है। थर्मल प्लांट से बिजली पैदा करने में पानी की निस्बत चार गुणा खर्च अधिक आता है। इसके अलावा थर्मल प्लांट लगाने में बहुत थोड़ा समय लगता है। तकरीबल दो सालों में यह योजना बनकर पूरी हो सकती है। लेकिन पानी की बिजली तैयार करने में काफी समय लगता है। अगर पानी की बिजली के बदले में इन्होंने डेसू थर्मल प्लांट के हिस्से को लिया तो मेरी समझ के मुताबिक यह फैसला हरियाणा केहक में अच्छा नहीं हुआ। न जाने कि विशेषज्ञ की समझ में यह बात आ गई। मेरे विचार के मुताबिक तो यह घाटे वाली बात हुई है। अगर आज भी जोगिन्द्र नगर की बिजली के बदले में थर्मल प्लांट की बिजली का ज्यादा हिस्सा देना पड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई घाटे वाली बात नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा में भाखड़ा प्रोजेक्ट के बारे में अपने विचार सदन में रखना चाहता हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ कि भाखड़ा प्रोजेक्ट में हरियाणा के लिए बिजली का कितना हिस्सा है ? मैं उन्हें बता देने चाहता हूँ कि उन्हीं कागज में यह भी लिखा है कि भाखड़ा रिजर्वायर में जितना पानी का हिस्सा बनता है, उतना ही बिजली का हिस्सा बनता है। यह भाखड़ा एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के हिसाब से राजस्थान को हिस्सा दिया गया और इसी के हिसाब से हमें भी मिलना चाहिए,

लेकिन लिया नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा एक और बात निवेदन कर देता हूँ कि राजस्थान का हिस्सा सतलुज के पानी में नहीं था। लेकिन, अब भाखड़ा प्रोजेक्ट के पानी में राजस्थान का हिस्सा रख दिया गया है। रावी और ब्यास नदियां राजस्थान के नजदीक से नहीं जाती, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें जितना हिस्सा बनता है, उसकी हमें मांग करनी चाहिए। अगर राजस्थान इतनी दूर से हिस्सा ले सकता है तो हमें भी अपने हिस्से की मांग करनी चाहिए। पंजाब के रीआर्गेनाईजेशन के वक्त भाखड़ा डैम के इक्ठे पंजाब के पानी के हिस्से में से हरियाणा में हिस्से में 55 परसेंट हिस्सा हरियाणा का होना चाहिए। लेकिन, इस सरकार ने 39.05 परसेंट कबूल कर लिया है। 55 परसेंट पानी का हिस्सा बनता था। इसी हिसाब से बिजली का हिस्सा होना चाहिए था। चला, कोई बात नहीं इस सम्बंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई न कोई समझौता हो सकता है। इसके अतिरिक्त और भी कई चीजें ऐसी हैं जिन पर जितना हमारा हिस्सा बनता था उतना नहीं लिया गया। बिजली बोर्ड में एक फण्ड है, जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे तो उस फण्ड के अगेन्सट कर्जा लिया जाता था। उस फण्ड में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी थी और कुछ डिपाजिट में थी। बोर्ड की इस रकम में हमारा हिस्सा 54 परसेंट बनता था। लेकिन, हमको 39.5 परसेंट ही हिस्सा दिया गया। इसी हिसाब से बैंक से उस फण्ड की अमानत पर कर्जा भी लिया, मुझे कर्जा लेने से कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे बिजली बोर्ड से इस किस्म की कोई चिट्ठी गई थी कि हमारा 54 परसेंट हिस्सा बनता है? मैं अक्तूबर, 1969 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारा हिस्सा 54 परसैंट बनता था तो उतना क्यों नहीं मिला? इसके अलावा मैं सदन से अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आज पंजाब का नया बिजली बोर्ड है उको 40 परसेंट से ज्यादा उस फण्ड की पूंजी पर कर्जा उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर राजस्थान का हिस्सा निकाल दें तो 35 परसेंट के लगभग बैठता है, इससे ज्यादा कर्जा उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिये, यह उनके साथ रियासत है। अगर राजस्थान का हिस्सा उसमें से निकाल दें तो पंजाब और हरियाणा का हिस्सा 60:40 की रेशो से बनता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है लेकिन वह अलग बात है। अगर हम बंटवारा ठीक ढंग से करें तो हम दोनों का हिस्सा 60 :40 की रेशो से आता है। लेकिन, यहां पर उलट हो रहा है। हमें 40 परसैंट से कम हिस्सा मिला है। गर्वनमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी जो शुरू में आई थी उसमें लगभग 40–41 परसेंट हरियाणा को देने की बात थी। लेकिन, आज 39.05 परसेंट ही रह गया है। जो हिस्सा हमारा बनता

था, क्या इसको लेने के लिए सरकार ने कोई लिखा-पढ़ी की है? कहीं ऐसा न हो कि पंजाब वाले हमारे हिस्से को गहने में धरकर खा जाएं।

उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि हमारी प्रधानमंत्री बहन इंदिरा गांधी ने हमारे हक में एक फैसला दिया था और आज वे फैसले पर कायम हैं। कल ही राज्यसभा में हिन्दुस्तान की सरकार ने दोहराया कि फाजिल्का और अबोहर का इलाका जो हमारा हिस्सा है वह हमारा बन जायेगा। फाजिल्का और अबोहर का इलाका जब हरियाणा में शामिल हो जाएगा तो भाखड़ा डैम के अन्दर सतलुज के पानी में हमारा हिस्सा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सम्बन्ध में हमें अपने कागजात तैयार करके चालू करने चाहिये। कितना पानी हमारे हिस्से बनता है, इसकी असैसमेंट बिजली और इरीगेशन इन दोनों विभागों से लगवा लें ताकि केस पहले से ही मूव हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, वैस्टर्न जमुना कैनाल पर हाईडल स्कीम बनाने की योजना मेरे वक्त में हुई थी। मुझे इस स्कीम का कोई जिक्र नहीं मिला कि उस पर क्या कार्रवाइ हुई है। हुई भी है या नहीं? इस स्कीम को बने हुए सात साल हो गये हैं। मैंने क्या कसूर कर दिया था उस वक्त, अब तो उस कसूर को माफ कर दो। मेरे सहयोगी दो भाईयों जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में मेरा साथ दिया वे अब जेल में हैं, वे दोनों भाई, साहब राम और देवी लाल आज जेल में हैं .... (व्यवधान)

**मुख्यमंत्री ( श्री बंसी लाल ) :** वे जेल में नहीं हैं। चौधरी साहब के दिमाग में पुराने विचार अपने घूम रहे हैं, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। We are not responsible for that.

**चौधरी रणबीर सिंह :** वे जमानत पर छोड़े हैं ....... अगर चौधरी साहब का पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर उनको रिहा कर दिया तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।

**श्री बंसी लाल :** ये उनके शुभचिन्तक हैं। यह तो वे भी जानते हैं कि आप कितने शुभ चिन्तक हैं .......

**चौधरी रणबीर सिंह :** चौधरी साहब आप उन दोनों भाइयों के मेरे से ज्यादा शुभ चिन्तक हैं। मैंने शुभ चिन्तक होने का कोई दावा नहीं किया और न ही करता हूँ। मैं आपको ही ज्यादा शुभ चिन्तक मानता हूँ। मैं अन्दर वाली बात नहीं जानता। लेकिन, अगर आपने उनको छोड़ दिया है तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। जो

कार्यवाई उनके हाथ में है, वे करें .........

**श्री बंसी लाल :** उपाध्यक्ष महोदया, ऑनरेबल मैम्बर को इररेलेवैंट बोलने की आदत है। He should be confined to time. That is my submission. He should not speak on law and order what is happening and what is not happening. I would also like to point out here that for all electric faults and everything Chaudhri Ranbir Singh is himself responsible.

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैंने इसलिये कहा था कि हमारा कसूर है क्या? (व्यवधान)।

**श्री बंसी लाल :** तुम्हारे कसूर ने तो हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** हरियाणा की तरक्की की बागडोर तो तीन साल से आपके पास है, अब तुम्हीं कुछ कर दो।

**श्री बंसी लाल :** जितनी तरक्की हरियाणा ने अब की इतनी तो तुम सारी उमर में भी नहीं कर सकते.........

**चौधरी रणबीर सिंह :** वैस्टर्न जमुना कैनाल की मन्जूरी पड़ी हुई.......

**श्री बंसी लाल :** इन्होंने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया जिसको हरियाणा 50 साल तक और भुगतेगा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं ऐसा कहने का आदी नहीं हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि भट्ठा इन्होंने बैठा दिया है या इनके वक्त में भट्ठा बैठा या बैठेगा। (सांय 4 :00 बजे)

**श्री बंसी लाल :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कह भी नहीं सकते क्योंकि हमारे वक्त में तो तरक्की हुई है। मैं तो साबित करूंगा कि इनके वक्त में भट्ठा बैठा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्हें तो चौथी ज़मात के स्कूल में दाखिल कराना पड़ेगा। इनका स्वभाव इनको मुबारक हो। उपाध्यक्ष महोदया मैंने तो पहले इनके काम की तारीफ की। लेकिन, इनके स्वभाव का हम क्या करें? यह तो सजैशन सुनने के लिये तैयार नहीं। सुजैशन देना हमारा फर्ज़ है और उसको हम निभायेंगे, ये सुनें या न सुनें। उपाध्यक्ष महोदया, आज आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी कि पंजाब के लोकसभा के सदस्यगण का, सरदार दरबारा सिंह के नेतृत्व में डा. के.एल. राव से, एक डैपुटेशन मिला और उसने कहा कि उन्हें थाई डैम बनाने की

इजाज़त दे दी जाए। उनको कैसे इज़ाजत मिल सकती है? थाई डैम में हम भी हिस्सेदार हैं। हमारे लोक सभा के सदस्यों, राज्य सभा के सदस्यों और हमारी सरकार को मांग करनी चाहिये कि थाई डैम के प्राजैक्ट पर, जिसकी इंवैस्टिगेशन रिपोर्ट गालबन मेरे वक्त में पूरी हो गई थी, काम करने की हमें भी इजाजत मिलनी चाहिये।...... (व्यवधान)

**श्री बंसी लाल :** उपाध्यक्ष महोदया, इनके वक्त में तो रिपोर्ट ही होती रही और भट्ठा ही बैठता रहा। आगे काम नहीं चला।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, इनको कहें कि ये कोई चार सौ बार इकट्ठे ही 'भट्ठा बैठता रहा' कह लें ताकि बार-बार सदन का समय नष्ट न हो। मुझको तो इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिये क्योंकि इनके सार्टिफिकेट से मेरा काम नहीं बनता।

उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से एक थरोट डैम प्रोजैक्ट है, जिसकी इंवैस्टिगेशन मेरे वक्त में शुरू हुई थी। अब पता नहीं वह किस हालत में है, यह मुझको नहीं। उसकी इंवैस्टिगेशन जल्दी पूरी हो और हमको हिस्सा मिले इसके लिए हमारी सरकार को लिखा-पढ़ी करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से जम्मू काश्मीर में एक पॉवर हाऊस सलाल के नाम से बन रहा है, वह भी पानी से बिजली पैदा करेगा। इसके बारे में शायद अगर मुझको ठीक याद है, केन्द्रीय मंत्री जी ने कोई चिट्ठी भी लिखी थी कि हमको सौ मेगावाट बिजली का हिस्सा मिल सकता है। हमको इसके लिये लिखकर भेजना चाहिए कि हम तैयार हैं (व्यवधान)......... कागज़ उनके पास होंगे। लेकिन, मेरा कहना यह है कि उनको वे कागज देखने चाहियें और उसके ऊपर अपनी नज़र हमेशा रखनी चाहिये और तेज़ी से काम करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदया, फरीदाबाद थर्मल प्लांट की मंजूरी भटिंडा में पंजाब का जो थर्मल प्लांट बन रहा है, उससे पहले हुई थी। मैंने पिछली दफा भी इसका जिक्र किया था मगर बंसी लाल जी ने कहा था कि प्लांट कागजों से नहीं बनता है। यह मुझको मालूम है कि कोई चीज कागजों से नहीं बनती है मगर उपाध्यक्ष महोदया, अर्ज यह है कि दूसरी चीजों के लिये अगर करोड़ों रुपयों का कागज मिल सकता है। इसके लिये भी कोशिश करनी चाहिये। इसमें एक बात, उपाध्यक्ष महोदया, सही

है कि बोआइलर के लिये जो टैन्डर पहले आये वे उनमेंहिन्दुस्तान सरकार की कम्पनी का टैन्डर कम था परन्तु उसको आर्डर देने की बजाय दोबारा टेन्डर मांगे गये। फिर हिन्दुस्तान की सरकारी कम्पनी का टेन्डर कम आया और गालबन अब बोआइलर सप्लाई करने के लिये आर्डर दिया गया है लेकिन इसकी वजह से दो-अढ़ाई साल का फर्क़ पड़ गया। बिजली पैदा करने की शक्ति यदि एक साल या दो साल पिछड़ जाए तो इससे देश और प्रदेश को काफी घाटा होता है।

उपाध्यक्ष महोदया, डेसू (दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग) को भाखड़ा से बिजली दी जाती है। इसी तरह से नंगल फर्टिलाइजर कम्पनी को भाखड़ा से बिजली दी जाती है। इनके बारे में डा. के.एल. राव का फै सला मेरे वक्त में था कि टैरिफ रिवाइज हो। 20 लाख रुपया पुराने रगड़े-झगड़े का कबूल करो और उसे खत्म करो तथा इसके बाद एक रेट बनाया जाए। वह रेट बना। उस रेट की बिना पर करोड़ों रुपया आज तक हमको मिला नहीं। यह तेजी अगर उधर दिखाई जाए हम को को 'भट्ठा भट्ठा करने के' तो शायद प्रदेश बन सकता है।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद जहां तक अचीवमैन्टस का सम्बन्ध है, चूंकि बहुत सारे दोस्तों ने बोलना है इसलिये वही चीजें मैं 'दोहराऊं तो अच्छा नहीं, मेरा निवेदन यह है कि यह 'कागज जिसका शीर्षक है "Progress at Galnce" अगर आप पढ़ा हुआ मान लें और मेरी तकरीर जो है उसमें शामिल मान लें तो ठीक रहेगा। मैं इसको हरियाणा बिजली बोर्ड की तारीफ समझता हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया, मेरा स्वभाव है और मैं मानता हूँ कि हर इन्सान में कुछ कमियां हैं और कुछ गुण हैं, चाहे वह चेयरमेन है, मैं हूँ या चौधरी दल सिंह जी हों। अगर गुणों की तरफ देखें तो तरक्की होती है और अगर अवगुणों की तरफ देखें तो अपने में भी अवगुण बहुत होते हैं। लेकिन सुधार के लिये जो बात कही जाए वह इम्पर्सनल ढंग से ही कही जाए अपना यह स्वभाव है। मैं कभी किसी का नाम नहीं लूंगा। वह बात मैं नहीं कहूँगा। जो रिपोर्ट हमको दी गई है अब मैं आप का ध्यान उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, आप कितना टाईम और लेंगे?

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं मूवर हूँ, इसलिये उसके मुताबिक ही टाईम मिलना चाहिये। जितना टाईम आप देंगे मैं उसके अन्दर-अन्दर अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा।

**उपाध्यक्षा :** टाईम देने में मुझे कोई एतराज नहीं क्योंकि टाईम हाऊस का है। मगर, अभी तीन चार बिल पड़े हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैंने तो उपाध्यक्ष महोदया दोनों प्रस्तावों को इक्कठा कर दिया है लेकिन फिर भी आपकी जो आज्ञा होगी उसकी अवहेलना मैं नहीं करूंगा।

**उपाध्यक्षा :** आप अपनी बातों को कह सकें, उतना टाईम आप ले लेंगे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं कम से कम समय लूंगा। उपाध्यक्षा महोदया मैंने यह आंकड़े कोई अपने पल्ले से नहीं दिये। लेकिन, कई दफा इनके जवावब देने का तरीका भी अजीब होता हैं। हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी थर्ड ऐनुअल स्टेटमैन्ट ऑफ अकाऊंट्स 69–70 के सफा 7 को आप देखें। जो बिजली आती है, पैदा होती है और जिससे  बनते हैं, बिल बनने तक यूनिटस का हिसाब होता है तो कितने उसमें कम हो जाते हैं, जिसे लाइन लौसीज़ कहते हैं, उसमें चोरी भी शामिल होते हैं, इन सब बातों के बारे में इसमें लिखा है। 67–68 के बारे में इसमें लिखा है कि जैनरेशन टू यूटिलाइजेशन इन्क्लूडिंग आउट–साइड दा स्टेट की फिगर्ज़ 9 परसैन्ट थी, 68–69 में 18.50 परसैन्ट थी और 69–70 में 17.40 थी। कुछ थोड़ा सा सुधार और कुछ बिगाड़ इसमें हुआ है। बिगाड़ ज्यादा हुआ क्योंकि यूटिलाइजेशन में घाटा 9 परसैन्ट से एकदम डबल हो गया। उपाध्यक्ष महोदया, जो हमारी रियास्त के अन्दर बिजली मिली और फिर आगे बंटी या ट्रांसमिशन लौसीज निकाल करके जो हमको घाटा हुआ वह 67–68 के अन्दर 16.60 परसैन्ट है, 68–69 के अन्दर 27.70 परसैन्ट है और 69–70 के अन्दर 25.40 परसैन्ट है लेकिन अब कितना लौस है उसका इसमें उस तरह से खाता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके इलावा मैं आपके द्वारा कहता चाहता हूँ, जैसा कि अभी चौधरी दल सिंह जी ने भी कहा है और हमारी एक कहावत भी है, कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। पैसा होगा तो आराम मिलेगा पैसा ही नहीं होगा तो कहां से आराम मिलेगा। अगर ये सन् 62–63 और 64 की बात करते हैं तो उसके जवाब में मैं बताना चाहता हूँ कि सारे पंजाब स्टैट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को पौने दो करोड़ कर्जा मिला था। शुरु में 12 करोड़ रुपये का स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये कर्जे उठाने के लिये मैंने असैम्बली में प्रस्ताव पेश किया और वह पास हुआ था। आज हमने हरियाणा के लिये ही 50 करोड़ की कर्ज उठाने की हद मुकर्रर कर दी है

और कितना कर्जा बाहर से उठाया है यह तो हमें पता नहीं परन्तु कुछ हिसाब खाता दिया हुआ है, उसको मैं यहां हाऊस में बताना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया मुझको भी हिसाब खाते का काफी तजुर्बा है। लेकिन, हो सकता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। क्योंकि सात साल पुरानी बात है। आशा है पंडित रामधारी गौड़ जी अगर मेरे से कोई भूल हो तो उसको ठीक कर देंगे। तो मैं पंडित जी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर पूंजी का जो खर्चा होता है उसके अन्दर बोर्ड जो पूंजी पर ब्याज देता है वह भी पूंजी खर्चे में लिखा जाता है। बोर्ड ने पूंजी के ऊपर कितना ब्याज दिया इसका ब्यौरा रिपोर्ट के 43 पेज (पृष्ठ) पर दिया गया है। पेज 41 पर लिखा है प्रीवियस और सी.आर.। इसके मायने पिछले साल और इस साल ही होगा। सन् 1969-70 में पांच करोड़ छेतालीस लाख आठ हजार नौ सौ दस रुपया हमारी स्टेट बिजली बोर्ड ने ब्याज का दिया और उस साल प्रदेश और केन्द्रीय सरकार ने जो सहायता की उसका ब्यौरा इस प्रकार है। सैन्टर और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को 7,81,53,300 रुपये की इमदाद दी जिसमें से 5,46,87,910 रुपये ब्याज अदा करने का खर्च निकाल दें तो इसमें से तो मुश्किल से दो करोड़ और चालीस लाख के करीब बचता है। इसमें सैन्टर और स्टेट लिखा है। यह मुझे मालूम नहीं सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने कितना दिया है? पांच करोड़ रुपया का बाजार से कर्जा लिया गया। चौधरी दल सिंह जी ने कहा कि इस कर्जे की किस पर जिम्मेदारी है? लेकिन आमतौर पर तजुर्बा यहां बतलाता है कि बोर्ड के अफसर ही जाते हैं, वहीं कर्जा लाते हैं। मैं इस कर्जे के लाने के लिये बिजली बोर्ड के सब भाईयों को मुबारिकबाद देता हूँ। वे हरियाणा स्टेट के लिये पैसा लायें ताकि हमारे प्रदेश के अन्दर काम हो सकें। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पांच करोड़ रुपया बाजार से कर्जे का उठाया, 54 लाख 47 हजार 800 ऐग्रीकलचर री-फाईनेंस कार्पोरेशन से कर्ज लिया गया है। मैं यह मानता हूँ कि पांच करोड़ रुपया जो बाजार से उठाया गया है, इसमें हिन्दुस्तान की सरकार का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं। लेकिन, बहिन इन्दिरा गान्धी के हम मश्कूर हो सकते हैं कि उन्होंने बैंकों के जरिये हमें पैसा दिया। हम उनको हरियाणा में लड्डू दिखाने के लिये नहीं लाये थे। हम इसलिये लाये थे कि हम उन्हें यह दिखा सकें कि हमने कितना काम कर दिया है। जैसे अब हमें पैसा दिया है आगे भी दे दें। हमें हिन्दुस्तान को सरकार का मशकूर होना चाहिये और खासकर हिन्दुस्तान की प्रधानमंत्री बहिन इन्दिरा गांधी का।

ऐग्रिकल्चर री-फाइनैंस कार्पोरेशन ने 54 लाख 57 हजार रुपया कर्ज दिया।

लाइफ इन्सोरैन्स कार्पोरेशन से दो करोड़ और पचास लाख रुपया लिया है, ऐग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन से दो करोड़ और पचास लाख रुपया लिया है, ऐग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन से एक करोड़ बीस लाख और मीडियम टमर्ज लोन फरोम बैंक एक करोड़ अस्सी लाख रुपये लिया गया। अब मुझको मालूम नहीं कि फाइनेंस एन्ड एकाउन्टस के मैम्बर का इस विषय में कर्जा लाने में कितना हाथ है। परन्तु साहनी साहब के बारे में मैं जानता हूँ कि उनका बैंकों से काफी ताल्लुक है उनका इसमें सबसे बड़ा हाथ है। मैं उन सबका बड़ा मशकूर हूँ। इसी प्रकार से कनज्यूमर कन्ट्रीब्यूशन फार सर्विस लाइन्ज 27 हजार रुपये, स्पैशल आइटम टू बी स्पैसीफाईड 19 लाख, 98 हजार रुपये और सबवैन्शन फरोम गवर्नमेंट जीरो रुपये दिखाया गया है।

किसाऊ डैम, जिसके बारे में बड़े भारी गीत यहां गाये जाते हैं, उसके विषय में भी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, इस खाते को देखने से बिल्कुल साफ है कि हमारी सरकार और बोर्ड को विधान सभा ने इस बात की इज़ाजत दी कि पचास करोड़ रुपये पर अंगूठा लगा कर कर्जा ले आओ। वह कर्जा इस प्रदेश की तरक्की के लिये लाये। सरकार ने इस पैसे की इजाजत दी और बोर्ड वालों ने इसका खर्च करने की स्कीमें बनायी। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें पैसा दिया उनका भी शुक्रिया करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदया, अभी कुछ बातें कही गयीं, जिनका बहस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन बातों का जवाब देने के लिये मुझे फिर उठना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा उठने की तकलीफ न करुं। कुछ दोस्तों की सलाह भी, जो मुझे दी गई है, सही ही मालूम देती है। मुझे पता नहीं कि ये कहां–कहां से कागज निकाल कर ले आते हैं। अगर, ये कागज पर लिखी लिखाई का मतलब न समझें, उसको ठीक तरह से पढ़ें नहीं और उसका लत मतलब निकाल लें तो उसमें मेरा कसूर नहीं। किसाऊ डैम बनाना है, जिससे बिजली पैदा होगी परन्तु यहां चर्चा किसी और चीज की कर दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदया, पंडित रामधारी गौड़ ने इस बात को है या नहीं। परन्तु, मुझे मालूम है कि जमुना पर जहां ताजेवाला है, जहां रेगुलेटर बना है, जहां से ईस्ट जमुना कैनाल यू.पी. को जाती है और वैस्ट्रन जमुना हमारे यहां को आती है, वहां से ऊपर दरिया पर बहुत सारी बिजली यू.पी.सरकार ने पैदा करनी आरम्भ कर दी है। क्या इस सरकार ने इसकी कभी जानकारी की है? क्या उनको कोई चिट्ठी लिखी गयी है या हिन्दुस्तान की सरकार को लिखी है कि इसमें हमारा भी हिस्सा है? और

हमें वह मिलना चाहिये ? उपाध्यक्ष महोदया, जिन्होंने झंडी लगा ली, जिन्होंने जय के नारे लगवाने शुरू कर दिये उनको गालियां तो मिलेंगी ही। झण्डी तो बंसी लाल जी ने लगायी है और गालियां किसी औरकिसी को कैसे मिलेंगी ? जब वक्त आयेगा तो गाली इनको ही मिलेंगी। उसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। अगर सत्य को असत्य कहा जाये तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है। मेरे विषय में यहां कहा गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसका जवाब अभी दे दूं। अगर जवाब नहीं दिया गया तो लोग यह समझेंगे और यह परिपाटी भी है कि किसी पर अगर इलजाम लगाया जाये और उसका जवाब न दिया जाये।ैपसमदबम पे ेंसि बवदेमदज मानी जाती है। ऐसी बातों के विषय में मैंने कभी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन नहीं दी, क्योंकि सत्य के नजदीक कोई बोले तो जवाब भी दिया जाये और अगर कागजों के लफ़्जी मायने निकाले बिना कोई बात कहीं जाये तो उसका क्या जवाब दिया जाये ? उपाध्यक्ष महोदया, जमुना से अब जितनी बिजली पैदा होने लगी है यानी ताजेवाला से ऊपर उस जगह पर जहां नदी टांक यमुना से मिलती है उससे नीचे, उस जगह को मंत्री महोदय देखने गये हैं या नहीं ? लेकिन, मैं देखकर आया हूँ। वहां जा कर ये देखें क्योंकि बिजली पानी में हमारा हिस्सा है। शायद कुछ हल्ला-गुल्ला करने से या कुछ पैसा देने से हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाये। वे किसी डैम का जिक्र करते हैं, बड़ी अच्छी बात है वह बने और प्रदेश की तरक्की हो। पानी के बटवारे के लिये तो हम झगड़ा करते हैं लेकिन हम यहां पर ईंट पत्थर लगाने की फिक्र नहीं करते, वह कोई समझदारी की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, फिर यहां कहा गया है कि इन्डस-वाटर ट्रीटी से, जिससे कि बिजली पैदा होगी, 15 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना था। राजस्थान कहीं भी उसके नज़दीक नहीं आता। 8 मिनियन एकड़ फीट में से कुछ पानी तो राजस्थान को हिन्द की सरकार ने दे दिया। बंसी लाल जी उसमें लड़ाई लड़ नहीं सके। (विघ्न)। आप मुझको जो मर्जी चाहें, कह सकते हो क्योंकि ताकत के हाथ में रहते हुए ही आदमी को अख्तियार होता है। लेकिन, जो काम हमने किया, उसको तो अच्छा मान लें। अब जो प्रदेश के अन्दर तरक्की हुई है, उसकी मुझे खुशी है।

**Deputy Speaker :** I would request you, Chaudhri Sahib, to be brief. You have already taken more than half-an-hour.

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैडम, मैं तो खत्म ही कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि जो काम अधूरे थे वे आज बंसी लाल जी की सरकार के दोस्तों के वक्त में, पूरे हो रहे हैं। मैं उनका मशकूर हूँ कि जो काम हम नहीं कर सके, वे हमारी आज की सरकार कर

रही है। उसके लिये यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। मैं उनका इसके लिये शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे वे जो चाहें कह लें, उनको छूट है। आने वाले इलैक्शन के समय पर सब पता लग जायेगा कि ये मेरे ऊपर कितने सच्चे झूठे इल्जाम लगाते हैं। (व्यवधान) अगल इलैक्शन में लोग इनको देख लेंगे। मैं न पहले कभी घबराया हूँ और न अब घबराता हूँ। जो मर्जी आए कहे जायें उनकीं मुझे कोई फिक्र नहीं है।

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 5 अगस्त, 1971 ई.*

-----------------------------

### वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और वर्ष 1969-70 के हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के खातों पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह :** यह किसको कह दिया आपने ?

**श्री रामधारी गौड़ :** मैं चौधरी दल सिंह की बात कर रहा हूँ..... (व्यवधान)

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मुझे ताज्जुब है, इनका पता ही नहीं लगता कि किस बारे में कह रहे हैं। किसी की बात किसी के चेपते हैं और किसी की किसी को हमें पता तो लगे कि किसके खिलाफ क्या कह रहे हैं? मेहरबानी करके चौधरी दल सिंह का नाम लें, जिनके खिलाफ आप कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जिस तरह से इनको बोलने की इजाजत दी है, उसी तरह से बाद में मुझे भी इनकी बातों का जवाब देने के लिए समय मिलना चाहिए। मैं भी सैल्फ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। बिजली और पानी के बारे में अपनी स्पीच में मैंने जो कुछ कहा है वह प्रिविलेजिज़ कमेटी को भेज दें, मैं भी प्रिविलेजिज कमेटी के सामने पेश हो जाऊंगा और सरकार की तरफ से ये भी कागजात लेकर पेश हो जाएं। अगर मैं दोषी साबित हूँगा तो मुझे सज़ा मिल जाएगी लेकिन इस तरह से ...........

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* 5 Aug. 1971, Vol. II, No. 4, *Page (4)* 160-161

**श्री बंसी लाल :** आप रोजाना यहां पर दो दो घंटे ........... (विघ्न)

**चौधरी रणबीर सिंह :** मुख्यमंत्री को जरूर कुछ न कुछ बुखार चढ़ा हुआ है....... (विघ्न)

**उपाध्यक्षा :** चौधरी रणबीर सिंह ने जो प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर हाऊस में रखा है, उसके बारे में मेरा कहना है कि यहां पर हर मेम्बर को बोलने की लिबर्टी है, उनको मैं रोक नहीं सकती। चाहे कोई मेम्बर इधर का हो या उधर का। लेकिन, जो अन-पार्लियामेन्टरी वर्डज़ हैं, उनको मैं हाऊस में नहीं आने दूंगी। मेम्बर पूरी लिबर्टी से स्पीच कर सकते हैं।। I would request the hon. Member to speak only on the Subject before the House and not out of that.

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 5 अगस्त, 1971 ई.*

----------------------------

### चौधरी रणबीर सिंह द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्क्ष महोदया, अब कुछ नये तरीके विधान सभा में सीखने का मौका मिला है। पहले यह परिपाटी होती थी कि जब बहस मुबाहस हो जाता और उसके बारे में जो भी बात कही जाती थी उसकी सरकार स्थिति बताती थी। परन्तु आज यह नहीं है। कोई सजैशन दी गयी उसका जवाब नहीं, कोई क्रिटिसिज़्म का जवाब नहीं, कोई इल्जाम का जवाब नहीं। किसको यह बतायें कि पंजाब के अन्दर 90रु. फी हॉर्स पॉवर के हिसाब से किसानों को बिजली दी जाती है। वहां यह है कि जितने हॉर्स पॉवर की उसकी मोटरें होंगी उसके हिसाब से पैसा लिया जायेगा। जैसे किसी की मोटर पांच हौर्स पॉवर की है तो 450 रुपया सालाना लिया जायेगा। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। मुझे तो खुशी हुई थी क्योंकि मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि श्री बंसी लाल जी ने बयान दिया है कि जिस प्रकार से पंजाब के अन्दर बिजली रेट्स किसानों से लिये जाते हैं उसी तरीके से हरियाणा के किसानों से भी लिये जायेंगे।

**श्री बंसी लाल :** मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मुझे तो पता नहीं अखबार में छपा था। इस बात का अखबार गवाह है। अगर आप कहें तो अखबर दिखा सकता हूँ। सरकार को इस

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 5 Aug. 1971, Vol. II, No. 4, Page (4)* 166-171

विषय में अपनी मुश्किलात बतानी चाहिए थी कि इस कारण से हम इन रेट्स को लागू नहीं कर सकते हैं। मुझे तो इस बात का ताज्जुब होता है कि बिजली की बातें कही जायें और उनको कहीं की कहीं ले जायें। किसी भी चीज की हद होती है। मंत्रियों को जवाब चाहिए। अगर मैं भी उनकी तरह से रिटौर्ट करूं कि आप आज तो मंत्री बने बैठे हैं। परन्तु जब आप राष्ट्रपति के सामने मुख्यमंत्री के खिलाफ पेश हुए थे, तो किस बात के लिए पेश हुए थे और मैमोरैंडम पर क्यों दस्तखत किये थे तो फिर कैसी बात रहे? परन्तु यह अच्छा नहीं लगता कि मैं इन चीजों को कहूँ।

**श्री बंसी लाल :** आप 25-26 जनवरी वाली बात भी तो बता दें जब आप चौधरी सिंह बनने जा रहे थे।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैंने तो उसी दिन बता दी थी। आप लत सलत बताते भी रहते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरा बताने का सम्बन्ध है आप कहते ही रहते हैं। मैं फिर जवाब दे दूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरे विषय में कहा। मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी को पिछले 23 सालों में कभी डिफायी नहीं किया है। ये जो इधर बैठे भाई हैं, इनमें से कितने ही कांग्रेस के खिलाफ वोट लेकर आये बैठे हैं। उनके बारे में हमें कोई एतराज नहीं है।

**कृषि मंत्री ( श्री भजन लाल ) :** रात वाली बात भी तो सच्ची है?

**चौधरी रणबीर सिंह :** आप लोगों के लिए तो सच्ची ही है। आपको तो कुर्सी मिल गई। आपकी सौदागिरी तो बन गयी। मुबारिक हो आपको यह सौदागिरी।

**श्री भजन लाल :** मैं तो कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूँ और कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, यह जो इधर बैठे हुए हैं इन कांग्रेस के भाईयों के बारे में या उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं कहता और न ही उनके नाम लेना चाहता हूँ और न ही उनकी बातों की तरफ मुझे जाना चाहिए।

**श्री भजन लाल :** सारी रात तो वोट लेते फिरे और आपने कुछ किया ही नहीं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** इन्होंने राष्ट्रपति को मैमोरैन्डम दिया। मुझको इस विषय में मालूम नहीं, मैं तो लत बात मानता हूँ। लेकिन, ये उसी कैबेनिट के अन्दर

वज़ीर है। यह हिन्दुस्तान के विधान के लिए ताज्जुब की बात है। मेरे विषय में तो कहते है कि राजस्थान को पानी दे दिया।

**श्री बंसी लाल :** अफसोस तो यह है कि ये मिनिस्टर नहीं बने।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया इनको इतना इल्म नहीं है कि भाखड़ा प्रोजैक्ट की भाखड़ा नहर में राजस्थान का पानी का हिस्सा 1700 क्यूसिक था और उसके लिए राजस्थान की सरकार पैसा दे चुकी थी। मुझको कहते हैं कि 500-600-700 क्यूसिक राजस्थान को पानी दे दिया। अगर, यह साबित कर दें कि हक से फालतू पानी दे दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं इनसे यह नहीं कहूँगा कि यह भी ऐसा ही करें। उपाध्यक्ष महोदया, यह सदन के अन्दर फाइल को रख दें। सदन की एक कमेटी अप्वाईंट की जाये कि कहां तक इनका कहा हुआ ठीक है और कहां तक लत है, वह कमेटी बता सकती है कि मैं ठीक कहता हूँ या ये ठीक कहते हैं (व्यवधान)। उपाध्यक्ष महोदया, श्रीमान मिनिस्टर महोदय को तो यह भी मालूम नहीं है कि फूड कमेटी पंजाब के अन्दर कब बनी थी? यह कमेटी 1965 या 66 में बनी थी। परन्तु, यहां से सन 1961 की बात करते हैं। मैं 13 या 12 मार्च सन् 1962 में मिनिस्टर बना था। चलो, मुझे तो इस विषय में ज्यादा कुछ कहना नहीं है, नये हैं, सीख जायेंगे। हमको इनसे कोई गिला नहीं है। हमने दो साल तक शान्ति से कोशिश की कि सीख जायेंगे, पर यह सीखे नहीं। अब हमें इनको सिखाना भी पड़ेगा। अच्छा है कि श्री बंसी लाल वज़ारत में इनको तजुर्बा हो जायेगा। आगे इन्होंने बनना है कि नहीं, कुछ पता नहीं। हमारी तो काफी उम्र हो गयी। हमने 25 साल मैम्बरी कर ली। ये नये हैं। पता नहीं कैसे आये और कैसे जायेंगे ....... (हंसी).....।

मुख्यमंत्री जी ने श्री रामधारी गाड़ से एक बार कहा था कि गोहाना तहसील के अन्दर करोड़ों रुपया लगवा दिया और फिर भी कांग्रेस को हजारों राय से हरवा दिया। ये शब्द मेरे से फालतू निकल गये कि हरवा दिया। यह कहा था कि कांग्रेस हार गई।

**श्री रामधारी गौड़ :** ये सारे फालतू हैं (विघ्न)।

**चौधरी रणबीर सिंह :** पंडित रामधारी जी, हमारे से एक भी शब्द लत निकले तो हम इस हाऊस में उसको दरुस्त करने में झिझकते नहीं।

**श्री बंसी लाल :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ आर्डर, मैडम। मुझे तो ऐसा लगता

है कि जितने लफज ये कहेंगे सारे के सारे ही लफ्ज फालतू निकलेंगे ....... (हंसी).....

**चौधरी रणबीर सिंह :** यह सब जबानी बातें हैं। आप जो मर्जी आए कहते रहें। लेकिन, लिखित में कोई बात हो, कों कागज हो तो मुझे दिखाएं।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी साहब, आपका टाईम हो गया है।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो आपसे न्याय की तवक्को करता हूँ। मिनिस्टर्ज को तो बहुत मौका मिलता है बात करने का। हमने उनको काफी सजैशन्ज दी हैं कि किसानों के लिए बिजली सस्ती दें। बदरो से पानी उठाने के लिए बिजली के कनैक्शन लगाएं, नयी बिजली की 11 के.वी. की लाइन लगाएं। इन बातों के बारे में तो गौर करते नहीं हैं, हमारे झूठे सच्चे कागजात उठाए फिरते हैं। फूड कमेटी की रिपोर्ट के विषय में मैं पक्का नहीं कह सकता कि वह रिपोर्ट सन् 65 की भी हो सकती है, सन् 66 की भी हो सकती है। लेकिन, वह रिपोर्ट जिसके बारे में मेरा जिक्र है वह सन् 61 की है और मैं मंत्री 62 में बना था। वाटर के बंटवारे के कागजात चलते रहे, हमारे वक्त का उसका कोई पक्का बटवारा नहीं हुआ था। लिसाड़ा नाले का भी जिक्र किया गया है।

**Shri Bansi Lal :** Lisara Nallah was not referred by the hon. Minister. He should not be allowed to refer to it.

**Chaudhri Ranbir Singh :** My friend the Minister has referred to it. I did n't refer to it. Why don't you permit me to speak? आप जरा शान्ति से सुनें। उपाध्यक्ष महोदया, लिसाड़ा नाले का जिक्र किया गया है। यह दुरुस्त है कि शुरु में यह नाला सतलुज की तरफ जाना था और उसका डिसचार्ज भी पहले कम था। 1962-63 में जब बरसात हुई तो कैबिनैट में यह फैसला हुआ था और फैसला भी टैक्निकल कमेटी का था कि यह सतलुज में पड़े। परन्तु, लिसाड़ा नाले का कुछ पानी घग्गर में गिराया जाये। इसमें चौधरी देवी लाल जी का कोई दखल नहीं था। इसके लिए यदि कोई कसूरवार है तो मैं हूँ। लेकिन वह नाला खुदता रहा। किसके लिये? मुख्यमंत्री जी, जरा पता करा लें, 90 लाख या 60-70 लाख रुपया हरियाणा बनने के बाद पंजाब के बगैर पैसे दिये हुए खर्चा हुआ। मेरे वक्त में तो सरदार प्रताप सिंह कैरों मेजोरिटी में थे। उस मैजोरिटी की वजह से यह काम मेरी मर्जी के खिलाफ भी मेरे टाईम में हो सकता था। मैं कबूल करता हूँ। पानी का बहाव कुछ अदला-बदला है। इस बात की जिम्मेवारी से मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि उस

सरकार में मैं भी हिस्सेदार था। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदया, मुझे ठीक तौर से तो याद नहीं, लाखों की लती हो सकती है, 60 लाख से तो कम रुपया बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बगैर पंजाब के पैसे दिये हुए खर्च हुआ, लिसाड़ा नाला खुदता रहा। हमारा तो इसमें कोई दखल ही नहीं। असैट्स ऐण्ड लायबिलिटीज़ कमेटी के अन्दर यह प्रश्न आया था। मुख्यमंत्री जी ने चौधरी दलबीर सिंह और चौधरी देवी लाल को उस कमेटी का मैम्बर बनाया था और मुझे उसका चेयरमैन बनाया था। उस समय पूछताछ के समय वहां सदस्यों ने कहा कि ये लोग पंजाब के लिये काम करते रहे हैं या हरियाणा के लिये? मैंने कहा कि हमें अफसरों के सामने इस तरह से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई लती हो सकती है। कैथल की एक छोटी सी ड्रेन खुदी.......

**Shri Bansi Lal :** On a Point of Order. Kaithal Drain has a not been mentioned by the honourable Minister. So, the honourable member should not be allowed to go off the point like this. He cannot deliver lecture in this way.

**Deputy Speaker :** I would request the honourable Member that he should confine himself to the motion before the House and not say anything else.

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैडम, चूंकि मैं सदन से उस समय गैर-हाजिर था। इसलिये, यह बात मेरे इलम में नहीं है।

**उपाध्यक्षा :** मैंने आपको दो मिनट लेने के लिये कहा था। आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गये हैं। अगर आप दो मिनट और बोलना चाहें तो बेशक बोल लें। लेकिन, आप मोशन के ऊपर ही बोलें। इससे बाहर न जायें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, क्योंकि मैं उस वक्त यहां सदन में नहीं था। इसलिए, मुझे यह बात मालूम नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहब क्या बात और किसके बारे में कह गये हैं? इनके सवाल का जवाब मैं अब तो नहीं दे सकता। लेकिन, पढ़कर स्पीकर साहब को जरूर भेज दूंगा। जहां तक बिजली का ताल्लुक है। इन्होंने कहा कि आपने कोई यहां तार नहीं लगायी, कोई खम्भे नहीं लगाये। उसी सरकार की रिपोर्ट छपी है, मैंने खुद तो छापी नहीं। मुख्यमंत्री जी जरा देख लें। उसके मुताबिक मैंने 12 मार्च, 1962 के लगभग वजारत का कलमदान संभाला था। 31

मार्च, 1962 को जितने कनैक्शनज पंजाब में थे, उनका नम्बर था 4,70,937 जबकि 1961-62 के अन्दर जितने कनैक्शन दिये थे, वे लगभग 60 हजार थे। यह मुझे जबानी याद हैं। मेरे वक्त के अन्दर 1,05,005 नए कनैक्शन दिये गए थे।

**श्री बंसी लाल :** हरियाणा में कितने कनैक्शन थे ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** वह तो जब सवाल करोगे, तब बताऊंगा।

**श्री बंसी लाल :** यह नौबत तो कभी आयेगी ही नहीं कि हम सवाल करें और ये जवाब दें।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, 31 मार्च,1963 को पहला साल मुझे वजीर बने हुआ था और उस समय दिए गए कनैक्शन का नम्बर 1 लाख 36 हजार 206 था और खर्चा सारा हुआ था पौने दो लाख और कर्जा 22 लाख। उपाध्यक्ष महोदया, 1964-65 के अन्दर जब हम चले गये तो.......

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** यह कहानी कब पूरी होगी।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अगर आप पूरी करने दें, तो इसे पूरी कर ही दूंगा।

**Deputy Speaker :** I would request you to please finish your speech. Your time is over.

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, 1964 के अन्दर मेरे कलमदान छोड़ने के बाद उसी साल यह नम्बर घट गया। क्योंकि आप भी खत्म करने को कह रही हैं और आज सदन भी समाप्त हो रहा है, इसके अलावा 2-3 विधेयक और भी अभी पास होने हैं, पंचायत से सम्बन्धित विधेयक भी आयेगा और उसमें कुछ लोग हिस्सा भी लेना चाहेंगे, इसलिये आगे का ब्यौरा मैं नहीं देना चाहता। धन्यवाद।

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 5 अगस्त, 1971 ई.*

---

### चौधरी रणबीर सिंह द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**चौधरी रणबीर सिंह :** ऑन पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन, मैडम।

**उपाध्यक्षा :** नो।

**चौधरी रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदया, आप इतनी पुरानी सदस्या हैं.......

**उपाध्यक्षा :** सैल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए चेयर की अपनी मर्जी है कि वह बोलने की इजाजत दे या न दे। मैं समझती हूँ कि जो लीडर ऑफ दी हाऊस ने बातें कहीं हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आपको सैल्फ ऐक्सप्लेनेशन देने की जरुरत पड़े। प्वायंट ऑफ आर्डर पर आप बोल सकते हैं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मेरी प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि उन्होंने, भाखड़ा प्रोजैक्टर जो एक लिखित एग्रीमैन्ट है, उसकी खिलाफवर्जी में बात कही। उस ऐग्रीमैंट के तहत बिजली का बंटवारा होना था और वह बंटवारा कितनी बिजली कहां इस्तेमाल होती है। उसके बिना पर नहीं बल्कि किसका कितना पानी था, उस बिना पर बंटवारा होना था ? दूसरी बात यह है कि सवेरे यह भट्ठा करते रहे। मैं इनसे कहता हूँ कि साढ़े तीन वर्ष मुख्यमंत्री बने हो गए........।

**उपाध्यक्षा** : मैं यह अलाऊड नहीं करूंगी।

This is no Point of Order.

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 5 Aug. 1971, Vol.I I, No. 4, Page (4)* 175-176

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 5 अगस्त, 1971 ई.*

----------------------------

### हरियाणा मवेशी मेले ( संशोधन ) विधेयक, 1971

**Development Minister** ( Shri Parbhu Singh) : Madam, I beg to introduce the Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill.

I also move —

That the Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Deputy Speaker :** Motion moved —

That the Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, यह जो विधेयक संशोधन के लिए आया है, आप को याद होगा कि इस विधेयक के ऊपर काफी बड़ी एक प्रवर समिति बनी थी और काफी सोच विचार के बाद यह जो पेरेन्ट विधेयक है उसे पास किया गया था। इसमें मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि इसकी जरूरत क्या है ? मेरे ख्याल में इसके अन्दर ये जिस चीज की तबदीली करने जा रहे हैं वह

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 5 Aug. 1971, Vol. I, No. 4, Page (4)* 176-177

यह है कि जहां पशु खरीदने और बेचने का रोजाना बाजार लगता है उसको इसके तहत लाना चाहते हैं। (शाम 7 :00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदया, एक तरफ अभी हमने इस सदन में एक विधेयक पास किया जिसके तहत हर पशु जो बाहर जायेगा उसके ऊपर फी पशु के हिसाब से कुछ हमने फीस लगाई थी। दूसरी तरफ जैसे रोहतक में और नारनौल में भैंसे, गायें, भेड़ें और बकरियां बिकती हैं तो रोजाना ये मेला अफसर साहब जायेंगे और कहेंगे कि हमारा टैक्स दो। हमारा यह कानून है। सरकार की आमदनी का जहां तक सम्बन्ध है वह पहला बिल पास हो गया उसके बाद अब इस बिल के लाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अन्दर दो महकमों का झगड़ा होने का सन्देशा है चूंकि मेला बिल के तहत, इस संशोधन विधेयक के तहत जो उनके ऊपर फीस लगेगी वह उस फीस में से छूट होगी या उसके मुताबिक कोई चीज़ नहीं रखी तो वह भी फीस दे और यह भी फीस दे और यह भी फीस दे। यह बड़े अहम और सोच विचार का सवाल है। यह सब काम जल्दबाजी में हो रहा है। जैसे एक विधेयक आज सवेरे हमें मिला, अभी इन्ट्रोडयूस हुआ और अभी दो मिनट में पास हो जायेगा। तो नतीजा यह होता है कि उसको फिर दोबारा संबोधन करने की जरूरत पड़ती है। समिति का चेयरमैन होने के नाते स्वास्थ्य मंत्री महोदय जो उस टाईम इस विभाग के मंत्री थे इनसे काफी बहस मुबाहसा हुआ था। काफी बहस के बाद यह जो बात आज लाना चाहते हैं, उसको छोड़ा गया। एक तरफ तो वित्त मंत्री महोदया जी के अफसर जायेंगे और एक तरफ इनके ऐनीमल हसबेन्डरी के अफसर जायेंगे। या तो वे दोनों आपस में लड़ेंगे जैसे आज यहां प्रदेश में हो रहा है या वह गरीब आदमी इन दोनों का शिकार होगा। उसके बाद वह मसला सरकार के पास आयेगा। मुझे पूरा विश्वास है सरकार फिर दोबारा कोई संशोधन विधेयक लाने पर मजबूर होगी। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसके ऊपर फिर गम्भीरता से विचार करके या तो ऐसा करे कि मेला के तहत जितनी फीस इसके ऊपर लगती है उतनी फीस उस सेल्ज टैक्स में से कट जाये जो बाहर भेजने के लिये पशुओं की बिक्री पर लगता है, या अगर यह ज्यादा है तो सेल्ज टैक्स मेला टैक्स में से कट जाये। वरना एक ही चीज पर दो किस्म का टैक्स होगा। मैं यह समझता हूँ, मैं खुद वकील तो नहीं हूँ। लेकिन, जैसे विधान का तजरूबा आप को भी हुआ मुझे भी हुआ इसलिये मेरा विश्वास है कि अगर यह बिल इसी तरह से हमने पास किया तो कोई न कोई इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में जायेगा तो यह स्ट्राइक डाऊन हो सकता है। एक क्लॉज भी अगर स्ट्राइक डाऊन हो जाए तो सारे का सारा

बिल चला जाता है। यह राय हमारे लॉ–डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों की है। इसलिये मैं सरकार से कहूँगा कि देखना कहीं डुपलीकेशन न हो जाये। वे एल.आर. से, ऐडवोकेट जनरल से और डिप्टी ऐडवोकेट जनरल से जो अभी दिखाई देते थे, अब तो नहीं रहे, शायद चले गये हैं, उनसे फिर सलाह कर लें। कहीं ऐसा न हो कि जो बात हम ज्यादा फायदे की सोचते हैं वह घाटे का मसला न बन जाये। इसलिये मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि वे इस पर विचार करें।

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 5 अगस्त, 1971 ई.*

---------------------------

### पंजाब सड़क और संयुक्त राष्ट्र विनियमित विकास के नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक 1971

**Public Works Minister** (Shri Ran Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill.

Sir, I also beg to move —

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Un-regulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

THE PUNJAB SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS RESTRICTION OF UN-REGULATED DEVELOPMENT (HARYANA AMENDMENT) BILL

**Mr. Chairman** : Motion moved —

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 5 Aug. 1971, Vol. II, No. 4, Page (4)* 186-190

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Un-regulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** सभापति महोदय, पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रण क्षेत्रों पर अनियमित विकास पर अनुबन्ध हरियाणा संशोधन विधेयक पर आज हम गौर कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह ऐसा विधेयक नहीं है जिसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बात कहीं जा सके या आपत्ति हो। इसके अन्दर इन्होंने कहा कि कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई धारा स्ट्राइक डाउन कर दी क्योंकि उसके अन्दर लोगों को मौका नहीं दिया हुआ था कि तुम्हारा मकान या तुम्हारी चीज जो है इसको क्यों न हटाया जाए ? सिर्फ एक मौका देने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है। तो इस संशोधन का तो मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि लोगों को एक मौका तो मिलेगा। लेकिन, इसके अन्दर एक और बात ये पैदा करेंगे कि 24 घंटे लिख करके फिर कार्यवाही शुरू हो

**श्री रण सिंह :** क्या करेंगे ?

**चौधरी रणबीर सिंह :** एक दफा जब टाईम दे दिया जाए कि इसमें ऐसा कर दो और उसके बाद लिखतम पढ़तम कर दो तो जवाब का इन्तजार तो करना ही चाहिए। बगैर जवाब आए यदि महकमे का फैसला आ जाए कि 24 घंटे के अन्दर नामजद कब्जे को न हटाया गया तो सरकार हटायेगी और हटाने का खर्चा भी लेगी, यह ठीक बात नहीं। सभापति महोदय, मुझको तेजी में भी कोई एतराज नहीं है। तेजी तो सरकार के आज के इतने बड़े काम में आनी चाहिए, क्योंकि सुस्ती से काफी बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन, एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा। मुझे याद है कि जब शुरू में यह विधेयक बना था तो हमारे मानयोग साथी श्री रामसरन चन्द जी मित्तल सरदार प्रताप सिंह कैरों के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और इन्होंने इस विधेयक को पंजाब असैम्बली के अन्दर पेश किया था तथा हमने इसे पास किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आज तक जो अनेकों सड़कें बन गई हैं और उनके आस पास जो कितनी ही गड़बड़ियां हो गई हैं, उनके खिलाफ कितनी कार्यवाही महकमे ने इस बिल के तहत की। सिर्फ सदन के अन्दर विधेयक पास करवाने से कुछ नहीं बनता। मुझको याद है कि जिस वक्त मेरे पास पी.डब्ल्यू.डी. का महकमा था तो मैंने उनसे पूछा था कि दो चार जगहें जो नई-नई बिल्डिंग्ज़ बनती जाती हैं या लोग नाजायज कब्जा करते जाते हैं उनके खिलाफ जो कानून पास किया

था उसके पास कार्यवाही क्यों नहीं हुई तो वे कहने लगे कि ऐसा कोई कानून नहीं। मैंने कहा कि यह बात नहीं हो सकती, कानून जरूर बना है। लेकिन, मुझको यह याद नहीं कि कौन से विभाग के अन्दर वह पड़ता है। उन्होंने कहा कि टाऊन प्लानिंग महकमे के अन्दर है और इसलिए हम पी.डब्ल्यू.डी. वाले कुछ नहीं कर सकते। मैंने उस वक्त एक आदेश निकाला था कि जब कोई बदल कर नया सरकारी अफसर आए तो उससे लिखतम ली जाये कि फलां फलां जगह इस कानून की खिलाफवर्जी में फलां फलां आदमी ने मकान या दुकान बना रखी है ताकि कम से कम पता लगे कि वह कब बनी और उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई? फिर अगर कोई कार्यवाही करे तो सरकार उसकी पूछताछ तो करेगी ही। अब किसी को कोई पता नहीं, मकान बन जाते हैं क्योंकि मकान बनते वक्त कोई आदमी देखने नहीं जाता। फिर सभापति महोदय, एक और बात है, जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन करने की जरूरत थी, जिसका जिक्र इसमें नहीं है। इसका, अगर मुझको ठीक याद है इस बिल के तहत जो सड़कें शहरी इलाके में से गुजरती हैं उनके ऊपर टाऊन प्लानिंग वालों का अधिकार नहीं है। मुझको यह भी याद है कि जब यह बात उस वक्त सामने आई तो इस बात के ऊपर मैंने भी खुद कहा था कि आज जो मकान बने हुए हैं, इस बिल के बनते ही कल को लोग उनको ढाने चले जाएंगे। फिर हमारे पास दरख्वास्तें आएंगी कि हमारा मकान 20 साल पुराना था। हम कहेंगे और पूछ कि किस किसने कितना पैसा खाया? इसलिए इसमें कुछ थोड़ी बहुत बचत करनी चाहिए। लेकिन, उस पड़ताल का क्या असर हुआ? शहर बने और टूटते रहे, बाई-पास बनते हैं, कुछ बाइ-पास के ऊपर भी लोग उसी तरह मकान बनाते चल रहे हैं। आप देखें कि बाई-पास के आसपास इसकी जो हदबन्दी है उसकी खिलाफवर्जी कितने लोगों ने कर रखी है? पता नहीं कितने केस मिलेंगे? उन केसों का कैसे निपटारा किया जाए? अब तक का यह भी सरकार को सोचना चाहिए। वरना जैसा होता ही है इस नई सरकार के जो भाई कार्य करने वाले हैं और जो अच्छे ढंग से कार्य नहीं करते हैं क्योंकि हर समाज में बुरे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, हम में भी हैं, दूसरों में भी हैं और सरकारी अफसरों में भी हैं। जो आदमी बदनियती से काम करने वाले हैं उनके लिए एक मौका मिल जाएगा पैसे बटोरने का। वे दबादब पैसा इकट्ठा करेंगे। जिस तरह से लेबर इंस्पैक्टर और दूसरे इंस्पैक्टरों के पैसे बाकायदा बंधे होते हैं उसी तरह से इस महकमे में काम करने वालों के भी पैसे बंधे हुए हो जाएंगे और हजारों रुपये इस महकमा के कर्मचारी इसी बात से हासिल किया करेगा। इसलिए मैं सरकार से चाहूँगा कि इस बात का इन्तजाम कर लिया

जाए। ज्यों ही यह बिल पास होकर असैन्ट होता हो उसके फौरन बाद जो ऐसी बातें हैं, जो इसके अन्दर आती हैं, उनका एक ब्यौरा तैयार कर लिया जाना चाहिए कि फलां जगह फलां आदमी का मकान है, इतना लत रास्ता है, इतनी सड़क घेरी है और फलां आदमी ने इतने मीटर के अन्दर फलां चीज बनाई है क्योंकि इसी ऐक्ट के अन्दर शायद लिखा है कि सड़क के बीच से लेकर, मुझे अच्छी तरह याद नहीं शायद 50 मीटर है या 100 मीटर है।

**श्री रण सिंह :** 30 मीटर हैं

**चौधरी रणबीर सिंह :** 30 मीटर के अन्दर कोई काश्तकार भी खेती के फायदे के लिए, चाहे वह उसकी ही जमीन क्यों न हो, ट्यूबवैल तक नहीं बना सकता किन्तु आज कितने ही आदमियों ने उसमें दुकानें बना ली हैं और इनमें से भी कई आदमी ऐसे हैं, जिनकी वे दुकानें भी बेनामी हैं। सरकार इस बात का कोई रास्ता निकाले वरना, इसे शिकायतों और झगड़ों का एक नया महकमा खुल जाएगा। मैं मंत्री महोदय से इतना कहूँगा कि अगर हो सके तो वे इस बात को देख लें।

चेयरमैन साहब, हमें तो यह बिल सवेरे ही मिला और सवेरे ही थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, ज्यादा अध्ययन का समय हमें नहीं मिल सका। लेकिन, पिछली कुछ बातें मुझे याद थीं, वहीं मैंने अर्ज़ की। एक और बात मुझे याद आई। इसमें भी हो सकता है तबदीली आ गई हो, मुझको मालूम नहीं है। लेकिन, जहां तक मुझे याद है, म्यूनिसिपल एरिया के अन्दर इस विधेयक के तहत कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। म्यूनिसिपल कमेटी का इलाका, चेयरमैन साहब, बदलता रहता है। जो बाई-पास पहले उसमें नहीं होता है वही कुछ दिनों के बाद म्यूनिसिपल कमेटी में आ जाता है। इसकी रोकथाम सरकार कैसे करेगी, इसके जवाब का ये पता कर लें। अगर यह बात ठीक है तो अभी मौका है कि सरकार की तरफ से अमैन्डमैन्ट आ जाए। (विघ्न) हमको संशोधन देने का शौक नहीं है। बहुत सारे सदस्य नए हैं वे अमैन्डमैन्ट दे दें और सरकार उसे मन्जूर कर ले जैसे कि पहले भी की है। अगर, आज ऐसा अधिकार है कि कमेटी का जो इलाका है उसमें भी यदि कोई सड़कों की सीमा को तोड़ेगा तो उस पर कार्यवाही हो सकती है फिर तो संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस कानून की शहर में भी जरूरत है। अगर इस कानून का असर गांव में ही हो और शहर में न हो तो यह उचित नहीं होगा। गांव वाले जो खेती करने वाले हैं, वे बेचारे यह कहते रहे कि मेरा ट्यूबवैल है, और यह कहें कि यह तो खेती में पानी देने के काम नहीं आता।

इस प्रकार के कई एक झगड़े होंगे। रोजाना मकान बनेंगे और झगड़े होते रहेंगे। इस विधेयक के पीछे जो पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसका सही मुद्दा पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो मैंने विचार दिये हैं उनकी पूरी जानकारी कर लें। मुझे पूरी तरह कानून पढ़ने का मौका तो नहीं मिला है क्योंकि हमारी लायब्रेरी के अन्दर एक दो कापियां ही ऐक्ट्स की होती हैं और वही डाक्टर मंगल सैन जी की टेबल पर होती हैं।

**गृहमंत्री ( श्री के.एल. पोसवाल ) :** आपका तो काफी तजरुबा है। आपको कानून पढ़ने की जरूरत नहीं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** यह तो लोगों की कृपा है और उनकी हिम्मत है कि उन्होंने मुझे 25 साल तक सदन का मैम्बर बनने का मौका दिया है। सन् 1967 के इलैक्शन में मुझे हरा भी दिया था परन्तु उन्होंने सन् 1968 में दोबारा फिर चुन दिया। अगर इस बार नहीं चुनते तो यहां आने का मौका नहीं मिलता। अब हमको तो पता नहीं आने वाले चुनाव में सदन का क्या नया नक्शा बनेगा, कितने इनमें से आयेंगे और कितने नहीं आयेंगे ? मैं तो अपने आपको खुशकिस्मत मानता हूँ कि इतने सालों तक मैं सदन का मैम्बर रहा और इस सदन की कार्यवाही से भिज्ञ हूँ। मुझे कुछ बातें सदन की याद रहती हैं और कुछ बातें जबानी याद रहती हैं। कई भाई तो कागज पढ़कर आते हैं और वही बातें मुझे जबानी याद होती हैं। कितनी ही यहां विद्वान सदस्य बैठे हैं जो पुराने पांच-सात साल के कागज निकाल कर लाते हैं परन्तु मुझे उनका उत्तर देने में एक मिनट भी नहीं लगता।

जिन लोगों ने मुझे इस सदन में आने का अवसर दिया है, मैं उनका धन्यवादी हूँ और साथ में गृहमंत्री जी का भी जो उन्होंने इस सुअवसर पर कुछ बताने के लिए मुझे कहा है।

# हरियाणा विधानसभा

## वीरवार, 5 अगस्त, 1971 ई.*

----------------------------

### पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषद ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक 1971

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है मैं इसके साथ सहमत हूँ। यह संशोधन तो जरूरी है। लेकिन, इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है और लत भी हो सकता है। एक तो इसके जरिये उप निर्देशक को बहुत अधिकार मिल गये हैं। वह कायदे के मुताबिक या लती से किसी मेंबर को यदि हटा देगा तो उसे पंचायत समिति की सदस्यता से हटना पड़ेगा। एक तो यह बात है और दूसरे इससे ज्यादा आपत्ति जो दिखाई देती है जैसा पहले कहा गया है, वह यह है कि आया ये चुनाव होंगे भी या नहीं ? मुझे इसमें शक मालूम देता है कि ये चुनाव हो सकेंगे। मैं मानता हूँ कि हमको यानी विधानसभा को यह अख्तियार है कि कोई बिल हम पहले की तारीख में लागू करने के लिये पास कर दें। लेकिन, उसके बारे में हाई कोर्ट में जाकर जब कोई आदमी जिस पर उसका असर होता है, जिसका कायदे कानून के मुताबिक जो हक पैदा होता है वह हक छीनता है तो पहले डिसियन के अन्दर ही उसे स्टेआर्डर मिल जाता है। कोई एक पंच जो पहले खड़ा हुआ है। अगर, हाईकोर्ट में जाकर खड़ा हो जायेगा कि साहब, मैं पंचायत समिति और जिला परिषद् का मैंबर बन सकता हूँ बनना चाहिये और पंचायत समिति और जिला

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 5 Aug. 1971, Vol. II, No. 4, Page (4) 238*

परिषद् के इलैक्शन स्टे हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव ही नहीं होंगे। मैं दूसरे बिल पर भी इस बात को बोलना चाहता था। लेकिन, समय नहीं मिला। उसके अन्दर यह बात बहुत अच्छी है कि वहनों को राय का हक मिला। लेकिन, अगर इस बात को पहले किया होता तो संशय नहीं रहता और ठीक बात होती। हमारी तरफ चुनाव से पंच बन रहे हैं। हमारा यह फर्ज है उपाध्यक्ष महोदय कि हम कानून को ठीक वक्त के ऊपर बदल।, हरेक भाई को पता हो कि क्या कानून बन रहा है? जो भाई हमें मुकदमेबाजी में फंसाते हों उनको हम कम से कम मौका दें। अगर हम उनको ज्यादा से ज्यादा मौका देगें तो उससे प्रदेश का लाभ नहीं नुकसान ही होगा।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1971 ई.*

----------------------------

### ध्यानाकर्षण अधिसूचना

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, अगर डाक्टर साहब, मोशन नहीं पढ़ना चाहते तो मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नं. 18 पढ़ देता हूँ। गोहाना में हरिजन पिटे हैं, इसलिये उनकी बात तो आनी चाहिये।

**श्री मंगल सैन :** नहीं जी, मैं ही पढ़ देता हूँ। (व्यवधान)

**Mr. Speaker :** Procedure prescribed is that the items of business are to be arranged in the list of business in the following order :

Oath or affirmation,

Obituary references,

Questions including the Short notice questions,

Calling attention notices,

Leave to move motions for adjournment of the business of the House.

Questions involving breach of privilege,

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 26 Oct. 1971, Vol. I, No. 6, Page (6)* 92-97

Papers to be laid on the Table ........

and then there are ten other things. After that no confidence motion against the Ministry.

**Shri Mangal Sein :** Alright, Sir.

**श्री सत्य नारायण सिंगोल :** स्पीकर साहब, 'नो कान्फीडैन्स मोशन' के स्पैशल रुल्ज के अन्दर यह लिखा हुआ है कि that will come just after the Question Hour.

**Mr. Speaker :** Yes, it has to come just after that.

**Mr. Speaker :** Notice of Call Attention Motion No. 14 given by Shri Mangal Sein, MLA concerning the alleged forcibly ejecting, beating and injuring the backward class people in village Jajal, Tehsil Sonepat by the big land-lords of the village is disallowed as the matter is of day to day administration and of ordinary law and order. Moreover, the aggrieved party can seek remedy in a Court of law.

**श्री मंगल सैन :** स्पीकर साहब, यह आर्डिनरी मैटर कैसे है? वहां पर सैंकड़ों घर जला दिये, और वहां पर पुलिस मौके पर गई भी नहीं है, आज तो आप कमाल कर रहे हैं?

**Mr. Speaker :** We have already accepted one concerning the same matter.

**श्री मंगल सैन :** यह पब्लिक इम्पार्टेंस की बात है आप इसके लिए 'नही' कैसे कह रहे हैं। आप यह कहिये कि इस बारे में हम पहले ही एक मोशन एक्सैप्ट कर चुके हैं ............

**Mr. Speaker :** Hon. Members, yesterday as you know a call attention motion was admitted and the Minister has also circulated his reply which I am sure he will read now.

Chaudhri Ranbir Singh, it was your motion.

**चौधरी रणबीर सिंह :** आज दूसरा काल अटैंशन मोशन भी तो एडमिट हो सकता है।

**श्री अध्यक्ष :** पहले कल वाले का तो जवाब आ जाये। ...............

**चौधरी चांद राम :** स्पीकर साहब, पहले तो उस काल अटैंशन मोशन का जवाब पढ़ा जायेगा जो कि कल एडमिट हुआ था। उसके बाद कोई भी दूसरा जवाब आ सकता है।

**श्री अध्यक्ष :** उसमें यह वाला मोशन भी कवर्ड है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मिनिस्टर महोदय दोनों के बारे में स्टैटमेंट दे देंगे।

## CALL ATTENTION NOTICES

**Mr. Speaker :** Notices of Call Attention motions Nos. 15 & 19 given by Shri Mangal Sein, Ch. Ranbir Singh and Ch. Chand Ram, MLAs, regarding the pitiable financial position of the privately owned colleges and the grant of financial help to such colleges on Delhi pattern, though of great public importance but is not of urgent nature and as such, is not admitted. I may, however, add that education being the foundation and basic pre-requisite of the progress and prosperity of a State and its people, our State Government should give due attention to this important matter. I am sure, our State Government which has given a lead in various other fields, will also not lag behind in this regard as well, and will be only too happy to do so.

**चौधरी चांद राम :** स्पीकर साहब, क्या कालिजिज बन्द हो जाएंगे तभी पोजीशन डिटीरियोरेट होगी?

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, यह बहुत ही जरूरी मामला है। बहुत मुश्किल से तो कॉलिज स्थापित होते हैं। असैम्बली का सैशन बहुत थोड़े समय के लिए होता है, उसमें सदस्यगण लोगों की कितनी बातें सदन के सामने रख सकते हैं? इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं ...........

**Mr. Speaker :** We can have only one motion in a day.

**चौधरी रणबीर सिंह :** अगले सैशन का पता नहीं कि कब होगा और होगा भी या नहीं होगा। आगे की बात तो कोई जानता ही नहीं है। फ्यूचर के बारे में कौन बता सकता है। अगर आप इसकी इजाजत दें तो अच्छा ही रहेगा।

**मुख्यमंत्री ( श्री बन्सी लाल ) :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ आर्डर, स्पीकर

साहब, कई दफा मैम्बर स्पीकर की रूलिंग के बाद भी बहस करने लगते हैं। आपकी रूलिंग के बाद कोई बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं बहस तो नहीं कर रहा हूँ मैं तो सबमिशन (निवेदन) कर रहा हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** आज मेरे पास आठ काल अटेन्शन मोशन्ज़ हैं। Under the Rules framed by the House, only one Call Attention Motion can come. I have just given my ruling. So, I am afraid, out of these eight, I will have to choose only one which is more important. This, as I said, is also important, but there is no time.

**श्री मंगल सैन :** स्पीकर साहब, आपने जो रूलिंग दी है, वह सिर माथे पर। लेकिन, मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि वह भी कुछ मान लिया करे। मेरा मतलब यह है कि दो दिन का सैशन है, दस-बीस दिन का सैशन हो तो और बात है। हमें बहुत सी बातें रेज़ करनी होती हैं। डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ बहुत महत्व रखती हैं। आपने जो सोच रखा वह तो ठीक है। लेकिन, मेरी प्रार्थना है कि आप जरा हमारा भी ध्यान रखें।

**Mr. Speaker :** I have just given my ruling. Under the Rules framed by the House, only one motion can be taken up. If, however, all of you agree, I have no objection. These Rules are made by the House and the same cannot be ignored or flouted. I have already made an observation earlier in this connection that unfortunately only one motion can be taken up today.

**चौधरी चांद राम :** स्पीकर साहब, मेरी अर्ज तो इतनी है कि आपको फैसला करना है कि कौन सी बात इम्पाटैंट है। तालीम का मामला बुनियादी है। नागरिकों को तालीम मिलेगी तो देश में डेमोक्रेसी पनपेगी। यह जो कल अटेन्शन मोशन है इसमें एक ही प्वायंट है। सरकार या चीफ मिनिस्टर ने किसी कालिज को तो पचास हजार रुपया ग्रान्ट दी, किसी कालिज को एक लाख रुपए की ग्रांट दी लेकिन बहुत से कालिज जैसे हसनगढ़ का है, बेरी का है, हिन्दू कालिज है और भी कई कालिज हैं जिनको एक पाई भी नहीं दी। कलानौर के कालिज को आपने खूब ग्रान्ट दी क्योंकि वहां जो जनसंघ का मैम्बर था वह कांग्रेस में शामिल हो गया है।

**Mr. Speaker :** I feel that althouh the matter is important, yet it is

not urgent. Unfortunately, we are now meeting for two days only. If we were to meet for 3/4 days, then we would have taken it up.

Notice of Call Attention Motion No. 16 given by Dr. Malik Chand Gambhir, MLA, concerning the alleged unrest amongst the people of the area on account of the proposal of the Government to construct a 48 miles long and 180 feet wide canal from Yamunanagar to Mannak, is disallowed a the construction of a canal is a long and a continuous process and the matter is not of urgent public important.

**डाक्टर मलिक चन्द गम्भीर :** स्पीकर साहब, यह तो बड़ा इम्पोर्टैन्ट मामला है। वहां के लोग उजड़ जाएंगे, उनका बड़ा नुकसान होगा।

**श्री अध्यक्ष :** नहरें तो आखिर बनेंगी ही।

**चौधरी चांद राम :** स्पीकर साहब, वहां के लोगों के दिलों में एक एजीटेशन है। हमने वहां एक जलसा किया था और इन्होंने भी वहां नहर के लिए जलसा किया ----

**श्री बन्सी लाल :** आनरेबल मैम्बर का यह कहना बिल्कुल लत है कि मैंने कोई खाली नहर के लिए जलसा किया था। उसके लिए तो इन्होंने किया होगा, मैं आन दी फ्लोर ऑफ दी हाऊस यह कहना चाहता हूँ कि हम वहां नहर जरूर बनाएंगे।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1971 ई.*

----------------------------

### ध्यानाकर्षण अधिसूचना

**चौधरी चांद राम :** स्पीकर साहब, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो तो ग्रीवैन्सिज़ के लिये कोई जाए। (व्यवधान)

**श्री बन्सी लाल :** स्पीकर साहब, इन्हें यह भी पता लग जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं।

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है कि ऐसा हो जैसा यह है। वह कल आपने उसकी इजाजत दी थी। इसमें और उसमें कोई खास फर्क नहीं है। जगह का फर्क है। इसमें तो बहन का भी जिक्र आया है। बहन का तो समाज के अन्दर वैसे ही लिहाज होता है, होना भी चाहिये खासतौर से इस प्रदेश में, जिसकी कि वित्तमंत्री महोदया भी बहन हैं, फिर दाना पानी भी बहन ही देती है – (विघ्न) – अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो आदेश दिया है, उस आदेश पर आप पुनर्विचार करें और हमको आज्ञा दें। हम यह पढ़ दें और मेरे विचार में, सरकार का इसमें भला है, क्योंकि सरकार ने जो कार्यवाही की होगी या करेगी, उसकी सूचना अखबारों में छपी है और लोगों के सामने आयेगी, नोटिस में आएगी।

**Mr. Speaker :** Chaudhri Sahib, the difficulty is that eighteen

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 26 Oct. 1971, Vol. I, No. 6, Page (6)* 100-101

Call Attention Motions have been received and only one can be admitted. This is an individual case and in that case there were were sixty persons involved.

**श्री मंगल सैन :** स्पीकर साहब, मेरी एक प्रार्थना है कि आप की बात हम कबूल करते हैं कि यह एक इन्डीविजूअल केस है। कई बार इन्डीविजूअल केस की वारदात सारे सूबे और मुल्क के लिये लॉ एण्ड ऑर्डर का सिचूऐशन क्रीएट कर सकती है, जबकि एक देवी के, स्त्री के, कपड़े उतार कर, जैसे चांद राम जी कहते हैं कि उसे नंगा किया गया और अपमान किया गया। यह मामला बड़ा सिरीयस है। हम यह नहीं समझते कि ट्रैज़री बैन्चों की यह मन्शा हो सकती है। मेरी इन से प्रार्थना है कि वे इस हाऊस में स्टेटमेंट दें और फै क्ट्स को बता दें। यह बड़ा सीरियस मैटर है।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1971 ई.*

---

### विशेषाधिकार के प्रश्न

**चौधरी रणबीर सिंह :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वैसे तो हमारा प्रदेश ईनाम किनाम देने में, सदस्यों के इधर से उधर आने जाने में काफी बदनाम है। कम से कम आने जाने का जिक्र यहां तो न आये। इस सदन की तो आप इज्जत रखें। अगर, जिक्र करना है तो बाहर ही करते रहें।

**स्वास्थ्य मन्त्री ( श्री खुर्शीद अहमद ) :** चौधरी चांद राम जी तो मोबाइल ब्रिगेड हैं। (विघ्न)

**चौधरी चांद राम :** आप जिसे भी मोबाइल कहें लेकिन कहीं पीपलज़ पार्टी बनती है कहीं और पार्टी बनती है। (विघ्न) अगर सारे हिन्दुस्तान में कोई आदमी गया था तो सबसे पहले हरियाणा में गया था। छाज्ज तो बोले छालनी क्या बोलें ?

**Mr. Speaker :** Notice of Cell Attention Motion No. 23 given by Chaudhri Ranbir Singh and Chaudhri Chand Ram, MLAs concerning the alleged state of ejectment of tenants etc. consequent upon the announcement of the new land reforms by the Ministers, cannot be taken up during the current session as we can take up only one Call Attention Motion on a day and the House is adjoining sine-die to-day.

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 26 Oct. 1971, Vol. I, No. 6, Page (6)* 104-107

**चौधरी चांद राम :** स्पीकर साहब, अब आप ही बतायें कि क्या करें? हर बात में बोलना पड़ता है। इन्होंने तीन मई, 1971 को ऐलान किया, जो रेडियो पर आया और अखबारों में भी आया कि मैं तीन महीने के अन्दर सारी जमीन बांट दूंगा। जिला जीन्द जिसकी दो तहसीलें हैं, उसमें जमीन के लिए 30 हजार दर्खास्तें आई। उसमें दो हजार एकड़ जमीन है। मैंने यह मोशन इसलिये, दिया था कि ये अपनी पालीसी बता दें। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जमींदारों को क्यों तंग करते हैं, क्यों उनको आपस में लड़ा रहे हैं? ये साफ-साफ कह दें कि हमारे पास इतनी जमीन है और हम इतनी दे सकते हैं। ऐसा करने से कम से कम बेचारे जमींदार नुक्सान से तो बच जायेंगे, कोई और रोजगार कर लेंगे। मेरे पास नेकी राम जी के ब्यान की कटिंग है। इन्होंने कहा था कि मैं तीन महीने में राम राज कर दूंगा और भूमिहीनों को ज़मीन दे दूंगा। ...... (विघ्न)

**श्री बन्सी लाल :** यह कटिंग का धंधा कब से पकड़ा है? (हंसी)

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, जैसे चौधरी चांद राम जी ने कहा है, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। असल बात यह है कि ये हवा में हैं। सुना है कि हमारी सरकार ने कोई आर्डिनेंस का ड्राफ्ट हिन्द सरकार को भेजा कि पांच एकड़ से जो जमीन के ज्यादा टेनेंटस हैं उनको इजैक्ट कर दिया जाये। हिन्दुस्तान की सरकार ने यह मानकर कि हमारी जो नीति है, किसानों के संरक्षण की है। यह उससे विरूद्ध है। जो किसान इजैक्ट हो गया, जिनके पास जमीन नहीं रही उनको देने के बारे में उनकी हिदायत थी कि 5 एकड़ तक उनको जमीन दी जाये। लेकिन, अगर किसी बेजमीन किसान के पास 5 एकड़ भूमि से ज्यादा होती तो वह लीगली इजैक्ट न होने वाला टेनैंट है। उसको इजैक्ट करने के बारे में प्लानिंग कमिशन की या हिन्दुस्तान सरकार की कभी कोई पॉलीसी नहीं रही। यह सुना है कि एक आर्डिनेंस का मसौदा गया वापस आया तो उसके बारे में चर्चा है। अच्छा होता सरकार अपना बयान देती। अगर, आप इजाजत न भी दे तो भी बाद में, यह तो हवा में चर्चा है इसके बारे में बयान सदन के बाहर ही दे दें। यह सरकार के मफाद में ही होगा।

**श्री बन्सी लाल :** इसका तो बड़ा अच्छा इलाज है चौधरी चांद राम और चौधरी रणबीर सिंह दोनों लत अफवाहें फै लाने से रह जायें, फिर कोई झगड़ा ही न रहे।

**चौधरी चांद राम :** हमने यह नहीं कहा कि गवर्नमेंट देगी।

**चौधरी रणबीर सिंह :** चौधरी चांद राम का अखबार से संबंध है। मेरा कोई संबंध नहीं और न ही कोई उस बात से संबंध है। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सदस्यों के बारे में ऐसी बात कहें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। वे यह कह सकते हैं कि हमारी सूचना लत है। ये तो हमारे इरादों को चेलेंज करते हैं। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। हमें तो और कुछ नहीं कहना।

**Mr. Speaker :** Notice of Cell Attention Motion No. 24 given by Shri Mangal Sein, MLA concerning the alleged shifting of the Head office of National Mineral Development Corporation from Faridabad to Hyderabad and as result causing loss to the State Government by way of income from taxes etc. is disallowed as the matter pertains to the Central Government. Moreover, the notice of resolution could also be given on the subject.

**श्री मंगल सैन :** स्पीकर साहब, बात इतनी थी कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने गुड ऑफिस का यूज करके गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को लिखें और रिक्वैस्ट करें। चार-पांच सौ एम्पलाईज़ वहां पर हैं, उनके पक्के मकान बने हुए हैं और उस ऑफिस के यहां पर रहने से हरियाणा के लोगों को एम्पलायमेंट के चांस मिलते हैं कई उनसे टैक्स वसूल होते हैं आन ह्यूमैनटेरियन ग्राउडज हमें चाहिये था कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से रिक्वैस्ट करते। हमारा तो इतना ही मतलब था। अगर आप एडमिट कर लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

**Mr. Speaker :** Call Attention Motion No. 25 given notice of by Shrimati Chandravati, MLA concerning the declaring of Jandwali Bisnoian (District Hissar) as a disturbed area is dis-allowed as it is not a matter of urgent public importance and the Hon. Member has not stated the date of declaration. The notice is vague.

**श्रीमती चन्द्रावती :** स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि यहां कुछ वाक्यात हुए हैं। लेकिन, सारे गांव में तो कुछ भले आदमी भी होंगे। अगर बहुत बदमाश हैं तो उनको इंडिविजुअल तौर पर सजा देना ज्यादा अच्छा होता। बनिसबत कि पूरे गांव के हरैस करने के। ऐसा करने से बदमाश तो बच जाते हैं, शरीफ आदमी को ज्यादा तकलीफ होती है। यही मेरी अर्ज़ था।

**चौधरी रणबीर सिंह :** हिन्दुस्तान के अन्दर जब नया संविधान लागू हुआ तो

उसके अन्दर यह रखा गया कि कोई जाति या एरिया क्रिमिनल नहीं बनाया जा सकता। यह जो एक गांव को क्रिमिनल बनाने की तरफ रुझान है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। हरियाणा के तो सभी लोग अमन पसंद हैं। हमें अगर दुश्मन के साथ लड़ाई लड़नी हो तो लोहा लेंगे। वे बहादुरी से लड़ते हैं। जैसे हमारे स्पीकर साहब ने और दूसरे बहादुरों ने देश की इज्जत ऊंचा की है।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1971 ई.*

----------------------------

### विशेषाधिकार के प्रश्न

**चौधरी चान्द राम :** स्पीकर साहब, आपको याद होगा, पिछले अगस्त सैशन में चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरे बारे में कुछ कहा था। जिस दिन कहा था, उसके अगले दिन जब मैंने अखबार में देखा कि मेरे बारे में लत बात कही गई है तो मैंने हाऊस में कहा था कि मैं इस बात पर पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन, आपने कहा कि चूंकि मैंने देयर ऐंड दैन अपरचुनिटी नहीं ली। इसलिए, आप पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। उस वक्त आपकी यह रूलिंग थी और मैं आपकी रूलिंग सुनकर सदन से उठकर बाहर चला गया था। यह आइडैंटिकल केस है। आपने मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं दिया, क्योंकि ठीक वक्त पर एतराज नहीं दिया था। यह चीज़ चीफ मिनिस्टर साहब और दूसरे मैम्बर साहिबान सुन रहे थे। श्री ओम प्रकाश जी ने भी कहा है कि जिस तरह पहले कभी रूलिंग पर पुनर्विचार नहीं किया जाता, उसी तरह आज भी रूलिंग पर पुनर्विचार करने का कोई केस नहीं बनता। इसलिए जो रूलिंग आपने दी है, वही बहाल रखी जाए।

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य माननीय सदस्य जनरल सैक्रेटरी श्री बनारसी दास गुप्ता ने कहा, इसकी पुष्टि के

----------------

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 26 Oct. 1971, Vol. II, No. 6, Page (6) 112-116*

लिए मेरे ख्याल में अगर आप सदन की कार्यवाही को देखेंगे तो उसमें ऐसा ही पायेंगे कि यहां गर्मागर्मी हुई। एक दूसरे पर इल्जाम लगाए गए। तारीखें बताई गई। यह सब एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हुई। उस समय पर्सनल ऐक्सप्लनेशन भी हुए। इनके इलावा जो सज्जन सदन से बाहर हैं, सदन के सदस्य नहीं हैं उनके ऊपर प्वायंट ऑफ आर्डर रेज हुए थे कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, क्या उस पर यहां कोई ऐलीगेशन लगाया जा सकता है या नहीं? अब यह मामला काफी पुराना हो गया है। यह ठीक है कि माननीय नेता के बारे में कोई बात कहते हुए सदन के हर सदस्य को समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी के बारे में चाहे वह सदस्य है, चाहे मन्त्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, वह सदन के सदस्यों की इज्जत को कायम रखें। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, रूलिंग पर पुर्नविचार करने वाली बात पर कुछ नहीं कहता। आपके जरिये माननीय नेता से प्रार्थना करता हूँ और श्री बनारसी दास गुप्ता तथा दूसरे सदस्यों से, जो इस प्रस्ताव को लाना चाहते हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस बात को छोड़ दें, यह पुरानी हो गई है। वक्त आ जाता है। पता नहीं कौन व्यक्ति कब क्या कह जाए? इस बात को छोड़ें, चाहे यही समझ लें कि यह उस सदस्य की मैडन स्पीच थी। जो सदस्य पहली दफा बोलता है उसकी यह मैडल स्पीच होती है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त यहां पर काफी गर्मागर्मी हुई थी। हम में से कोई आदमी शायद ज्यादा कह जाता। लेकिन, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत कम बात कही। मैं उनकी तरफ से सफाई नहीं देता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सदन की इज्जत को बरकरार रखें और नई परिपाटी न डालें क्योंकि इससे हमारे सदन की इज्जत नहीं बढ़ेगी। इससे माननीय नेता को ही इज्जत नहीं बढ़ेगी। बल्कि, हमारे जनरल सैक्रेटरी तथा दूसरे दोस्तों की इज्जत भी बढ़ेगी इसलिए पुरानी बात को छोड़ दें, इसी में सदन की इज्जत है।

**Mr. Speaker :** I have heard various view-points and since I have stated that the proceedings have been brought in these will be checked and a further thought will be given to this matter.

(ii) Re.-the publication of an editorial in News Weekly 'Vishal Haryana'

I have also received a notice of question of breack of privilege against the Managing Editor, Printer and Publisher of the News Weekly 'Vishal Haryana' concerning the publication of an editorial in its issue

dated the 14th October, 1971, describing the Speaker, the Ministers adn the MLAs, as drunkards and thus casting reflections on them. This requires proper consideration and I have not yet applied my mind to it. Of course, I shall address the Editor of the News Weekly as to what he has to say in this regard.

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** स्पीकर साहब मेरी सबमिशन यह है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इसलिए, इस पर फौरन ही गौर किया जाना चाहिए और फौरन प्रिविलिज कमेटी के पास यह मामला जाना चाहिए। अगर मैं वह सबकुछ पढ़ूं जो एडिटोरियल में लिखा है तो सारा हाऊस सन्नाटे में आ जाएगा। मुझे मालूम नहीं कि इस सदन के किन-किन माननीय सदस्यों ने उस आर्टिकल को देखा है। उसमें लिखा है कि हरियाणा विधानसभा के 90 प्रतिशत सदस्य्य शराब पीते हैं। स्पीकर साहब, चलो, हम अपनी बेइज्जती, अपना सम्मान, अपनी मर्यादा पर कुठाराघात होते हुए तो किसी प्रकार बर्दाश्त कर भी लेते हैं। लेकिन, मैंने तो यहां तक लिखा हुआ देखा है जिससे मैं समझता हूँ कि हरियाणा विधान सभा में शराबियों का शासन है। अध्यक्ष महोदया, विधान सभा में अध्यक्ष महोदय का ही शासन होता है.......... (व्यवधान) इस पवित्र सदन के सदस्यों और सबसे अधिक विधान सभा के अध्यक्ष के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाया जाए कि सदन के अन्दर शराबियों का शासन है तो स्पीकर साहब यह बहुत गम्भीर मामला है। यह बड़ा गम्भीर मामला है कि एक पत्र का सम्पादक इतनी गैर-जिम्मेदारी को बात लिखें। किसी पत्रिका का सम्पादक इतना गैर-जिम्मेदार हो कि पवित्र सदन के सदस्यों पर इस प्रकार का आरोप लगाये कि 90 फीसदी मैम्बर शराबी हैं और शराबियों का शासन है तो अध्यक्ष महोदय इस मामले में हम सभी शामिल हो जाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस पर गौर करने की आवश्यकता है इसलिए यह प्रिविलिज कमेटी के पास जाना चाहिए ताकि इस पर पूरी तरह से गौर हो सके।

**चौधरी रणबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चौधरी जय सिंह राठी ने कहा है कि परसैंटेज वाली बात बिल्कुल लत है, इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता, क्योंकि सदन के 90 परसैंट मैम्बर शराबी बताये हैं जो कि बिल्कुल लत बात है....... (व्यवधान)

**चौधरी जय सिंह राठी :** आप 10 परसैंट में निकल गए होंगे ..........

**श्री बनारसी दास गुप्ता :** 10 परसैंट महिलाएं हैं जो नहीं पीतीं....... (शोर)

**चौधरी जय सिंह राठी :** इसका मतलब यह हुआ कि 90 परसैंट पीने वाली हैं और 10 परसैंट नहीं पीतीं.......... (हंसी) (शोर)।

**चौधरी रणबीर सिंह :** स्पीकर साहब, मैं सदन का ध्यान दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अखबार पढ़ी नहीं है और न ही अखबार के नाम का मुझे पता है। एक माननीय मन्त्री के नाम से एक सूचना एक अखबार में छपी थी, वह मैंने पढ़ी थी। यह काफी पुरानी बात है और वह बात मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है, फरीदाबाद में कांग्रेस वर्कर्ज़ की मीटिंग के सिलसिले में थी। जहां तक मुझे याद है, सूचना में दर्ज था कि किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने शिकायत की कि कुछ भाई शराब पीते हैं जो कांग्रेस के विधान के खिलाफ है। इस बात पर मन्त्री महोदय की तरफ से जो जवाब अखबार में छपा वह तकरीबन ऐसा वैसा ही था। उसको मैं यहां पर पढ़ूं तो मैं सदन की बेइज्जती मानता हूँ और जिस चीज़ को मैं सदन को बेइज्जती मानता हूँ उसको मैं यहां दोहराऊंगा नहीं।

**चौधरी चांद राम :** ऑन ए प्वॉयंट ऑफ आर्डर, सर। चौधरी रणबीर सिंह यहां पर सच बोलें कि मिनिस्टर महोदय ने क्या कहा था। सच्चाई बता दें..........

**चौधरी रणबीर सिंह :** मैं चांद राम जी से एक ही निवेदन करूंगा कि शायद उनकी खुद की आत्मा मानती होगी कि किसने क्या कहा था ........... यह जरूरी नहीं कि यहां पर बताया जाए ...... (व्यवधान)। (प्रात : 11 :00 बजे)। ....... तो वह डरने की बात नहीं है। एक बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए उसका सवाल है। मेरा जो कहने का अर्थ है वह यह है कि पता नहीं उस अखबार में, जिसका जिक्र किया गया है, लीडिंग आर्टिकल उसी बिना पर निकल गया हो और हो सकता है कि मन्त्री महोदय ने उसमें कोई तरदीद की हो। हो सकता है कि न भी की हो क्योंकि काम बहुत है, 7 जिलों का बहुत बड़ा सूबा है, बहुत अफसर है डी.आई.जीज. और कमिश्नर्ज़ आदि और ऐसा लगता है कि आई.ए.एस. के लोगों की शायद पंचायत के सैक्रेटरीज लगने की नौबत आ जाए। अध्यक्ष महोदय, काम चूंकि बहुत ज्यादा था इसलिए हो सकता है कि यह खबर शायद कंट्राडिक्ट न हुई हो। अगर कंट्राडिक्ट नहीं हुई है तो जिम्मेवारी कुछ दूसरे कंधों पर भी आती है और अगर हो गई है तो जिन दूसरे दो, तीन, चार और पांच अखबारों में यह सूचना निकली है, उन अखबारों के

ऊपर भी जिम्मेवारी आती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन सारे पहलुओं पर गौर करके ही आप अपना आदेश दें। अगर मामला प्रिवलेज कमेटी को जाता है तो ये सारे मसले प्रिवलेज कमेटी को जाने चाहिएं। उन सारी अखबारों की पड़ताल करनी चाहिए। किस-किस अखबार में यह खबर निकली है और किस-किस से कंट्राडिक्शन निकली है? इस सारी सूचना को इकट्ठा करने का काम आप अपने सैक्रिटेरिएट के जिम्मे लगाएं ताकि वह सारी सूचना इकट्ठी करके आपके सामने रखे। फिर उसके बाद आप कोई आदेश दें।

# हरियाणा विधानसभा

## मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1971 ई.*

---------------------------

### अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

**चौधरी रणबीर सिंह ( किलोई ) :** उपाध्यक्ष महोदया, कुछ भाई कहते हैं कि जो हरिजन कल्याण निगम बना है, उससे हिसार को ही फायदा हुआ है। मैं यह कहता हूँ और हरियाणा की जनता जानती है कि हरियाणा के अन्दर हिसार का पिछड़ा हुआ जिला था और पिछड़े हुए जिले को आगे बढ़ाने के लिए पानी देना जरुरी है, उसमें जुई कैनाल बनाना जरूरी है। जुई कैनाल बनाकर इस मुख्यमंत्री ने बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है। सन्देह नहीं कि विरोधी दल वालों को नुक्ताचीनी करने का हक है। जहां पर लती है उसको बताएं ताकि उनको दुरुस्त किया जा सके और अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो उसको सरकार के नोटिस में लाएं जिससे कि इन्कवारी हो सके। इसके साथ ही उनका यह भी फर्ज है कि जो सरकार के अच्छे काम हैं, उनकी तारीफ भी करें। वे कोई अच्छे सुझाव दें कि इस प्रकार से काम होना चाहिए। जो लोग सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या 1973 तक सड़क उनके यहां नहीं जाएगी? क्या यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के यहां ही जाएगी? कया कोई विरोधी दल का सदस्य बता सकता है कि उसके गांव तक बिजली नहीं पहुँची? कोई भी सदस्य हो चाहे वह जनसंघ का सदस्य हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो और चाहे वह स्वतन्त्र सदस्य हो, उसके गांव में बिजली

----------------

*Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 26 Oct. 1971, VolI. I, No. 6, Page (6) 185-187*

तथा सड़क पहुँची है। इसी की हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसायटी कहते हैं। यह बात मानने की है कि यह सरकार जनता के हितों के काम कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदया, नारायणगढ़ तथा अम्बाला का जिक्र आया, जहां पर पानी नहीं मिलता था। लेकिन, वहां अब बहुत ट्यूबवैल लगा दिए गए हैं। हिसार के रेतीले मैदान जहां पर पीने का पानी नहीं मिलता था अब वहां पर पानी की टैंकियां बना दी हैं, ताकि लोग अपना गुजारा कर सकें खेतों को पानी दे सकें, उपज ज्यादा बढ़ सकें। इतना ही नहीं सरकार ने खेती के लिए भी बहुत काम किया है। सिर्फ खेती के लिए हो नहीं, बल्कि उद्योगों के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है। आज हरियाणा के अन्दर उद्योगों की दिन प्रतिदिन तरक्की हो रही है। फरीदाबाद, सोनीपत में जाकर देखिए और दूसरे इलाकों में जाकर देखिए कि किस प्रकार से हमारी फैक्टरियां काम कर रही हैं। इस सब बातों से साफ जाहिर है कि हरियाणा सरकार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदया, यहां पर कुछ बातें आयीं कि जो व्यक्तिगत रूप में किसी के ऊपर लगाई गई। यह कहां तक सत्य है, यह तो इन्कवायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन, इस सदन के अन्दर निराधार बात करना कोई शोभा की बात नहीं है। जिन भाईयों ने इस प्रकार की बात की, हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत मतभेद हो। लेकिन, मेरा कहना तो यही है कि इस सदन के अन्दर हरियाणा की तरक्की की बात होनी चाहिए, यहां की जनता की भलाई की बात होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, कल ही आपने देखा कि विरोधी दल के सदस्यों ने सरकार के सामने कुछ सुझाव रखे और इस सरकार ने बड़ी फराखदिली से उनको मान लिया।

अब एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया है। हरियाणा की जनता को यह पता है कि यह सरकार अच्छे काम कर रही है और अगर यह सरकार अच्छे काम नहीं कर सकती तो जनता को पूरा अधिकार है कि वह इस सरकार को हटा दे। अभी पिछले दिनों हमारे देश में इलैक्शन हुए और हिन्दुस्तान की जनता ने अपनी वर्डीक्ट दी और वह वर्डिक्ट दी प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के हक में। आज हिन्दुस्तान की जनता गरीबी से ऊब चुकी है, उसके पास गुजारे के लिए पैसा नहीं है, पैर में जूता नहीं है, सिर ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है। इसलिए, वह तबदीली चाहती है और उस तबदीली लाने के लिए प्रधानमंत्री ने हिन्दुस्तान की जनता के सामने एक

सवाल रखा कि अगर तुम तबदली चाहते हो तो पार्लियामेंट में इस प्रकार के आदमियों को भेजो जो प्रधानमंत्री की नीतियों को मानने वाले हों और जो लोग अब तक शोषण करते चले आ रहे हैं उनको खत्म करो। उनकी नीतियों को खत्म करो। अभी कल ही आपने देखा कि हमारी इस स्टेट के अन्दर एक बिल आया था और उस बिल के बारे में यहां विचार करते ही हरियाणा की जनता को हमने यह बताया कि इस बिल को पास करना क्यों आवश्यक था? संविधान के अन्दर कुछ बातें हैं जिनको डाकरैक्टिव प्रिंसीपल्ज कहते हैं हिन्दुस्तान की जनता किस प्रकार हुकूमत करे। किस प्रकार उन्नति करें और सरकार को जनता की भलाई के कौन-कौन से काम करने चाहिए। उन बातों को हम अपना रहे हैं। हरियाणा की जनता ने इस सरकार को विश्वास दिया है कि वह उस तरीके से काम करे, जिससे जनता की भलाई हो। इन कामों के अन्दर रुकावटें डालना विरोधी दलों का काम नहीं है। विरोधी दलों का काम है वह सरकार को अच्छे सुझाव दे, जिससे उन सुझावों पर चल कर हरियाणा को जनता की भलाई के काम किए जा सकें। मेरे विरोधी दल के भाई यह चाहते हैं कि सरकार को उलट दें। यह ठीक है कि आप उलटना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कभी उनमें शामिल था और मैं भी चाहता था कि यह सरकार खत्म हो। लेकिन, सवाल एक आया और वह यह था कि समाज प्रगति की ओर चल रहा था और समाज में प्रगति लाने के लिए विचारों की प्रगति होनी आवश्यक थी। हमारे कुछ भाई अभी-अभी सलाह दे रहे हैं कि इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं। लेकिन, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि यह प्रगति जो आज हो रही है उसके लिए व्यक्ति को बदलना जरूरी है और समाजवाद लाने के लिए हिन्दोस्तान के व्यक्तियों को बदलना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि जो भाई अविश्वास का प्रस्ताव पास करवाने के लिए यहां पर बैठे हैं उनको भी अपने विचारों के अन्दर तबदीली लानी होगी। यदि वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता ऊपर उठे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस अविश्वास के प्रस्ताव को बहुमत से ठुकराया जाए ताकि आगे के लिए ऐसा करने की कभी उनकी हिम्मत न हो। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बोलने का समय दिया है।